राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9] सप्तम विधान सभा के नवें सत्र का पहला दिवस [संख्या 1

बृहस्पतिवार

दिनांक 11 अक्टूबर, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

जिला भरतपुर में नये विद्यालय

1. **श्री चाव खां** (कामां) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1984-85 में जिला भरतपुर की तहसील कामां में हायर-सैकण्डरी; उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय किन-किन स्थानों पर खोले जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) जिला भरतपुर में तहसीलवार उपरोक्त विद्यालय वर्ष 1984-85 में कहां-कहां खोले जा रहे हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

मन्त्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा (श्रीमती कमला) : (1) वर्ष 1984-85 में अब तक जिला भरतपुर की कामां तहसील में प्राथमिक विद्यालय मन्देरा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। विद्यालय खोलने के शेष प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) वर्ष 1984-85 में अब तक भरतपुर जिले में खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहूंगा, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है? जो लिस्ट मेरे सामने आई है, उसके अनुसार कामां में केवल एक खोला गया है जबकि

(श्री चाव खां)

और पंचायत समितियों में किसी में चार, किसी में पांच स्कूल खोले गये हैं। क्या उस क्षेत्र में इन्सान नहीं रहते हैं? सबसे पिछड़ा इलाका है वह।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब कर रहे हैं माननीय सदस्य। कामां क्षेत्र से कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, केवल एक प्रस्ताव आया था उसके हिसाब से उसको खोला गया है। पंचायत, पंचायत समिति, विधायक जी, जिला परिषद् या किसी अन्य स्रोत से भी वहां के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे। कुछ प्रस्ताव विभाग से अवश्य मंगवाये थे। चाहते यह हैं कि जन-प्रतिनिधि, संस्थाओं को ज्यादा तवज्जोह दी जाय। जैसा इस सूची में देख रहे हैं किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार खोले हैं, इसका कारण यह है कि प्रस्ताव उस ढंग से प्राप्त हो गये हैं। जहां प्रस्ताव हिसाब से प्राप्त हो गये हैं वहां ज्यादा खोले गये हैं। कुल 1200 स्कूलों में से करीब 700-750 स्कूल खुले हैं। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां से एक भी प्रस्ताव नहीं आया है वहां एक भी नहीं खोला गया स्कूल। आपके यहां से एक प्रस्ताव आया है, एक स्कूल खोल दिया है। और प्रस्ताव आयेंगे तो उन पर विचार किया जायेगा।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रस्ताव के बारे में जो कहा वह बिल्कुल गलत है। मैंने स्वयं तीन दफा लिख कर भेजा है, पंचायत समिति के भी प्रस्ताव आये हैं। प्रस्ताव आपके पास पहुँचे, नहीं पहुँचे, इस पर ध्यान दें।

श्रीमती कमला : प्रस्ताव आपने भेजा, पंचायत समिति ने भेजा, एक-एक ग्रामवासी ने भी भेजा है तो उनको बाकायदा सूची में दर्ज किया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बहुत से क्षेत्रों से प्रस्ताव नहीं आये हैं, उनमें कामां भी है। प्रस्ताव आयेगा तो देखेंगे।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, करीब एक तिहाई सैशन निकल गया और अभी तक सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल्स खोलने का निर्णय नहीं हुआ है। जुलाई, अगस्त, सितम्बर....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : और इस निर्णय का आधार क्या रहेगा?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह नीतिगत सवाल पूछा है कि कब तक खुल जायेंगे, किस आधार पर खोले जायेंगे। इस सम्बन्ध में जितने भी प्रस्ताव आये हैं, राज्य सरकार ने उन सब की सूचियां तैयार की हैं। यह विवरण भी प्राप्त करने की चेष्टा की है कि जहां से यह प्रस्ताव आये हैं वहां से सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल दूसरे इलाके में कितनी दूरी पर हैं, कितने बच्चे हैं, भवन की क्या व्यवस्था है। सब की जानकारी करके विवरण तैयार कर लिया गया है। शेष की भी तैयारी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : जुलाई के पहले पहले खोल देने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री गुलाब चन्द कटारिया।

भाखरा मुख्य नहर के तोड़े जाने से प्रदेश को क्षति

2. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रेल, 1984 के बाद भाखरा मुख्य नहर को कब-कब तोड़ा गया और उससे प्रदेश को कितनी आर्थिक एवं फसल की क्षति हुई ?

(2) राज्य के कौन अधिकारी अथवा अन्य विशिष्ट व्यक्ति इस टूटी नहर को देखने मौके पर गये और उन्होंने वापसी पर क्या रिपोर्ट दी ? कृपया उक्त रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) राज्य सरकार अपने स्तर पर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या पुख्ता प्रयास करने का विचार रखती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) भाखरा मुख्य नहर माह अप्रेल, 84 के बाद दिनांक 5 व 6 जून, 1984 की रात को तथा 20 व 21 जुलाई, 84 की दरम्यानी रात को टूट गई थी। इस नहर के टूटने से लगभग 38490 एकड़ क्षेत्र में नहर के पानी से फसल नहीं हो सकी। फसल के न होने से व सिंचाई शुल्क न प्राप्त होने से प्रदेश को लगभग 5 करोड़ की क्षति हुई है।

(2) सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर ने दोनों बार मौके का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 26-6-84 व 30-7-84 को प्रस्तुत की; जिसकी प्रतियां परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न हैं।

(3) यह नहर पंजाब में स्थित है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु पंजाब राज्य सरकार ने नहर पर त्वरित गश्त करवाना शुरू किया है। नदी व नालों के ऊपर बने नहर के पक्के कार्यों पर पुलिस तैनात की गई है।

(प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा, 5-6 जून को पहली बार राजस्थान-भाखरा मैन कैनाल को तोड़ा गया, उसके बाद 20-21 जुलाई को तोड़ा गया। प्रश्न यह है कि 5-6 जून को नहर तोड़ने के बाद राजस्थान सरकार ने भविष्य में यह घटना नहीं घटे इसके लिए क्या प्रयत्न किए ? 5-7 जून को नहर टूटी तो आपके एडिशनल चीफ इंजीनियर मौके पर गए, और 29 जून को रिपोर्ट पेश की। क्या यह घटना इतनी छोटी थी कि मंत्रिमण्डल का कोई व्यक्ति या राजस्थान का मुख्य मन्त्री इस स्थान पर जाकर इसके बारे में तुरन्त अपनी राय बनाकर अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करता है ? दुबारा भी ऐसा ही किया गया। 20-21 जुलाई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

को नहर टूटी और 30 जुलाई को रिपोर्ट आ रही है। क्या राज्य सरकार राजस्थान कैनाल का इतना घटिया काम समझती है कि मौके पर जाकर अपनी ओर से इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जब कि हरियाणा गवर्नमैण्ट·······

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान कैनाल को राज्य सरकार घटिया काम नहीं समझती। जहां तक हमको पानी मिलने की बात है वह कॉन्ट्रैक्ट पाइन्ट से मिलता है। भाखरा हाइडल कैनाल की टोटल कैपेसिटी जो है और जो मेन लाइन की है-दोनों एक है, 12454 क्यूसेक्स है। इसमें से पंजाब का 2723 और हरियाणा का 7355 क्यूसेक्स है। बहुत रेलेवेंट है उत्तर, राजस्थान का शेयर 12554 में से 919 क्यूसेक्स ही है। अभी इसकी फुल कैपेसिटी नहीं है अभी 1200 क्यूसेक्स कम है। इसको रैस्टोर करने के लिए लम्बे अर्से से पंजाब, राजस्थान और भारत सरकार के बीच में बातचीत चल रही है। अभी कैपेसिटी 11300 क्यूसेक्स के आसपास है जिसमें राजस्थान का हिस्सा 550 क्यूसेक्स बनता है।

श्री रघुबीर सिंह कौशल (बारां) : किस प्रश्न के उत्तर में बता रहे हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा यह है कि·······

श्री परसराम मदेरणा : आपका प्रश्न यह है कि एडिशनल चीफ इंजीनियर को क्यों भेज दिया·········

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 5-6 जून की रिपोर्ट 29 तारीख को आ रही है।

श्री परसराम मदेरणा : कलक्टर को पता लगने के बाद मुख्य मंत्री जी ने गवर्नर और भारत सरकार के पास प्रोटेस्ट लॉज की। हमारा व्यक्ति, जो वाटर कन्ट्रोलर है, वहीं रहता है 23 दिन है वो मिलिट्री एस्कार्ट के अन्दर टैक्निकल एक्सपर्ट को उस क्षेत्र के अन्दर 8 तारीख को हरियाणा के इरिगेशन मिनिस्टर के साथ जाने दिया गया, क्योंकि उस दिन कर्फ्यू लगा हुआ था, ऐसी स्थिति में 8 जून से पहले वहां नहीं पहुंच सकते थे। 8 जून को रिपोर्ट है। अधिकारी प्रोग्रेस देखेंगे, जो कुछ भी ब्रीच हुआ है उसकी रिपेयर में कितना समय लगेगा इसके सम्बन्ध में·······

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत सीधा है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 5-6 जून को नहर टूटी और 30 जून को सैक्रेटरी इरिगेशन के सामने रिपोर्ट आई-यह डिले क्यों हुई ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई मतलब नहीं है···

(व्यवधान)

डिले हुई है। ब्रीच किन कारणों से हुआ, क्यों हुआ ? पंजाब में प्रेसीडेन्ट रूल है·······

(श्री परसराम मदेरणा)

(व्यवधान)

आतंककारी थे या असामाजिक तत्व थे यह आज तक आइडेन्टीफाई नहीं हो सका है। जहां तक रिपेयर का प्रश्न था, रिपेयर हो रही थी, राज्य सरकार को रिपेयर के सम्बन्ध में अधिकारी अवगत करा रहे थे। मुख्य मन्त्री जी 27 जून को वहां पर गये थे और जितने भी इंजीनियर्स थे उनसे रिपोर्ट ली थी। मुख्य मन्त्री जी भी गये और मैं भी गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि 27 जून को क्यों गये जब कि 5 जून को नहर टूटी थी। क्यों नहीं राजस्थान के हितों को प्रोटेक्ट कर पाई ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने का राज्य सरकार का प्रथम कर्तव्य है.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 26 दिन की डिले क्यों हुई ? इस गलती को स्वीकार करना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें। किसानों का तो करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया उसका कौन जिम्मेदार है ?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह बात अखबारों में आ चुकी थी सरकार यदि निगरानी रखती तो नहर नहीं टूटती ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सरकार किसानों की क्षतिपूर्ति करेगी ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, 12554 क्यूसेक में से अपना 9119 क्यूसेक है जब कि हरियाणा का तो 8 हजार क्यूसेक है, हरियाणा की राजधानी भी है वह भी उतने ही इन्ट्रेस्टेड थे, बिजली और पीने का पानी आता है, भारत सरकार भी उतनी ही इन्ट्रेस्टेड थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

कृपया आसन ग्रहण कीजिये। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर !

बैठ जायें। कोई उत्तर नहीं आयेगा।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

अगला प्रश्न । श्री बंसीलाल पटवा ।

भीलवाड़ा जिले की खानों पर अतिक्रमणों का नियमितीकरण

3. **श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले के ऊपर माल बिजोलिया क्षेत्र व चित्तौड़गढ़ के नाला के माताजी क्षेत्र में सन् 1983-84 व 1984-85 में किन-किन खनन कार्य करने वालों के अतिक्रमणों का किन-किन मापदण्डों के आधार पर नियमन किन-किन तिथियों में किया गया ?

(2) नियमन के पूर्व अतिक्रमणियों के विरुद्ध कौन-कौन से कारगर कदम उठाकर जुर्मों के चालान कब-कब किये गये ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जयकृष्ण शर्मा): भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल बिजोलिया व नला का माताजी क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामले जो वर्ष 1983-84 में नियमित किये गये उनकी सूचना संलग्न परिशिष्ट 'क' में दी गई है । अतिक्रमण का कोई मामला वर्ष 1984-85 में नियमित नहीं किया गया है ।

(2) अतिक्रमियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है ।

(सूचना व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री बन्शीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा सा था । मैंने यह जानकारी चाही थी कि चित्तौड़गढ़ जिले के नला के माताजी क्षेत्र में सन् 1983-84 व 1984-85 में किन-किन खनन कार्य करने वालों के अतिक्रमणों को किन किन मापदण्डों के आधार पर किया गया ? इसके बारे में आपका कहना यह है कि एक वर्ष का रेन्ट अतिरिक्त रूप से लेकर नियमितीकरण किया गया । मेरा इस बारे में कहना यह है कि यह जो मामले आपने बताये हैं और नियमन किया है वह सही नहीं है ।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि गत विधान सभा सत्र में आपने 55 मामले चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के बताये थे । वह उत्तर आपने हाउस में दिया ।

मेरा प्रश्न यह है कि ऊपरमाल बिजोलिया क्षेत्र में एनक्रोचमेंट जंगलात की भूमि पर जहां-जहां पर था, 1980-81 में उसे रैगुलराइज करने के लिए उन लोगों ने प्रार्थना-पत्र तत्कालीन खनिज मन्त्री महोदय को दिये थे ।

दूसरा चित्तौड़गढ़ के नले के माताजी के बारे में निवेदन करना है कि वन विभाग की जो जमीन वहां पर थी, उन लोगों में लाखों रुपयों का माल निकाला, समय-समय पर उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई ......

एक माननीय सदस्य : × × ×

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : Expunge, आर्डर, आर्डर।

श्री बन्शीलाल पटवा : कोर्ट में चालान प्रस्तुत किये गये वन विभाग की ओर से, उसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास उपलब्ध है। आखिर आप वन विभाग की जमीन को किस तरह से रेगुलराइज कर सकते हैं, माइन्स डिपार्टमेंट की जमीन नहीं थी, अधिकारी स्तर पर लाखों रुपयों का स्केण्डल करके रेगुलेराइज की है। लाखों रुपये के स्केण्डल के आधार पर आपने रेगुलराइज किये हैं। प्रतिक्रमणियों ने वहां से लाखों रुपयों का माल निकाला। आपने उनको रेगुलेराइज किस आधार पर कर दिया? जंगलात की भूमि थी, केन्द्रीय सरकार से आपको अनुमति लेनी चाहिये थी।

खनिज मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रकार का नहीं था। आपने जो सवाल पूछा था वह यह था, सन् 1983-84 व 1984-85 में किन-किन खनन कार्य करने वालों के अतिक्रमणों के अतिक्रमियों का किन-किन मापदण्डों के आधार पर नियमन किन-किन तिथियों में किया गया? अब सारी भूमिका बता रहे हैं, जंगलात की भूमि का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियमन कार्य किया गया दिसम्बर, 1980 में। सरकार के सामने वहां का प्रतिनिधि मंडल आया था, जो चाहता था कि वर्षों से जो बिना पट्टे खनन कार्य करते आ रहे हैं, जिनके ऊपर पैनल्टी इम्पोज की जाती है उनको रेगुलेराइज किये जाने चाहिएं क्योंकि उनके पास के पट्टे काफी अर्से से दिये हुये हैं। तत्कालीन सरकार ने यह फैसला किया कि प्रतिनिधिमण्डल की यह मांग वाजिब है, नियमन किया जाना चाहिये। उसी आधार पर नियमन किया जा रहा है। इससे पूर्व 142 व्यक्तियों का नियमन किया गया और 1983-84 में 5 व्यक्तियों का नियमन किया गया और 1984-85 में कोई नियमन नहीं किया गया। अगर फोरेस्ट की जमीन में कोई अनआथोराइज्ड काम हो रहा है तो इसका माइनिंग डिपार्टमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है, फारेस्ट डिपार्टमेंट इस विषय में कार्यवाही करेगा और उन्हीं का काम है कि इस कार्यवाही को रोके। इससे माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई सम्बन्ध नहीं है। हमने जो रेगुलेराइजेशन किये हैं उनमें लोग कई वर्षों से काम कर रहे थे, उनको हटाना उचित नहीं था। इसलिए पहाड़िया गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट का कोई प्रश्न नहीं है। जब आपकी गवर्नमेंट थी उस समय विभाग से इनके रेगुलेराइजेशन के लिए आदेश दिये गये थे।

श्री बंशीलाल पटवा : मूल प्रश्न को खनिज मन्त्री महोदय चबा रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप पढ़ दीजिये प्रश्न को। यह मत कहिये कि चबा रहे हैं।

श्री बंशीलाल पटवा : मुझे अपनी बात कहने दीजिये।

चित्तोड़गढ़ क्षेत्र में जिन्होंने कम्प्रोमाइज किया, मेरा इस सम्बन्ध में अर्ज है।

(श्री बंशीलाल पटवा)

(व्यवधान)

भूमि फोरेस्ट डिपार्टमेंट की थी इसको दबाया गया है, लाखों रुपयों का इसमें स्केण्डल हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न—श्री भंवरलाल शर्मा एवं श्री कैलाश मेघवाल।

उदयपुर जिले में भारत निर्मित विदेशी मदिरा के थोक व्यापार का अनुज्ञापत्र

4. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल जयपुर) **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान में नशाबन्दी नीति समाप्त होने के बाद उदयपुर जिले के भीम कस्बे में भारत निर्मित विदेशी मदिरा के थोक व्यापार का अनुज्ञा-पत्र किस-किस वर्ष में किस-किस को दिया गया था और उनको कितने-कितने बोण्ड रखने की कब-कब स्वीकृति दी गई थी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान द्वारा भीम बोण्ड की विशेष जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो यह जांच कब-कब, किन-किन वर्षों की कराई गई और जांच से अनुज्ञाधारी से वसूली योग्य कितनी राशि का पता लगा है?

(3) इस जांच के आधार पर किस-किस के विरुद्ध किस-किस दायित्व के बारे में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

आबकारी मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) राजस्थान में नशाबन्दी नीति समाप्त होने के बाद उदयपुर जिले में भीम कस्बे में भा. नि. वि. म. के थोक व्यापार का अनुज्ञापत्र जिन व्यक्तियों को दिया गया एवं जिन्हें बोण्ड रखने की स्वीकृति दी गई, का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :—

वर्ष 1981–82

क्र. सं.	नाम अनुज्ञाधारी	स्वीकृत बोण्ड सं	स्वीकृति की दिनांक
1	2	3	4
1.	श्रीमती रामकिशनी, पुष्पादेवी, सुशीला रानी एवं सुशीला देवी थोक अनुज्ञाधारी, भीम	1	10-6-81

(श्री ब्रज सुन्दर शर्मा)

1	2	3	4
	वर्ष 1982–83		
1.	श्री बालकिशन टांक पुत्र श्री बिहारीलाल टांक एण्ड पार्टी नि. भीम थोक अनुज्ञाधारी भीम	1	30-12-82
	वर्ष 1983–84		
1.	श्री महेन्द्रकुमार पुत्र जवरीलाल टांक सा. भीम श्री बालकिशन पुत्र श्री बिहारी लाल टांक नि. भीम (मैसर्स भारत लिकर्स भीम) थोक अनुज्ञाधारी भीम	3	13-10-83

(2) श्री महेन्द्रकुमार एण्ड पार्टी थोक अनुज्ञाधारी भारत लिकर्स भीम के विरुद्ध कतिपय अनियमिततायें विभाग के ध्यान में लाने पर अनुज्ञाधारी के गोदामों में पड़ी मदिरा का भौतिक सत्यापन कराये जाने पर स्टॉक में कमी पाई जाने पर विभाग द्वारा राज्य सरकार को निवेदन कर मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान, जयपुर की आडिट पार्टी द्वारा भीम बौण्ड के लेखों की विशेष जांच करवाई गई। दिनांक 4-4-84 से 16-5-84 तक वर्ष 1983-84 के लेखों की जांच करवाई गई। लेखों की जांच से अनुज्ञाधारी से 2,87,09,002.00 रु. की वसूली योग्य राशि का पता लगा।

(3) भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट एवं विशेष आडिट रिपोर्ट के आधार पर श्री दामोदरलाल अग्रवाल, जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर, श्री प्रेमशंकर त्रिपाठी, सहायक आबकारी अधिकारी, उदयपुर के विरुद्ध राज्य सरकार ने विभागीय जांच घोषित करते हुए उन्हें राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 3-4-84 व 4-6-84 को निलम्बित किया जा चुका है एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

आबकारी निरीक्षक श्री झंझारसिंह व कदीरखां को आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 22-3-84 से निलम्बित किया गया है। इनके खिलाफ भी विभागीय जांच कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त इन चारों अधिकारियों व अनुज्ञाधारी श्री महेन्द्रकुमार पुत्र श्री जवरीलाल टांक भीम व श्री बालकिशन पुत्र बिहारी लाल टांक, भीम द्वारा आपस में सांठ-गांठ कर राज्य सरकार को जानबूझकर धोखा देकर अनुचित हानि पहुंचाने का अपराध करने के कारण इन सभी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420-467-468-217-120 बी के अन्तर्गत थाना भीम पर मुकदमा नं० 50/84 दिनांक 9-4-84 को दर्ज करवाया गया जिसकी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

तफतीश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द कर रहे हैं। अनुज्ञाधारी श्री बालकिशन एवं महेन्द्रकुमार की अग्रिम जमानत की दरख्वास्त, दिनांक 24-7-84 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। अनुज्ञाधारियों के अस्वीकृत बोण्डों में पड़ी समस्त मदिरा को सीज किया जा चुका है एवं उनके विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54 के तहत चालान पेश किया जा रहा है। अनुज्ञाधारी श्री महेन्द्रकुमार को धारा 19/54 के तहत विभाग के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था जिसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजसमन्द द्वारा जमानत पर रिहा किया गया। इसी केस में अनुज्ञाधारी बालकिशन की अग्रिम जमानत की दरख्वास्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजसमन्द द्वारा स्वीकार की गई है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या यह सही है कि सर्वप्रथम आपके विभाग को दिनांक 26-8-83 को सूचना मिल गई थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं, विधान सभा में जिस दिन प्रश्न पूछा गया था उस दिन से इस बात की जानकारी करना शुरू किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : विधान सभा में सवाल उठाया था वह तारीख है 4 अप्रेल, 1984। आप यह कहना चाहते हैं कि 4 अप्रेल, 84 से पहले कोई जानकारी नहीं थी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 4 अप्रेल, 84 से पहले कोई जानकारी नहीं थी।

श्री भंवरलाल शर्मा : विराजिये अब आप।

अब मेरा प्रश्न यह है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर ने 26-8-83 को विजिट किया और अपने विजिट नोट में इस अनियमितता के बारे में जानकारी दी। इस पर आयुक्त महोदय ने आदेश दिया कि इसकी जांच की जाय। उसके बाद भी जांच नहीं की गई। इसके बाद एक दूसरे अधिकारी को दिनांक 24-11-83 जो जांच करने के आदेश दिये गये। उसने भी 27 फरवरी तक कोई कार्यवाही नहीं की। और आप कह रहे हैं कि इसकी कोई जानकारी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुख्य विषय से हट कर प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब दो करोड़ का मामला है।

श्री अध्यक्ष : कृपया अपने आपको प्रश्न के दायरे में ही सीमित रखिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो डिस्प्यूटेड पाइन्ट्स हैं उन पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, राजस्व मण्डल में भी है और पुलिस भी कार्यवाही कर रही है, इसलिए केस को प्रिजूडिस कर सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके डिपार्टमेंट

(श्री भंवरलाल शर्मा)

को सूचना कब मिली? इसमें हाई कोर्ट क्या करेगा।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया है, जिस दिन विधान सभा के सामने प्रश्न उठाया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब, अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। अभी आपने यह कहा कि जब यह प्रश्न विधान सभा में दिनांक 4-4-84 को पूछा गया तब इसमें कार्यवाही शुरू की गई। अध्यक्ष महोदय, यहां पर पहले तो, विधान सभा में 31 लाख और 36 हजार रुपये का गबन घोटाला बताया गया। फिर जब एफ.आई.आर. लोज हुई तो दिनांक 10-4-84 को आपने 31 लाख रुपये की बात कही थी, उसकी संख्या बढ़कर 74 लाख और 88 हजार और 840 रुपये हो गई। उसके बाद में जब आगे और जांच हुई और जांच अधिकारी ने जो नोट भेजा उसमें 2 करोड़ 87 लाख और 89 हजार दो रुपये का घोटाला पाया गया। यह इतनी रकम बढ़ गई। यह जो रिपोर्ट आई है, वह है दिनांक 24-5-84 को, इस रिपोर्ट के बाद जो फाइनल रिपोर्ट आई वह क्या दो करोड़ रुपये की ही है या 2 करोड़ 87 लाख रुपये से और बढ़ गई है।

इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि इस इतने बड़े घोटाले में फर्जी परमिट भी पाये गये हैं। तो जो जाली परमिट प्रयोग में लाये गये थे वह कितने थे और ये फर्जी परमिट किसने इश्यू किये थे?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें काफी घोटाला है। जो आडिट पार्टी गई थी उसने रिकार्ड की जांच की। उसने यह बताया कि इसमें फर्जी परमिट भी जारी हुए हैं। अब इसमें और देखने की बात है और सत्यापन होने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। दूसरी डिस्टलरीज, जहां-जहां से माल आया था, उसमें कितने बोण्ड होने चाहिए थे यह देखने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो सूचना आये हो सकता है कि बकाया और दूसरे डिपार्टमेंट की भी निकले, जैसे सेल्स टैक्स वाले हैं वह अपनी बकाया बता सकते हैं। आडिट रिपोर्ट जो है उसके बाद में इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी अपनी अलग से बकाया निकालेंगे तो इसमें और भी बकाया निकल सकती है। चूंकि सभी कागजात सील किये हुए हैं अतः पता लग जायेगा। इसके साथ ही मैं सदन को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं की जायेगी और किसी भी अधिकारी को प्रोटेक्शन नहीं दिया जायेगा। जो भी अधिकारी दोषी पाया जायेगा उसको सजा दी जायेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब पहले अधिकारी ने विजिट की उसने यह बताया कि वहां पर काफी गड़बड़ियां हैं, फिर भी कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गयी, इसका क्या कारण था? इसको लिगर इग्नोर क्यों किया गया? रिपोर्ट निरीक्षण की आते ही सत्यापन क्यों नहीं कराया गया और जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लिया गया?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब पता पड़ा तभी तो सस्पेन्ड किया है दोषी अधिकारियों को।

श्री भंवरलाल शर्मा : इतने बड़े गबन घोटाले का पता लग गया था तब आपने इतने दिन बाद सस्पेण्ड क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न नहीं है। यह इसी से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। प्रश्नकर्ता श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा-सीधा प्रश्न ही पूछना चाहूंगा। मेरा प्रश्न यह है कि डिप्टी कमिश्नर आबकारी श्री एन. आर. यादव ने 26-8-83 को निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सारी बात बता दी थी। उसी से डिपार्टमेंट को पता लग गया था लेकिन विभाग ने उस पर कार्यवाही नहीं करके कोताही बरती, यह स्पष्ट पता लग सकता है। उपायुक्त, आबकारी विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैं दिनांक 26-8-83 को बहमराह आबकारी निरीक्षक, देवगढ़ थोक अनुज्ञाधारी विदेशी की मदिरा श्री महेन्द्रकुमार एण्ड पार्टी के यहां पर पहुंचा तो वहां पर महेन्द्रकुमार उपस्थित नहीं मिला। अनुज्ञाधारी के सेल्समैन व नौकर उपस्थित थे। उनके समक्ष बौण्डेड वेयर हाउस का रजिस्टर देखा, व जानकारी प्राप्त की कि कितने गोदामों में मदिरा स्टोर की गई है। बौण्डेड गोदाम हेतु तीन कमरों में मदिरा का स्टॉक स्टोर किया हुआ है। उक्त स्टोर रूम की यह हालत है कि मदिरा का स्टाक अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है जिसका भौतिक सत्यापन बिना स्टोर रूम को खाली कराये किया जाना सम्भव नहीं है। थोक अनुज्ञाधारी द्वारा केवल मात्र एक स्टोर (बौण्ड) हेतु ही अनुज्ञा शुल्क व सुपरविजन चार्जेज की राशि जमा कराया जाना पाया गया। इसलिए उसका सत्यापन होना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब इसकी जांच हो गई है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि जब उपायुक्त आबकारी विभाग ने अपने विजिट नोट में यह सारी जानकारी दिनांक 26-8-83 को ही दे दी थी तब डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पर उसी वक्त कार्यवाही हो जानी चाहिए थी जो नहीं हुई।

दूसरी बात यह है, जब उपायुक्त ने आबकारी आयुक्त को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें यह लिखा है कि प्रतिलिपि जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लिखा है कि आयुक्त, आबकारी महोदय द्वारा विजिट नोट के हांसियों में दिये गये आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर तत्काल पालना रिपोर्ट से आबकारी आयुक्त महोदय को अवगत करावें। यह दिनांक 13-9-83 की रिपोर्ट में है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हुआ और वह मामला लिंगर ओन होता गया। इस प्रकार गबन जो 2 करोड़ और 87 लाख का हुआ है वह इतना ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह तो और दूसरे डिपार्टमेंट्स के

(श्री कैलाश मेघवाल)

टैक्स वगैरह मिला कर करीब दस करोड़ का घोटाला हुआ है, मेरा यह निवेदन है कि जो उपायुक्त आबकारी विभाग ने दिनांक 13-9-84 को रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें तत्काल कार्यवाही करने की बात कही गई। तो इसमें तत्काल कार्यवाही आबकारी आयुक्त महोदय ने उनकी सिफारिश पर की ? जो प्रतिलिपि जिला आबकारी अधिकारी अशोक भण्डारी को दी थी उसने, अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24-11-83 तक कोई कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, उसकी पालना में 27 फरवरी, 84 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। पहली बार अब सदन में 4 अप्रेल को प्रश्न उठा उसके बाद कार्यवाही होना शुरू हुआ है। इससे पहले तो घोटाला 31 लाख रुपये का बताया गया। उसके बाद भी यह 72 लाख रुपये का बताया गया। उसके बाद में यह घोटाला बढ़कर दो करोड़ 87 लाख रुपये का हो गया है। मेरा यह निवेदन है कि इसके अलावा इसमें कितने फर्जी परमिट जारी हुए उसकी जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस प्रश्न को ज्यादा विस्तार में नहीं लायें। क्योंकि यह मामला न्यायालय में चल रहा है। इसके अलावा इसका अनुसंधान अभी चल रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं न्यायालय से सम्बन्धित जो है वह बात नहीं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से तो जो इन्क्वायरी चल रही है वह प्रिजूडिस हो सकती है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में जो रिपोर्ट एफ. आई. आर. की है वह तो 74 लाख रुपये की है। इसके अलावा, मेरा निवेदन यह है कि जो फर्जी परमिट इश्यू हुए ये वह 80 परमिट शराब के फर्जी जारी हुए हैं। उनको जारी करने वाला कौन था और फर्जी परमिट ज इश्यू किए वह किसने किये ?

इसके अलावा इसमें 19 परमिट का भी मामला है। उसकी जांच की क्या रिपोर्ट है, वह कब आयेगी ? इसके अलावा पहले एक बालकृष्ण नाम का व्यक्ति था जो कि 82-83 में भी था। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि 82-83 और और 83-84 के उसके टेन्योर में और कितना घोटाला हुआ ? अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ रुपये की सरकारी आमदनी का नुकसान हुआ है, जो परिस्थितियां वहां पर पाई गई और चीफ एकाउन्ट्स आफिसर ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है, उसको देखते हुए जो एक उच्च स्तरीय जांच हाई कोर्ट के जज से कराने की सिफारिश की गई है उसके लिए क्या सरकार उच्च न्यायालय के जज से इसकी जांच करायेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चीफ एकाउन्ट्स आफिसर ने जो रिपोर्ट की है उससे यह पता चलता है कि जाली परमिट इश्यू हुए हैं। उसके लिए पुलिस में एफ. आई. आर. लौज कर दी गई है। पुलिस उस रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कर रही है। अब पुलिस का काम है, वह पता लगायेगी कि कितने जाली परमिट इश्यू हुए हैं। उस पर किस अधिकारी के दस्तखत हैं इसकी जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक क्या कहा जा सकता है। जब इसकी रिपोर्ट आ जायेगी पुलिस के द्वारा तब पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भूपालसिंह। यह अन्तिम पूरक प्रश्न है इस प्रश्न पर।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है अन्तिम। मन्त्री महोदय, यह बतायें कि जाली परमिट से कितनी शराब बेची गयी और एफ. आई. आर. में कितने परमिटों के लिए कहा गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. जो पुलिस में की गई हैं उसमें है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट जो 24-3-84 की है उसमें तो 74 लाख रुपये की बात है। उसके ऊपर 9-4-84 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, पर जाली परमिटों से जो घोटाला पाया गया है वह 2 करोड़ 87 लाख रुपये का है। तो क्या यह एफ. आई. आर. 2 करोड़ 87 लाख रुपये की की गई है। इसका मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह भौतिक सत्यापन किया गया और जो बौण्डेड हाउसेज आथोराइज्ड नहीं थे उनको शराब के सत्यापन के बाद लगाया गया। पहले तो यह झगड़ा था कि 32 लाख के करीब के घोटाले थे लेकिन जो अनआथोराइज्ड और 8 बौण्डेड हाउसेज हैं उनका भी जाकर सत्यापन किया गया तो फिर 72 लाख के करीब उसमें निकला। इसलिए कि एफ. आई. आर बाद में दर्ज कराई गई।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतने विस्तार में प्रश्न के माध्यम से नहीं जा सकते।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछा है कि 24-5-84 को जब आडिट रिपोर्ट मिल गई तो क्या उसके आधार पर आपने कभी पुलिस को एफ. आई. आर. दी है ? क्या चीफ अकाउन्ट्स आफिसर ने कहा है कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाये और 1982-83 का भी आडिट करवा सकते हैं ? चीफ अकाउन्ट्स आफिसर ने कहा है कि 1982-83 के बारे में एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाये। यह सिफारिश की है उन्होंने। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं ? 24-5-84 के बाद एफ. आई. आर. दर्ज कराई है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 4-4-84 और 14-5-84 तक 1983-84 के लेखे की जांच करवाई गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री भूपालसिंह।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है उसमें यह है कि

(श्री भूपालसिंह):

नशाबन्दी की पालिसी के समाप्त होने के बाद किस-किस को कितने-कितने परमिट दिए गए और किस-किस में कितना-कितना घोटाला हुआ ? मूल प्रश्न का नशाबन्दी की बात पर आपको जवाब देना है। तो 1983-84 के 2 करोड़ 87 लाख का मामला है। इसके पूर्व के तीन सालों की क्या आपने जांच नहीं करवाई या आप करवाने को तैयार हैं ? एक साल के अन्दर जब 2 करोड़ 87 लाख का है तो 2 साल में कितने का गबन आयेगा, यह जांच क्यों नहीं करवाई है....

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर दूंगा।

श्री भूपालसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, अर्ज कर रहा हूं। दो-तीन साल पहले वाले हैं नशाबन्दी के बाद के उनकी आपने जांच क्यों नहीं करवाई ? अब करायेंगे क्या ?

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने जो सस्पेण्ड किये चार आदमी उसमें तीन तो मौजूद थे यानी ड्यूटी पर थे और आपने जो नाम बताये वह उस समय ड्यूटी पर नहीं थे वह ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जा चुके थे...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। मूल प्रश्न में यह प्रश्न कहीं नहीं पूछा गया है और न जानकारी चाही गई है।....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री भूपालसिंह : मैं यह अर्ज कर रहा हूं, मूल प्रश्न है कि मिस्टर बोहरा जो हैं जिसने लाइसेन्स लिया वहीं से घुसपात हुई। यू. के. बोहरा को आपने सस्पेण्ड किया या नहीं ?

(व्यवधान)

...और अर्ज करना यह है

श्री अध्यक्ष : समय बहुत हो गया है माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री जोशी। आपको अवसर दे दूंगा ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा तो एक ही निवेदन है कि सारे घटनाक्रम में एक चीज की मन्त्री महोदय जांच करें। यह सारी व्यवस्था में इसी आदमी के पास चौहटन का ठेका था, भीम का ठेका था। फर्जी परमिट से पाकिस्तान को शराब जाती थी। इसलिए इस मुद्दे पर माननीय मन्त्री महोदय जांच करा लें, चौहटन में भी ठेका था। विभाग के सिर्फ चार आदमी सस्पेण्ड करने से काम नहीं चलेगा। इसका चौहटन में भी ठेका था, भीम में भी था और विभाग का और आदमी भी इनवाल्व है जो सस्पेण्ड नहीं है। इसकी जांच करने की कृपा करेंगे क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जांच करें, निर्णय होगा वह देखा जायेगा। मैं कहती

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हूं कि शराब की आय पाप की आय है''''

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अलग प्रश्न, माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ''' मैं कहना चाहूंगी सरकार''''

श्री अध्यक्ष : आपके विचार पूर्व में सभा सुन चुकी है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है । इसकी आय से कोई बहबूदो नहीं होने वाली है । मन्त्री महोदय, महात्मा गांधी और माणिक्यलाल वर्मा की शांति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि इस पाप के व्यापार को बन्द कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्या'''' ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें भाषण नहीं होगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अधिकारी ही दोषी नहीं है बल्कि यह सरकार भी अपराधी है । नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना की गई है । शराब के व्यापार को बन्द किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा :'''' आप इसको बन्द करें ।

श्री अध्यक्ष : अन्तिम पूरक प्रश्न था । उत्तर दे दिया गया । इसके बाद में अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उत्तर कहां आया, अध्यक्ष महोदय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां तक पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है जैसे-जैसे चीजों का पता लगता जायेगा, जैसे-जैसे पता लगेगा जैसे एफ. आई. आर. सप्लीमेन्ट्री दर्ज हुई है, तो जितना-जितना पता लगता जायेगा, चाहे पाकिस्तान गया हो या ठेकेदार कहां-कहां है सब के बारे में जांच होगी ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । अगला प्रश्न ।

श्री भूपालसिंह : मूल प्रश्न का जवाब आया ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज । अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

''''आर्डर, आर्डर''''

(व्यवधान)

श्री भूपालसिंह : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री भूपालसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

देवीसिंह भाटी : उसको बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न।

राज्य में पर्यटन व्यवसाय का विस्तार

5. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने पर्यटन व्यवसाय के विस्तार हेतु केन्द्रीय योजनाओं के अनुसरण में कोई पर्यटन संरचना ब्लू प्रिन्ट तैयार किये हैं ? यदि हां, तो कृपया प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या पर्यटन व्यवसाय में नवीन आदमियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुविधायें प्रदान की जाती हैं? यदि हां, तो क्या-क्या ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित पत्रिकायें पर्यटन विभाग कार्यालय में उपलब्ध कराई जाती हैं ? कृपया ऐसी पत्रिकाओं की उपलब्धता सूची सदन की मेज पर रखें।

क्या पर्यटन विभाग ने सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों के महत्व को बढ़ाने व व्यापक बनाने हेतु कोई कार्यक्रम बना रखा है ? यदि हां, तो इस वर्ष के कार्यक्रम को कृपया सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य सरकार पर्यटन विकास हेतु क्या नवीन सुविधायें देने जा रही है ?

राज्य मन्त्री पर्यटन (श्री बी.डी. कल्ला)

(1) जी हां, प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, पर्यटन व्यवसाय में नवीन उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से सुविधायें प्राप्त करने में राज्य सरकार द्वारा निम्न सहयोग दिया जा रहा है :

(ए) पर्यटन विकास हेतु सर्वाधिक आवश्यक आवास सुविधा हेतु विभिन्न उद्यमियों द्वारा ऋण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर अपनी सिफारिश करना।

(बी) सरकार द्वारा कुछ जिलों में होटल निर्माण के प्रोत्साहन हेतु अनुदान दिये जाने की सिफारिश करना।

(सी) होटल निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति से मुक्ति दिलाये जाने की सिफारिश करना।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बी. डी. कल्ला)

(डी) समस्त होटल उद्यमियों के प्रस्तावों पर आवश्यक सिफारिश के साथ सम्बन्धित संस्थाओं को भेजना।

(ई) होटल निर्माण की सुविधा एवं उसके लिए की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में एक पुस्तिका का निःशुल्क उपलब्ध कराना।

(एफ) परिभ्रमण अभिकर्ताओं को नियमानुसार मान्यता प्रदान करना।

(जी) विभाग द्वारा बार लाइसेन्स की सुविधा हेतु सिफारिश करना।

(3) जी हां। सूची संलग्न है।

(4) जी हां, इस वर्ष किए जाने वाले कार्यक्रम की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास हेतु निम्न सुविधायें भी प्रस्तावित हैं :—

1. नये मिडवेज का निर्माण।

2. वर्तमान पर्यटन विश्राम गृहों की शैया क्षमताओं का विस्तार।

3. नौकायन एवं जलक्रीड़ा की सुविधायें।

4. राज्य के पर्यटन स्थलों का विकास कार्य।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

(ब्ल्यू प्रिन्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर, जो कि बर्ड सेंचुरी के कारण आज विश्व के मेप पर है, में राज्य सरकार ने पिछले दस-पन्द्रह सालों से ट्यूरिस्ट्स के यातायात को बढ़ाने के लिए कोई धनराशि खर्च नहीं की है। क्या राज्य सरकार आने वाले वर्षों में इस सम्बन्ध में कुछ करने का इरादा रखती है ?

दूसरी बात, ब्रज की संस्कृति की जानकारी लोगों को हो, राजस्थान के अन्दर उसके विकास के लिए और पर्यटन विकास के लिए कोई कार्यक्रम क्या इस वर्ष राज्य सरकार ने बनाया है...

श्री यदुनाथसिंह : हैं कौन-कौन से, यह पूछ लें।

श्री हरिसिंह : यह तो जानते हैं मन्त्री महोदय और हम सब भी जानते हैं।

क्या उनके विकास के लिए कोई स्कीम है ? तीसरा प्रश्न यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने भी आप फेस्टीवल आर्गेनाइज करते हैं वह सब पश्चिमी राजस्थान की तरफ ही आर्गेनाइज करते हैं। पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को बिल्कुल ही भूल गये हैं। तो

(श्री हरिसिंह)

इस तरफ भी कोई आप फेस्टीवल आर्गेनाइज करना चाहते हैं ?

चौथे मैं यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने एक योजना रखी थी मथुरा-डीग-भरतपुर-आगरा गोल्डन ट्रेंगल की, उससे डवलपमेंट करना चाहती थी, क्या इस सम्बन्ध में आप कोई विचार रखते हैं ?

श्री बी. डी कल्ला : अध्यक्ष महोदय, महुवा से आने वाले....

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : महुआ से नहीं कुम्हेर से ।

श्री बी. डी कल्ला : ....कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि भरतपुर में पिछले वर्ष पर्यटन विश्राम गृह के निर्माण के लिए 5½ लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 3½ लाख तो खर्च किये जा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये खर्च और किये जायेंगे ।....

जहां तक पर्यटन मेलों के आयोजन का प्रश्न है, भरतपुर में गत वर्ष भरतपुर जिलाधीश महोदय, जो वर्तमान में पर्यटन विभाग के डाइरेक्टर भी हैं, ने ब्रज मेले का उत्सव आयोजन किया था । इस वर्ष भी एक दिन का कार्यक्रम ले रहे हैं और उसको मान्यता दे रहे हैं । जहां तक अन्य कार्यक्रमों का सवाल है, डीग में मिडवे स्थापित किया गया है । उसके विकास के लिए पिछली बैठक में राजस्थान पर्यटन मण्डल के सदस्यों ने स्वीकृति दे दी है । उसके बाद में यह कहना कि मेलों का आयोजन नहीं किया जा रहा है, गलत है । भरतपुर, मथुरा में ब्रज के मेलों का आयोजन और इसी प्रकार डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी मेलों का आयोजन कर रहे हैं । राजस्थान के उन तमाम हिस्सों में ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी जो नेशनल इन्टेग्रेशन प्रोग्राम से सम्बन्धित हैं, उनका भी कर रहे हैं ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या 20 साल में इस प्रकार के आयोजन हुये हैं ?

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि ब्रज महोत्सव प्रारम्भ कर दिया है । पर्यटन विभाग ने एक दिन का कार्यक्रम रखा है और पूरे के पूरे खर्चे का आयोजन हम कर रहे हैं ।

श्री हरि सिंह : जिलाधीश महोदय ने तीन दिन का कार्यक्रम बनाया था ।

श्री बी. डी. कल्ला : आयोजन तो तीन दिन का ही होगा । स्वायत्तशासी संस्थाओं ने एक दो दिन का कार्यक्रम बनाया है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): जिन मिड-वे के कार्यक्रम दो साल पहले किये गये थे, उनका विकास भी आज तक नहीं किया गया है,

श्री बी. डी. कल्ला : दो वर्ष पूर्व किसी का नहीं हुआ है, एक वर्ष पूर्व ही मिड-वे का शिलान्यास हुआ है । यह विचाराधीन है । सरकार की तरफ से

(श्री बी. डी कल्ला)

पर्यटन विभाग को निर्देश दे दिये हैं। वे अति शीघ्र प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

(व्यवधान)

पर्यटन विकास निगम को राज्य सरकार ने निर्देश दे दिये हैं और शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा मंत्री जी ने बताया....

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट जवाब चाहिये कि आप काम कब शुरू कर देंगे? गोलमाल जवाब नहीं चाहिये।

श्री बी. डी. कल्ला : राज्य सरकार ने संचालक मण्डल के अध्यक्ष जी को और पर्यटन विकास निगम को इस बारे में निश्चित निर्देश दे दिये हैं कि उनके निर्माण कार्य शुरू करें जो इस सम्बन्धी प्रक्रिया है उसको भी पूरा करें।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): मंत्री महोदय, आपने अपने उत्तर में इस वर्ष के प्रारंभ में पर्यटन विकास के जो कार्यक्रम बनाये हैं, वे कौन-कौन से स्थान हैं जिनका कि आप पर्यटन विकास करने जा रहे हैं। जयपुर में भी कोई स्थान है क्या?

श्री बी डी कल्ला : पर्यटन स्थलों के विकास में केशर क्यारी, आमेर, जयपुर, का सुधार कार्यक्रम भी है। इसकी पूरी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। 3 लाख 25 हजार के कार्यक्रम इसमें प्रस्तावित हैं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहन देने के लिये और प्रोत्साहित करने के लिये जल क्रीडाओं और नौकायन को बन्द करके इस पैसे को बचत से पश्चिमी राजस्थान के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाय..........

(व्यवधान)

लोग प्यासे मर रहे हैं इसमें हंसने की क्या बात है।

श्री राज बहादुर : पर्यटन विकास के सम्बन्ध में न्यूनतम आवश्यकता है कि जहां पर्यटन स्थल हैं, उसको साफ सुथरा रखा जाये। क्या इस कार्यक्रम में ऐसी कोई कोशिश की गई है? क्या यह सही नहीं है कि भरतपुर के प्रति इस बारे में उदासीनता बरती गई है? आज वहां की यह स्थिति है कि सेनिटेशन और कीचड़ को देखकर कोई पर्यटक वहां जाने वाला नहीं है।

श्री बी. डी कल्ला : अध्यक्ष-महोदय, माननीय सदस्य कोई ऐतिहासिक स्थल के बारे में या पर्यटन स्थलों के बारे में ऐसी जानकारी दें तो मैं बता दूंगा। पर्यटन विभाग पूरी कोशिश करता है, उसके अधिकार क्षेत्र में जितने भवन हैं उनकी पर्याप्त सफाई का ध्यान रखता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दाऊ दयाल जोशी।

यूनानी दवाखाना में हकीमों की कमी

6. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितने यूनानी दवाखाने किस-किस नगर में संचालित हैं ? उक्त दवाखानों में कौन-कौन से हकीम कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दवाखानों को यूनानी न होने पर चपरासी व कम्पाउन्डर, जिन्हें उक्त चिकित्सा पद्धति का ज्ञान नहीं है, चला रहे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से दवाखाने, कहां-कहां के, ऐसे व्यक्ति चला रहे हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

आयुर्वेद राज्य मन्त्री, (श्री दिनेश राय डांगी) : (1) राज्य में संचालित 69 दवाखानों के स्थान एवं उनमें कार्यरत हकीमों की सूची (परिशिष्ट 1) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 31 दवाखानों में हकीम कार्यरत हैं। शेष 38 दवाखानों में कम्पाउन्डर, नर्स अथवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद स्थापित हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें न करें माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : शेमफुल। दुर्भाग्य है। शेमफुल।

(व्यवधान)

हँस रहे हैं, 69 दवाखानों में से केवल 31, शर्म की बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची दी है उसमें से 69 में से 38 दवाखानों में चिकित्सक नहीं हैं। 38 में से 3 चिकित्सालय ऐसे हैं जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक दूसरी पास, एक चौथी पास और एक सातवीं पास है जो डेढ़ साल, सवा दो साल और सवा तीन साल से चल रहे हैं और उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह मखौल की बात नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 10 कम्पाउन्डर ट्रेंड हैं बाकी के नहीं हैं। 69 में से 5 औषधालय हैं जिनमें नर्सें काम कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा कि इनकी योग्यताएं क्या हैं? क्या यूनानी चिकित्सालय के लिए अलग से कोई ट्रेनिंग कैम्प है? माननीय मंत्री महोदय, आपने बताया कम्पाउन्डर काम कर रहे हैं किन्तु एक भी यूनानी चिकित्सालय में मैट्रिक पास कम्पाउन्डर नहीं है। आठवीं पास, सातवीं पास और छठी पास व्यक्ति यूनानी की दवा दे रहे हैं। दवा नहीं दे रहे हैं केवल धोखा दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, अभी भी आपके पास 134 एप्लीकेशन यूनानी के चिकित्सकों की मौजूद हैं, डेढ़ साल से आपके पास पड़ी हैं, उनको कब तक नियुक्ति दे देंगे? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नर्सों, कम्पाउन्डरों से दवा दिलाना कब तक चालू रखेंगे? इससे तो अच्छा यह है कि उनके ताला लगा दें। इस प्रकार दवा देने से तो कोई फायदा नहीं है। बाड़मेर में रोगी चिकित्सालयों में चिकित्सकों के अभाव में तड़फते हैं। वहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके साथ तो कम से कम आप रहम करें। 13 में से 9 में चिकित्सक

(श्री दाऊदयाल जोशी)

नहीं हैं। कृपा करके उन लोगों पर रहम करें। आप निश्चित रूप से बताइये कि कब तक चिकित्सकों की नियुक्ति कर देंगे।

श्री दिनेश राय डांगी : अध्यक्ष महोदय, 38 औषधालय ऐसे हैं जहां पर यूनानी चिकित्सक लगाने के लिये प्रोग्राम है अभी हमारा प्रोग्राम यह है एलोपैथिक वालों को एड-हाक बेसिस पर दे रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : डांगी साहब, इससे क्या मतलब है 134 एलोकेशन्स क्या आपके विभाग में नहीं हैं ? सुरेश गुप्ता साहब ऐसे हैं जो नियुक्तियां नहीं दे रहे हैं। मूल प्रश्न यह है कि ××

श्री दिनेश राय डांगी : अभी तो विज्ञापन जारी नहीं हुआ है इसलिए किसी व्यक्ति का नाम लेना ठीक नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अभी आयुर्वेद के चिकित्सकों की अलग से विज्ञप्ति प्रसारित की है उसके साथ ही यूनानी चिकित्सकों के लिये भी क्यों नहीं की ?

श्री दिनेश राय डांगी : इसकी भी विज्ञप्ति जल्दी जारी की जा रही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह कब होगी, निश्चित तारीख बता दें ताकि मुझे सन्तोष हो जायेगा। आज तो स्थिति यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक तो आठवीं पास है, एक सातवीं पास है और एक छठी पास है। एक साल से ही नहीं, तीन साल से काम कर रहे हैं। आपके बूंदी जिले—जहां से वित्त मंत्री जी आते हैं, के अन्दर इस तरह के व्यक्ति यूनानी हकीम का काम कर रहे हैं, मेरे पास उनके नाम हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने आयुर्वेद वालों की नियुक्तियां तो कर दीं, आपने यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति क्यों नहीं की ? यह विज्ञप्ति आपने निकाली उसके साथ-साथ इनको भी निकाल सकते थे। अब कब तक निकाल देंगे विज्ञप्ति ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि हमारे जो कम्पाउण्डर होते हैं वे आयुर्वेद के साथ-साथ यूनानी की भी ट्रेनिंग लेते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह मैं आपसे ज्यादा जानता हूं।

श्री दिनेशराय डांगी : आपको जानकारी के लिये बता दूं कि मैंने उनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक से हायर सैकेन्डरी कर दी है और प्रशिक्षण ढाई वर्ष से तीन वर्ष कर दिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यूनानी के लिये यह नहीं है। ××× यह बोल रहे हैं, वह बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ××× शब्द को एक्सपंज किया जावे।

(व्यवधान)

श्री चावलां।

श्री दाऊदयाल जोशी : नियुक्तियों का क्या हुआ, कब तक कर देंगे ? टाइम तो बता दें।

श्री चावलां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, यूनानी का.........

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री चावला : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि तहसील कामां के अंदर यूनानी दवाखाना है। आपने जो कम्पाउन्डर लगाये हुये हैं वे आयुर्वेद पढ़े लिखे हैं, उनको यूनानी की थोड़ी-बहुत जानकारी है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जब हकीम मौजूद हैं, तो क्या हकीमों को लगाने का मन्त्रीजी प्रयास करेंगे?

दूसरी बात यह है कि अगर आप यहां हकीम नहीं भेज सकते और मरीज जो आदमी यूनानी का इलाज जानता है उससे इलाज कराते हैं तो इनको बन्द कर दें। इससे सरकार का पैसा बच जायेगा।

श्री दिनेश राय डांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं इसी महीने कोशिश करूंगा कि जो जगह खाली पड़ी हैं उन पर हकीमों को लगा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : यूनानी हकीम का काम करने के लिये यूनानी दवाखाने में काम करने के लिये कोई योग्यता निर्धारित है? क्या यह सही है कि निर्धारित योग्यता वाला व्यक्ति ही काम कर सकता है, अन्यथा नहीं, क्या यह प्रावधान है?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व.....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। वह प्रश्न की परिधि में नहीं आता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय सदस्य, जो योग्यता की बात पूछी है तो उनकी योग्यता "कामिल उल तिब्बल जराहत" है यह दिल्ली की है। इसके समकक्ष अपने यहां पर उम्दातुल हुक्मा है। हकीम की यह क्वालिफिकेशन होती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो दिल्ली की डिग्री बताई है क्या उसको अपने यहां पर भी मान्यता देने के लिये कदम उठायेंगे?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें। अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री देवेन्द्र कुमार।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

सराड़ा (उदयपुर) में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना

7. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर में सरकार मुन्सिफ कोर्ट खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विधि मंत्री (अहमदबख्श सिंधी) : माननीय उच्च न्यायालय ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र तहसील सराडा जिला उदयपुर में मुन्सिफ न्यायालय खोलने का कोई औचित्य नहीं होना बताया है। अतएव वर्तमान में सरकार सराड़ा में कोई नया न्यायालय खोलने का विचार नहीं रखती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो सरकार की तरफ से यही जवाब मिलता है कि औचित्य नहीं है जब कि आदिवासियों का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उदयपुर और झालावाड़ आसपास के आदिवासी क्षेत्र हैं उस जगह के लिये जवाब मिलता है कि औचित्य नहीं है। यह औचित्य क्या चीज होती है ? क्या उनको न्यायालय नहीं मिलेगा ?-यह औचित्य क्या चीज है ? वह आदिवासी क्षेत्र है। इसलिए औचित्य नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अहमद बख्श सिंधी : कोई न्यायालय खोलने का अगर प्रश्न आता है तो उच्च न्यायालय से परामर्श करना पड़ता है। नम्बर एक।

दूसरा यह कि किसी न्यायालय को खोलने का अगर विचार होता है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, आज वहां लोकअप है, मालखाना है, अदालत के लिए कोई व्यवस्था है, कमरा है, कोई जज और मुंसिफ के रहने की व्यवस्था है और दूसरी अदालत से उस गांव की दूरी कितनी है ? इन सारी बातों को देख कर राज्य सरकार इस बात का निर्णय लेती है कि खोलना चाहिए या नहीं। यह जो मांग बताई है वह आपके सराड़ा पर लागू नहीं होती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : हमारे सराड़ा के आस-पास आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पर आदिवासियों को सुविधा देने के लिए कोर्ट की भी आवश्यकता है। पहले वहां पर तहसील भी थी, एस. डी. ओ. भी था जो सलूम्बर चला गया। वहां पर यह सब व्यवस्था है तो सरकार कोर्ट खोलने का विचार करेगी ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय मन्त्री महोदय ने जैसा कहा कि मालखाना होना चाहिए, मकान होना चाहिए, गोदाम चाहिए। इन सब के लिए ट्राइबल सब

(श्री सी. पी. जोशी)

प्लान से पैसे का प्रावधान हो सकता है। क्या आप इसको ध्यान में रखते हुये वहां पर कोर्ट की व्यवस्था करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरूलाल मीणा : जैसा आपने बताया कि भवन की पहले व्यवस्था होनी चाहिये, गोदाम की व्यवस्था होनी चाहिये। तो क्या यह आदिवासी क्षेत्र के लिये ही है? शहरों में सरकारी भवन बनते हैं क्या वे शहर के लोग बनवाते हैं या सरकार की तरफ से बनते हैं? जिस तरह से शहरों में सरकार भवन बनाती है और सारी व्यवस्था करती है उसी तरह से उस क्षेत्र में भी सरकार की ओर से भवन बनाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़।

श्री अहमदबख्श सिंधी : जैसा कि....

श्री अध्यक्ष : एक साथ ही उत्तर दे दें पहले सब पूरक प्रश्न कर लें।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जैसा फर्माया कि माल गोदाम चाहिये, मकान चाहिये, जज के रहने के लिये मकान चाहिये ......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें, माननीय सदस्यगण।

श्री मेघराज तावड़ : मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि वहां पर पुराना गढ़ है। पुराने टाइम में, मेरठ सरकार के समय में वहां पर मुन्सिफ कोर्ट थी, वहां पर अदालत थी। आज भी गढ़ बना हुआ है। जिसमें सब तरह के मुल्जिमों को रखने की व्यवस्था है। वहां पर जेल, सब-जेल है। वहां कुछ पुराने भवन हैं। आप खुद इनको देख लें, रिपोर्ट मंगाने के आधार पर नहीं कहें, बल्कि आप स्वयं देख लें। आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिये उन भवनों का उपयोग करते हुए क्या मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का कोर्ट खोलने का इरादा रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह, महुआ। अन्तिम पूरक प्रश्न।

श्री हरिसिंह (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मुन्सिफ की अदालत खोलने के लिये क्या हाईकोर्ट की एडवाइज मानने के लिये सरकार बाध्य है? पहला प्रश्न।

दूसरा, सरकार ने क्या मुन्सिफ कोर्ट खोलने के लिये किसी प्रकार का कोई नोर्म तय किया है? कोर्ट खोलने के लिये वहां की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है या यह देखा जाता है कि वहां पर मकान है या नहीं। लोकअप है या नहीं, मुन्सिफ का रेजिडेन्स है या नहीं, ये यह सब होने चाहिए, क्या यही कोर्ट खोलने का नोर्म है?

श्री अध्यक्ष : श्री आमलिया।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो हाईकोर्ट की एडवाइज के आधार पर कोर्ट खोलना चाहते हैं तो जो सराड़ा पुलिस स्टेशन है उसके आसपास कितने पुलिस स्टेशन हैं ? जिनमें कितने सिविल केसेज और कितने क्रिमिनल केसेज होते हैं ? कितने केसेज के आधार पर कोर्ट खोलने की बात होती है ?

अध्यक्ष महोदय, खैरवाड़ा से लेकर उदयपुर तक कोई मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं है । खैरवाड़ा 51 किलोमीटर पड़ता है । खैरवाड़ा में कोर्ट है । उसके बाद वहां कोई कोर्ट नहीं है । वहां के आदिवासियों को उदयपुर आना पड़ता है । उदयपुर में उनको मकान नहीं मिलता ठहरने की व्यवस्था नहीं होती । उनको मारा मारा फिरना पड़ता है । ऐसी सूरत में आवश्यकता को समझते हुये, मंत्री महोदय, आप उचित समझें तो इस बात की पुनः जांच करें कि कोर्ट खोला जायेगा या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरचन्द, संक्षेप में, माननीय सदस्य ।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, यह जो कानून बनाया गया है, यह गरीबों के लिए बनाया गया है या अमीरों के लिए बनाया गया है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो कानून बनाया गया है इस कानून का फायदा क्या सेठिये लोग ही लेना चाहते हैं दूसरे लोग नहीं लेना चाहते है ? ट्राइबल एरिया में दूरदराज गांवों में रहने वालों को दो-दो, तीन-तीन दिन की रोटियां बांधकर कोर्ट में न्याय लेने के लिए जाना पड़ता है । आज हम इस बात की आशा लगाये बैठे हैं, सरकार इस बात के लिए प्रयास करेगी कि सस्ता न्याय गरीबों को मिलना चाहिये । सस्ता न्याय लेने कहां जायेंगे ? मन्त्री महोदय, थोड़ा कुछ विश्वास दिलायें ताकि उन गरीबों को हम न्याय दिला सकें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री जी ।

श्री अहमदबख्श सिंधी : हाईकोर्ट से परामर्श लेने के बाद, जैसा मैंने अभी कहा, हाईकोर्ट की यह राय थी कि इसका औचित्य नहीं है । यह मुकदमों की संख्या देखते हुए कहा गया है । चूंकि यह आदिवासी क्षेत्र का मामला है, जैसा कि राज्य सरकार ने निर्णय ले रखा है कि किसी मुकदमे में आने वाले लोगों को 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना पड़े, इसलिये हम इस पर गौर करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री देवीसिंह भाटी ।

दुग्ध अवशीतन केन्द्र

8. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या मन्त्री, दुग्ध विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में दुग्ध अवशीतन केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये गये हैं ? कृपया इनकी क्षमता, स्थापित वर्ष, लागत राशि गत तीन वर्षों का वार्षिक औसतन दूध संकलन का विवरण सदन के पटल पर रखें

(श्री देवीसिंह भाटी)

(2) उक्त केन्द्रों में कितने "दूध केन्द्र दूध के अभाव आदि में कब-कब बन्द हुए ? राज्य सरकार ने इनके सुधार में क्या कदम उठाये हैं ?

(3) जिला बीकानेर के अवशीतन केन्द्र बज्जू व छतरगढ़ का भवन निर्माण कब पूर्ण हो गया ? उक्त केन्द्रों पर प्लांट लगाकर दूध संकलन कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में स्थापित अवशीतन केन्द्रों के स्थान, क्षमता, स्थापित वर्ष, लागत राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। वार्षिक औसत दूध संकलन का विवरण भी संलग्न है। (परिशिष्ट "अ" तथा "ब")

(2) विवरण संलग्न है, (परिशिष्ट "स")

(3) बीकानेर जिले के अवशीतन केन्द्र बज्जू व छतरगढ़ के भवन निर्माण का कार्य दिसम्बर, 1983 में पूर्ण हुआ। इन केन्द्रों के फरवरी/मार्च, 1985 में क्रियाशील होने की सम्भावना है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो सप्लीमेंट्री करना चाहूंगा। जैसा कि उन्होंने सूची में बताया, लूणकरणसर केन्द्र की क्षमता तीस हजार लीटर की है। आज वहां औसतन 53 हजार लीटर दूध आ रहा है। जहां आवश्यकता थी वहां तो आपने क्षमता बढ़ायी नहीं, भीलवाड़ा में 20,000 लीटर का अवशीतन केन्द्र आलरेडी बना हुआ है वहां इन्होंने.......

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा ही नजर आता है आपको, और कोई नजर नहीं आता।

श्री देवीसिंह भाटी : गड़बड़ वहीं होती है सारी। भीलवाड़ा, जहां 13,000 लीटर दूध आता है, में एक लाख लीटर की क्षमता बढ़ा दी। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध होता है आपने वहां क्षमता क्यों नहीं बढ़ायी ? इसका पहले उत्तर दे दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, क्षमता बढ़ाने का सारा काम नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड की सलाह के आधार पर किया जाता है। जहां तक माननीय सदस्य ने लूणकरणसर के संबंध में प्रश्न किया है, मैं जानता हूं कि लूणकरणसर में काफी दूध आ रहा है, लेकिन भीलवाड़ा के सम्बन्ध में जो फिगर दिये हैं वह गलत हैं। 13,000 लीटर के उनके फिगर बिलकुल गलत है। 30,000 लीटर की कैपेसिटी के अगेंस्ट में आज भीलवाड़ा में करीबन 45,000 लीटर दूध आ रहा है। वहां का जो सर्वे हुआ है.......

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आपने जो सूची दी है, उसमें आंकड़े बताये हैं 13,000 लीटर के।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने ठीक से सुनी नहीं आपकी बात।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने जो सूची दी है उसके अन्दर 13,000 लीटर के आंकड़े हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे आंकड़े को चुनौती दे रहे हो, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि 13,000 लीटर के आपके आंकड़े निश्चित तौर पर गलत हैं। मैं जो आंकड़े दे रहा हूं, तथ्यों के आधार पर आपकी सेवा में आंकड़े पेश कर रहा हूं।

श्री देवी सिंह भाटी : इन्होंने सूची दी है और ये ही गलत बता रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं दूसरा यह निवेदन कर रहा हूं आपसे, माननीय सदस्य............

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पहले यह करेक्ट कीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। प्रश्न के के बाद में पूछ लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, दूसरा, माननीय सदस्य ने लूणकरणसर के बारे में कहा है। हमने आलरेडी आपरेशन फ्लड में इस बारे में सजेशन दे रखा है। बहुत जल्दी, अध्यक्ष महोदय, वह आपरेशन फ्लड टू मंजूर होकर आ रहा है। उसके अन्दर लूणकरणसर की क्षमता बढ़ायी जा रही है।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उसके लिए तो प्रपोजल बन रहे हैं, सोचा जा रहा है और जहां आवश्यकता नहीं थी वहां एक लाख लीटर दूध की क्षमता बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है जहां आज सरदारशहर के अन्दर लूणकरणसर और बीकानेर डिविजन के अन्दर सबसे ज्यादा, राजस्थान का 75 प्रतिशत दूध आ रहा है वहां पशुपालकों को डिकरेस्ज करने में लगे हुए हैं। अगर आपको पैसा लगाना था, अगर आपको क्षमता बढ़ानी थी तो पश्चिमी राजस्थान, जहां दूध की नदियां बहती हैं, की ओर आप ध्यान देते। भीलवाड़ा में कहां दूध है? आपके आंकड़े स्वयं बता रहे हैं रिकार्ड और मुझे गलत बता रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए सूची के अन्दर, 13971 लीटर दूध 1983 के अन्दर आया है। जवाब वह गलत दे रहे हैं..........

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भीलवाड़ा के बारे में बहुत ज्यादा दबाव दे रहे हैं, भीलवाड़ा के 1983 के आंकड़े हैं। 13971 के। 1983 के के बाद तो बहुत सारा पानी कहीं का कहीं बह गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज 1984 का अक्टूबर चल रहा है, वहां कई कार्यक्रम चल रहे हैं.......

श्री अध्यक्ष : 83 के बाद में भीलवाड़ा में काफी तरक्की तो की है।

(व्यवधान)

यह संभव है। अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि बज्जू....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय ने बताया कि बज्जू और छतरगढ़ के अन्दर आपकी डेयरी बने हुए एक वर्ष हो चुका

(श्री देवी सिंह भाटी)

है। आपको 25 हजार लीटर दूध प्रतिदिन मिल सकता है। बज्जू और छतरगढ़ के अन्दर, वहां आप अभी तक स्टाफ नहीं भेज रहे हैं। आपको क्या परेशानी आ रही है। यह बता दीजिए मुझे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बज्जू और छतरगढ़ के बारे में पूछा है.....

श्री अध्यक्ष : फलोदी का भी जवाब साथ में दे दीजिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता था फलोदी का प्रसंग भी आयेगा। फालना व फलोदी के लिए आदेश दिये जा चुके हैं। फलोदी के अन्दर बहुत जल्दी अवशीतन केन्द्र स्थापित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक बज्जू और छतरगढ़ का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैंने कह दिया कि मार्च, 1985 के पूर्व वहां कार्य सम्पन्न हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भैरू सिंह गुर्जर।

पथ परिवहन निगम में कार्यरत आनन्दमार्गी अधिकारी

9. **श्री भैरोसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य परिवहन निगम में ऐसे अधिकारी हैं जिनकी आनन्दमार्गी होने की शिकायत है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन अधिकारियों की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ?

(3) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) :

(1) जी हां। श्री ताराचन्द जैन सहायक आगार प्रबन्धक के आनन्दमार्गी होने की जानकारी है।

(2) जी हां।

(3) इस अधिकारी की गतिविधियों पर निगरानी जारी है। अभी तक किसी अवांछनीय गतिविधि की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अभी किसी कार्यवाही की स्थिति नहीं है।

श्री भैरोसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले आनन्दमार्गी, ताराचन्द जैन, जिनका नाम मंत्री महोदय ने लिया, की इमर्जेंसी में इन्क्वायरी की गई थी, उनके घर से खोपड़ियां, शव, कंकाल बरामद हुए थे, उसके बाद पुलिस ने उन पर संदेह करते हुए परिवहन निगम को यह निर्देश दिये थे कि किसी ऐसी जगह इनको नहीं लगाया जाय जिससे कि पब्लिक को

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

सीधा नुकसान हो सके। इसके बावजूद इस व्यक्ति को ऐसी जगह लगाया गया है जहां से वह सारी यातायात व्यवस्था को कन्ट्रोल करता है। जो टैक्सियां लगायी जाती हैं, जो गाड़ियां लगाई जाती हैं उनसे आनन्दमार्ग की रसीदों पर खुद के दस्खत से चन्दा वसूल करता है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस अधिकारी को आप वहां से हटायेंगे या निलम्बित करेंगे ? आपने एक बार मेरी शिकायत पर मेरे सामने फोन पर मैनेजिंग डायरेक्टर को निर्देश दिये थे कि यह स्टेटिस्टिक्स ब्रांच का आदमी है इसको यहां से तुरन्त हटा कर वापस स्टेटिस्टिक ब्रांच में लगा दिया जाय। क्या उस आदेश की पालना हुई ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, यह एक विवाद का प्रश्न है। आनन्दमार्गी है, इस बात को मैंने माना है, परन्तु जब तक उसकी कोई गतिविधि ऐसी नहीं हो, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना उचित नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट में ये आनन्दमार्गी गये थे। धर्म के नाम पर कोई किसी धर्म को मान सकता है लेकिन उसकी एक्टिविटी राष्ट्र के विरोध में हो तो हम उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। कोई कौनसा धर्म मानता है, इस पर प्रतिबन्ध लगाने का हमें कोई अधिकार नहीं है।

इस प्रकार की कोई एक्टिविटी है जिसकी माननीय सदस्य ने शिकायत की थी तो मैंने जानकारी ली कि कोई इस प्रकार की वसूलियां करता हो या कोई ऐसा लाभ उठाता हो तो विभाग ने कहा कि ऐसा लाभ उठाने का काम तो कोई भी नहीं। अगर माननीय सदस्य को ऐसे कोई सबूत मिले हों कि इस पद से कोई जन सम्पर्क होता हो और लाभ उठाता हो, तो ऐसा लाभ उठाने की बात तो है नहीं। अगर माननीय सदस्य के पास सबूत हों तो मैं उसको इस पद से दूसरे पद पर कर दूंगा, रहेगा तो रोडवेज में ही।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ (शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा में गांधीनगर स्थित कब्रिस्तान की भूमि के अवैध निर्माण कार्य को हटाना

1. **श्री भूपालसिंह** (निम्बाहेड़ा)
श्री वंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) भीलवाड़ा गांधीनगर स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर बनी अनधिकृत दुकानों व निर्माण कार्य को तोड़ने तथा हटाने हेतु कब-कब किस अधिकारी द्वारा आदेश दिये गये ? कितनी दुकानें वहां बनी हुई हैं ?

(2) क्या उक्त आदेशों की पालना हुई है ? यदि नहीं हुई, किस कारण ? इस संबंधी नियम क्या हैं ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा नगर में स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर जहां कब्रें नहीं थी और जिस पर वक्फ बोर्ड के जरिये वक्फ कमेटी भीलवाड़ा कन्ट्रोल और सुपर-

(वक्फ मंत्री)

विजन था वक्फ कमेटी, भीलवाड़ा ने 23 पक्की दुकानें निर्मित करवाई हैं यह कब्जा अनधिकृत नहीं था बल्कि वक्फ बोर्ड द्वारा इस कब्रिस्तान की खुली जमीन को डवलप करने की गरज से यह दुकानें निर्माण कराई गई। यह दुकानें वक्फ सम्पत्ति हैं किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है। यह सम्पूर्ण कब्रिस्तान राजस्थान राज-पत्र में पार्ट–2 (क) दिनांक 14–7–66 को क्रम संख्या 11 पर बतौर वक्फ सम्पत्ति अंकित है। इसमें शक नहीं कि राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि बिलानाम काबिले काश्त दर्ज है इसलिए तहसीलदार द्वारा इस निर्माण कार्य को अनधिकृत मान कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने का आदेश दिनांक 6–4–83 को दिया गया क्योंकि दुकानें पक्की बनाई गई थीं इसलिए इनको तुड़वाने की स्वीकृति अतिरिक्त जिलाधीश ने दिनांक 13–5–83 को जारी की परन्तु वक्फ बोर्ड द्वारा एन. सी. ओ. (अनापत्ति पत्र) दिनांक 13–3–84 को देने पर धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

(2) उपरोक्त हालात में कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा जो आदेश धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये थे उनकी पालना किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस सम्बन्ध में कानून यह है कि वक्फ सम्पत्ति होने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 इस पर लागू नहीं होती और वक्फ एक्ट नं. 29, 1954 की धारा 15 के अनुसार राजस्थान में स्थित तमाम वक्फ सम्पत्तियों पर राजस्थान वक्फ बोर्ड का कन्ट्रोल और सुपरविजन है।

हरिजन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. द्वारा एस. टी. पी. के लिए आवेदन

2. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि हरिजन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. हाजीपुर, डीडीकर (अलवर) ने 1500 टन बजरी का कार्य करने हेतु एस. टी. पी. के लिए विभाग से आवेदन किया था ?

(2) क्या यह सही है कि आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया ?

(3) अगर हां, तो आवेदन स्वीकार न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) आवेदन पत्र अभी विचाराधीन है।

ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करना

3. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि 500 की आबादी के गांवों की ढाणियों के विकास की दृष्टि से एक अलग राजस्व ग्राम घोषित करने का

(32)

(श्रीमती उजला आरोड़ा)

सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार ने दिनांक 1–8–84 को एक परिपत्र जारी कर ऐसे क्षेत्रों की जिनकी कि आबादी 250 या इससे अधिक है तथा जो मुख्य आबादी से दूर बसे हुए हैं उन्हें राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव समस्त जिलाधीशों एवं राजस्व मण्डल से चाहे हैं। जैसे-जैसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन पर गांवों की कुल आबादी की संख्या, भौगोलिक स्थिति, राजस्व आय, क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्र, वर्तमान ग्राम से प्रस्तावित ग्राम की दूरी इत्यादि पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा।

राजस्व अपील अधिकारी का स्थान रिक्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था

4. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल की वृहद् पीठ ने यह निर्णय दिया है कि राजस्व अपील अधिकारियों के अवकाश पर होने या किसी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में राजस्व मण्डल अथवा अन्य कोई अधिकारी राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय के स्टे आदि के प्रार्थना-पत्रों पर आदेश देने के लिए सक्षम नहीं है ?

(2) यदि हां, तो राजस्व अपील अधिकारी का स्थान रिक्त होने की स्थिति में जनता को अन्तरिम सहायता के लिए क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्व अपील अधिकारियों के छुट्टी पर अग्रसर हो जाने या स्थायी रूप से स्थानान्तरित हो जाने पर उसके कर्त्तव्य और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 15) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत विभिन्न अधिकारियों को अधिकार प्रदान कर अधिसूचना दिनांक 3–9–84 को जारी की गई जिसकी प्रति संलग्न है।

(अधिसूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

मांडव माइन्स में बन्द खदानें

6. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडव माइन्स में दो खदानें बन्द की गई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन खदानों की जियोलोजिस्ट्स द्वारा जांच कराई गई है ? यदि हां, तो कब ? किस तिथि को जांच रिपोर्ट दी गई ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या डूंगरपुर में सोपस्टोन, मार्बल, कॉपर तथा इमारती पत्थरों की खदानों के

(श्री नाथू राम अहारी)-

काफी भंडार हैं ? यदि हां, तो इन खदानों के लिए विगत 5 वर्षों में आदिवासी लोगों को कितने पट्टे अलाट किये गये हैं ?

(4) क्या डूंगरपुर में जंगलात विभाग में खनिज माल के काफी भंडार हैं लेकिन जंगलात की सीमा में होने के कारण लोगों को पट्टे नहीं दिये जाते हैं ? क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों को बाहर निकाल कर बेरोजगार लोगों को पट्टे अलॉट करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) माण्डव माईन्स की चार खानें हैं– भद्रा, घोरावाली, मेनरिया का नाका व नया गांव माईन्स आर्थिक दृष्टि से खनन के उपयुक्त न होने से बन्द कर दी गई है।

(2) राजस्थान खनिज विकास के भू-वैज्ञानिकों द्वारा इन खदानों की जांच फरवरी, 1984 में कराई गई। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) डूंगरपुर जिले में सोपस्टोन, सरपेन्टोन (ग्रीन मार्बल) व ईमारती पत्थर के भण्डार उपलब्ध हैं। खनिज कोपर के बड़े व महत्वपूर्ण भण्डार वर्तमान में ज्ञात नहीं हैं। विगत पांच वर्षों में आदिवासी लोगों को कुल 144 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं।

(4) जी हां। तहसील सोमलवाड़ा के माल ग्राम के निकट का क्षेत्र जहां खनिज सरपेन्टाईन के अच्छे भण्डार हैं और जो जंगलात में गिरता है उसे वन विभाग से मुक्त कराने और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1977 के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टे देने का विभाग का इरादा है। इसी क्रम में पांच कि.मी. क्षेत्र को मुक्त करने हेतु वन मण्डल अधिकारी, डूंगरपुर को निवेदन किया गया है।

(जांच प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

पंचायत समिति दौसा, में राजस्व अभियान के दौरान भूमि का अलॉटमेंट

7. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत, कालाखो, पंचायत समिति, दौसा में राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 12-1-83 को अलॉटमेंट हुआ था ? यदि हां, तो कितनी भूमि का किस-किस व्यक्ति को ? कृपया अलॉटी का नाम, पिता का नाम, मय पूर्ण पते के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अलॉटी व्यक्तियों के अलावा भी अलॉटमेंट हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुए थे ? यदि हां, तो किन किन के तथा किन किन कारणों से उन्हें खारिज किया गया ?

(3) क्या यह सही कि कुछ जमीन का अलॉटमेंट पंचायत क्षेत्र तथा पंचायत समिति क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों को कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 24 व्यक्तियों को 95 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। सूची 'क' पर संलग्न है।

(३)

(राजस्वमंत्री)

(2) जी हां, चार आवेदन पत्र और प्रस्तुत हुये थे। उनकी सूची मय खारिज किए जाने के कारण सूची 'ख' पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। सूची 'क' के क्रम संख्या 18, 23 एवं 24 पर अंकित तीन व्यक्ति सर्वश्री हर्षनारायण पुत्र सीताराम ब्राह्मण, लल्लू सिह पुत्र प्रताप सिंह राजपूत एवं पुष्पा देवी पत्नी नन्द सिंह राजपूत कस्बा दौसा के निवासी हैं। उनको सलाहकार समिति की सहमति से आवंटन किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में अकाल राहत के तहत बनाये गये खड़ीन

8. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर-जैसलमेर में सन् 1980 से आज तक कुल कितने खड़ीन बनाए गए ? उसमें से कितने अकाल राहत के तहत व कितने विभाग की तरफ से थे ? कृपया तहसीलवार मय लागत के विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) इस अवधि में इन जिलों में ऐसे कितने खड़ीन बनाए गए हैं जो तकनीकी दृष्टि से सही नहीं हैं ?

(3) यदि हां तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) कृषि विभाग द्वारा जिला बाड़मेर में सन् 1980 से अब तक विभागीय कार्यों के तहत 19 तथा अकाल राहत कार्यों के तहत 86 खड़ीनों का कार्य पूरा किया गया है। इस वर्ष ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत दो खडीन बन रहे हैं। जैसलमेर जिले में विभागीय कार्यों के तहत 28 खडीन बनाये गये हैं। इस वर्ष ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 खड़ीन बन रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में 2 खड़ीन बन चुके हैं। तहसीलवार मय लागत के विवरण संलग्न तालिका (क) में संलग्न है।

(2) इस विषय में जांच कराई गई थी—जांच प्रतिवेदन विचाराधीन है।

(3) विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

बीकानेर कृषि उपज मंडी क्षेत्र में दुकानों व सड़कों का निर्माण

9. **श्री सुरजाराम टाक** (नोखा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में बीकानेर कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में दुकानों एवं सड़कों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कितनी दुकानों मण्डी यार्ड बनाने में कुल कितना खर्चा हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन दुकानों को किराये पर दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब दी गई ?

(श्री सुरजाराम टांक)

क्या किराया निश्चित किया गया ? यदि नहीं, तो अब भी किराये पर न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इसमें अनु. जाति/अनु. जन जाति/विकलांगों/भूतपूर्व सैनिकों का कोटा निर्धारित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और हां, तो कितना ?

(3) इस क्षेत्र के लिए कितनी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें। क्या सड़क निर्माण प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डी समिति बीकानेर की अनाज मण्डी में 158 दुकानों का निर्माण करवाया गया। मण्डी यार्ड पर रुपये 1·99 करोड़ व्यय किये गये हैं। उस मण्डी में 80 दुकानों का कार्य प्रगति पर है, मण्डी यार्ड पर रुपये 0·88 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

(2) अनाज मण्डी की दुकानों को 15–11–83 से किराये पर दिया गया है। किराया लागत का 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, परन्तु मई, 1984 से आंशिक किराया अन्डर प्रोटेस्ट ही जमा कराया जा रहा है। उस मण्डी की दुकानें निर्माणाधीन होने के कारण किराये पर देना सम्भव नहीं हो सका है। आरक्षित वर्गों के वास्ते फुटकर दुकानों का आंवटन निम्न प्रतिशत के आधार पर किया गया है :—

(1) अनुसूचित जाति —7 प्रतिशत

(2) अनुसूचित जन जाति—5 प्रतिशत

(3) भूतपूर्व सैनिक —2 प्रतिशत

(4) विकलांग —2 प्रतिशत

(3) चालू वित्तीय वर्ष में कोई नवीन सड़क का निर्माण स्वीकृत नहीं है। गत वर्ष की स्वीकृत एक सड़क तेजरासर से बेलासर, गुसाईसर का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

मण्डावा से मुकन्दगढ़ तक यातायात व्यवस्था

10. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मण्डावा से मुकन्दगढ़ रेल्वे स्टेशन 16 किलोमीटर की दूरी पर है और पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है तथा उक्त रूट पर निजी वाहन संचालन के परमिट दिये हुए हैं ? यदि हां, तो किन किन को ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त 16 किलोमीटर की दूरी के लिए निजी वाहनों द्वारा रु. 2·50 पैसे प्रति सवारी किराया वसूल किया जाता है ?

(3) उक्त किराया राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है ? यदि हां, तो कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो अनुमोदित किराया क्या है ?

(4) क्या निजी वाहनों द्वारा जनता से किराये की अधिक वसूली करने के मामलों में सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं मण्डावा से मुकन्दगढ़ रेल्वे स्टेशन की दूरी 18 किलोमीटर है। यह मार्ग पक्की डामर का बना हुआ है जिस पर निम्नांकित 3 निजी बस मालिकों को परमिट दिये हुए हैं :—

(1) श्री बुधाराम

(2) श्री बनवारी लाल

(3) श्री रतन सिंह

(2) जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, यह दूरी 18 कि. मी. है जिसके लिए 2.50 पैसे प्रति सवारी किराया वसूल किया जा रहा है।

(3) उक्त किराया राज्य सरकार द्वार जारी अधिसूचना (प्रतिलिपि संलग्न है) के अनुसार सही नहीं है। उचित किराया 1.80 रु. प्रति सवारी बनता है।

(4) जी हां, उक्त मार्ग के बस मालिकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 60 के तहत कार्यवाही चल रही है। जिसकी सुनवायी प्रापप्रा. जयपुर (प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार) के समक्ष दि. 15-11-84 को निश्चित की गई है।

(अधिसूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

खूंद मण्डा रोड़ (सीकर) की प्रस्तावित योजना की क्रियान्विति

11. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खूंद मण्डा रोड़ (सीकर) जो जयपुर-जोधपुर यातायात हेतु उपयुक्त है से जयपुर जोधपुर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर कम हो जाती है ? यदि हां, तो इसकी कियान्विति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या उक्त मार्ग की योजना 1975 में प्रस्तावित थी ? यदि हां तो अब तक इसमें क्या प्रगति हुई ? अब कब तक इसकी क्रियान्विति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर से जोधपुर वाया कालवाड़-जोबनेर-रेनवाल-खूंड-दांता नागौर होते हुए जोधपुर मार्ग की दूरी 25 कि. मी. कम है लेकिन यह मार्ग राष्ट्रीयकृत न होने के कारण जयपुर से जोधपुर के लिए इस मार्ग से होकर बस का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) वर्ष 1976 में सीकर-अजमेर मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68-1 के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थी जो वर्तमान में मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68-1(3) में हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसी प्रकार जयपुर से दांतारामगढ़ वाया झोटवाड़ा-कालवाड़-जोबनेर-रेनवाल मार्ग की योजना दिनांक 13-4-79 को मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68 ग के अन्तर्गत प्रकाशित की जा चुकी है जो वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन है। इन दोनों योजनाओं की क्रियान्विति के बाद भी जयपुर से जोधपुर वाया झोटवाड़ा-कालवाड़-जोबनेर-रेनवाल दांता-चूरू-नागौर होते हुए बस संचालन पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

बालकृष्ण विद्याभवन, कांकरोली के सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को पेंशन

12. श्री घासीराम फुलवारिया (सिवाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बालकृष्ण विद्याभवन कांकरोली, जिला उदयपुर के सेवानिवृत्त व्यक्तियों में से कई व्यक्तियों की सेवा अवधि में व्यवधान होते हुए भी राज्य सरकार के एग्रीमेंट के अनुसार उनकी सेवा व्यवधान को निरन्तर सेवा मानते हुए पेंशन लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो किन किन को कब कब ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार का उक्त संस्थान के सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक, जिनका स्वर्गवास हो गया है, के परिवार को पारिवारिक पेन्शन देने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक उन्हें पेन्शन लाभ दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) यद्यपि प्रश्न बहुत ही अस्पष्ट है फिर भी संभवतः यह प्रकरण श्री रामचन्द्र सनाढ्य से सम्बन्धित हैं । श्री राम चन्द्र सनाढ्य दिनांक 30-6-59 को राज्य सेवा से आठ वर्ष एक माह पन्द्रह दिन की सेवा करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए थे । राजस्थान सेवा नियम के नियम 261 के अनुसार पारिवारिक पेन्शन उन्हीं कर्मचारियों के परिवारों को देय होती थी जिन्होंने कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । इसलिए श्री रामचन्द्र सनाढ्य को पारिवारिक पेन्शन दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

कस्बा खातौली का विद्युतीकरण

13. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले के बड़े कस्बे खातौली का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किये जाने के क्या कारण है ? अब कब तक विद्युतीकरण करा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युतीकरण के अभाव में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ग्रामवासियों को पेयजल नहीं उपलब्ध करा पा रहा है ?

(3) क्या मण्डल ऐसे कस्बों का विद्युतीकरण प्राथमिकता देकर करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम खातौली पंचायत समिति इटावा के पूर्वी सीमा पर स्थित है । उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु इटावा से दीपरी तक 33 के. वी. लाइन का निर्माण तथा दीपरी पर 33/11 के. वी. सब-स्टेशन बना कर दीपरी से खातौली तक 11 के. वी. लाइन खेंचकर किया जा सकेगा । दीपरी पर 33/11 के. वी. सब-स्टेशन बनाये जाने के पश्चात् ही खातौली को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित करना सम्भव हो सकेगा ।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) पेयजल योजना हेतु विद्युतीकरण की मांग के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से मांग विद्युत मण्डल में प्राप्त नहीं हुई है।

(3) विद्युत लाइनों के प्रसार एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए यथासंभव अधिक से अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। ग्राम खातोली का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में दीपरी पर 33/11 के. वी. सब-स्टेशन बनने के पश्चात् किया जाना सम्भव हो सकता है।

मालवीय नगर, जयपुर में वालटेज की कमी

14. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मालवीय नगर, जयपुर में रात्रि में वोल्टेज कम आने से अंधेरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या विभाग इस अव्यवस्था को ठीक करने की दिशा में कोई कदम उठायेगा ? यदि हां, तो तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि आवास गृहों में दी जाने वाली बिजली का वोल्टेज कम रहने तथा अधिकांशतः रात्रि में विद्युत सप्लाई में अवरोध आने से यहां के निवासी टी. वी. व रेडियो आदि के प्रोग्राम सुनने से वंचित रहते हैं ? यदि हां, तो इसके सुधार के लिए विभाग क्या कदम उठाने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) आवासन मण्डल की मालवीय नगर बस्ती के सेक्टर नं. 3 एवं 4 के कुछ क्षेत्रों में सिंगल फेज लाइन होने के कारण वोल्टेज कम रहने की शिकायत रही है जिसको अब थ्री फेज लाइन की व्यवस्था करके दूर कर दिया गया है।

(2) वोल्टेज की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जाने से इस प्रकार की किसी असुविधा की इस क्षेत्र में अब आशंका नहीं होनी चाहिये।

विद्युत मण्डल में उपभोक्ता शिकायत कक्ष

15. **श्री नाथू सिंह** (बांदीकुई) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बिजली की अव्यवस्था को देखते हुए क्या राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष के यहां कोई उपभोक्ता शिकायत कक्ष है ?

(2) यदि हां, तो उसमें जनवरी, 1984 से अगस्त, 1984 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उनमें अब तक कितने मामलों में कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, अध्यक्ष, विद्युत् मण्डल के कार्यालय में कोई उपभोक्ता शिकायत कक्ष नहीं है अपितु विद्युत व्यवस्था में गड़बड़ी की उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु मण्डल के अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न उपकेन्द्रों एवं उप-खण्ड स्तर पर ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत कक्षों का प्रावधान

(ऊर्जा मन्त्री)

है, जो कार्यरत हैं। बड़ी खराबियों व फसल के समय प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु केन्द्रीय कक्ष की स्थापना के बारे में विचार किया जा रहा है।

(2) प्रश्न (1) के उत्तर के सन्दर्भ में प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड दिल्ली में

प्रवृत्त पद्धति का अनुसरण

16. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा वर्तमान सत्र से नवीं कक्षा को बोर्ड की परीक्षा के अधीन रखा है? यदि हां, तो क्या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी उपरोक्त प्रणाली को चालू करने का विचार है?

(2) क्या यह सही है कि इससे छात्र सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी परीक्षाओं में पूर्व अनुभव का लाभ उठा सकेंगे? यदि हां तो उक्त व्यवस्था कब तक प्रारम्भ करने का विचार है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 9 की परीक्षा के केवल प्रश्न पत्र ही विद्यालयों को उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि प्रश्न पत्रों का स्तर समान रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान उप प्रणाली को चालू करने पर अभी कोई विचार नहीं कर रहा है।

(2) जी नहीं। राजस्थान में कक्षा 9 की परीक्षा बोर्ड के अधीन करने का विचार नहीं है।

पंचायत समिति, बकानी (झालावाड़) की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

18. श्री मेहरलाल (मनोहरथाना): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बकानी (झालावाड़) क्षेत्र की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सरड़ा ग्राम को भी विद्युतीकृत किया जाना है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस (सरड़ा) ग्राम में पूर्व से ही पेयजल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के माध्यम से डीजल ऐन्जिन से संचालित है, जो डीजल ऐन्जिन की खराबियों के कारण नियमित रूप से नहीं चल पा रही है? यदि हां, तो उक्त योजना के नियमित संचालन एवं कृषि, सिंचाई, जिसके इस ग्राम में काफी स्रोत हैं, के विकास की दृष्टि से सरड़ा ग्राम को वर्ष 1984-85 में ही विद्युतीकृत किये जाने हेतु सरकार आदेश प्रदान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम सरडा की पेयजल योजना में डीजल ऐन्जिन की खराबियों के बारे में

(६)

(ऊर्जा मन्त्री)

इस विभाग को जानकारी नहीं है। ग्राम सरडा पंचायत समिति बकानी के सुदूर दक्षिण पूर्व भाग में विद्यमान विद्युत लाइनों से काफी दूर स्थित है। ग्राम सरडा के विद्युतीकरण हेतु साढे बारह किलो मीटर 11 के. वी. लाईन की आवश्यकता होगी तथा इससे पूर्व लाइन पर आने वाले 8 अन्य ग्रामों का विद्युतीकरण करना सम्मिलित होगा। अतः वर्ष 984-85 में ग्राम सरडा का विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है।

राजेन्द्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि. आहोर एवं बाकरा रोड की कृषि भूमि की रजिस्ट्री

19 श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजेन्द्र गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, आहोर एवं बाकरा रोड, जिला जालोर द्वारा आहोर गांव की मुख्य रोड के किनारे स्थित कृषि की करीब एक सौ बीघा जमीन का वर्ष 1981-82 में क्रय किया जाना था और विक्रेता ने उस जमीन के विक्रय की रजिस्ट्री कराई थी?

(2) यदि हां, तो यह विक्रय किसने कितनी धनराशि में किया था और उसकी रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी कितनी चुकाई थी?

(3) क्या यह भी सही है कि स्टाम्प ड्यूटी नहीं चुकाने के बारे में जांच कराई गई थी? यदि हां, तो बिना स्टाम्प ड्यूटी के रजिस्ट्री करने के लिए किस-किस अधिकारी को उत्तरदायी माना गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि भूमि का क्रय किया गया था परन्तु विक्रेता ने विक्रय आलेख रजिस्ट्री के लिए दिनांक 24-6-82 को प्रस्तुत किए थे जिन्हें उप-पंजीयक, आहोर ने गलत वर्गीकरण तथा कर बचाने का मामला मानते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु उसे जिलाधीश (मुद्रांक) जालोर को प्रस्तुत किया।

(2) श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र देशराज जैन अबोहर जिला फिरोजपुर द्वारा रु. 15 लाख में जमीन विक्रय की गई थी। जिस पर 14 रु. के स्टाम्प बतौर ड्यूटी लगाये गये।

(3) दस्तावेज का पंजीयन अभी नहीं किया गया है। अतः किसी को उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बगरू (तह. सांगानेर) में शराब की दुकान

20. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के रैगरों के

(श्री देवीसिंह भाटी)

मोहल्ले में शराब की दुकान है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस दुकान को इस स्थान से हटाने की मांग पूर्व में जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार की गई थी ? यदि हां, तो इसे यहां से कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल गोदाम स्थित है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

सराड़ा-खैरवाड़ा एरिया में शराब की दुकानें

21. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आदिवासी क्षेत्र सराड़ा खैरवाड़ा सरकार द्वारा ड्राई (Dry) एरिया घोषित है ? यदि हां, तो कितना क्षेत्रफल ?

(2) इस क्षेत्र में कितनी मदिरा की दुकानें खोली गई एवं किस-किस गांव में ? कृपया देशी एवं अंग्रेजी मदिरा की दुकानों का विवरण ग्रामवार सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस क्षेत्र में देशी मदिरा की 3 दुकानें और भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 2 दुकानें खोली गई हैं। ग्रामवार सूचना निम्नानुसार है :—

ग्राम खेरवाड़ा—देशी मदिरा		2
	विदेशी मदिरा	1
ग्राम नेवातलाई-देशी मदिरा		1
	विदेशी मदिरा	1

निर्वाचन क्षेत्र डग में आयुर्वेद औषधालय खोलना

22. श्री बालचन्द्र आर्य (डग) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र डग में सन् 1980 से अब तक कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोला गया ?

(2) क्या राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत मुख्यालय सरोद तथा हरनावदा में आबादी तथा भवन की व्यवस्था को देखते हुए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 1979-80 में डग निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत भवानीमण्डी में आयुर्वेद औषधालय खोला गया जो दिनांक 28-7-79 से कार्यशील है।

(2) इस वित्त वर्ष के लिए इन गांवों के कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं

(आयुर्वेद मंत्री)
हुए हैं और ना ही चालू वर्ष में खोले जाने वाले औषधालयों के स्थान का अन्तिम रूप से अभी तक चयन किया गया है। अस्तु इस बारे में फिलहाल कुछ कहना सम्भव नहीं है।

आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर के स्टोर का भौतिक सत्यापन

23. **श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल)**: क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर के स्टोर का विस्तृत भौतिक सत्यापन पिछले पांच सालों में विभागीय लेखादल अथवा मुख्य लेखाधिकारी के दल द्वारा नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? यदि नहीं, तो यह भौतिक सत्यापन कब-कब किन-किन दलों द्वारा किया गया और उसके क्या परिणाम रहे? कृपया विवरण प्रतिवेदनों की प्रतियों सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) आयुर्वेद निदेशालय के स्टोर से पिछले पांच सालों में किस-किस पुराने एवं अनुपयोगी यन्त्र व सामान की नीलामी कब-कब कराई गई अथवा उसको सब्स्टीट्यूट रूप में प्रयोग में लाया गया? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

पिछले पांच वर्षों में किये गये भौतिक सत्यापन का विवरण निम्न प्रकार है:—

	नाम दल	भौतिक सत्यापन की दिनांक
1.	विभागीय अधिकारी द्वारा	24.4.79 से 1.5.79 तक
2.	मुख्य लेखाधिकारी का जांच दल	3.3.82 से 4.3.82 तक

विभागीय अधिकारी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन में किसी प्रकार की कमी-बेशी नहीं पाई गई। मुख्य लेखाधिकारी के जांच दल द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन के परिणामों से यद्यपि विभाग को अवगत नहीं कराया गया किन्तु उसके द्वारा संबधित स्टॉक रजिस्टर में अंकित प्रमाण पत्र के अनुसार कोई कमी-बेशी नहीं पाई गई।

(2) आयुर्वेद निदेशालय के स्टोर से पिछले पांच सालों में अनुपयोगी सामान की नीलामी नहीं करायी गई है। निदेशालय में क्रय किये गये औषधालयों से संबंधित यन्त्र, सामान अधीनस्थ कार्यालयों एवं औषधालयों को वितरित कर दिये जाते हैं। अतः अवधि विशेष में होने वाले ऐसे अनुपयोगी यन्त्र-सामान की नीलामी की कार्यवाही अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों के माध्यम से ही सम्पादित की जाती है।

जिला पाली में ओवर हैड टैंक्स का निर्माण

24. श्री भेरुसिंह गुर्जर (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में वर्ष 1982-83 व 1983-84 में कितने ओवर हैड टैंक्स बनाने के ठेके दिये गये ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रत्येक टंकी का ठेका कितने-कितने समय में देना तय हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पाली जिले में वर्ष 1982-83 में 8 ओवर हैड टैंक तथा वर्ष 1983-84 में कुल 2 ओवर हैड टैंक बनवाने के ठेके दिये गए थे । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पंचायत समिति, बड़गांव के देलवाड़ा कस्बे में खोदे गए कुए

25. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बड़गांव (जिला उदयपुर) के देलवाड़ा कस्बे में 1981-82 में एक इमरजेन्सी रूरल सप्लाई स्कीम में एक कुआ खुदवाया गया था ? यदि हां, तो ठेकेदार को बी. एस. आर. के कितने प्रतिशत ऊपर की निविदा को मंजूर किया गया ?

(2) कितनी राशि का आदेश अधिशासी अभियन्ता, उदयपुर ने दिया और भुगतान कितना हो चुका है ?

उत्तर

(1) जी हां । इस कार्य हेतु बी. एस. आर. 1980 से 46 प्रतिशत से अधिक की निविदा स्वीकृति की गई ।

(2) अधिशाषी अभियंन्ता, जिला खण्ड-उदयपुर ने रु. 65721.53 का कार्यादेश दिया एवं इस कार्य पर रुपये 67845.00 का भुगतान हो चुका है ।

उदयपुर नगर में जल वितरण

26. श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर के सेक्टर नं. 3 से 6 और इस क्षेत्र में नागरिकों को जल वितरण रात्रि के 4 बजे किया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन कारणों से ?

(2) क्या यह भी सही है कि रात्रि के 4 बजे पानी सप्लाई करने के बाद भी इस क्षेत्र के नागरिकों को पूर्ण रूप से पानी नहीं मिलता है ? यदि हां, तो विभाग इस क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिये क्या उपाय कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, उदयपुर नगर के सेक्टर

(जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

नं. 3 में जल वितरण प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक एवं सैक्टर नं. 4, 5 तथा 6 में रात्रि के 9 बजे से प्रातः 7.30 बजे तक किया जाता है। वितरण जलाशय एवं मैन फीडर लाइन न होने के कारण सीधे ही पम्पों द्वारा जल वितरण अलग-अलग जोन वाइज किया जाता है, क्योंकि डाइरेक्ट बूस्टिंग से एक साथ जल वितरण करना सम्भव नहीं है।

(2) डाइरेक्ट बूस्टिंग सैक्टर नं. 4, 5 एवं 6 में उपभोक्ताओं को पानी कम दबाव से मिलता है। जल वितरण समस्या के निराकरण हेतु इस क्षेत्र के लिये 48.77 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति की जा चुकी है कार्य प्रगति पर है। योजना के पूर्ण होने पर जल समस्या का सुधार हो जायेगा।

ग्राम चनानी तहसील निवाई में पेयजल योजना

27. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चनानी तहसील निवाई जिला टोंक में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए विभाग की ओर से कोई सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो उक्त सर्वे रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

(2) राज्य सरकार कब तक उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उक्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, पेयजल समस्या के निराकरण के लिये ग्राम में स्थित कुओं के पानी की रसायनिक जांच की जाकर योजना बनाई गई है। रसायनिक जांच सदन पटल पर रख दी गई है।

(2) तकनीकी उपयुक्तता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत की जावेगी।

(जांच प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति

28. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विधान सभा के पिछले सत्र में अतारांकित प्रश्न संख्या 831 अ. ता. के उत्तर में कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति के संबंध में आदेश क्रमांक 40/स्था/मु. अ. सि./1198 दिनांक 16-3-83 जारी कर पदोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु कार्यवाही की जाने का उल्लेख किया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश दिनांक 16-3-83 में उल्लेखित

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कनिष्ठ अभियन्ताओं को छोड़ कर उनसे वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ व्यक्तियों को नियमित पदोन्नति का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन को किन कारणों से?

(3) आदेश दिनांक 16-3-83 में उल्लेखित कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति किन कारणों से अभी तक नहीं की गई है?

(4) क्या यह भी सही है कि वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ व्यक्तियों की नियमित पदोन्नतियां वरिष्ठ व्यक्तियों से पूर्व में कर दिये जाने के कारण वे वरिष्ठ व्यक्तियों से वास्तव में कनिष्ठ होते हुए भी वरिष्ठ हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस असंगति को दूर कर आदेश दिनांक 16-3-83 में उल्लिखित व्यक्तियों को नियमित पदोन्नति का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिन कनिष्ठ अभियन्ताओं को आदेश संख्या 40/स्था/मुअसि/सि. 1198 दिनांक 16-3-83 द्वारा कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता के पद पर पदस्थापित किया गया था, उनको नियमित पदोन्नति दिये जाने की कार्यवाही चल रही है। नियमित पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आमंत्रित कर उसकी सिफारिशों के अनुसार ही की जा सकती है, इसके लिए वरिष्ठता सूची का होना आवश्यक है। राज्य सरकार के क्रमांक एफ-2 (5) कार्मिक। क-2/79 दिनांक 5-8-81 के अनुसार वर्ष 1970 से 30.6.78 की अवधि में तदर्थ रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की स्क्रीनिंग का कार्य प्रगति पर है। सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं की स्क्रीनिंग होने के पश्चात् राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.9.83 के अनुसार वरिष्ठता सूची बनाकर नियमित पदोन्नति की जा सकेगी।

(2) जी नहीं।

दिनांक 16-3-83 में उल्लेखित कनिष्ठ अभियन्ताओं से कनिष्ठ किसी कनिष्ठ अभियन्ता को नियमित पदोन्नति का लाभ पदोन्नति कोटा में नहीं दिया गया है।

(3) वर्ष 1970 से 30-6-78 के मध्य तदर्थ रूप से नियुक्त किये कनिष्ठ अभियन्ताओं की सेवायें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 2 (5) कार्मिक क-2 दिनांक 5-8-81 के अनुसार राजस्थान अधिनस्थ अभियान्त्रिक सेवा (सिंचाई शाखा) नियम 1967 नियम 6 (8) में स्क्रीनिंग द्वारा नियमित किया जाना है। स्क्रीनिंग किए गए कनिष्ठ अभियन्ताओं व केडर परिवर्तित कनिष्ठ अभियन्ताओं की राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-2 (3) कार्मिक/क-2/83 दिनांक 24-9-83 के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ अभियान्त्रिक सेवा (सिंचाई शाखा) नियम 1967 के नियम 28 (8 व 9) में शामिल वरिष्ठता सूची बनाई जानी है। यह कार्य कनिष्ठ अभियन्ताओं का स्क्रीनिंग करने के पश्चात् ही किया जा सकता है। अभी तक सभी तदर्थ नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं का स्क्रीनिंग नहीं हो सका है। स्क्रीनिंग करने के पश्चात् वरिष्ठता सूची बनाकर नियमित पदोन्नति देना संभव हो सकेगा। स्क्रीनिंग द्वारा नियमित किये जाने हेतु राजस्थान अधीनस्थ अभियान्त्रिक सेवा (सिंचाई शाखा)

(सिचाई मन्त्री)

नियम 1967 नियम 6 (8) व 28 (8 व 9) राज्य सरकार के नोटी-फिकेशन क्र. एफ-2 (5) कार्मिक/क-2/79 दिनांक 5-8-81 व क्र. एफ-2 (3) कार्मिक/क-2/83 दिनांक 24-9 83 द्वारा समावेश किये जाने पर इन नियमों के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ताओं की स्क्रीनिंग पूर्ण होने पर इनकी वरिष्ठता का कडर परिवर्तित कनिष्ठ अभियन्ताओं के साथ निर्धारित की जायगी व इसके बाद नियमित पदोन्नति संभव होगी। इन नियमों के अन्तर्गत स्क्रीनिंग का कार्य लगभग पूर्ण होने को है व पूर्ण होने पर वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाकर नियमित पदोन्नति की जाने की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

(4) किसी भी कनिष्ठ, कनिष्ठ अभियन्ता को किसी वरिष्ठ कनिष्ठ अभियंता से पूर्व पदोन्नति कोटा में पदोन्नति नहीं की गई है। वरिष्ठता सूची के अभाव में मात्र तदर्थ पदोन्नतियां हो दी गई है, या कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता के पद पर लगाया गया है, जिसके आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण नहीं होता। अतः कनिष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ व्यक्ति से वरिष्ठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पचपदरा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था

29. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या पचपदरा क्षेत्र में उडू से कुम्पालिया पाइप लाइन से होरा काठाली, खोखसर, सपराकिया, परेऊ और कुम्पालिया को पेयजल की निर्बाध सप्लाई है? यदि नहीं, तो क्या इन स्थानों के लिये कोई वैकल्पिक जल प्रदाय योजना तैयार की गई है?

उत्तर

(1) जी नहीं, योजना के समस्त गांवों में समुचित जल वितरण हेतु पुनर्गठित जल योजना बनाई जा रही है।

केशोरायपाटन के गांवों में चम्बल नदी से लिफ्ट सिचाई योजना

30. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की ग्राम पंचायत चाणदा खुर्द पंचायत समिति केशोरायपाटन के गांवों में डोबरली गांव के पास से चम्बल नदी से लिफ्ट सिचाई योजना बनाकर सिंचित किया जा सकता है ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त असिंचित क्षेत्र के किसानों को सिचाई उपलब्ध कराने हेतु सरकार जनहित में शीघ्र लिफ्ट सिचाईयोजना की स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हाँ, बूंदी जिले की ग्राम पंचायत चाणदा खुर्द से डोबरली गांव के पास चम्बल का पानी लिफ्ट किया जा सकता है।

(2) अभी तक सर्वेक्षण का कार्य भी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

माही बजाज सागर बांध में मत्स्य पालन

32. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) माही बजाज सागर बांध के इलाके में मत्स्य पालन हेतु कितनी सहकारी समितियां बनाई गई हैं ?

(2) उक्त समितियों के कितने व्यक्तियों को कब-कब प्रशिक्षित किया गया ?

(3) क्या प्रशिक्षित व्यक्तियों को नाव एवं जाल आदि उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और कितने लोगों को ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक सरकार यह सुविधा उपलब्ध करा देगी ?

उत्तर

(1) माही बजाज सागर जलाशय में मत्स्याखेट कराने हेतु इलाके में चार मत्स्य पालन सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

(2) वर्ष 82-83 में 202 सदस्यों को मत्स्य प्रशिक्षण दिलाया गया। 83 84 में मत्स्य प्रशिक्षण नहीं कराया।

(3) प्रशिक्षित व्यक्तियों को नाव एवं जाल उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं क्योंकि वर्ष 83-84 में मत्स्य आखेट कार्य नहीं करवाया गया क्योंकि जलाशय में उन्नत किस्म की अधिकांश मछलियां निर्धारित साइज से छोटी साइज में थीं।

वर्ष 84 85 में राजस्थान जन जाति क्षेत्रिय विकास सहकार संघ उदयपुर द्वारा मत्स्य आखेट करवाये जाने का कार्य प्रस्तावित है। कार्य प्रारम्भ होने के साथ ही सदस्यों को नाव व जाल उपलब्ध करा दिये जावेंगे।

पशुपालन व डेयरी विकास निदेशालय बीकानेर में स्थापित करना

33. **श्री सुरजाराम टांक** (नोखा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पशुपालन एवं डेयरी विकास धंधा मुख्यतया पश्चिमी राजस्थान व बीकानेर जिले में अधिक है, जबकि निदेशालय जयपुर में है ? क्या सरकार इस व्यवस्था को उचित समझती है ?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में निदेशालय बीकानेर जिले में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पशुपालन तथा डेयरी विकास की गतिविधियां पूरे राजस्थान में व्याप्त हैं। निदेशालय का कार्य पूरे राजस्थान से संबंधित है, किसी जिले विशेष में नहीं। अत: इसका जयपुर रहना ही उचित है।

(2) राज्य सरकार का निदेशालय को बीकानेर में स्थानान्तरण करने का कोई विचार विचाराधीन नहीं है।

(४८)

पर्यटन विभाग द्वारा बम्बई सेल्स कार्पोरेशन से सामान की खरीद

34. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 अप्रेल, 1981 से अब तक पर्यटन निगम द्वारा बम्बई सेल्स कोर्पोरेशन, जयपुर से कब-कब किस-किस प्रक्रिया से कितना-कितना और किस किस प्रकार का और किस-किस दर से सामान खरीदा गया ? इस संस्था को अब तक कितने रुपये का भुगतान किया गया है और कितना शेष है ?

(2) क्या यह सही है कि इस संस्था से सामान खरीदने में सामान्य नियमों का पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ ऐसा सामान भी जिसके क्रय के लिये या तो निगम के बजट में आरम्भ में प्रावधान नहीं था या बहुत कम प्रावधान था, क्रय किया गया ? यदि हां, तो किस-किस से, कितने मूल्य का और किसकी स्वीकृति से ?

उत्तर

(1) एक अप्रेल, 1981 से बम्बई सेल्स कोर्पोरेशन से खरीदे गये सामान का विवरण एवं प्रक्रिया का विवरण संलग्न है। केवल रुपये 4693.90 का भुगतान शेष है जबकि इस सस्था को कुल 17,73,846.33 रु. का भुगतान अब तक किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) सामान्यत: खरीद बजट प्रावधान के अनुसार ही की जाती है। कतिपय मामलों में जहां बजट प्रावधान से ज्यादा खरीद की गई उन सबमें प्रबन्ध संचालक महोदय की स्वीकृति है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

अतिरिक्त आयुक्त (करावंचन) के सेवाकाल में वृद्धि

35. **श्री रामनारायण डूडी** (बिलाड़ा) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त आयुक्त (करावंचन) जनवरी, 1984 में सेवा निवृत्त होने वाले थे तथा इनका सेवा काल 6-6 माह की अवधि का दो बार बढ़ाया गया ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था ? क्या जीरा रायड़ा कांड में इनका हाथ पाया गया है ?

(2) क्या इस अधिकारी को बिक्री कर अधिनियम के तहत बनने वाले ट्रिब्यूनल का सदस्य मनोनीत किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां श्री जैन, करावंचन कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्यों को देख रहे थे:—

1. 46वें संशोधन के पश्चात् बनाए जाने वाले विधान।

2. कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव।

3. राजस्थान में सेलटैक्स ट्रिब्यूनल

(वित्त मंत्री)
का गठन और उसके लिए बिक्री कर अधिनियम में आवश्यक संशोधन आदि ।

श्री जैन के लम्बे अनुभव को देखते हुए उपरोक्त महत्त्वपूर्ण विषयों पर जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता अथवा उस संबंध में बनाए जाने वाले कानूनों का प्रारूप तैयार नहीं हो जाता तब तक श्री जैन को सेवा में रखना राज्यहित में था इसी कारण उनके सेवाकाल में वृद्धि की गई ।

श्री डी. सी. जैन का जीरा रायडा काण्ड में कोई हाथ नहीं था ।

(2) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

कुम्हेर में अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण

37. **श्री हरी सिंह (कुम्हेर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कुम्हेर में अनुसूचित जाति की कितनी बस्तियां हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है और क्यों ?

(2) अब इनके कब तक विद्युतीकृत किये जाने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति की अविद्युतिकृत बस्तियों के आंकड़े विभाग द्वारा संकलित नहीं किये जाते ।

(2) वित्तीय वर्ष 1984-85 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कुम्हेर में 9 अनुसूचित जाति की बस्तियों के विद्युतिकरण करने का लक्ष्य रखा गया है जिनको वर्ष के अन्त तक विद्युतिकृत कर दिये जाने की पूर्ण संभावना है ।

मेजा बांध से भीलवाड़ा नगर तक पाइप लाइन

38. **श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर में जल प्रदाय हेतु मेजा बांध से भीलवाड़ा शहर तक पाइप लाइन बिछाई जा रही है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण होकर जल प्रदाय चालू कर दिया जायेगा ?

(2) उक्त योजना पर आज तक कितना खर्च हुआ तथा पूर्ण होने तक कितना अनुमानित खर्च होगा । पाइप लाइन बिछाने के कार्य में विलम्ब किन कारणों से हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां । कार्य प्रगति पर है एवं दिसम्बर, 1984 तक यह कार्य पूर्ण कर इस वित्तीय वर्ष 1984-85 के अन्त तक जल प्रदाय चालू करने की सम्भावना है ।

(2) इस योजना पर सितम्बर, 1984 तक 119.44 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं, एवं योजना के पूर्ण होने तक लगभग 138.00 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । पाइप लाइन बिछाने में विलम्ब का मुख्य कारण इसके "एलाइनमेंट" में सख्त चट्टानें होना है जिन्हें काटने में एवं बड़े व्यास की पाइप लाइन की फिटिंग्स की व्यवस्था करने में भी अधिक समय लग रहा है ।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

स्वर्गीय सर्वश्री शोदानसिंह, मंगलसिंह द्वारकादास पुरोहित व प्रतापसिंह, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति । पिछले सत्र के पश्चात् चार माननीय सदस्यों का निधन हुआ–श्री शोदान सिंह, श्री मंगल सिंह, श्री द्वारकादास पुरोहित, श्री प्रताप सिंह । मुख्य मंत्री

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, हमारे तीन भूतपूर्व माननीय सदस्यों की पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में मृत्यु हुई । इसका बहुत दुःख है ।

श्री शोदानसिंह इसी विधान सभा के सदस्य थे झालावाड़ जिले के पिड़ावा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और वर्षों से वह अपने क्षेत्र की सेवा करते आ रहे थे ।

श्री शोदान सिंह जी की सामाजिक कार्यों में काफी रुचि थी । पहले वह निर्दलीय सदस्य के रूप में यहां पर निर्वाचित हुए । वे अपने क्षेत्र में दौरे पर जा रहे थे । एक जीप दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई । मैं जब उनके गांव गया उनकी मृत्यु के पश्चात् तो मैंने देखा कि सारे इलाके के लोग उनकी मृत्यु से शोकाकुल थे । वे अपने क्षेत्र में काफी जनप्रिय, लोकप्रिय थे । मैं श्री शोदानसिंह जी की असामयिक मृत्यु पर दुःख प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति दे और उनके दुखी परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे ।

अध्यक्ष महोदय, श्री मंगलसिंह जी एक दूसरे सदस्य हमारे रानीवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से द्वितीय विधान सभा में सदस्य चुने गये थे । सीनियर केम्ब्रिज तक उनकी शिक्षा थी । अच्छे खेतिहर थे और जन साधारण की समस्याओं को निपटाने में बड़ी रुचि रखते थे । वे अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही साधु प्रवृत्ति के थे । उनके देहावसान से सारे क्षेत्र में एक अपार क्षति हुई मैं श्री मंगलसिंह जी के निधन पर शोक प्रकट करता हूं और उनके दुखी परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सार्वजनिक जीवन के एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का निधन इस बीच हुआ । श्री द्वारकादास जी पुरोहित जो भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले एक बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे । देशी रियासतों की लड़ाई में उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण हिस्सा अदा किया । कई बार जेल गये प्रथम विधान सभा में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आये । मेरी जानकारी के अनुसार वह उप चुनाव में पहली विधान सभा में जोधपुर से चुन कर आये थे । श्री जसवंत कालेज जोधपुर और इलाहबाद में शिक्षा प्राप्त की थी । सन् 1932 में उन्होंने वकालात प्रारम्भ की । हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील रहे । सन् 1933 से 44 तक लगातार म्युनिसिपल बोर्ड, जोधपुर के सदस्य चुने जाते रहे । सन् 34 से 48 तक जोधपुर म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष

(श्री शिवचरण माथुर)

रहे। सन् 1942 में सक्रिय राजनीति में भाग लिया और मारवाड़ के विभिन्न किलों में वह दो वर्ष तक नजरबन्द रहे। लोक परिषद् द्वारा स्थापित वैधानिक सुधार समिति के वह संयोजक रहे। बेगार प्रथा विरोध समिति के भी सभापति रहे। अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् की जनरल कौंसिल तथा रीजनल कौंसिल के वह सदस्य रहे। राज्य द्वारा स्थापित वैधानिक शासन सुधार समिति के श्रीद्वारकादास जी पुरोहित सदस्य रहे। सन् 1948 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य 1950 में रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में उन्होंने कांग्रेस संस्था की महत्त्वपूर्ण सेवा की है। 1951-52 में वह किसान आन्दोलन के प्रमुख संगठनकर्ता के रूप में डावडा काण्ड में घायल हुए। 1946 में। सन् 1947 में मजदूरों और हरिजन उत्थान आन्दोलन के संगठनकर्त्ता व स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी के सदस्य रहे। जोधपुर राज्य में वित्त, सप्लाई, उद्योग तथा व्यवसाय, कानून विभाग के लोकप्रिय मंत्री रहे 1948 में राज्य की वित्तीय स्थिति में महत्त्वपूर्ण सुधार किए और अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों तथा आश्रित सर्विसेज को उन्नत वेतन उन्होंने प्राप्त कराया। वह राजस्थान आवासन मण्डल के संस्थापक अध्यक्ष रहे और बहुत दिनों तक उन्होंने इस बोर्ड को बहुत अच्छी तरह से जमाया और राजस्थान में आवासन मण्डल को एक गति प्रदान की। विधान सभा में भी एक सदस्य के रूप में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। उनका देहावसान 19.7.84 को हो गया। मैं स्वयं उनसे बहुत निकट से परिचित था मैं कह सकता हूँ कि श्री द्वारकादास जी के निधन से राजस्थान ने एक बहुत ही प्रभावी, प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और एक विद्वान खो दिया है। हम सबको दुःख है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में से उठ गया।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दारुण दुःख को सहने की शक्ति दे।

अध्यक्ष महोदय, श्री प्रताप सिंह जी प्रथम विधान सभा में सुजानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। आपका जन्म संवत् 1952 में हुआ। आप विधान सभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रस्तुत करने में सदैव जागरूक रहे और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे। मेरा उनसे विशेष परिचय नहीं लेकिन जो उनके बारे में सुना है मुझे बताया गया कि वे विधान सभा की कार्यवाही में काफी दिलचस्पी लेते थे। उनका भी देहावसान हम सब के लिए दुःख का कारण है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनकी आत्मा को शांति दे और उनके दुःखी परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में से माननीय शोदानसिंह जी जो इस विधान सभा के सदस्य थे, का देहावसान हो गया। पता नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि इस विधान सभा की 200 की संख्या कभी पूरी नहीं रहती। जैसे ही पूरी होती है, दुर्भाग्य से कोई न कोई माननीय सदस्य नहीं रहता। माननीय शोदानसिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। वे पिछले चुनावों में निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि

(श्री भंवर लाल शर्मा)

अपने क्षेत्र में वे कितने लोकप्रिय रहे होंगे कि इस प्रकार की राजनीतिक दलों के बीच में से भी एक निर्दलीय सदस्य के नाते जीत कर आये थे। जो उनकी लोकप्रियता का परिचायक है वे आज हमारे बीच में नहीं हैं इसका हमें दुःख है।

भगवान से मेरी यही विनती है कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके निधन से उनके परिवार में जो दुःख हुआ है उस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री मंगलसिंह जी द्वितीय विधान सभा के सदस्य थे हम में से बहुत से लोग शायद उनसे परिचित नहीं होंगे लेकिन जिस प्रकार उनका जीवन रहा उससे लाभान्वित हुए जब प्रजातंत्र का प्रारम्भ ही हुआ था उस समय वह इस विधान सभा में जीत कर आये। वे राम राज्य परिषद से जीते थे यह उनकी लोकप्रियता का परिचायक है आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। भगवान से विनती है कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार को यह क्षति सहन करने करने की शक्ति प्रदान करे।

स्व. श्री द्वारकादास जी पुरोहित जिनके जीवन के बारे में माननीय सदन के नेता महोदय ने प्रकाश डाला है वे बहुत ही कर्मठ और समाजसेवी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन सन् 1933 में प्रारम्भ किया जब प्रथम बार वे जोधपुर नगरपालिका के सदस्य चुने गये थे सन् 1933 से लेकर 1984 तक लगातार 51 वर्ष तक वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहे। इतनी लम्बी अवधि में लगातार काम करना बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता है। श्री द्वारका दासजी पुरोहित भाग्यशाली लोगों में थे जिन्होंने देश की, समाज की सेवा लगातार 51 वर्ष तक की। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं उनके निधन से हम ने वास्तव में एक समाजसेवी और समाज का एक मार्गदर्शक खो दिया है। उनके निधन से हमें दुःख है भगवान से यह प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार जन को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

दूसरे हमारे साथी श्री प्रताप सिंह प्रथम विधान सभा के सदस्य थे जैसा माननीय सदन के नेता महोदय ने कहा वे निर्दलीय सदस्य के रूप में चुन कर आये थे पहली विधान सभा में कोई भी व्यक्ति बिना किसी पार्टी के सहारे के जीत कर आये तो निश्चित रूप से उसका उस क्षेत्र में व्यक्तिगत सम्मान, स्नेह होना चाहिये। ऐसे सम्मान के पात्र श्री प्रताप सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है भगवान के चरणों में यही विनती है कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार जो उनके निधन से पीड़ित है को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

इन चारों दिवंगत आत्माओं को मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : (नेता, कांग्रेस'स') अध्यक्ष महोदय, श्री शोदान सिंह जी के आकस्मिक निधन की सूचना से हम सब को बहुत ही आघात पहुंचा है। विशेष रूप से इसलिये कि उनका एक्सीडेंट हो जाने से उनका स्वर्गवास हुआ उनकी मृत्यु हो जाना बहुत दुःख का विषय है। उनकी जो गरिमा थी। उनके गुण थे वह हम सब ने देखे हैं।

(श्री राजबहादुर)
वे बहुत ही हंसमुख और बहुत कुशल, सरल थे। कभी भी किसी मौके पर उनको कोई बात कहनी होती तो वे जरूर कहते। उनकी याद हमेशा आती रहेगी। मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि 200 सदस्यों की पूर्ण संख्या नहीं रहती। परन्तु यह निश्चित बात है कि श्री शोदान सिंह जी के चले जाने से हमारे सदन का एक स्थान रिक्त हो गया है। उनके निधन से हम सब को दुःख है यह क्षति पूर्ण नहीं हो सकती।

भाई श्री मंगलसिंह जी के विषय में मैं बहुत नहीं जानता। वे तृतीय विधान सभा के सदस्य थे भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।

श्री द्वारकादास पुरोहित हमारे साथी रहे हैं। जहां उन्होंने अनेक जेल यातनाएं सही। संघर्ष किया वहां डाबड़ा काण्ड जो बहुत ख्याति लिये हुए था, वे घायल भी हुए। किस प्रकार सामन्तों और जागीरदारों जमाने से उन्होंने संघर्ष किया, राजस्थान के जो भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उस समय के प्रजामण्डल और लोक परिषद के वे सब जानते हैं। उनके स्वर्गवासी होने पर मुझे गहरी व्यक्तिगत वेदना हुई है। नहीं जानते किस प्रकार पुरानी पीढ़ी इतना साहस बटोर सकी, जो निहित स्वार्थ वाले जो अंग्रेजी शासक थे, मैं तो राजाओं के शासन को अंग्रेजी शासन मानता हूं। मानता हूं क्यों? क्योंकि जो अन्तिम सोवेरनिटी थी। अंग्रेजों के पास, उनसे टक्कर ली, जूझे और सारी यातनाएं सहीं। उसके बाद में आजादी आयी। हम चुन कर आये जो-जो उन्होंने सामाजिक जीवन में योगदान दिया। वह सदा याद रहेगा।

मैं भगवान से उनकी दिवंगत आत्मा की चिरशान्ति के लिये और उनके बच्चों और परिवारजनों को यह दुःख सहने करने की शक्ति प्रदान करने के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री प्रतापसिंह जी प्रथम विधान सभा के सदस्य थे। उनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं रहा है लेकिन जो कुछ भी उनके विषय में साथियों ने कहा सदन के नेता महोदय ने कहा, विपक्षी दल के मुख्य सचेतक महोदय ने कहा है उसके साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए मैं उनकी दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये और उनके परिवारजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिये भगवान से प्रार्थना करता हूं।

श्री कमलेन्द्र सिंह जी (बल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, जिस शोक प्रस्ताव को सदन के माननीय नेता महोदय ने पेश किया है, उनकी भावनाओं के साथ मैं मेरे दल के सभी सदस्यों की भावना को जोड़ना चाहूंगा।

स्व. शोदानसिंहजी जो हमारे साथी थे और इस सदन के सदस्य रहे हैं का दुर्घटनावश आकस्मिक निधन से हम को दुःख हुआ है। माननीय शोदानसिंह जी पिड़ावा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सदस्य के रूप में चुन कर आये थे सभी राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों को पीछे रख कर अपनी लोकप्रियता के आधार पर वे जीत कर आये थे। उनके क्षेत्र की जनता का विश्वास उन्होंने जीता था। साथ ही साथ जनता को भी उन से कुछ आशाएं थी। उन आशाओं को उनके आकस्मिक निधन से धक्का जरूर लगा है। जो भी उनको पह-

54

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

जानते थे। उनके व्यक्तित्व का खास स्वभाव तो यह था कि वे बिलकुल सरल और सादे थे। इसी स्वभाव के कारण ही उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को विश्वास में बांधे रखा। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय श्री मंगलसिंह, जो स्वतन्त्रता सेनानी थे, श्री द्वारकादास जी पुरोहित, माननीय प्रतापसिंह जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह इन दिवंगत आत्माओं को चिर-शान्ति प्रदान करे और उनके परिजनों को इस क्षति को सहन करने की हिम्मत दे।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे बीच में शोदानसिंह जी नहीं रहे। उनके स्वभाव के बारे में क्या कहा जाये। सभी परिचित थे। वे कल तक हमारे बीच में थे। मैं उनको अपनी ओर अपने दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा रखता हूं कि शोक सन्तप्त परिवार को भगवान इस कष्ट को सहन करने की हिम्मत दे।

साथ ही साथ जो सदन के नेता महोदय ने जिन तीन अन्य भूतपूर्व सदस्यों के लिये प्रस्ताव रखा है उनको भी मैं अपनी ओर अपने दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति दे।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : श्री मंगल सिंह जी हमारे सदन के सदस्य थे. श्री द्वारका दास जी प्रथम विधान सभा के सदस्य थे, और एक स्वतन्त्रता सेनानी थे. जब राजस्थान के अन्दर घोर अन्याय और अंधकार था। जोधपुर हमारे सीकर शेखावाटी से बहुत ही लगता हुआ इलाका है। हम जानते थे हम सीकर शेखाटी के लोग जब राजाओं के खिलाफ, सामन्तों के खिलाफ संघर्ष करते थे तब उनका हमारा सम्पर्क था ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश की आजादी के लिए लड़े, हमारी विधान सभा के एक जागरूक व्यक्ति थे हमसे जुदा हो गये, उनका निधन हो गया।

दूसरा, श्री प्रतापसिंह जी इस सदन के सदस्य थे। ये चारों सदन के कोई जमाने में सदस्य थे, उनके निधन का मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से हमें दुःख है। उनके दुखी आत्मजनों के प्रति सद्भावना नहीं, बहुत-बहुत दुःख जाहिर करता हुआ मैं चाहता हूं कि उनके प्रति हम अपनी भावना यहां पेश करें।

बहुत ही बड़े दुःख की बात है कि जब भी हमारा सदन शुरू होता है, एकाध सदस्य हमसे जुदा हो जाता है। इस तरह का क्रम मैं लगातार चार साल से देख रहा हूं। ऐसा कब तक होगा, यह ठीक नहीं है। ऐसी हालत में मैं उनके दुःखी परिवार के प्रति सद्भावना जाहिर करता हूँ, संवेदना जाहिर करता हूं।

श्री मेवराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता और विभिन्न दलों के नेताओं ने हमारे चार सदस्य, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, जिनका आकस्मिक निधन हो गया, के बारे में भावना व्यक्त की मैं अपने आपको और अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों की उनकी भावना के साथ जोड़ता हूं।

इस विधान सभा के श्री शोदान सिंह जी, का स्वभाव बड़ा कोमल था, हँसमुख

(श्री मेघराज तावड़)

और सहनशील व्यक्ति थे। उनका यह व्यक्तित्व उनके गुणों को दर्शाता है कि अपने कार्य कलापों से, जनता की सेवा, गरीबों की सेवा करके जनता का उन्होंने दिल जीता और निर्दलीय रूप में विधान सभा में चुने गये।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, श्री मंगलसिंह जी द्वितीय विधान सभा के सदस्य रहे। मैं उनसे परिचित नहीं था। मैं तो बहुत बाद में पैदा हुआ हूँ लेकिन वह सदन के सदस्य थे, उनका आकस्मिक निधन हो जाने पर मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री द्वारकादास जी पुरोहित स्वतन्त्रता सेनानी भी थे। माननीय सदन के नेता ने उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं तो इतना ही जानता हूं, अध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय राजाशाही और अंग्रेजों के राजाओं के षडयंत्र को नाकामयाव करने में अग्रणी रहे। × × × स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास के साथ रह कर, उनके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर स्वतन्त्रता की लड़ाई में अग्रणी रहे। सामन्त विरोधी रहे, सामन्तों के खिलाफ इस समय उन्होंने एक जबरदस्त विवाद छेड़ा। हमारे प्रान्त को सामन्तों से छुटकारा दिलाने में प्रमुख भूमिका रही। वे प्रगतिशील विचार के व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति का आकस्मिक निधन हो जाना, हमारे प्रान्त से और देश से ऐसे महान् व्यक्ति का उठ जाना हमारे लिए बहुत दुःख का विषय है। ऐसा व्यक्ति हमको मिलना मुश्किल है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से प्रथम विधान सभा के सदस्य, माननीय प्रताप सिंह जी इस सदन के सदस्य रहे हैं। मेरा उनका वैसे परिचय तो नहीं रहा लेकिन जो भी विधान सभा में आता है वह अपने व्यक्तित्व से कहीं न कहीं जाना जाता है, हिन्दू समाज का सर्वोपरि व्यक्ति होता है, अपने कोई न कोई गुण होते हैं उन्हीं गुणों के कारण से ही समाज के उच्च स्तर तक जाता

मैं ऐसे गुणों वाले व्यक्ति जो हमारे सदन के सदस्य रहे, इस राजस्थान की धरती पर उतरे, उन चारों माननीय सदस्यों को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस सभा के चार भूतपूर्व माननीय सदस्यों के बारे में जो श्रद्धांजलि सदन के नेता महोदय और अलग-अलग पक्ष के नेताओं ने अर्पित की है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

श्री गोदान सिंह जी हमारे साथी थे आसन के सामने पिछली पंक्ति में बैठते थे उनकी वेश-भूषा ग्रामीण की थी। वे इस सदन के अन्दर जैसा कि ग्रामीण का स्वभाव होता है जब कभी भी अपने विचार प्रकट करने आवश्यक होते थे, विचार प्रकट करते थे और सही बात कहते थे उनकी रुचि अपने जिले के विकास में, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में और खास तौर से समाज सुधार में थी उनका स्वर्गवास बहुत ही दुखद परिस्थितियों में हुआ। एक मोटर दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हो गये और 8-10

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

दिन तक वे मृत्यु से जूझते रहे। आप और हम में से बहुत लोग उनसे मिलने गये और कई दफा यह आशा बंधती थी कि वे इस संघर्ष में विजयी हो जायेंगे लेकिन परमात्मा को यह मन्जूर नहीं था वे आखिर अपने बीच में से उठ गये।

इसी तरह दूसरे विधान सभा के सदस्य श्री मगल सिंह जो की सदा ग्रामीण सुधार, ग्रामीण विकास और जो उनके क्षेत्र की समस्याएं थीं और उस क्षेत्र का पिछड़ापन था उसको उन्नत करने में रही। वे एक बहुत ही गम्भीर स्वभाव के बड़े सुलझे हुए व्यक्ति और बड़े सज्जन थे। वे पंचायत समिति रानीवाड़ा के प्रधान रहे, मृत्यु तक वे जिला परिषद जालोर के प्रमुख थे और 1957 से 62 तक इस सभा के सदस्य थे उनकी उम्र भी कोई अधिक नहीं थी और उनका असामयिक निधन हम सब के लिए और खास तौर से जालौर क्षेत्र के लिए काफी बड़ी क्षति है उसे आसानी से पूरा नहीं किया जा सकेगा।

श्री द्वारकादास जी से आप और हम अच्छी तरह परिचित हैं, वे बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति थे स्वतन्त्रता सेनानी थे बहुत ही कुशल प्रशासक थे, वे एक बहुत सम्पन्न परिवार के थे उनकी बहुत अच्छी वकालत थी इन सबको त्याग कर उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में प्रवेश किया जाति उन्मूलन, बेगार प्रथा के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया, यही नहीं डाबड़ा का जो कांड हुआ था उसमें वह बहुत ही गम्भीर रूप से घायल हुए। जोधपुर राज्य के वे मंत्री भी रहे और हमारे साथ विधान सभा के सदस्य भी रहे, वे एक बहुत ही योग्य व्यक्ति थे जिस किसी काम को उन्होंने हाथ में लिया उस कार्य को उन्होंने बहुत ही खूबी से किया। आखिर में बड़े पद पर वह आवासन मण्डल के अध्यक्ष थे।

आवासन मण्डल का जिस तरह विस्तार हुआ आप और हम अच्छी तरह से उससे परिचित हैं।

श्री प्रताप सिंह, सुजानगढ़ से प्रथम विधान सभा में चुनकर आये थे। ग्रामीण होने के नाते ग्रामीण क्षेत्र की कैसे उन्नति हो, इसमें उनकी गहरी रुचि थी उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ लेकिन जो कुछ सुना है उससे यह बात सामने आयी कि वे बहुत ही योग्य व्यक्ति थे और बहुत ही उच्च कोटि के विधायक थे। इस विधान सभा की प्रारम्भिक कार्यवाहियों में गहन रुचि ली।

माननीय श्री प्रताप सिंह के बारे में तो कह सकते हैं कि उन्होंने काफी लम्बी उम्र पाई लेकिन दूसरे जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने कोई आज के युग को देखते हुए कोई लम्बी उम्र नहीं पाई। उनका जो निधन है वह एक तरह से असामयिक है। इस तरह के लोगों, जो हमारे काफी निकट रहे हों का हमारे बीच में से उठ जाना हम सब के लिए बहुत ही दुःख की बात है।

मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार के सदस्यों को, हमारे सदस्यों जो उनके काफी निकट थे इस महान् दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

(57)

(श्री ग्रध्यक्ष)

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट मौन खडे होकर स्वर्गीय महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत ग्रात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

व्यवस्था का प्रश्न
कटौती प्रस्तावों के लिखित उत्तर

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर.......

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। अभी विचारणीय विषय नहीं है। इसलिये पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर का प्रश्न नहीं है। मैं कुछ व्यवस्थायें दे दूँ। कुछ विचारणीय विषय, कुछ कार्य सभा के सामने आ जाय........

श्री महावीरप्रसाद जैन : ग्राप सुनें तो सही, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय।

पिछले बजट सत्र में कटौती प्रस्तावों के बारे में ग्रासन ने व्यवस्था दी थी कि एक महीने के ग्रन्दर-ग्रन्दर सारे जवाब ग्रा जायेंगे। इसीलिए ग्रापने बोलने का ग्रवसर भी नहीं दिया था। हमेशा ग्रासन से इस प्रकार की व्यवस्थायें दी जाती हैं। कई बार ग्रापको भी निवेदन किया.......

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में जानकारी कर लेंगे। यह प्राइन्ट ग्राफ ग्रार्डर का विषय नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : यह ग्रापकी ही व्यवस्था है। प्रत्येक मंत्री ने ग्राश्वासन दिया है।

श्री अध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज, मैं बाद में व्यवस्था दूंगा, इसमें क्या हुग्रा, क्या नहीं हुग्रा उसकी जानकारी करने के पश्चात् व्यवस्था दूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भयंकर ग्रकाल की स्थिति।

(2) श्री नाथू सिंह सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से दौसा को जिला नहीं बनाने से जनता में ग्रसंतोष।

(3) श्री कैलाश मेघवाल सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से दिनांक 7 ग्रक्टूबर, 84 को जयपुर में पंचायत राज सम्मेलन एवं रजत जयंती समारोह पर ग्रपव्यय।

(4) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा की ग्रोर से दिनांक 7 ग्रक्टूबर, 1984 को बीकानेर में पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज एवं गिरफ्तारी।

(5) श्रीमती उजला ग्ररोड़ा सदस्या, विधान सभा की ग्रोर से जयपुर शहर में ग्रपर्याप्त जल-वितरण की व्यवस्था से जन-जीवन में गहरा ग्रसंतोष।

(6) श्री महावीर प्रसाद जैन सदस्य

(58)

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से राज्य के जानवरों के अस्पतालों में घटिया स्तर की दवाइयों का वितरण।

(7) सर्वश्री दाऊदयाल जोशी एवं हीरा लाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के अभियंताओं का आन्दोलन।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। सचिव महोदय।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : पाइन्ट आफ आॅर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आॅर्डर जब कोई विचारणीय विषय आयेगा उस समय होगा।

श्री महाराम चौधरी : इसमें सरकार से जानकारी करने की बात ही नहीं है। सरकार को स्वयं ही इस बात के लिये तैयार होकर आना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र के अन्दर चारों तरफ बरसात नहीं हुई है, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं इस संबंध में सरकार को पहले व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज....आॅर्डर आॅर्डर।

श्री महाराम चौधरी : इस पर सरकार से क्या जानकारी आयेगी। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें। आॅर्डर-आॅर्डर।

श्री महाराम चौधरी : बहुत ही गम्भीर मसला है। ऐसे मामलों के लिए सरकार को स्वयं ही तैयार होना चाहिए।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : हमारे माननीय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है और आपको सूचना नहीं दी। उनको लाठी मार रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। छीतर लाल आर्य को गिरफ्तार करके पटक दिया है और आपके पास गिरफ्तारी की सूचना भी नहीं आयी है। वहां के एस.पी. अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या मेम्बर को मार दिया जायेगा? क्या मतलब है, आपका?

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, सरकार से जानकारी तुरन्त मिलनी चाहिए।

श्री हरीश शर्मा : अटरू से आने वाले माननीय सदस्य को गिरफ्तार कर रखा है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : जानकारी नहीं दी, जानकारी तुरन्त मिलनी चाहिए।

(व्यवधान)

गुण्डे तत्वों से मिलकर आपके

(श्री बालचन्द आर्यवीर)
अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, गुण्डागर्दी कर रहे हैं। माननीय सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं यह शर्म की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के लिए।

श्री अध्यक्ष : सूचना आ गयी है, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मुझे...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

व्यवस्था का प्रश्न

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री नाथूसिंह : रूल आठ पाइन्ट आफ आॅर्डर है ...

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न उस स्थिति में उठाया जाता है जब कोई विचारणीय विषय सदन के समक्ष हो, नियमों का उल्लंघन हो रहा हो अथवा संविधान का उल्लंघन हो रहा हो। जब विचारणीय विषय ही नहीं है तो...।

(व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री नाथूसिंह : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र पर ही कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : रखने तो दें।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज।

जब कोई विषय आ जाये, कृपया उस समय उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। भाषण नहीं।

श्री नाथूसिंह : आप विराजें तो सही। भाषण नहीं होगा। अगर नहीं जंचे तो बीच में रोक देना।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह : आप सुनें तो सही।

अध्यक्ष महोदय, रूल 8 में डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का प्रावधान है। पिछले दो साल से यह सदन बिना डिप्टी स्पीकर के चल रहा है। यह आपके अधिकार की बात है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इसका प्रबन्ध कर रहे हैं। आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी उसमें विचार करेंगे।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह 14-10... ....

श्री अध्यक्ष : मैंने तो तारीख निश्चित कर दी थी लेकिन सदन के कई पक्षों के नेताओं ने कहा, इसको अभी टाल दिया जाय। इसलिए आगे बढ़ गयी। फिर बारी नहीं आयी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक हो रही है उसमें इस विषय पर चर्चा होगी।

कटौती प्रस्तावों के लिखित उत्तर

श्री महावीर प्रसाद जैन : कटौती प्रस्तावों पर तो व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : ऐसे कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। पहले मैं सचिवालय से जानकारी करूंगा उत्तर दिये गये हैं या नहीं दिये गये हैं..........

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं दिये गये हैं। पर प्रत्येक मंत्री ने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी मैंने सुन ली। समझ ली। इसके बारे में क्या किया जाना है उसके लिए थोड़ा सा समय दें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा दूसरा प्रश्न है जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसको जानकारी के लिए भेजा है। मैंने नकली दवाइयों का स्थगन प्रस्ताव रखा था। उससे तो इस कार्य में सहयोग ही मिलेगा, मेरे पास दवाइयां हैं, ये नकली दवाइयां हैं, मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : सरकार से जब उत्तर आये उस वक्त, माननीय सदस्य।

सरकार से जब उत्तर आ जायेगा उसके बाद मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा ऐसा है, वास्तव में काफी गम्भीर मसला है इसलिए इस पर विचार करने दिया जाय लेकिन इस समस्या का तब तक कोई हल नहीं निकल सकता....

(व्यवधान)

ऑर्डर-ऑर्डर....

श्री दाऊदयाल जोशी : 18 तारीख से राजस्थान में आपके विद्युत् कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं।"....

श्री अध्यक्ष : मैंने सरकार से जानकारी चाही है। उसके पश्चात् क्या कार्यवाही हुई क्या नहीं हुई इससे....

(व्यवधान)

आपको भी धैर्य रखना....

श्री दाऊदयाल जोशी : अभी विद्युत् कर्मचारी माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास पदयात्रा करते हुए गये हैं। आज भी वे राजस्थान विधान सभा के सामने....

श्री अध्यक्ष : समस्या अभी दो घंटे पहले आसन के सामने आयी है। उसके लिए उचित व्यवस्था की जा रही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 18 तारीख के पहले....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। सचिव, विधान सभा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

संविधान (तरेपनवां संशोधन) विधेयक, 1984 का अनुसमर्थन करने हेतु राज्य सभा का संदेश

सचिव (विधान सभा) : महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 118 का का (2) के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा-पारित संविधान (तरेपनवां संशोधन) विधेयक, 1984 का अनुसमर्थन करवाने सम्बन्धी राज्य सभा द्वारा भेजे गये संदेश की सूचना देता हूं जो निम्न प्रकार है :

PARLIAMENT OF INDIA

RAJYA SABHA SECRETARIT

Parliament House
New Delhi

No. RS/1/64/84/B September 18, 1984

From

Shri Sudarshan Agarwal,
Secretary General,
Rajya Sabha.

To

The Secretary,
Rajasthan Legislative Assembly,
Jaipur.

Subject : The Constitution (Fiftythird Amendment) Bill, 1984.
—Ratification of.

Sir,

I am directed to state that the Constitution (Fiftythird Amendment) Bill*, 1984, has been passed by the House of the People on the 23rd August, 1984, and by the Council of States on the 25th August, 1984. A copy of the Bill, as passed by the Houses of Parliament, is sent herewith.

2. As the change, which the amendment contained in clause (2) of the Bill seeks to make, is of the nature specified in sub-clause (d) of the proviso to clause (2) of article 368 of the Constitution, the amendment will require to be ratified by the Legislatures of not less

---

* When assented to, the Bill will be enacted as the Constitution (Fiftyfirst Amendment) Act, 1984, in view of the short title in clause (1) of the Bill.

than one half of the States by resolution to that effect passed by those Legislatures before the Bill is presented to the President for his assent.

3. I am accordingly to request that a resolution ratifying the amendment may be placed before the State Legislative Assembly/ State Legislative Council as early as practicable and the result communicated to this Secretariat.

4. It is suggested that the proposed resolution may be on the following lines—

> 'That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Fifty-third amendment) Bill, 1984, as passed by the two Houses of Parliament.'

5. The Parliamentary proceedings on the Bill are being printed and as soon as they are available, the necessary number of copies thereof alongwith the copies of the Bill, as introduced in the House of the People and as passed by the both Houses of Parliament, will be forwarded to you for the use of the Members of the State Legislature.

6. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,
SUDHARSHAN AGARWAL.

मैं राज्य सभा से प्राप्त संदेश सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुमति प्राप्त विधेयक

महोदय, मैं गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिस पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1984

(2) राजस्थान कार्निया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव विधान सभा

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक—

(1) राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या–3) विधेयक, 1984

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1984

(3) राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधि मान्यकारी) विधेयक, 1984

(4) राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1984

(5) राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984

(6) मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984

(7) राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1984

(8) राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1984

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश। मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर एक अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1984) सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : उपनिवेशन मंत्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान उपनिवेशन (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1984) सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1984) सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1984) सदन की मेज पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1984) सदन की मेज पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित अध्यादेश व उसके जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1984)

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जी।

(६८)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1984) सदन की मेज पर रखता हूँ ।

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएँ, मुख्य मंत्री जी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ग्रुप-5) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1/6 (5) गृह-5/84 दिनांक 6 जून, 1984 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के अधीन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अधीन समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : उपनिवेशन मंत्री जी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूँ : एक से आठ तक :—

(i) अधिसूचना संख्या एफ 4 (19) रेव/कोल/83 दिनांक 25 अप्रेल, 1984 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं,

(ii) अधिसूचना संख्या प. 3 (15) राज/उप/76/II दिनांक 6 अप्रेल, 1984 जिसके द्वारा उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर एवं समस्त जिलाधीश एवं जिला दंडनायकों को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है;

(iii) अधिसूचना संख्या एफ 4 (1) रेव/कोल/77 दिनांक 7 मई, 1984 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1984 विरचित किये गये हैं;

(iv) अधिसूचना संख्या एफ 4 (19) रेव/कोल/83 दिनांक 2 जुलाई, 1984 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं;

(v) अधिसूचना संख्या एफ 4 (11) रेव/कोल/83 दिनांक 6 जुलाई, 1984 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं;

(vi) अधिसूचना संख्या प. 4 (7) राज/उप/80 पार्ट दिनांक 17 मई, 1984 जिसके द्वारा भाखरा एवं राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र की मंडियों के लिए समितियों का गठन किया गया है;

(vii) अधिसूचना संख्या प. 4 (1) राज/उप/83 पार्ट दिनांक 17 अगस्त, 1984

जिसके द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश (सीलिंग) कोटा को अपने प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर चम्बल परियोजना क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिलाधीश के सभी कृत्यों की पालना एवं शक्तियों के प्रयोग हेतु नियुक्त किया गया है;

(viii) अधिसूचना संख्या प. 4 (12) राज/उप/75 पार्ट दिनांक 17 अगस्त, 1984 जिसके द्वारा तहसील बसेड़ी व धौलपुर में मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति का एक सदस्य मनोनीत किया गया है।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त ग्रुप–4 की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

1. अधिसूचना संख्या प. 9 (3) वित्त/ग्रुप–4/84/II दिनांक 29 मई, 1984

2. अधिसूचना संख्या एफ 9 (3) वित्त/ग्रुप–4/84/I दिनांक 29 मई, 1984

श्री अध्यक्ष : परिवहन राज्य मंत्रीजी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ियों के अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा अधिनियम के अन्तर्गत गृह (ग्रुप 7) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

1. अधिसूचना संख्या एफ 5 (17) गृह-7/84 दिनांक 27 अप्रेल, 1984

2. अधिसूचना संख्या प. 5 (19) गृह-7/84 दिनांक 21 मई, 1984

3. अधिसूचना संख्या एफ 5 (20) गृह-7/84 दिनांक 25 मई, 1984

4. अधिसूचना संख्या प. 5 (21) गृह-7/84 दिनांक 4 जुलाई, 1984

5. अधिसूचना संख्या एफ 5 (23) गृह-7/84 दिनांक 17 अगस्त, 1984

6. अधिसूचना संख्या प. 5 (32) गृह-7/84 दिनांक 21 सितम्बर, 1984

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे। मुख्य मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :

1. कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन 1982-83 एवं

2. राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 (3) के अन्तर्गत वित्त निगम के वर्ष 1983-84 का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे मय सम्पत्ति एवं दायित्व के विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऊर्जा मंत्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : आपकी आज्ञा से अध्यक्ष महोदय,

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1984 की धारा 61 व 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण-आय-व्ययक वर्ष 1983-84 एवं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक लेखे विवरण 1982-83 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : पशु पालन, राज्य मंत्री जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : अध्यक्ष महोदय, मैं भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम 1962 की धारा 31 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : पर्यटन राज्य मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) की धारा 3(बी) के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1982-83 सदन की मेज पर रखता हूं।

दलीय स्थिति

श्री अध्यक्ष : दल के गठन की सूचना

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री राज बहादुर कांग्रेस (स) से पृथक् हो गये हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस (जे) दल का गठन हुआ है जिसे ग्रुप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

अनेक माननीय सदस्य : मैम्बर कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष : नाम बता दिया न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : दल में कौन-कौन मौजूद हैं ?

श्री अध्यक्ष : अकेले ही हैं माननीय सदस्य, जैसे अपने सी. पी. आई. और सी. पी. एम. हैं।

अनुपस्थिति अनुमति

श्रीमती विद्या पाठक को 11 अक्टूबर, 1984 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सदन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्रीमती विद्या पाठक, सदस्या, विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 11 अक्टूबर, 1984 से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाय ?

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गई।

सूचना

श्री छीतर लाल आर्य की गिरफ्तारी की सूचना

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ने सूचना दी है कि श्री छीतर लाल आर्य, सदस्य, विधान सभा को 10 अक्टूबर, 1984 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे भारतीय दण्ड संहिता की

(श्री अध्यक्ष)

धारा 147, 332, 353, 451 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री आर्य द्वारा जमानत न लेने पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अटरू के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने श्री आर्य को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कब तक के लिए ?

श्री अध्यक्ष : कानून के अनुसार। जमानत पर छूटने की तो उनको छूट थी।

श्री भंवरलाल शर्मा : कब तक रिमाण्ड लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : रिमाण्ड नहीं है, ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा है। 15-20 दिन रह जायें वापस फिर आ जायेंगे। जमानत करवाई नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ज्यूडिशियल कस्टडी में कब तक रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जब तक जमानत नहीं लेंगे तब तक।

विधायी कार्य : वापस लिया गया विधेयक राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1983

विधायी कार्य—वापस लिये जाने वाला विधेयक। श्री हीरालाल देवपुरा, प्रभारी मंत्री।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, राजस्व) : आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान संशोधन विधेयक, 1983......

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक वापस किये जाने के कारण व आधार

श्री भंवरलाल शर्मा : पॉइन्ट ऑफ आर्डर।

मैं आपका ध्यान नियम 89 की तरफ दिलाना चाहता हूं :

Withdrawal of Bill : The member incharge of a Bill may at any stage of the Bill move for leave to withdraw the Bill on the ground that—

(a) the legislative proposal contained in the Bill is to be dropped; or

(b) the Bill is to be replaced subsequently by a new Bill which substantially alters the provisions contained therein; or

(c) the Bill is to be replaced subsequently by another Bill which includes all or any of its provisions in addition to other provisions;

and if such leave is granted on further motion shall be made with reference to the Bill.

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कोई भी माननीय सदस्य यदि किसी भी बिल को विथड्रॉ करेंगे तो इन्हीं ग्राउण्ड्स पर कर सकते हैं। यह जो निवेदन किया गया है विथड्रॉ करने के लिए इसमें कोई ग्राउण्ड्स दिये हुए नहीं हैं। जब तक ग्राउण्ड्स नहीं होंगे तब तक विथड्रॉ नहीं होगा। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है, जब तक ग्राउण्ड्स न दें तब तक इनको विथड्रॉ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हम दूसरा बिल ला रहे हैं इसलिए मैं इस बिल को वापस लेना चाहता हूं। दूसरा बिल लाया जाएगा, उसके लिए ऑर्डिनेंस में साफ है. कुछ संशोधन भी लाये जायेंगे, और भी दूसरी बातें हैं। दूसरा बिल लाना चाहते हैं इसलिए इस बिल को वापस लेना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त कारण है वापस लेने का।

वापस लिये गये विधेयक के प्रावधान को नये विधेयक में लिया जाना।

श्री कमलेन्द्र सिंह (कुम्भलगढ़) : मैं रूल 90 के तहत निवेदन करना चाहता हूं। इस बिल के अमेण्डमेण्ट में जो 37-ए ऐड किया गया है, उसमें स्वेच्छा से ग्रामदान से निकलने का प्रोविजन है। आपने नये बिल में प्रोविजन रखा है कि नहीं?

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपके सामने आ जायेगा अभी।

श्री कमलेन्द्र सिंह : विथड्रॉ तो आज कर रहे हो। हम तो ऑब्जेक्शन विथड्रॉअल का कर रहे हैं। इनका एश्योरेंस आ जाय कि 37-ए का जो प्रोविजन आपके इस बिल में है वह नये बिल में इन्क्लूडेड है कि नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नया बिल किस नाम से ला रहे हैं, कब ला रहे हैं?

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : कब तक ले आयेंगे? इस सत्र में ले आयेंगे या नहीं ले आयेंगे?

श्री जयकृष्ण शर्मा : नये बिल को इसी सत्र में ला रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या नाम है?

श्री कमलेन्द्र सिंह : मैंने प्रोविजन की बात कही है, यह प्रावधान है कि नहीं? इसी का ऑब्जेक्शन है रूल 90 के अन्तर्गत।

श्री अध्यक्ष : इसके सभी प्रावधान आपके सामने इस स्टेज पर रखे जायें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नियम 90 है :

"If a motion for leave to withdraw a Bill is opposed, the Speaker may, if he thinks fit, permit the member who moves and the member who opposes the motion to make brief explanatory statements and may, thereafter, without further debate, put the question."

(श्री अध्यक्ष)

मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि दूसरा विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। उस अवस्था में, मेरे ख्याल से उनको अनुमति दे दी जानी चाहिए।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान विधान सभा है, इसमें पहले जो बिल पेश किया उसको सोचे-समझे बगैर पेश कर दिया × × × यह छोटी-मोटी जगह तो है नहीं, जो आपने बगैर सोचे-समझे लाकर पेश कर दिया। अब जंचा नहीं तो विथड्रा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसी परिस्थितियों के लिए ही नियम 89 और 90 हैं। जो आप बता रहे हो वैसी परिस्थितियों के लिए है।

श्री महाराम चौधरी : पढ़े-लिखे हैं, कानून-कायदे के जानकार हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : रूल 89 में विथड्रॉ करेंगे तो विथड्रॉ के साथ ही रीजन देने चाहिए उनको।

श्री अध्यक्ष : दे दिए न रीजन। आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने उसका उत्तर दे दिया कि हम दूसरा विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। पर्याप्त कारण है, मैं समझता हूं, आपने जो पूछना चाहा था उसका स्पष्टीकरण आ गया।

वापस लिया गया विधेयक

राजस्थान ग्रामदान संशोधन विधेयक, 1989

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेता हूं।

प्रतिवेदन पर विचार

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त का छब्बीसवां व सत्ताईसवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमारे दल की तरफ से माननीय श्री समर्थ लाल जी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री समर्थलाल।

श्री महाराम चौधरी : पाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, आज ही तो रिपोर्ट मिली है और आज के आज ही विचार हो रहा है। ऊंवां खेतां जेठ पालनी वाली मन्शा है। कम से कम यह रिपोर्ट पहले हमको दे देते तो हम सही ढंग से बोलते अनुसूचित जाति वगैरह के लिये बहुत ही अच्छे सुझाव देते और जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिये उपाय बताते ताकि सरकार को भी।

श्री अध्यक्ष : दो प्रतिवेदनों पर विचार हो रहा है- 26 और 27 पर। 26 के ऊपर

(× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी अभिव्यक्ति)

70

(श्री अध्यक्ष)

पूर्व में काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कर दिये थे। इस पर अग्रेतर विचार हो रहा है। आप भी यदि इसमें कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह रिपोर्ट आज ही मिली है। इसलिये निवेदन किया था कि यह रिपोर्ट पहले मिल जाती तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थलाल।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर आज विचार हो रहा है। 1979-80 और 1980-81 की रिपोर्ट्स काफी अधिक पृष्ठों के अन्दर लिखी गई हैं।

(1·23 म. प.)

श्री हरीसिंह (कुम्हेर) (सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, पूर्व की परम्पराओं के अनुसार यह रिपोर्ट सदन के अन्दर आती रही है और सदन के अन्दर इन पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया जाता रहा है। जो कुछ भी इन जातियों की रिपोर्ट्स के बारे में हमारी विधान सभा में विचार-विमर्श किया जाता है या जो कुछ भी हम यहां बोलते हैं इन जातियों के बारे में, इनके उत्थान के बारे में, इनकी उन्नति के बारे में उसका कोई दिग्दर्शन या सार आगे आने वाली रिपोर्ट्स के अन्दर हमको दिखाई नहीं देता। सभापति महोदय, ये रिपोर्टें विधान सभा के अन्दर आती हैं, इन पर विचार होता है और विचार के बाद वही एक प्रकार की पुरानी परम्परायें और वही पुराना ढर्रा चलता रहता है। विधान सभा के अन्दर जो कुछ भी विचार होता है उन विचारों का न प्रशासन के ऊपर और न सरकार के ऊपर, मैं ऐसा मानता हूं, कोई असर पड़ता है। परम्परा के अनुसार एक आयुक्त होता है, वह अपनी रिपोर्ट देता है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, आज 1984-85 के अन्दर हम 1979-80 और 1980-81 की रिपोर्ट्स के बारे में विचार कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता, यदि आज 1983-84 की रिपोर्ट के बारे में हम विचार करते और उन विचारों से सरकार कुछ ज्यादा लाभ उठाती, उनके आधार पर कार्य करती और उन कार्यों के अनुसार राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लोगों के पुनर्वास के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, उनके विकास के बारे में कुछ बातें होती। वह रिपोर्ट लेट यहां पर प्रस्तुत की जाती है और लेट प्रस्तुत करने के बाद 4–5 सालों की बातों का आज हम विवेचन करें, आज हम यहां बात करें तो मैं समझता हूं कि उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। फिर भी, सभापति महोदय, इस रिपोर्ट को पढ़ने से जो जानकारी मिली है और जिस आयुक्त श्री शशि कुमार ने रिपोर्ट दी है उन्होंने इस के अन्दर इन जातियों की पीड़ा के बारे में कुछ उदाहरण दिये हैं उनके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान और सम्पूर्ण भारत के अन्दर जो कुछ भी इनके विकास के बारे में विचार किया जा रहा है, उसका कोई न कोई रास्ता बदलना पड़ेगा। आजादी

(श्री समर्थलाल)

के 35-36 सालों के बाद भी, सभापति महोदय, आज हम यह कह सकते हैं कि सरकार भी रिपोर्ट देती है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के बारे में, मंत्रीगण भी इनके बारे में कहते रहते हैं, सदन भी इनके बारे में चिन्ता करता रहता है, फिर भी, मैं समझता हूं, 35-36 वर्षों के बाद भी हम इस चिन्ता से घुटे हुए हैं कि इन लोगों का उत्थान, इन लोगों का विकास किस प्रकार से किया जाय ।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने जिन विचारों के आधार पर इन लोगों के उत्थान की बात कही थी, मैं समझता हूं महात्मा गांधी के सिद्धान्त थे और उन्होंने जो कुछ भी इनके उत्थान के कार्यक्रम बनाये थे, उन सिद्धान्तों का किसी सरकार ने पालन नहीं किया और कार्यक्रमों को इम्पलीमेन्ट करने वाली जो बॉडी है, प्रशासन है उसने उन कार्यक्रमों को नजरअन्दाज किया । आज हम कहते हैं कि राजस्थान में 50-55 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं । इनमें से राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जातियों और जन जातियों के 60 और 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं । इसके साथ ही हर राज्यों के आंकड़े हमें उपलब्ध होते हैं । आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जब हम इस प्रकार से इन लोगों के बारे में चिन्ता करते रहे हैं, तो चिन्ता होने के बाद भी हम इनका विकास क्यों नहीं कर पाये हैं, इनका उत्थान नहीं कर पाये हैं, इसकी गहराई में हमको जाना चाहिए ।

सभापति महोदय, इन जातियों के लिए अलग से निगम बने हुये हैं । इनके उत्थान के लिए करोड़ों रुपयों की धन सम्पत्ति का प्रावधान रहता है, वह धनराशि खर्च भी की जाती है और कुछ लेप्स भी होती है लेकिन जो धनराशि खर्च की जाती है इन लोगों के ऊपर उसका समुचित उपयोग होता है या नहीं होता है, यह एक विचारणीय विषय है । सभापति महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि इस रिपोर्ट को पढ़ने से यह आभास मिलता है कि इन लोगों के लिए जो कुछ भी धन का प्रावधान रखा जाता है उस प्रावधान के अनुसार इन लोगों के ऊपर खर्च नहीं किया जाता है । यदि कुछ खर्च भी किया जाता जाता है तो उस धन का मिसयूज अधिक से अधिक हुआ है । अनेकों रिपोर्ट पढ़ने से मालूम होता है कि जो आयुक्त हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स के अन्दर यह उल्लेख किया है कि राज्य सरकार और भारत सरकार इन लोगों के विकास के लिए, उत्थान के लिए जो धन खर्च करती है उसका आम तौर पर मिसयूज हुआ है और उस मिसयूज को आज तक नहीं रोक पाये हैं । सभापति महोदय, आप भी सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और हम भी रहते हैं । हम लोगों को अच्छी प्रकार से मालूम है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा इन लोगों को विकास के लिए धन दिया जाता है और आपकी जो को-आपरेटिव सोसाइटीज हैं उनमें भी इनको प्राथमिकता देते हैं । इसके अलावा स्कूलों के अन्दर, विश्वविद्यालयों के अन्दर इनको सुविधा दी जाती है और जो बड़े-बड़े डिपार्टमेन्ट्स हैं चाहे राजकीय उपक्रम हों, चाहे सरकारी कार्यालय हों, वह इनको अधिक मदद देते हैं । लेकिन यह सब कुछ होने के बाद भी यह सच है कि राजस्थान और हिन्दुस्तान में इस वर्ग की जितनी उन्नति होनी चाहिए वह उन्नति नहीं कर पाये । मैं समझता हूं कि हमारी

(श्री समर्थलाल)

जो योजनायें हैं उनमें या तो कोई डिफेक्ट हैं या योजनाओं को लागू करने करने वाली जो सरकारी मशीनरी है उसकी नीयत के अन्दर कोई डिफेक्ट है। सरकार इस सुविधा को लागू करती है प्रशासन के द्वारा, उस प्रशासन की नीयत में कोई डिफेक्ट है। कोई न कोई डिफेक्ट है जरूर, यही कारण है कि इन जातियों के ऊपर इतना धन खर्च होने के बाद भी हमारी चिन्ता बनी हुई है। हमारे राजस्थान के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर इतने वर्षों के अन्दर जैसा स्तर इनका होना चाहिए था वह स्तर नहीं हो सका है।

इस रिपोर्ट के अन्दर अनेकों प्रकार की दूसरी बातें और हैं। हर राज्य के अन्दर इन जातियों के ऊपर बलात्कार अधिक होता है, इन कमजोर वर्ग के लोगों के साथ होता है। लड़ाई-झगड़े ज्यादा होते हैं, मार-पीट ज्यादा होती है तो सबसे अधिक कमजोर वर्ग के लोगों के साथ होती है। किसी प्रकार की घटनायें हों, पुलिस के अगर जुल्म ज्यादा होते हैं तो इन्हीं लोगों के साथ होते हैं। इसी प्रकार जो हमारे समाज की धारणायें बनी हुई हैं, समाज की उन धारणाओं को हमको समझना चाहिये और इनको परिवर्तित करने का हमको उपाय करना चाहिए।

सभापति महोदय, इस रिपोर्ट के अन्दर बहुत सी बातें देखने को मिली हैं इन बातों के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो भी कार्यक्रम सरकार बनाती है, उन्हें बनाती तो है बड़े उत्साह के साथ, लेकिन उसी उत्साह के साथ उन कार्यक्रमों को लागू नहीं कर पाते। आज आंकड़ों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को हमने जमीन का आवंटन किया, हमने आवासीय भूखण्डों का आवंटन किया हमने बैंकों के जरिये और अन्य प्रकार की लाभ योजनाओं के जरिये भैंस-गाय दिलाकर इन लोगों के विकास के इतने काम किये। लेकिन अगर राजनीति से परे होकर के सामाजिक दृष्टिकोण से और न्याय के दृष्टिकोण से अगर हम गांवों में जा करके देखें, इसका सर्वेक्षण करें, इसकी जानकारी करें तो, सभापति महोदय, आज भी आपको यह देखने को मिलेगा, जो उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ, एक अनुसूचित जाति के आदमी को एक भैंस तीन हजार रुपये में दिलाई जाती है। उसमें 1500 रुपया अनुदान होता है और 1500 अनुदान का जो होता है। यह अनुदानतो सरकारी अफसर की जेबों में जाता है। उन्होंने इस प्रकार का धन्धा अपना रखा है कि वह रुपया उनकी जेबों में जाता रहा है। इस प्रकार का व्यवहार इन लोगों के साथ किया जा रहा है। मैं समझता हूं सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

दूसरा सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों के अन्दर जो आरक्षण की बात है, आरक्षण के सम्बन्ध में जो कुछ भी कानून में लिखा हुआ है उसके अनुसार हमको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। चाहे किसी भी विभाग के अन्दर आप जा करके देख लीजिये, हर विभाग में, यहां तक कि मैं इतना कहने को तैयार हूं कि समाज कल्याण विभाग में एक वर्ष पहले पूरा आरक्षण नहीं था। समाज कल्याण विभाग, जो केवल इन्हीं लोगों की देख-रेख का पूरा जिम्मा लेता है उसके

(श्री समर्थलाल)

अन्दर भी पूरा आरक्षण नौकरियों में नहीं। हालांकि नियुक्तियों के अन्दर आरक्षण किया गया, लेकिन नियुक्ति के बाद जो पदोन्नति होती है उन पदोन्नतियों के अन्दर सचिवालय के सचिव और कमिश्नर अपनी बुद्धि का ऐसा परिचय देते हैं कि किसी भी प्रकार से जो 40 प्वाइन्ट रोस्टर प्रणाली है उस रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदोन्नति नहीं होती। वह इस प्रकार का एक तरीका अपना लेते हैं, मान लीजिये कि अनुसूचित जाति का नाम दस नम्बर पर आता है और 6 नम्बर तक प्रमोशन कर दिया। मान लीजिये 17 नम्बर पर आता है तो 14 नम्बर तक के लोगों की वेकेन्सी निकालकर प्रमोशन दे दिया। इस प्रकार का भेदभाव सचिवालय के जरिये सचिवालय के बुद्धिजीवी लोगों के जरिये किया जाता है। मैं समझता हूं इसका हमको कारगर तरीके से मुकाबला करना चाहिये और रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदोन्नति करने की पूरी कोशिश करनी चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, सरकार यह कहती है कि हम समाज कल्याण मंत्री अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को ही बनाते हैं। यह ठीक है, उनको बनाते हैं, यह अच्छी बात है। उनके नीचे हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट रहते हैं। मैंने अधिकतर देखा है कि समाज कल्याण विभाग का डायरेक्टर या समाज कल्याण का सैक्रेटरी या कमिश्नर, समाज कल्याण मंत्री जी की बातों को नजर अन्दाज नहीं कर सकते। लेकिन यह मेरा आक्षेप है, सभापति महोदय, अब तक का जो अनुभव है वह बताता है, भीखाभाई समाज कल्याण मंत्री थे, अमृतलाल जी यादव समाज कल्याण मंत्री थे, हमारे दूलारामजी भी समाज कल्याण मन्त्री हैं, चेतराम जी भी शायद समाज कल्याण मंत्री रह चुके हैं वह अपने ही समाज का कल्याण मानते थे, दूसरों का नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो परम्परा है सचिवालय के अन्दर, सचिवालय के अन्दर जो बड़े-बड़े आफिसरों की धारणा है उस धारणा को हटाना चाहिए। इसके अलावा मुख्य मन्त्री लेवल पर एक कमेटी इस पर विचार करने को बनी हुई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को हर विभाग के अन्दर नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है, उनकी कानून-कायदे के अनुसार पदोन्नति होती है या नहीं। इस प्रकार की कमेटी मुख्य मन्त्री लेवल पर है। मुख्य मन्त्रीजी, मैं ऐसा मानता हूं जब से आप मुख्यमन्त्री बने हैं उस कमेटी की आज तक मीटिंग नहीं हुई। राजस्थान के विभागों के अन्दर कितने हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हैं जिन्होंने कायदे और कानून के अनुसार रोस्टर प्रणाली का पालन किया हैं. मैं समझता हूं इस तरह का सर्वे नहीं किया।

दूसरा मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, राजस्थान में जो न्यायिक सेवा है उस न्यायिक सेवा के अन्दर नियुक्तियां उस रोस्टर के अनुसार होती हैं लेकिन जो प्रमोशन होने वाली बात है, मुझे जानकारी मिली है न्यायिक सेवा के अन्दर प्रमोशन के अन्दर भारी घोटाले होते हैं। मैं समझता हूं हमारे जो समाज कल्याण मन्त्री हैं वह जागरूक हैं उनको चाहिए कि न्यायिक सेवा के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड

(श्री समर्थलाल)

ट्राइब्स के लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव को मिटावें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इन लोगों के विकास की बात करते हैं तो हमको सच्चाई से, लगन से और निष्ठा के साथ इन कार्यक्रमों का पालन करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, जहां तक इस देश के अन्दर आर्थिक और सामाजिक मसलों को हल करने का प्रश्न है, कांग्रेस ने राज प्राप्ति से पहले यह उद्देश्य लेकर इस देश के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। आजादी से पूर्व कांग्रेस ने···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : 62 साल तक संघर्ष किया था। उस महान् परम्परा के अन्दर न केवल आपको, हमको बल्कि किसी भी इतिहास के विद्यार्थी को और राजनैतिक व्यक्ति को यह पता है कि कांग्रेस ने अपनी सभी प्रकार की रीति-नीति, जिनमें सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक नीतियां भी शामिल थी, में यह स्पष्ट कहा था कि अंग्रेजों को देश की भूमि से बाहर निकालने के बाद किस प्रकार का इस देश में राज स्थापित करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, सन् 1947 में अंग्रेज बोरे-बिस्तर लादकर इस देश से कूच कर गये थे तो, माफ कीजिए, व किसी से पूछकर यह कहकर नहीं गये थे कि हम राज किसको दें, वह भारतीय जनता को वोट जैसी शक्ति देकर और फिर राज सुपुर्द कर गये थे वे हारकर कांग्रेस की झोली में राज डाल कर गये थे। हमारे देश के नेता जवाहरलाल नेहरू ने राज जब सम्भाला तो सामने प्रश्न यह आया कि लोग सिरफटोवल करते हैं एक-एक गांव के लिए, एक-एक इंच जमीन के लिये, राज का एक ऐसा आकर्षण है, माननीय सभापति महोदय, जो दुनिया में सर्वोपरि आकर्षण का केन्द्र है। यद्यपि पुरानी कहावत यह है कि आकर्षण के केन्द्र समाज में तीन हुआ करते हैं, जर, जमीन और जोरू। जमीन, धन और धरा, इन तीनों से भी सर्वोपरि आकर्षण का केन्द्र कोई है तो वह राज है। राज के सामने ये तीनों नतमस्तक होते हैं। जब से इस देश में राज व्यवस्था नाम की कोई चीज चली और तब से इसके मूल्य की और कोई शक्ति का लोगों को भान हुआ तो राज के लिये छीना झपटी शुरू हुई। सारा इतिहास बताता है प्राचीन काल, मध्य काल में इस राज के लिए क्या-क्या किया गया है। पास में राज आ जाय और कोई छोड़ दे या किसी को वितरण कर दे यह समझ में आने की बात नहीं है लोगों ने तो यह भी कहा था कि कांग्रेस को जब यह राज मिल गया था तो कांग्रेस अपनी इच्छा से कभी वापिस नहीं देगी, कब्जा करके बैठ जायेगी। अगर मध्य काल में यह राज्य आ जाता तो जो स्थिति तब बनी जब अंग्रेज राज छोड़कर गये थे तो यह नहीं आती। वह दूसरी स्थिति ही बनती। यह दूसरी बात है कि जनता से दुबारा संघर्ष करके राज

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

प्राप्त करने में कामयाब हो जाते। हमको अंग्रेजों से संघर्ष करने, राज प्राप्त में 150-200 वर्ष लगे, और राजाओं से संघर्ष करके आजादी प्राप्त करने में 50-100 वर्ष लग जाते। यह अलग बात है। मगर जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि कांग्रेस की एक परम्परा थी, कांग्रेस का एक आदर्श था उन आदर्श के आधार पर माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधान मंत्री बने थे। उन्होंने तुरन्त इस बात पर विचार किया कि इस राज का स्वरूप भविष्य में उस तरह का बनाया जाना चाहिए जैसा कि कांग्रेस ने अपनी रीति नीति और उद्घोषणाओं द्वारा प्रचारित व प्रसारित किया था। उन्होंने तुरन्त देश के महान् विद्वान्, देश के महान् विचारक, तपस्वी, देश के त्यागी मनीषियों और राजनीतिज्ञों की एक संविधान परिषद बनायी और देश के जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों को उसमें रखा और संविधान परिषद बनायी और आपको हमको पता है उन्होंने यह राज जनता को समर्पित कर दिया। आज आबादी 70 करोड़ की है जिसमें से 36 करोड़ के करीब मतदाता हैं यह कांग्रेस ने तय किया कि इस देश की मालिक आम जनता, आम वोटर होगा के लिए यह एक महान् उपलब्धि थी हमारे देश के लिए, हमारी पार्टी के लिए। जब राज कायम किया प्रजातन्त्र कायम किया पहला चुनाव सन् 1952 में हुआ और जब सरकार बनी तो उसके सामने उन सारे सिद्धान्तों को लागू करने का एक मुख्य प्रश्न आया जिनके लिए राज कायम किया गया था और हमारे संविधान में जिनके लिये समुचित व्यवस्थाएं की गयी थी। यह सोचा गया था पहले से ही कि इस देश के अन्दर बहुत साल से गुलामी है, बहुत गुलामी का कुछ लोग अर्थ लगाते हैं केवल बाहर से आने वाले शासकों खासतौर से अंग्रेज आदि के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि आम जनता के लिए यह गुलामी अंग्रेजों के काल से नहीं थी, उससे पहले वाला काल चाहे वह मुगलों का हो चाहे हूणों का हो, हमारे राजाओं का हो, मैं कहता हूं उस काल में जनता गुलाम ही नहीं होती थी उस वक्त लोगों को महाराजा की जय बोलने के अलावा कोई बात ही नहीं थी। मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अनन्त काल से हमारी जनता भारतीय जनता कुचली हुई, पीड़ित और शोषित, दबी हुई चली आ रही थी। उसमें कितने वर्ग बन जायेंगे, कितने प्रकार के वर्ग होंगे। स्थानीय छोटी-छोटी रियासतों में, छोटे-छोटे राज्यों में, छोटे-छोटे प्रान्तों में अलग अलग भाषाओं के हिसाब से राज्यों की व्यवस्था के हिसाब से जातियां, उपजातियां और बहुत से वर्ग बन गये थे जो कि सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से इतने पिछड़ गये थे कि उसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देते या हमारी सरकार उधर ध्यान नहीं देती। उनको हमारी सरकार वायदे नहीं करती कि उनको अपने बराबर लाया जायेगा और उधर ध्यान नहीं दिया जाता तो इस देश ने जो आज तरक्की की है उस स्थिति में कभी नहीं पहुंचता। कारण स्पष्ट है कि यदि किसी एक गाड़ी का एक पहिया नया है और दूसरा पहिया टूटा हुआ है तो उस गाड़ी का चाहे इन्जिन कितना ही बढ़िया हो वह गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। इसका कारण यह है कि उस गाड़ी का एक

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

पहिया काम ही नहीं कर रहा है। तो हमारे भारत के उन लोगों, जो हजारों वर्षों से दबे रहे राजनैतिक और सामाजिक कारणों से स्थिति खराब हो गयी थी। उनको यदि हम विशेष तौर से नहीं लें और उनको साधारण लोगों के साथ चलने की बात कहें तो वे चल ही नहीं सकते। इस तरह से सोचा गया और किया गया कि ऐसे लोगों को खास तौर से एक परिशिष्ट में इंगित किया जाना चाहिये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के नाम से उनको इंगित किया गया। अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग व्यवहार के हिसाब से अलग-अलग जातियां कई बन गयीं। कुछ जातियां ऐसी हैं जो देश व्यापी है मगर कुछ प्रान्त और इलाके वाइज भी हैं। इसी लिये हमको स्पष्ट करना पड़ा था। स्पष्ट बात यह है कि सामाजिक और राजनैतिक दबाव के कारण जो रुग्ण भाई थे जब तक हम उनको अपने स्तर, अन्य लोगों के स्तर पर नहीं लायेंगे तब तक देश की गाड़ी चल ही नहीं सकती थी। इसके लिये यह तय किया गया कि जो लोग दबे पडे हैं, जिनकी स्थिति खराब है, जो बीमार हैं उनको पहले औषधि देकर चंगा किया जाय। भला चंगा होने के बाद, उनके स्वस्थ हो जाने के बाद ही हमारी गाड़ी आगे खिसकेगी। इसलिये हमारे यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये यह व्यवस्था की गयी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये जैसा कि मैंने निवेदन किया, उस जमाने के अन्दर एक माहौल था दबे को दबाने वाला कि शक्तिशाली आदमी कमजोर को दबाता, इस तरह का शक्तिशाली अपना फर्ज समझता था। क्योंकि उस समय आम आदमी की कोई कीमत ही नहीं थी। बल्कि लोगों ने 'जानवरों की तरह' एक उदाहरण देना शुरू किया यह तो एक प्रकृति का नियम है कि शक्तिशाली कमजोर को दबाता है। पर मनुष्य जैसे बुद्धिजीवी को इस प्रकार का उदाहरण पेश करना कि शक्तिशाली कमजोर को दबाता है, उचित नहीं लगता है। आज के बुद्धिजीवी युग में यह जरूरी है कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली हो, किसी कमजोर को नहीं दबा कर और कमजोर भी शक्तिशाली के बराबर अपने अधिकारों का उपभोग कर सकेगा, ऐसा अवसर उसको मिलना चाहिये। आज के जमाने की बात थी जो हमने स्थापित की थी। माननीय अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जन जाति के भाइयों से खास तौर से लोग परहेज करते थे। इन लोगों की छाया तक अपने ऊपर पड़ने देने को तैयार नहीं थे। यह बात ज्यादा वर्षों की नहीं है, यह तो आज से 37 साल पहले की बात है। उस वक्त कुत्ते तो मोटरों में चलते थे, पर इन लोगों की यदि छाया भी पड़ गयी तो एक अपराध समझते थे और उस बेचारे को कठोर दण्ड दिया जाता था। एक मनुष्य, मनुष्य की छाया पड़ने के कारण अपने को अपवित्र मानते हुए, अपने को अपमानित मानते हुए खुद जाकर स्नान करता और उन बेचारों की यह स्थिति करता कि उसकी हिमाकत ऐसे कैसे हो गयी कि उसकी छाया उस व्यक्ति पर पड़ गयी। तो ऐसी स्थितियां बन गयी थी। ऐसी स्थितियों में भारतीय मतदाताओं में सामूहिक रूप से जिम्मेदारी का प्रजातन्त्र कांग्रेस

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

ने स्थापित किया था। उसके लिए यह जरूरी हो गया कि इन स्थितियों में परिवर्तन करें। आपने देखा है कि इन 37 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे देश में आया है। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबा नहीं सकता है। कांग्रेस ने इस बात का खास तौर से ध्यान रखा और उनको सामाजिक और राजनैतिक तौर पर सब को बराबर का दर्जा दिया। परन्तु यह भी सोचा गया कि बराबर का दर्जा देने के लिये उनको आर्थिक दर्जा भी समान दिया जाना चाहिये। आर्थिक पिछड़ापन उनके आर्थिक मापदण्डों से, उनके रोजगार से, उनकी क्रय शक्ति से, उनके जीवन यापन करने के तरीकों से जुड़ा हुआ है। हम कितना ही किसी को राजनैतिक या सामाजिक बराबरी का दर्जा दे दें परन्तु उनकी आर्थिक हालत हम नहीं सुधार सके तो सभापति महोदय, वह अपने अधिकारों का उपयोग खुद ही करने लायक बन सकेगा इसलिये हमने और कांग्रेस ने सबसे पहले यह सोचा कि इनकी आर्थिक स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन किया जावे। उसका नतीजा आपके सामने आया है। माफ कीजिये मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, यह बात सन् 48-49 की है उस वक्त ढेबर आयोग आया था। सन् 52 के पहले की बात है उस वक्त ढेबर आयोग यह जांच करने के लिये आया था। मुझे जयपुर जिले की बात याद है इस जिले के मन्दिरों में मीणों की खासतौर से रिजर्वेशन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए चर्चा की गयी थी, शायद यह बात पूर्व वक्ता महोदय को भी याद होगी। आयोग के सामने एक प्रस्ताव रखा गया। अनुसूचित जन जाति में मीणा जाति के लोगों को प्रवेश दिलाने के लिए। मैं समझता हूँ आज उन लोगों की जनसंख्या 70-80 लाख की है पर उस वक्त राजस्थान में उनकी जनसंख्या 40 लाख के लगभग थी। उन चालीस लाख लोगों में, सभापति महोदय, जांच और सर्वे करने के बाद एक भी व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं मिला, एक भी आदमी डाक्टर या इन्जीनियर या वकील नहीं मिला। तो यह स्थिति जब देखी गयी कि इतने बड़े वर्ग के लोगों में इतना पिछड़ापन है तो इस पिछड़े वर्ग को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के वर्ग में लिया गया। मैं थोड़ी सी बात में बताना चाहता हूं मेरे से पूर्व वक्ता महोदय चाहे कोई कमी, खामी निकाल रहे हों परन्तु उनको भी मालूम है कि एक ही परिवार में चार भाई हैं उसमें से दो भाई आई. ए. एस. हैं और दो भाई आई. पी. एस. हैं। चारों के चारों ही बड़े हैं। आज 37 सालों के परिवर्तन में यह आपको देखने को मिल रहा है। राजस्थान के अन्दर सर्वे करने के बाद कि इस वर्ग के लोगों में एक भी इन्जीनियर नहीं था, एक भी डॉक्टर नहीं था और एक भी ग्रेजुएट नहीं वहां पर आप देख लें, चार भाइयों में से दो भाई आई. ए. एस. और दो भाई आई. पी. एस. हैं। यह कांग्रेस के शासन का ही कमाल है। हालांकि यह उदाहरण मैंने दिये हैं पर एक बात देखने में आती है कि कितनी ही मदद देने के बाद और कितना ही ऊपर उठाने के बाद भी एक बात इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के भाइयों में है कि वह लोग खुद ही ऊंच-नीच की भावना से और छोटे-बड़े की भावना से नहीं निकल पाये हैं। दूसरा नहीं कर पा

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

रहा हो वह बात तो समझ में आती है। कोई पंडितजी या ठाकुर साहब भंगी को नीची दृष्टि से देखता है, उनका अभी भी दिमाग खराब हो तो मैं समझता हूं कि यही हो सकता है कि पुराने जमाने की कोई बात याद रह गयी होगी परन्तु यदि एक बलाई खटीक के हाथ का पानी नहीं पीये और खटीक भंगी के हाथ का पानी नहीं पीये और भंगी के जाते ही होटल के अन्दर दूसरे हरिजन छात्रावास के लडके इधर-उधर जाने की बात करने लगें तो बड़ी सोचने की बात है। इसलिए मैं तो एक यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी और हमारी सब की जिम्मेदारी है। मैं इससे केवल बरी नहीं हो सकता। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग स्वयं भी अपनी धारणाओं से बाहर निकल जायेंगे, बाकी के लोग, जो राजनीति में काम करते हों, की जिम्मेदारी है, चाहे वह इस बैंच पर बैठे हों या उस बैंच पर बैठे हों। यदि उनके इलाके में इस तरह का व्यवहार है तो उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो यह कहता हूं कि ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जिस चुनाव क्षेत्र के अन्दर आज भी मतभेद उग्र स्थितिमें चल रहे हैं वहां के नुमाइन्दों पर भी चार्ज लगाना चाहिए, उनको भी चार्जशीट दी जाये। वहां के विधायक और संसद सदस्य को चार्जशीट क्यों नहीं दी जाये? सामाजिक कार्यकर्ता, जो लाइन पर आ चुके है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और आज इतने सालों बाद भी इन जातियों के प्रति वातावरण इस प्रदेश का नहीं बदल रहा है तो क्या उनके लिए यह सोचनीय नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ऐसे कुछ उदाहरण जरूर मिलते हैं फिर भी यह जरूर सन्तोष की बात है कि हम पहले ही बड़ी तेजी से आगे बढ़ जा रहे हैं। आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति सिर उठाकर केवल सब के बराबर बैठता ही नहीं बल्कि अवसरों का लाभ उठाकर आज की राजनीति और सामाजिक स्थिति में निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा है। आज साधारण तौर पर समाज में यह कहने को नहीं है कि अमुक जाति का और वर्ग का है। हां, यह बात जरूर है जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है इसके पक्ष और विरोध करने, दोनों ही तरह की बातों में कुछ न कुछ एक प्रकार से दुराग्रह है। यह बात ठीक है कि उन लोगों के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है जो बहुत पीछे रह रहे हैं। उन आदमियों, जिनको लम्बी दूरी तय करनी है, की रुग्णता को हटाकर उनको स्वस्थ करना पड़ेगा। लेकिन यह भी ठीक है कि क्या इसका समुचित लाभ उठाया गया है? आप विचार करते हैं, जैसे जाति विशेष में से भी कुछ लोगों ने ठेका ले लिया हो सारे रिजर्वेशन का। यह देखना चाहिए कि आम आदमियों के सामने वह दीवार तो नहीं बन गये हैं। जैसे कि अन्य समाज के लोग आगे दीवार माने जाते थे, कहीं उस समाज के कुछ लोग आज थोड़े से आगे बढ़ गये, उन्होंने कहीं दीवार तो नहीं खींच दी है ताकि पीछे वाले उसी स्थिति में पड़े रहें और उसके पीछे कुछ परिवार ही लाभ उठाते रहें। मैं समझता हूं कि इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। इसका एक छोटा सा तरीका है। बहुत साधारण तरीका है। हम इसको दूर कर सकते हैं। आवश्यक केवल यह है कि एक समर्थ लाबी हो। इसलिए चाहे विरोधी पक्ष की बात

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

हो या शासन पक्ष की बात हो, आज अगर हम इस बात को चलाते हैं तो यह बुरी बात है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी भारत सरकार ने इशारा भी दिया है मगर उसका दुरुपयोग शुरू हो गया है। क्योंकि चुनाव सामने है इसलिए विरोधी पक्ष में जो मित्र लोग बैठे हैं, यह तो मेरे भाई हैं इनके प्रति कोई कटाक्ष नहीं है लेकिन भारत सरकार ने इशारा दिया है कि जो लाभ दिया जायेगा वह आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर दिया जायेगा, यह भारत सरकार की मंशा को इंगित करता है, लेकिन इनके सारे बड़े नेता ने उसका राजनैतिक दुरुपयोग शुरू कर दिया है और यह कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से रिजर्वेशन कर देंगे तो फिर आम लोगों के लिए रिजर्वेशन हट जायेगा। यह जानते हैं कि गरीबों को तो फिर भी मिलेगा लेकिन उनको नहीं मिलेगा जो कि आगे बढ़ गये है। हमें बिना पार्टी के सोचना चाहिए देश को बनाने के लिए। उसमें एक यह पाइन्ट भी है कि रिजर्वेशन का लाभ आम लोगों को मिले ही लेकिन क्या आगे आने वालों के लिए हो गया जिनको कि जरुरत नहीं है? स्पष्ट तौर पर बात है कि जो बीमार नहीं है उसको दवा क्यों दें। नियम की बात है कि बीमार को दवा देंगे। चाहे हमको घर के सारे बजट को काटना पड़े लेकिन पहले बीमार को दवा देंगे। लेकिन जब बीमार स्वस्थ हो जाता है और दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, छलांग मारता है और हाई जम्प करने लग जाता है उस वक्त भी दवा चालू रखें तो उसमें कोई तुक नहीं है। हम को एक बात करनी चाहिए कि जो इन्कम टैक्स देता है ऐसे व्यक्ति के लिये यह माना जायेगा कि वह समर्थ है। आज उन व्यक्तियों की कम से कम लाखों बन चुकी हैं। हाई-जम्प करने वाले तो बैठ चुके हैं तो ऐसे बैठे हुए को दवाई क्यों दें। बाकी के लोग को दें जिनको इसकी जरूरत है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमको बहुत जल्दी यह स्थिति लानी पड़ेगी और लाना भी चाहिए। रिजर्वेशन केवल उसी [illegible] को मिले जो कि समर्थ नहीं रहा। कोई आदमी मदद के लिए अपने से यह नहीं कहेगा कि मुझे मदद दो। सच बात तो यह है कि मदद लेने वाले को भी यह अच्छी बात नहीं लगती है लेकिन लाचारी है। कोई यह चाहेगा कि मुझे बीमार मानते रहो और दवा देते रहो? किसी भी आदमी के लिये डाक्टर के पास जाना और अधिक पट्टी बधाना, अधिक इमरजैन्सी वार्ड में रहना अच्छी बात नहीं है। वह कभी नहीं चाहेगा। वह तो जल्दी से जल्दी खुले आसमान में, खुली हवा में सांस लेने की बात सोचेगा लेकिन जब तक मजबूरी है तब तक इमरजैन्सी वार्ड में उसको रहना पड़ेगा, दवा भी लेनी पड़ेगी और डाक्टर के चक्कू के नीचे भी रहना पड़ेगा। इसलिए वह स्वीकार करता है कि उसको मदद दो ताकि वह दूसरों के बराबर आ जाये। अगर हमारी कहीं शिथिलता है तो और तेज करना पड़ेगा चाहे अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो हमारी सहायता में कहीं कमी खामी है तो उसको ठीक करना पड़ेगा।

(क्ष)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

समाज कल्याण मंत्री जी भी बैठे हैं हमारे। उनको सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा-दीक्षा पर जोर देना पड़ेगा। बहुत दिनों से मैं जानकारी करता हूं तो ऐसा लगता है, जब हम चर्चा करते हैं नये छात्रावास खोलने के लिये कहते हैं सरकार तो समाज कल्याण मंत्री जी कहते है सोच रही है। मैं कहता हूं कि सरकार क्या सोच रही है। सरकार की सम्मिलित जिम्मेदारी है। जब तक लोग शिक्षित नहीं किये जायेंगे तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए बात सबसे ज्यादा शिक्षा की है और उस में भी जो झोंपड़ी में रहते हैं उनकी बात हैं। मेरे क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई और हरिजन परिवारों के मकान सारे आग में स्वाहा हो गये। यह बात मैं बीच में इसलिए कहना चाहता हूं कि वहां का छोरा क्या पढ़ेगा। उसकी किताबें पार, जल गयीं। उसकी क्या स्थिति होगी। खेत में मजदूरी करेगा। पूरा परिवार और गांव स्वाहा हो गया। देखते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। वे दयनीय स्थिति में खुले आकाश के नीचे बैठे हैं। अब हम अपेक्षा करें कि वह स्कूल में पढ़कर दूसरे सफेद पोश लड़कों के-बराबर कम्पटीशन में भी आ जायेगा तो यह अन्याय और ज्यादती होगी उन लोगों के लिए। इसलिए जो रिजर्वेशन के पूर्णयता विरोधी हैं उनको मैं सावचेत करना चाहता हूं, क्या आप आशा करते हैं कि वह उन बच्चों के मुकाबले में आ जायेगा? इसलिए उनको मदद देनी ही पड़ेगी और निश्चित रूप से उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जमवारामगढ़, जो कि इतना बड़ा चुनाव क्षेत्र है, जयपुर के नजदीक और एशियाड होने के बाद भी उसको दुनिया जान गयी है और रामगढ़ का पानी पी पी कर राजनेता महोदय और सारे आफिसर्स जयपुर में बैठे कर राज करते हैं। आज जमवा रामगढ़ में कोई छात्रावास नहीं है। अब आप बताये कि पिछड़े हुए क्षेत्र के बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? क्या आप रिजर्वेशन दो सौ वर्ष तक जारी रखेंगे? इतने गरीब घर का बच्चा है कि उसके पढ़ने का सवाल नहीं। ज्यादा से ज्यादा वह बच्चे पढ़ेंगे तो दूसरी या तीसरी क्लास तक। पढ़ने का वातावरण ही नहीं है। ऐसे लड़कों के लिए वातावरण ठीक करने के लिए और विद्या अध्ययन करने के लिए जो हमने व्यवस्था जारी की है उससे एक प्रकार से आदर्शवादिता कायम नहीं कर सकेंगे।

मैं कहता हूं ऐसे सब लड़कों का सर्वे होना चाहिये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जिन घरों में कुछ व्यवस्था नहीं है उन सबको हम कैसे स्कूलों में भर्ती करें और उनके बच्चों के पढ़ने लिखने, खाने-पीने की, किताबों की और कपड़े लत्तों की ठीक से व्यवस्था कैसे करें। यह ठीक है कि बहुत से बेरोजगारों के लिए मदद की जरूरत है और हम दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले यह देख लें ताकि भविष्य में यह स्थिति नहीं रहे कि ये बच्चे कमजोर रह गये। सब लोगों को बराबर करने का एक ही तरीका है कि आप उन सबको बराबर लायें, उनको पूर्ण संरक्षण देते हुए और उन पर शत-प्रतिशत खर्च करते हुए क्योंकि वे अपने घर से कोई खर्चा देने की स्थिति में नहीं हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने जो रोजगार देने की व्यवस्था की है यह

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

किन लोगों को मिल रहा है। यह भी आप अच्छी प्रकार से देख लें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को मिल रहा है या नहीं? इसमें भी कोई हेरा फेरी करता है तो उसको ठीक करना चाहिये। आज जो बेरोजगारों के लिये रोजगार खोलने की व्यवस्था है, उससे वे लोग इतना ही लाभ उठा सकते हैं कि साधारण रोटी-कपड़ा अपना चला सकें। बच्चों को पढ़ा नहीं पायेंगे। इसलिए उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

एक मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं गांवों के अन्दर कि यदि कहीं वे पानी के लिये जाते हैं तो भले आदमी कहते हैं और खुले आम कहते हैं कि कुये नहीं हैं हैण्ड पम्प लगवा दें। यह देखने की बात है कि वे अलग से कुए की मांग करें। यह मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इसको कहीं न कहीं जोड़ना चाहिये। आज भी गांवों में कुए हैं तो उनसे उनको पानी भरने क्यों नहीं दिया जाता है, उस बेचारे की क्या मजबूरी है, यह भी अधिकारियों को देखना चाहिये। मैं कहता हूं उस गांव का एम. एल. ए., एम. पी., प्रधान और प्रमुख इन सबकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि इस प्रकार का अन्तर न रहे।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक इन लोगों को आर्थिक मदद देने का सवाल है, कुछ लोग आड़े आ रहे हैं, खास तौर से वे लोग आड़े रहे हैं जो प्रतिक्रियावादी हैं। यह भी सही है कि उनको वोट लेने पड़ते हैं इसलिये गरीबी का नारा सब देते हैं, यह उनकी अपनी मजबूरी है। राजा, महाराजा, धन्ना सेठों को भी आम गरीबी की भाषा में बात करनी पड़ती है लेकिन जब अन्तर होता है उनकी कथनी और करनी में तो गड़बड़ होती है। मनसा वाचा कर्मणा जो एक होता है, उसकी जबान में वजन होता है। अगर निबत नखराब होती है तो बात दूसरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में गरीबी की भाषा का उपयोग करते हैं, बाकी वे होते नहीं हैं। वे यह नहीं चाहते हैं कि ये लोग तेजी से आगे बढ़े और वे भी बराबरी करने लायक हो जायें। वे लोग करते क्या हैं, सीधे तो कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन जो हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम है, क्योंकि वे बुद्धिजीवी लोग हैं और कुछ समर्थ लोग भी हैं वे ऐसी कोशिश करते हैं कि जो लाभ सरकार उनको देना चाहती है वह न पहुंचे। इसलिये हमको मोनिटरिंग तेजी से और सबल तरीके से करना पड़ेगा। यदि इन लोगों को भी कहीं घपले नजर आ गये तो सम्बन्धित वितरण करने वाले अधिकारियों पर 468, 420 के केस बनाने होंगे, बदमाशी करने वाले अधिकारियों के साथ दृढ़ता से निपटना होगा और उससे भी ज्यादा के केस बनाने होंगे।

देखने में यह आता है कि कुछ ऐसे बदमाश और कुछ ऐसे तत्व, अधिकारी मिलकर राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग करके काम करते है जिससे उनको दी जाने वाली मदद उनको पूरी नहीं पहुंच पाती है। हमारा मोनिटरिंग तेज होना चाहिए, नियमों में बांध देना चाहिये कि वे अधिकारी उसके लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे जो इस प्रकार

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

की गड़बड़ियां करते हैं अथवा गड़बड़ियों में मदद करते हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये खास तौर से जो हमारी साइड के हैं; जयपुर जिला और पूर्वी राजस्थान में मीणा भाई हैं परन्तु दक्षिण राजस्थान में जो आदिवासी इलाका है, जिनमें गिरासिया व भील हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं समझता हूं और जहां तक मुझे ध्यान है हम उनकी स्थिति नहीं सुधार पाये हैं। जो पहाड़ी इलाका है उसको हमने अलबता ट्राइबल फन्ड में लेकर कुछ विशेष कार्यक्रम उसमें चालू किये हैं लेकिन उसकी गति भी पर्याप्त नहीं मानी जा सकती है। इसलिये उनको जल्दी लाइन पर लाने के लिये और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। आज भी स्थिति यह है कि आदिवासी भाई को साधारण तौर से दो रोटी मक्के की मिल जाये तो ठीक समझ लेता है, और नहीं तो जंगल से फल फूल खाकर ही सन्तोष करने वाली बात है। उनके लिये भी हमें ठीक से व्यवस्था करनी चाहिये।

हरिजनों का जहां तक ताल्लुक है, मैंने निवेदन किया, हरिजनों के लिये छात्रावासों की व्यवस्था माननीय समाज कल्याण मंत्री जी करेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जनरल स्कूलों में भेजकर आप अपेक्षा करते हैं वह ज्यादती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बच्चे हैं वे कितनी ही संख्या में हों, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो, उनके लिये छात्रावासों की व्यवस्था करनी चाहिये। एक-एक तहसील में जो ट्राइबल्स के इलाके हैं वहां आपने छात्रावास खोले है और बिल्डिंग में आपने 6-7 लाख लगाये हैं लेकिन अभी तक तो आपके अफसर समझ नहीं पाये हैं कि क्या करना है, और किस प्रकार सदुपयोग करना है। आपने उनके लिये बजट अलाट किया है लेकिन अभी तक सामान नहीं दे पाये हैं। गये महीने तक मुझे पता है छात्रावासों में एज्यूकेशन वाले कुछ नहीं कर पाये हैं। इसलिये इसमें भी आपको दुबारा से कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक तहसील में एक आश्रम व स्कूल खोलकर सन्तोष नहीं कर सकते है। इसके लिये लार्ज स्केल पर व्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा।

मैं आपसे निवेदन करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछड़े हुए लोगों को बराबर लाने के जो कार्यक्रम हैं उनमें न तो राजनैतिक बाधक होंगे और न और कोई बाधक होंगे। यह ठीक है कि कुछ खामियां हैं लेकिन उसको सुधारने के भी हमें प्रयत्न करने होंगे। एक हमारी यह भी बीमारी है कि कहीं कुछ भगवान भरोसे हो गया और जरा सी हड़ताल हो गई तो सामने बैठने वाले बैन्च वाले उनके संरक्षक बन जाते हैं।

महंगाई का जहां सवाल आता है, तो एक संगठित प्रयास होता है और उनकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। सर्विसेज के जरिये ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं लेकिन उनके आर्थिक स्तर को सुधारने के लिये

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

कोई नहीं पहुंच पाता है। मेरा निवेदन है कि जो हमारा ग्रोजार है उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करें। हिन्दुस्तान का सारा पढ़ा लिखा तबका जो बुद्धिजीवी है, नौकरी में चला जाता है, मक्खन वर्ग है वह तो सर्विस में पहले से ही बैठा है कहीं उसमें जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो या कोई कमी रह गई तो वे सामने वाली बैंच तक पहुंच जाते हैं।

मैं इतना ही निवेदन करके ग्रपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि इस मामले में क्योंकि इस देश के हर ग्रादमी को बराबरी की लाइन पर लाना है, उनको उचित समय पर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा देना है पर हम यह जरूर करना चाहते हैं कि चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य ग्रौर शिक्षा का मामला हो उसमें भैंरूलाल भारद्वाज ग्रौर एक भंगी के लड़के में कोई ग्रन्तर नहीं रहना चाहिए। इस बात को राजनीति से ऊपर उठकर हमको सभी मित्रों को सोच-समझ कर इस मामले में सहयोग करना चाहिए। जो सरकारी स्कीमें हैं, भारत सरकार ने ग्रौर देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर उनको ऊपर उठाने के लिए कदम उठाए हैं। मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम लेता हूं तो मेरे मित्र उनका नाम सुनते ही चौंक उठते हैं। चुनाव का समय नजदीक ग्राते ही, उनका नाम ग्राते ही भड़क जाते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी देश की एक ऐसी नेता ग्रौर प्रथम प्रधान मन्त्री हैं जिन्होंने इस मामले में पहल की है। उसने सार्वजनिक विकास के कार्यों के ग्रतिरिक्त यह जरूरी समझा कि ग्राप चाहे कितनी ही सड़कें बना दें, कितने ही स्कूल बना दें, कितने ही ग्रस्पताल खोल दें लेकिन यदि व्यक्ति की ग्रार्थिक स्थिति को डायरेक्ट मदद करके ऊंचा नहीं उठाया तो वह इसका उपयोग ही नहीं कर सकेगा। ग्राप चाहे कितनी ही सड़कें डामर की बना दें उन पर चलेगा कौन? जिसके पेट में रोटी नहीं होगी तो वह उन पर चलेगा कैसे? ग्राप चाहे कितने ही स्कूल खोल दें लेकिन उसकी बच्चों को पढ़ाने की स्थिति नहीं होगी तो वह ग्रपने बच्चे को स्कूल भेजेगा कैसे? इसलिए मैं ग्रापसे यही कहना चाहता हूं, ग्रादरणीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति को इन्दिरा गांधी ने पैदा किया है, शुरुग्रात की है ग्रौर उस व्यक्ति को डायरेक्ट लाभ मिले, इसका प्रयास किया है। उसके पास रोजगार के साधन होंगे तो उसकी जेब में पैसा ग्राएगा ग्रौर जब पैसा ग्राएगा तभी वह इनका उपयोग कर सकेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। ग्रार्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी : ......ग्रभी तो उसके बचने की सम्भावना ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : महारामजी तो महारामजी ही हैं बड़े ग्रादमी हैं, नाम ही उनका महाराम है इसलिए मैं समझता हूं ग्रौर वे स्वयं ही जानते हैं। मेरे ख्याल से ......

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठे बातें नहीं करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : महारामजी मेरे भाई हैं। कभी-कभी जब वे किसानों के हित की बात बोलते हैं तो मुझको अच्छा लगता है लेकिन कई बार मैं देखता हूं कि किसानों के अन्दर भी कुछ ऐसा वर्ग है जो सीलिंग कानून के तहत न मालूम महाराम या हेमाराम की जगह गेंडाराम बन कर जमीन दबाए हुए हैं और जिनको जागीरदार या बड़े लोग कहते हैं वे हम किसानों में भी हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करता हूं और सभी से हाथ जोड़ कर यह अपेक्षा करता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण अपना कर चलें और उनको इतनी मदद दें कि वे हमारे बराबर आ जावें। उनके जीवनयापन के लिए जो मौलिक मूलभूत आवश्यकतायें हैं वे उनको तुरन्त मुहय्या हो जावें इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं।

धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री पीरूरामजी,

(अनुपस्थित)

श्री भैंरूलाल मीणा,

(अनुपस्थित)

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज हमारे सामने अनुसूचित जाति और जन जाति की रिपोर्ट 78-79 तक की प्रस्तुत की है, मैं इस मौके पर जन जाति के बारे में, अनुसूचित जन जाति के बारे में अपने विचार रखूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जन जाति के लिए हमारी सरकार ने जो एक कार्यक्रम बनाया है, इन गरीबों के लिए और इन लोगों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया है वह बड़ा अमूल्य है। लेकिन उसको, काम को किस तरीके से, किस ढंग से आगे लावें, इस देश के रहने वाले गरीब लोगों की, अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को इससे फायदा मिले इस बारे में विचार करना है। मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि मैं उस क्षेत्र से आया हूं, मैं उस क्षेत्र में रहता हूं जो आदिवासी बाहुल्य है। उदयपुर डिविजन के सारे इलाके में वह क्षेत्र ऐसा है जो पूर्ण पहाड़ी है, दर्रों के बीच में है और उन पहाड़ियों में रहते हैं हम। पहले तो हम लोग, आजादी के पहले राजा महाराजाओं से पिछड़े हुए थे। उस समय में हमें आगे बढ़ने का जो मौका मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे आदिवासी बाहुल क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले बेरोजगारी मिटाने के बारे में विचार करना चाहिए। बेरोजगारी किस तरह से दूर हो सकती है, सभापति महोदय। सबसे पहले तो वहां पर छोटे उद्योग खोले जावें, लघु उद्योग खोले जावें और आवागमन के

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

साधनों के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है उसका उपयोग तभी हो सकता है । साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. सभापति महोदय, कि एक समस्या हमारे सामने है। उस एरिया का आदिवासी हरिजन पहले तो महाजन के कर्ज से दबा हुआ था, महाजन के चंगुल में फंसा हुआ था, यहां तक कि उसकी भैंस तक उसके पास गिरवी रखता है। अब हमारी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, उनको आगे बढ़ने के लिए फायदा दिया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय। जो कई लोगों ने पुराने कर्ज ले रखे हैं उन कर्जों को वे भर नहीं पाए हैं। अब हमारी सरकार जो नयी सुविधा दे रही है, अनुदान के रूप में पैसा दे रही है लेकिन जब तक पहले का कर्जा, पुराना कर्जा नहीं चुका देते नया कर्जा नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से हर वक्त कहता हूं और इस वक्त भी कहना चाहता हूं कि आप किसी तरह से पुराना कर्जा माफ करिये और नया कर्जा देकर, उनको अनुदान देकर लाभ पहुचायें तभी वे अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ अब मैं आपको शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि उदयपुर डिविजन के जो आदिवासी हैं उनके पास न तो जमीन है, न उतना पैसा है जो अपने बाल-बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। अभी हमारी सरकार ने स्कूल तो बहुत खोले, शिक्षा का प्रसार भी बहुत किया लेकिन जहां पर स्कूल खोलते हैं वहां पर स्कूल का भवन बनाने की जिम्मेदारी वहां के लोगों की है। हम भवन नहीं बना सकते क्योंकि चन्दा देकर और श्रमदान देकर इसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते और न हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाई के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और जगहों पर है वही हमारे इलाके में भी होनी चाहिए। सरकार भवन बना कर दे तभी हमें फायदा होगा और हमारे बच्चे बढ़ सकेंगे, शिक्षा पा सकेंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं।

इसी के साथ सभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या जो है उस क्षेत्र में वह यह है कि उस क्षेत्र में जब-जब अकाल पड़ते है तो सरकार काम खोलती है, आवागमन का काम है, रोड का काम है वह लेती है, सड़कें निकाली जाती हैं लेकिन उनकी हालत इतनी खराब है कि तहसील हैड क्वार्टर पर जाने में भी असुविधा है। जब तक सड़कें नहीं बनेंगी, आवागमन के साधन नहीं होंगे तब तक उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जो उनको अनभिज्ञ रखने की बात है, वह दूर नहीं कर सकेंगे।

सभापति महोदय, छोटे बांध के लिए मैंने गत सत्र में भी निवेदन किया था सरकार से कि बहुत ज्यादा पानी सीधा समुद्र में बह कर चला जाता है उसको रोकिए। पानी को रोकने से कुओं में पानी बढ़ेगा जिसके आधार पर वे सिंचाई कर अपनी रोजी चला सकते हैं। सिंचाई के

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

साधन के साथ-साथ बिजली की भी बात है। बिजली का तो भगवान ही भरोसे है। आप जब आंकड़े देते हैं मैं कहना चाहता हूं जिस तरह के आंकड़े आते हैं, हम लोगों को दिए जाते हैं, आदिवासियों को एक को भी मेरे जिले में कनेक्शन नहीं दिया। आप भेज दें कोई जांच करने वाला हो तो। तीन साल में एक भी आदिवासी को कनेक्शन नहीं दिया है। लोग कहते हैं कि हम भूखे हैं, एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई के लिए हमें बिजली दीजिए। हमारी सरकार के सामने मैं हमेशा कहता हूं, प्रस्ताव रखता हूं लेकिन आज तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। हरिजनों के लिए बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। जो दूसरी बस्तियां हैं दूसरे लोग हैं, सम्पन्न लोग हैं उनके घर में तो बिजली है लेकिन आज जहां हरिजन बस्तियां हैं वहां पर बिजली नहीं है। आप आंकड़े लाते हो, बातें करते हो हमें यह कहना है वह करना है, विकास कर लिया। लेकिन सही मायने में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अधिकारीगण सरकार को जो आंकड़े पेश करते हैं वह सही नहीं हैं। मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत कहना चाहता हूं, यदि सही स्थिति बतानी है तो एक गांव हो तो आप एक बता दीजिए दस मत बताइये। सरकार को अंधेरे में रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह बात आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं सरकार ध्यान दे। ध्यान देकर इस काम को आगे बढ़ाये। जो फायदा गवर्नमेंट दे रही है, आदिवासियों को आगे बढ़ाने की जो स्कीम्स हैं वह दें। मैं मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं जब 80 में एम. एल. ए. बना, 1967 में मैं एम. एल. ए. बना तब से मेरे क्षेत्र के बारे में मांग करता आ रहा हूं। सराड़ा क्षेत्र ऐसा है, जो भीलवाड़ा जिले से मिला हुआ है। हमको सलूम्बर कोर्ट में जाना पड़ता है और इधर उदयपुर कोर्ट में जाना पड़ता है। वहां से 47 माइल तो उदयपुर है। सलूम्बर ऐसा एरिया है कि एक जो बड़ी नदी जयसमन्द के पीछे से होकर जा रही है, बारिश के टाइम में आवागमन का रास्ता बन्द हो जाता है। बरसात के दिनों में एक भी आदमी कोर्ट में पेशी पर हाजिर नहीं हो सकता है। इससे लोगों को, गरीबों को दण्डित होना पड़ता है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि आज मेरा प्रश्न था, इन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई व्यवस्था ही नहीं है। सभापति महोदय, वहां पर एस. डी. ओ. का पुराना आफिस है। एस डी. ओ. का मकान भी है। जयसिंहपुरा में इतनी सारी जमीन है, नया भवन बना हुआ है, मकानों की कोई कमी नहीं है। दस मुन्सिफ कोर्ट भी स्थापित हों तो भी कोई कमी नहीं आयेगी। लेकिन आज सरकार की जानकारी में नहीं है, इस तरह का जवाब सरकार हमको दे। जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है वहां आदिवासियों की स्थिति में जन जाति क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सुधार करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं सरकार से, सरकार आंखें खोलकर देखे, कानों से सुने, सुनकर सही स्थिति लोगों की क्या है उनको आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर विचार करना होगा।

मैं इसके साथ ही सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय,

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

हमारे यहां सोम कागदर बांध बना हुआ है। जन जाति क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सोम कागदर परियोजना का निर्माण हुआ है। अभी बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है। लेकिन वहां पर तालाबों, बांधों का काम हो जाता तो अच्छा होता। नहरों का काम बाकी है। खैर, वह हो जायेगा। मेरा यह निवेदन करना है कि उस क्षेत्र में बरसात आने वाली है, हमें पानी को रोकना पड़ेगा। छोटी जमीन सींचनी पड़ेगी। सिंचाई की व्यवस्था होगी तो हमारे यहां का आदिवासी आगे बढ़ सकेगा और थोड़ी बहुत उससे रोजगारी कर सकेगा।

साथ ही उद्योगों के बारे में मैंने निवेदन किया था। सभापति महोदय, हमारे रिखबदेव के पास में एक कारखाना लगा है। उससे काफी लोगों को रोजगार मिला है। डूंगरपुर में इसी तरह से हुआ है। सरकार सबसे पहले उद्योग लगवा दें, उद्योग लगा कर उन लोगों के रोजगार की व्यवस्था करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि आपने जो टाइम दिया उसके लिये आपका आभारी हूं।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री पोरूराम (टोंकी) : सभापति महोदय, मैं बाहरे गयो हो थो।

श्री सभापति : आप बिराजिये। आपको अवसर दे देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर आज हम विचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह चर्चा सार्थक हो लेकिन जितनी उपेक्षा शासन की ओर से इस रिपोर्ट की बहस के बारे में दिखाई जा रही है, उससे लगता है कि यह केवल एक औपचारिकता मात्र है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : शायद राज्य मंत्री जी को मालूम नहीं है कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। राज्य मंत्री जी अगर आपने यह रिपोर्ट पढ़ी हो तो इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को औद्योगिक अवसर प्रदान करने की सिफारिश भी है, माननीय सभापति महोदय, इस रिपोर्ट में शैक्षणिक विकास करने की सिफारिशें भी हैं, इस रिपोर्ट में पदोन्नति और आरक्षण किस तरह से लागू किया जाय, रोस्टर में क्या कमियां रह गई हैं, उसके बारे में भी सिफारिश हैं। इस रिपोर्ट में कम्पनियों में संरक्षण, प्राइवेट सैक्टर में संरक्षण की भी सिफारिश है। मेरा निवेदन करने का मतलब है कि बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, सारे विभाग किस तरह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उत्थान में सहयोग दे सकते हैं, क्या-क्या होना चाहिये, इस तरह की ये सारी सिफारिशें हैं। इसलिये मैंने जैसा प्रारम्भ में कहा कि राज्य सरकार ने सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट को उत्तरदायित्व देकर इस मुद्दे को एक बार फिर छोड़ दिया है। मैं

(श्री कैलाश मेघवाल)

निवेदन इसलिये कर रहा हूं कि यह सारी सिफारिशें लागू करना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या समाज कल्याण विभाग के मंत्री या अधिकारियों के परव्यू में नहीं है। इसमें कुल मिलाकर पांच या दस पर्सेन्ट सिफारिशें ऐसी हैं जो कि इस विभाग से सम्बन्ध रखती हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर राजस्थान की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रति राजस्थान की सरकार की थोड़ी भी हमदर्दी है, अपना उत्तरदायित्व निभाने की उनके मन में कोई इच्छा है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री को यहां होना चाहिये था और राजस्थान के मुख्य मत्री इसमें जा विविध विभागों के बारे में जो सिफारिशें की गई हैं उन सिफारिशों के बारे में आज सदन के सामने अपना जवाब पेश करते और इस सदन को आश्वस्त करते, सदन के माध्यम से राजस्थान की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को आश्वस्त करते कि राजस्थान की वर्तमान सरकार इस रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में क्या कहती है, क्या कहना चाहती है और उन पर क्या करेगी।

जमुवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य मुद्दा तो बहुत बड़ा उठा लिया। कहने लगे, सातवीं योजना में एक आशय पत्र जो प्रकाशित हुआ, उसमें संरक्षण का आधार आर्थिक करने की जो एक बात कही गई है, उसके प्रति बवेला मचाने की विरोधी पक्ष की आदत है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं संविधान का निर्माण 1950 में हुआ। उस प्रिएम्बल की पहली लाइन इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक आधार या और कोई आधार, आखिर आधार क्या है, जिस आधार पर यह संरक्षण मिला हुआ है। प्रिएम्बल में क्या कहा गया है? डाक्टर अम्बेडकर ने भी संविधान बनाया था। देश की आजादी की लड़ाई में निर्णायक और महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले सारे देश के योद्धा उस संविधान सभा में थे और उन्होंने कुछ बातें स्वीकार की थी। उन बातों को स्वीकार करने के बाद आज उन सिद्धान्तों को नकारना, उन सिद्धान्तों के प्रति अपना अविश्वास जाहिर करना, मैं कहना चाहता हूं, न केवल राजस्थान बल्कि देश की अनुसूचित जाति; जन जाति के साथ एक भयंकर अपराध करने की साजिश चल रही है। और साजिश इसलिये कि न केवल आपका आशय पत्र बल्कि कुलपतियों ने क्या कहा है? आज के पांच-सात दिन पहले कुलपतियों ने कहा है कि उच्च स्थानों पर आगे के लिये आरक्षण समाप्त कर देना चाहिये। राजस्थान या देश का एक भी विश्वविद्यालय मुझे बता दिया जाये, जहां भ्रष्टाचार, पक्षपात, रिश्वतखोरी, बेईमानी शैतानी और षड्यन्त्र के आरोप नहीं हों और इसके आधार पर लोगों को नियुक्तियां नहीं दी जा रही हों, वहां पर लोग अनुसूचित जाति, जन जाति के आ जायें, यह उनको स्वीकार नहीं है। देश के चिन्तन में परिवर्तन आ रहा है....

श्री भैरू लाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़) : बीमारी यह नहीं है, बीमारी यह है कि मेघवाल साहब को सरक्षण मिले यह तो उचित है, लेकिन मेघवाल साहब लड़के को भी संरक्षण मिले, यह उसको

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

सात पीढ़ी तक जारी रखना चाहते हैं ताकि दूसरे बेचारे पीछे रह जायें।

श्री कैलाश मेघवाल : यह षड्यन्त्र का दूसरा भाग है माननीय सभापति महोदय।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : यह राजस्थान में ब्राह्मणवाद को रखने का षड्यन्त्र है।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : मेघवाल के बाद सांसी और बावरिया भी आते हैं और–they are eating away the quota of those who are in need of it. आज एक आदमी वह है। यह क्या, अपना कोटा तो खा गये। आज मीणों और भीलों का सवाल है उनका कोटा आप खा गये। सोशल इम्बेलेन्स मिटाने के लिए इस हिसाब से यह डिस्ट्रिब्यूट होना चाहिए था ताकि हर आदमी को मौका मिले लेकिन आजादी के 30 साल बाद भी सांसियों को मौका नहीं मिला और 30 साल के बाद आप एम. एल. ए. बन गये। आप क्या करना चाहते हैं? एक नई हरिजन क्लास पैदा कर रहे हैं और बाकी के हरिजनों को अपने पीछे रखना चाहते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि देश में एक प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी चिन्तन जो चल रहा है उसके वाहक के रूप में फुलेरा के माननीय विधायक और जमवा रामगढ़ के माननीय विधायक खड़े हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूं उसका जवाब यदि हो……

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं खास तौर से कैलाशजी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानों के रिजर्वेशन की बात थी, हम दोनों एक साथ बैठे थे तो मैंने उनसे कहा था कि रिजर्वेशन होना चाहिए, हरिजनों का सरपंचों में रिजर्वेशन होना चाहिए, हरिजन म्युनिसिपैलिटी में भी बैठे हैं और आप मौजूद बैठे हैं। उस वक्त यह लोग मैदान छोड़ कर भाग गये। यह बी. जे. पी. वाले लोग आज भी हरिजनों के लिए कुछ नहीं कर सकते……

(व्यवधान)

यह चाहे हम को प्रतिक्रियावादी कहें, चाहे कुछ भी कहें फिर भी बेईमान आदमी की बात, बेईमानी की हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। हमें चाहे कितनी ही झूठी गालियां दें, मुझे बता दें मैंने जो कहा वह सत्य है या नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय विधायक शायद जोश में होश भूल गये। उन्होंने यह कहा है, कि मेरी बात का उन्होंने समर्थन किया है उसका तो मैं आभारी हूं लेकिन आपने और मैंने एक कसम खाई थी……

श्री हरिसिंह : आपके साथियों, बी. जे. पी. वाले साथियों ने क्या किया था कैलाशजी……

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : सब ने किया था; मैं यही कहना चाहता हूं·······

(व्यवधान)

डॉ. हरिसिंह जी जिस समय मंत्री थे, उन्होंने कसम खाई थी, केबीनेट में होने वाली चर्चा का हम सभी सार्वजनिक रूप से इजहार नहीं करेंगे। लेकिन जोश में होश खो बैठे··· ···

(व्यवधान)

आप और हम नहीं बैठे थे, आप कह रहे हैं केबिनेट हुई है, और कहां हुई थी केबिनेट ?

श्री हरिसिंह : आपके घर पर बैठे थे। आपके घर पर बैठ कर हुई·······

(व्यवधान)

यह चार्ज आप पर लगाया जाता है·····

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदय, इन दोनों का एक जगह पर, घर पर होना संदेह पैदा करता है।

श्री कैलाश मेघवाल : कहीं भी बैठे हों लेकिन आप बड़े किसानों के पास जितनी भी जमीन है उस पर जितने एस. सी., एस. टी. के हाली हैं, जो नौकर हैं उन पर उनको हिस्सा दे दो, मालिक वे हैं, यह बात सुन कर डॉ. हरिसिंह जी मेरे यहां से भाग कर चले गये। सभापति महोदय, ये लोग त्याग से डरते हैं, बलिदान से डरते हैं। सभापति महोदय, मैंने आपसे कहा था कि खेत पर हल चलाते हैं जो हाली हैं, आप किसान लोग हो उसको मालिक बन जाने दो। तो उस समय आप भाग गये मेरे घर से। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि षड्यन्त्र की यह दूसरी घटना है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, संविधान की एक लाइन, प्रिएम्बल याद दिलाना चाहता हूं, हमारा संविधान क्या कहता है आज आरक्षण के ऊपर जो बहस हुई, सभापति महोदय, इस विधान सभा में उस सारी बहस को पढ़ लीजिए, क्या समर्थन किया था सोशल जस्टिस के नाम पर, आज इसे भूलने लग गये—

"We, the People of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Democratic Republic and to secure all its citizens :—

Justice, social, economic and political."

सोशल जस्टिस के नाम पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, राजस्थान में सारे देश में नगरपालिकाओं में एक पद है सफाई कर्मचारी। डॉ. हरिसिंहजी, मुझे एक बात बता दें व भैरूंलाल भारद्वाज एक बात बता दें कि कोई भारद्वाज आज सफाई कर्मचारी के रूप में कहीं पर नियुक्त है ? जब तक कोई भारद्वाज सफाई कर्मचारी

(श्री कैलाश मेघवाल)

के रूप में नौकरी करने के लिए नहीं आएगा तब तक यह रिजर्वेशन कायम रखना पड़ेगा, और उस वक्त तक सोशल जस्टिस हमको चाहिए......

(व्यवधान)

श्री मंगलाल भारद्वाज : हो सकता है आपके भी भारद्वाज ऋषि ही हों, आपके बाल्मिकी ऋषि भारद्वाज से ज्यादा तेज थे जो आज सफाई के कर्मचारी हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि कहना तो बड़ा आसान है, 20 करोड़ की आबादी में से 100–200 लोग दीख जायें लेकिन दूसरों को आरक्षण की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

फुलेरा से आने वाले माननीय विधायक को तकलीफ हो गई बार-बार उठते-बैठते हैं। दूसरी तकलीफ यह हो गई कि वे कुर्सी की खातिर उधर गये थे और पीछे बैठना पड़ रहा है तो उठक-बैठक करके कुछ कहना चाहते हैं कि मेरा भी नाम लो और आइडेन्टिफाई करो। मेरे ख्याल से आपका नम्बर आ जाएगा......,

श्री सभापति : कृपया व्यक्तिगत वार्तालाप नहीं करें।

श्री कैलाश मेघवाल : व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं, सभापति महोदय, फुलेरा से आने वाले विधायक बार-बार मेरे से बातें होने की और मेरे घर आने की चर्चा कर रहे हैं। उनको करनी तो नहीं चाहिए लेकिन अपन दोनों आपस में क्या-क्या करते हैं वह इस विधान सभा के पटल पर नहीं लायें तो उचित रहेगा। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं।

तो माननीय सभापति महोदय, आरक्षण का आधार सोशल जस्टिस, इकानोमिक, पोलिटिकल है।

"LIBERTY, of thought, expression, belief, faith and worship.

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all.

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this 26th days of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OUR SERVICE THIS CONSTITUTION."

श्री हरिसिंह : यह बातें आपकी बिल्कुल सही हैं बशर्ते आप ईमानदारी से करें।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरी ईमानदारी पर माननीय हरिसिंह जी को शक हो रहा है। सभापति महोदय, कैसे प्रमाणित करूं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं निवेदन कर रहा था, आप सारी विधान सभा की कार्यवाही पढ़ लें, एक बात स्पष्ट रूप से सामने आयेगी कि सामाजिक स्तर के कारण अस्पृश्यता की इस देश में जो सैकड़ों सालों से पीड़ा भोगते जो लोग आ रहे हैं चाहे एक लखपति हरिजन हो सकता है लेकिन उसकी अस्पृश्यता ज्यों की त्यों कायम रहेगी, हरिजन मेघवाल, कोई भी हो उसके साथ छूत और अस्पृश्यता कायम है। जब तक अस्पृश्यता रहेगी तब तक मैं यह पूछना चाहता हूं, सातवीं योजना में संरक्षण का क्या आधार होगा। आशय पत्र में संरक्षण की घोषणा करने के पीछे क्या भावना है, संविधान में दो चीजें स्पष्ट रूप से कही गई हैं, सभापति महोदय, इस देश में संविधान के प्रति इस देश के कर्णधार, शासक वफादारी रखते हैं क्या ? आर्टिकल 45 में जो अवधि दी है 10 साल की, 10 साल की लिमिटेशन में साक्षर कर दिया जायेगा। सबसे ज्यादा आवश्यकता समाज के कमजोर वर्ग को है, उसको साक्षर किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं, सभापति महोदय, आपके सामने बोल रहा हूं; हमारे माननीय विधायक सुन रहे हैं, 33 साल के बाद 25 प्रतिशत की बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिफारिशें की गई हैं। उन सिफारिशों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा लेकिन यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने ही फायदा उठाया है। मेरा ऐसा ख्याल है डॉ. हरिसिंह जी, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं किसी भी नेतृत्व के ऊपर दो चीजों का बहुत बड़ा भार रहता है—हैरेडिटी एण्ड एन्वायरनमेन्ट, वंशानुगत और वातावरणीय प्रभाव में एक व्यक्तित्व का विकास होता है। आज जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि उन बच्चों की तुलना इन बच्चों से नहीं की जा सकती। आज धीरे-धीरे जो हायर सर्विसेज हैं, जो टेक्नोलोजिकल सर्विसेज हैं और इस तरह की जो बड़ी सर्विसेज आती हैं उन पर पहली पीढ़ी के लोग नहीं हो सकते। तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी में जाकर कुछ लोग ऊपर तक पहुंचते हैं। अब आप कहते हैं कि फलां के बेटे, बेटी को यह कैसे मिल रही है। वे योग्यता रखते हैं। आज इस देश में शिक्षा की जरूरत है........

श्री हरिसिंह : We want to remove this imbalance, but while removing this imbalance, we don't want to create another imbalance.

श्री कैलाश मेघवाल : सवाल सीधा सा है कोई आधार तय कर लीजिये। अगर संरक्षण सोशल जस्टिस के नाम पर दिया गया है जब तक सोशल जस्टिस नहीं मिलेगी तब तक आरक्षण कायम रहेगा। कोई कांग्रेसी उठ कर कह दे कि सोशल जस्टिस आरक्षण का आधार नहीं है। वे यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज वे इस बात को भुलावे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में शिड्यूल कास्ट्स कमिश्नर ने भी स्पष्ट सिफारिश की है। उन्होंने स्पष्ट किया है

(श्री कैलाश मेघवाल)

कि आधार क्या है शिड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन का ? आज एक तिहाई जनसंख्या शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब की है। आज भी छुआछूत जारी है। जोधपुर के पास एक गांव है। वहां के लोगों को इसलिये जूते खाने पड़े, वह निकाल दिया गया कि वे जूते पहिन कर और नये कपड़े पहिन कर निकल गये थे। आजादी के 37 साल बाद भी यह स्थिति है। एक शिड्यूल कास्ट के बच्चे की बारात घोड़ी पर निकाली गयी। उसको घोड़ी से उतार कर पीटा गया। पुलिस संरक्षण में उसकी बारात निकाली गयी। आज भी शिड्यूल कास्ट के लोगों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है। आज भी यह स्थिति है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक से कहता हूं, क्या नाथद्वारा के मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश है ?

श्री सी. पी. जोशी : दाऊदयाल जी से पूछो।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे यहां पर तो है। मैंने मन्दिर खुलवाया है। आप नाथद्वारा के प्रतिनिधि हो। आपने नाथद्वारा के मन्दिर में अभी तक हरिजनों को प्रवेश नहीं दिलाया है।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप आइये।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप कैसे प्रतिनिधि हो ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह निर्विवाद है, मैंने हिन्दुस्तान में प्रथम बार श्री बल्लभ सम्प्रदाय के आचार्य शंकराचार्य जी की आज्ञा से कोटा के मन्दिर में हरिजनों को प्रवेश दिलाया है परन्तु आप नाथद्वारा में यह नहीं करा सके हैं। वहां की जनता का मनोबल नहीं बना सके। आपको यह करना चाहिए था। दाऊदयाल की शरण लेना चाहते हो तो दाऊदयाल तैयार है। वह आपको शरण देगा।

श्री त्रिलोक सिंह : ताल्लुक क्या है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। कृपया बिराजें।

श्री सी. पी. जोशी : दाऊदयाल जी और उनकी पार्टी धर्म की ठेकेदार है। मेरी पार्टी ऐसा नहीं करती है। यह भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं ऐसा काम नहीं करता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम तो धर्म के ठेकेदार हैं ही। हमने धार्मिक भावनाओं को ठीक प्रकार से समझ कर धार्मिक व्यक्तियों के मन में यह बात बिठा दी है कि हरिजन हमारे अंग हैं। इस नाते मैंने हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश दिलाया है लेकिन आप नाथद्वारा के सही प्रतिनिधि

(श्री दाऊदयाल जोशी)

नहीं है। आपने वहां का सही प्रतिनिधित्व नहीं किया, न आपने वहां हरिजनों को प्रवेश दिलाया है और न वहां के धार्मिक लोगों को समझाया है। इसमें आप असमर्थ रहे हैं कि वे हरिजनों को प्रवेश दें।

श्री सी. पी. जोशी : ऐसी नेतागिरी मैं नहीं करता। आप करते हैं।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हम बोलते हैं तो आप बिठा देते हैं।

श्री सभापति : कृपया बैठ जायें।

श्री त्रिलोक सिंह : मन्दिर से हरिजन का क्या ताल्लुक है। मन्दिर तो हरिजन की दुकान है। हरिजन तो मेहनत करने वाला है।

श्री सभापति : कृपया आप बिराजिए।

श्री हरिसिंह : हिन्दुस्तान में छुआछूत से बड़ा कोई और कलंक नहीं है। यह एक तथ्य है कि आज भी हिन्दुस्तान में छुआछूत कायम है। लेकिन·······

श्री त्रिलोक सिंह : यह कांग्रेसी राज की देन है। इसे कांग्रेसी हुकूमत ने फैलाया है। वह अपराधी है। घोर अपराधी है।

श्री हरिसिंह : लेकिन इस व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? हम सब इस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। इसमें ये दो बातें हैं खासतौर से। हजारों साल से चली आ रही व्यवस्था है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक चाहे कोई भी हो सब भागीदार हैं। अब कांग्रेस इसको सुधारना चाहती है।

(व्यवधान)

आज स्थिति यह है कि बलाई सांसी के साथ बैठ कर खाना नहीं खाता है। सांसी हरिजन के साथ नहीं खाता है। हरिजन, सांसी, बलाई, जाट, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण सब एक दूसरे के साथ छुआछूत बरतते हैं। इन सबको सोचना पड़ेगा। सबको मिल कर सोचना होगा। यह जो वाद-विवाद है इसके पीछे यह बात है, ऊपर से लेकर नीचे तक जब तक जनमानस नहीं बनायेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकेगी। यह सबके सोचने की बात है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : पहले आप शुरू कर दो। हम तो छाती से छाती मिला कर काम करते हैं·······

श्री हरिसिंह : जब मैं पढ़ता था तो मेरे को अलग बिठा कर खाना खिलाया जाता था। तब मेरे को भी सोचना पड़ेगा। दूसरे माननीय सदस्यों को सोचना पड़ेगा। इस मामले पर राजनीतिक वाद-विवाद नहीं करना चाहिए। इसको मिटाना है तो सबको मिल कर काम करना होगा।·······

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। श्री कैलाश मेघवाल। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया जो सदस्य बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दें।

एक माननीय सदस्य : यह बराबर इन्ट्रप्ट कर रहे हैं........

श्री सभापति : महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप बिराजें।

श्री मेघवाल।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य द्वारा बनिया शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द गाली के रूप में प्रयुक्त होता है। यह गाली है इसलिए इसको कार्यवाही से हटाया जाये।

श्री सभापति : यह कोई तरीका नहीं है। कृपया विराजें। आसन पैरों पर है।

श्री महाराम चौधरी : बनिये शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो आम जनता में गाली के बराबर है। इसको निकालें।

श्री सभापति : कृपया बिराजें आप। अगर कोई शब्द ऐसा होगा तो देख लेंगे। निकाल देंगे।

श्री मेघवाल। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि डिबेट को बिना डिस्टर्ब किये चलने दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति, मैं क्षमा चाहता हूं नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक से। मैंने तो एक संकेत दिया था कि आज भी इस देश में मन्दिर में हरिजन को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। यहां तक कि हिन्दू धर्म के ठेकेदार शंकराचार्य छुआछूत को हिन्दू धर्म का एक अंग मानते हैं और उसका समर्थन करते हैं। मैं एक पृष्ठभूमि आपके सामने रख रहा हूं। यह प्रश्न रखना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शिड्यूल्ड कास्ट का एक छात्र स्कूल का मटका छू दे तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। हाई कोर्ट के आदेश से उसको लिया गया और मास्टर के खिलाफ कार्यवाही की गयी। आज भी सारे देश में इस तरह का छुआछूत का वातावरण है। जितने शिड्यूल कास्ट के विधायक हैं या कर्मचारी हैं वे यहां पर शिकायत करते हैं, उनको शहर के श्रेष्ठी वर्ग की कालोनी में अभिजात्य वर्ग के लोगों के मकान किराये पर नहीं मिलते हैं। उनको जाति छुपा कर झूठ बोलना पड़ता है। इस प्रकार मकान किराये पर लेते हैं। आज देश में यह हालत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह नेताओं की अक्षमता है, अपराध है। वे राष्ट्रीय मिशन से उल्टा चल रहे हैं। इस राष्ट्रीय मिशन को चलाने के लिए संविधान में एक व्यवस्था की गई है। माननीय सभापति महोदय, 10 साल के अन्दर अगर अस्पृश्यता समाप्त कर दें। जिस देश में संविधान के लिए जिस तेजी से आन्दोलन लड़ा, जिस तेजी से बलिदान हुए, जिस तेजी से आजादी के लिए लोग जेलों में गये, फांसी पर चढ़े, बलिदान किए। उस देश

(96)

(श्री कैलाश मेघवाल)

की स्थिति को देखते हुए हमने यह कल्पना की कि 10 साल में शायद हम इस समाज को एक करके अस्पृश्यता को मिटा देंगे। यह उनकी कल्पना थी, 10 साल के लिए संविधान में प्रावधान किया गया, लेकिन 10 साल के लिए किया गया प्रावधान 40 साल की स्थिति में आ गया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने जैसा कहा जब तक सोशल जस्टिस नहीं मिलता है, जाति के आधार पर जब तक यह छुआछूत ऊंच-नीच की भावना रहती है, सारे समाज के लोग एक साथ जाति में बंट करके जातिगत भावना से काम करें तब तक न केवल राजस्थान में बल्कि सारे देश में शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आरक्षण की आवश्यकता है। उस आरक्षण के विरुद्ध बोलने वाले सरकार के दुश्मन हैं, इस आन्दोलन के दुश्मन हैं। ऐसी चर्चा करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, माननीय सभापति महोदय, वे कोशिशें इस देश के मुख्य चिन्तन के विपरीत हैं, उन पर रोक लगायी जानी चाहिए। आज इस राज्य के कुछ लोग कहते हैं, कमिश्नर क्या कहता है। संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की नियुक्ति होती है। उन्होंने इस बारे में बहुत स्पष्ट बातें कही हैं, मैं रेफर करूंगा, यह 1979-81 की 27वीं रिपोर्ट है जिस पर आज चर्चा चल रही है, इसके पेज—67 पर सिफारिश 32-33 है, 33 पहले पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस भावना की कद्र की जाय, इस भावना को आगे बढ़ाया जाय, मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस भावना को अपनाये चूंकि एक सिफारिश की गयी है, वह सिफारिश है 33 पेज पर "हमारे संविधान के निर्माताओं ने ऐसा सन्तुलन रखने का प्रयत्न किया था कि प्रशासन अधिक वास्तविक बन सके। कार्यकुशलता की रक्षा करने से उनका अभिप्राय परम्परागत अर्थ में नहीं था बल्कि एक ऐसी कार्यकुशलता से था जो परिवर्तन की प्रकृति के अनुरूप हो। कार्यकुशलता एक सापेक्ष शब्द है और इसे भी कोई निरपेक्ष अर्थ नहीं दिया जा सकता। यह व्यक्तिपरक होने के साथ-साथ परिस्थितिगत भी है और इसलिए इसका मूल्यांकन वस्तुपरक भी हो सकता है और मनोवृत्तिपरक भी। अतः कार्यकुशलता को वितरक न्याय देने के आधारभूत लक्ष्य से सापेक्षिक समझना होगा जिसका एक संगठन रोजगार और शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को भारित महत्व देना है। यही आरक्षण की नीति का मर्म मालूम होता है। यह मर्म जिनको स्थान देना है, पढ़ाई है, मर्म, पैसा, प्रतिष्ठता ये चार चीजें हैं। पढ़ाई के लिए आगे लाना पड़ेगा शिड्यूल्ड कास्ट/शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, मर्म के लिए शिड्यूल्ड कास्ट/शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को.......

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बातें न करें। आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : मंत्री जी हैं इसमें। "समाज में शिड्यूल्ड कास्ट के

(श्री कैलाश मेघवाल)

लोगों को प्रतिष्ठा देनी होगी। ये चार बातें जब तक पूरी नहीं होती, तब तक आरक्षण की नीति कायम रहनी चाहिए और यही उद्देश्य मानकर आरक्षण रखा गया।"

माननीय सभापति महोदय, सिफारिश-32 जो मैं पढ़ना चाहता हूं, 32 में है "हमारे विकास के वर्तमान के चरण में राज्य संबन्धी ऐसी संकल्पना किसी ऐसे प्रशासन की संकल्पना को अस्वीकार करती है जिस पर तथाकथित "सुशिक्षित अभिजात वर्ग" का एकाधिकार हो। और इसलिए योग्यता और कार्यकुशलता को अधिक सार्थक ढंग से उपयोग करना होगा जिसमें नीचे तक के तत्वों से उचित सम्बन्ध जुड़े रहें और ऐसा सामाजिक दृष्टिकोण अपनाया जाये जो परिवर्तन लाने में सहायक हो। अपरिष्कृत वर्गो और अनपढ़ वातावरण से आने वाले लोगों को अधिकाधिक संख्या में प्रशासन में लेने से निश्चय ही प्रशासन का स्तर सुधरेगा और वह परिवर्तनों के अनुकूल होगा, भले ही वे प्रशासन का सजावटी रूप प्रदर्शित न कर सकें। परिवर्तन लाने और उस परिवर्तन को कार्यान्वित करने तथा उसकी देख-रेख करने के लिए बनाए गए उपकरण में गरीब व्यक्ति साझेदार होता है। अतः इस प्रकार की व्यवस्था में प्रशासन की विशिष्ट वर्गीय संकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है।

यह मैंने आपके सामने इसलिए पढ़ा, इस भावना को राजस्थान सरकार आगे बढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। हमारे माननीय विधायक सम्पत जी ने आपके सामने एक बात कही। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यह सचिवालय, सचिवालय में ऊंचे पदों पर बैठने वाले अधिकारी और उन अधिकारियों की राय चलने वाले मंत्री, एक भी विभाग बता दिया जाय, 118–120 विभाग हैं, एक विभाग बता दिया जाय, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी बता दीजिये कि यह एक विभाग है जिसमें सीधी भर्ती के आरक्षण के 40 पोइन्ट रोस्टर का ठीक-ठीक पालन किया है? कई बार, सारे माननीय शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विधायक मेरे यहां आते हैं, आपस में जो भी लोग मिलने आते हैं, कहते हैं कि वहां जो सीट थी उसको भर दिया, उसको खाली छोड़ दिया, उसकी इस तरह कर दिया। हम असहाय बने बैठे रहते हैं। आज सचिवालय का वातावरण और उनकी राय से चलने वाला मंत्रिमण्डल का वातावरण शिड्यूल्ड कास्ट के हित में नहीं है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सभापति महोदय, वह इसलिए देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय का एक निर्देश है; निर्देश यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, ऑफिसरों को फील्ड पोस्टिंग दी जाय और फील्ड पोस्टिंग इसलिए दी जाय कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी जो अपने आपको शोषित और अपने आपको अछूत महसूस करता है, वह यह महसूस करे कि हर आदमी कुर्सी पर बैठता है, उसको भी आगे बढ़ने के लिए,

(श्री कैलाश मेघवाल)

स्वाभिमान की जाग्रति हो, यह निर्देश है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने ऑफिसर हैं जिनको फील्ड पोस्टिंग नहीं देकर कहीं सचिवालय में बैठा रखा है, कहीं और जगह बैठा रखा है, उनको चुन चुनकर आज सरकार की भावना, विधायक की भावना सचिवालय के उच्च अधिकारियों में फैली है जिनको संरक्षण आज भी मंत्रिमण्डल से मिल रहा है, इस वजह से आज सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने आई. ए. एस. की फील्ड पोस्टिंग की है, कितने आर. ए. एस. की पोस्टिंग की है ? अगर फील्ड पोस्टिंग वाली बात, जो केन्द्र सरकार के निर्देश हैं, को लागू नहीं किया जा सकता तो मैं सोचता हूं राजस्थान की सरकार शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आरक्षण देने के पीछे जो नीति है उसकी पालना नहीं कर रही है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के इस निर्देश, आरक्षण की नीति की इस भावना के अनुरूप राजस्थान में कितने शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जितने आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस., आर. पी. एस. के अन्दर हैं, दूसरी बड़ी सेवा के अन्दर है, उन सबको तुरन्त फील्ड पोस्टिंग देकर राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाये, अपने कर्तव्य की पूर्ति करें। यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, पदोन्नति के लिए इसमें कुछ स्पष्ट निर्देश दे रखा है। निर्देश यहां तक है, माननीय सभापति महोदय, अगर अदालत में कोई मामला जाता है तो सरकार को अपना इन्टरप्रिटेशन जो लेना है वह शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के पक्ष में लेना है और उसके पक्ष को आगे करना है। लेकिन अफसोस है आज पदोन्नति में किसी एक का पी. डब्ल्यू. डी. में पदोन्नति का चान्स था उसको नहीं दिया गया। सभापति महोदय, एक और उद्योग विभाग में पदोन्नति का चान्स था, उसको पदोन्नति नहीं दी गई। न केवल इतना ही हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की सरकार, शिवचरण की सरकार पदोन्नति के रिजर्वेशन को लागू नहीं कर सकती है, इस भावना को लागू नहीं कर सकती है तो इसको समाप्त कर दिया जाय, क्योंकि इस पदोन्नति के रिजर्वेशन की वजह से शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अफसरों की सी. आर. बिगाड़ी जा रही है। अच्छे-अच्छे इन्टेलिजेन्ट, अच्छे-अच्छे कार्य करने वाले अच्छे-अच्छे एफिसिएन्ट ऑफिसर्स को एक नहीं, हर आदमी जानता है कि अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन जातिगत भावना, जातिगत इस तरह की भावना है के कारण से उन गरीब लोगों के अन्दर से आने वाले अफसरों की सी. आर. बिगाड़ी जा रही है, यह कह-कह कर बिगाड़ी जा रही है, इसलिए बिगाड़ी जा रही है कि ये पदोन्नति में प्रमोशन पा जायेंगे, हम 50 लोग पीछे रहेंगे, 50 लोग ऊपर अगर बैठ जायेंगे।

(श्री कैलाश मेघवाल)

इस प्रदेश की भावना को आपके सामने रखा हैं। इस भावना को लागू करने में राजस्थान की सरकार असफल रही है, इस भावना को लागू करवाने में केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार असफल रही है इसलिए मांग करता हूं कि पदोन्नति की, जो आरक्षण की रोस्टर पोइन्ट से जो नीति है उसी के अनुसार पदोन्नति की जाय, पदोन्नति दी जाय। अगर नहीं लागू कर सकते हैं तो साफ कह दें। आज हमारे अच्छे-अच्छे लोगों की सी. आर. बिगाड़ी जा रही है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी) —

सिफारिश 102 है : "यह सिफारिश की जाती है कि प्राइवेट क्षेत्र के अधीन सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण लागू करने के प्रश्न पर उच्चतम स्तर पर फिर से विचार और पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और प्राइवेट क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सरकार को आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए सांविधिक उपबन्ध करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।"

यह रिपोर्ट है—आज जितने भी प्राइवेट सैक्टर हैं, वे सारे के सारे प्राइवेट सैक्टर राजकीय कोष के आधार पर निर्भर करते हैं, जिस प्रकार की सुविधाएं प्राइवेट सैक्टर को डवलप करने में, बनाने में, स्थापित करने में जो राजस्थान फाइनेंस कारपोरेशन और दूसरी इन्स्टीट्यूशन देती हैं, फाइनेंसियल इन्स्टीट्यूशन्स पैसा देती हैं। उनमें जो पैसा आता है वह सारा का सारा पैसा समाज का पैसा है। सारे समाज के पैसे से ही प्राइवेट सैक्टर एस्टेब्लिश हो रहा है। इस प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन नहीं होना, माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ा घपला है। सरकार की यह मान्यता है, आयुक्त महोदय ने यह सिफारिश की है कि प्राइवेट सैक्टर में उनको आगे बढ़ाइये, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 4 साल पहले यह सिफारिश हो चुकी है। क्या राजस्थान की सरकार ने इन चार सालों में एक कदम भी सिफारिश के अनुसार उठाया है ? एक आदेश भी, एक सर्कुलर भी, एक नोटिफिकेशन भी प्राइवेट सैक्टर के लोगों को दिया है कि यह सिफारिश आयी है। सरकार ने अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों के आयुक्त की सिफारिश को लागू किया है ? नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एस. सी., एस. टी. के हितों को सुरक्षित करने के लिए तेजी से आयुक्त की रिपोर्ट को, इस सिफारिश को लागू किया जाये।

अब विश्वविद्यालय पर आता हूं सिफारिश संख्या—99 है "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की विभिन्न रिपोर्टों में इस बात पर अनेक बार बल दिया गया है कि विश्वविद्यालयों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। यह निराशाजनक ही है कि शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक लिपिकवर्गीय सेवाओं

(श्री कैलाश मेघवाल)

तक में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण के मामले को गम्भीरता से नहीं लिया है। यह ठीक ही समय है कि शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी स्थिति का प्रभाव डालकर विश्वविद्यालयों को अपने अधीन सभी सेवाओं में आरक्षण का सिद्धांत स्वीकार करने के लिए मनवाएं।"

सभापति महोदय, यह बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के स्टेटमेंट मिले हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी बेईमानी है लोगों के दिमाग में। अब एस. सी., एस. टी. के आरक्षण देने की व्यवस्था करने वाला बिल आने वाला है। लेक्चरार्स को और रीडर्स को एक पदोन्नति जीवन काल में देने का विधेयक लाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, उस बिल में यह व्यवस्था है कि आरक्षण भी लागू किया जायेगा। लेकिन वह विधेयक लाये उससे पहले ही सारे खाली पदों को फटाफट भरा जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले दो-तीन महीनों में 150 पदों पर भर्ती की गयी हैं जिसमें एस. सी., एस. टी के लोग एक से अधिक नहीं हैं कोई आरक्षण का पालन नहीं कर रहे हैं। वह बिल एक्ट बने उससे पहले ही भर्ती कर लें, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री, उससे पहले ही सारी नियुक्ति कर डालो, यह भावना है। अगर समाज कल्याण मंत्री जी, इस विधान सभा में पदोन्नति वाला और विश्वविद्यालयों में आरक्षण पर आधारित बिल इन्ट्रोड्यूज हुआ था उस तारीख के बाद में विश्वविद्यालय के लोगों ने जितनी नियुक्तियां की हैं उन नियुक्तियों को निरस्त करवायें और एस. सी., और एस. टी के लोगों को प्रतिनिधित्व दिला कर सबको आगे बढ़ाइये तब तो आपका समाज कल्याण मंत्री होना बहुत ही सार्थक होगा।

सभापति महोदय, एक सिफारिश की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं बैक लॉग के बारे में, पेज 376 पर सिफारिश संख्या 168 है "अतः सिफारिश की जाती है कि सभी राज्य सरकारों को संचित बकाया (बैक लॉग) को निपटाने के लिए विशेष भर्ती अभियान सहित संगठित प्रयास करने चाहिए। जहां कहीं संचित बकाया की सीमा तक पर्याप्त रिक्तियां उपलब्ध न होने की बात आड़े आती हों राज्य सरकारें अन्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों से भरने के लिए अतिरिक्त रिक्तियों का सृजन करने के बारे में विचार कर सकती हैं।"

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इन सिफारिशों को राज्य सरकार को मानना चाहिए। इस सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

एक सिफारिश है 110—"यह दोहराया जाता है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक राज्य स्तर समिति होनी चाहिए जो विभिन्न विभागों में सेवा संरक्षणों के

(श्री कैलाश मेघवाल)

कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य का मूल्यांकन करें। बेहतर होगा कि ये समितियां मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हों। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उत्तरोत्तर प्रतिनिधित्व की पड़ताल करने के लिए इन समितियों की बैठकें भी बारम्बार होनी चाहिएं और उन्हें नौकरी में लिए जाने की की स्थिति में सुधार लाने के उपाय सुझाने चाहिए।" यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में समिति राजस्थान में है क्या ? अगर नहीं है तो मैं मांग करता हूं कि आप इसका गठन करें। गठन के बाद ऐसी अपेक्षा की गयी है कि बराबर विचार करें, जिन लोगों को नहीं लिया गया है उनको लिया जाय और उनको आगे बढ़ाया जाय।

इस बात के साथ एक दूसरी बात कहना चाहता हूं गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में, निःशुल्क कानूनी सहायता की बात कही जाती है। यहां पिछले 8 साल से सिफारिश चल रही है। 8 साल से चलने के साथ राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से लगा करके, राजस्थान सरकार के मन्त्रियों से लगा करके, सारे अधिकारी निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करते हैं। इस विधान सभा में एक सवाल भी पूछा गया था। माननीय सदस्या भगवती देवी ने सवाल पूछा था कि इस साल कितना पैसा दिया गया इस कानूनी सहायता के लिए। तो उत्तर आया, 82-83 में ढाई लाख रु. का प्रावधान किया गया था और सिर्फ दो हजार रु. खर्च किया गया है, वह भी संस्थापन कार्यों पर, इसका मतलब है किसी को भी विधिक सहायता नहीं दी गयी है। क्या राजस्थान सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी है कि उच्च न्यायालय में चलने वाले विवाद में राजस्व न्यायालयों में चलने वाले विवाद राजस्व मण्डल में चलने वाले और राजस्थान के विभिन्न भागों में चलने वाले विवादों में एस. सी. या एस. टी. के किसी भी एक आदमी को जो निःशुल्क सहायता मिलनी चाहिए वह मिली या नहीं ? राज्य सरकार का जवाब नकारा था। कोई व्यवस्था नहीं है राजस्थान में। मैं पूछना चाहता हूं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं प्रश्नों के ज़रिए से, कमिश्नर ने यह सिफारिश की है और क्या राज्य सरकार इस सिफारिश पर गौर करेगी।

सिफारिश—143 में है "विभिन्न कानूनी सहायता स्कीमों को तैयार और कार्यान्वित करते समय कानूनी सहायता की स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित समिति को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हितों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि गरीबों में उनकी संख्या अधिक है।" और 144 में है—"जिन राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा, जिन्होंने अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं की है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की विशिष्ट व्यवस्था करनी

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहिए। यह भी वांछनीय है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हिताधिकारियों के लिए अधिक उदार "साधन मापदण्ड" निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे कि ऐसे हिताधिकारी अधिक संख्या में फायदा उठा सकें।"

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज व्यवस्था चल रही है वह बिल्कुल नकारा है, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है जिसका विवरण मैंने आपके सामने रखा था। कमिश्नर की सिफारिशों के आधार पर आप कोई सही ढंग से कार्य करने वालो और एस. सी. और एस. टी. के लोगों को वास्तव में निःशुल्क कानूनी सहायता देने की कोई स्थिति पैदा करने की घोषणा करेंगे, उसको कार्यान्वित करेंगे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : बहुत जल्द ही समाप्त करूंगा, माननीय सभापति महोदय।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि सिफारिशें महत्त्वपूर्ण हैं। आयुक्त की रिपोर्ट पर जमुवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भाषण भी दिया, भले ही वह भाषण था वह उन्होंने दे दिया। मैं सारगर्भित और सार्थक चर्चा रखना चाहता हूं। आपकी कृपा रही तो मैं जो मुख्य सिफारिशें हैं, उनको रख सकूंगा जिससे कि राजस्थान की सरकार अगर बहरी नहीं है तो सुने और गूंगी नहीं है तो बोले।

श्री सी. पी जोशी : यह तो बराबरी की बात है। जोशी जी बराबर के नहीं हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : इन्ट्रप्सन में मात खाओगे। इन सब में मात खाओगे। इन सबकी आत्मा को टटोलो। मेरी नहीं, जो आपके आसपास बैठे हैं इनको ईश्वर की सौगन्ध खिलाकर इनकी आत्मा टटोल लो तो आप जान जाओगे कि बराबरी के नहीं हैं। आप तो खुद जानते हैं। आप खुद टटोल लो।

मैं माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था के बारे में मैं इसलिए उठाना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आयुक्त ने कल्पना की थी, इसमें सिफारिश है और वह सिफारिश यह है, माननीय सभापति महोदय; "छठी योजना के अन्त तक सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी जायेगी।" छठी योजना के अन्त तक। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूछता हूं कि राजस्थान में आज कितने सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो कि दयनीय अवस्था में मल-मूत्र को अपने सिर पर रख करके निकलते हैं। यह व्यवस्था जब तक इस देश में चलेगी, माननीय सभापति महोदय, तब तक आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं। मैंने जैसा निवेदन किया, वह बहुत बुरा लगा फुलेरा से आने वाले मान-

(श्री कैलाश मेघवाल)

नीय विधायक को और झमुवा रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक को कि आपने यह क्या कह दिया। एक पद ऐसा है इस देश में जिसके लिए प्रतियोगिता नहीं होती वह पद है सफाई कर्मचारी का। फुलेरा से आने वाले माननीय विधायक × × × बोलते हैं। एक आदमी बता दें कि मेरी कौम का सफाई कर्मचारी के रूप में लगा हुआ है तो मैं मान जाऊंगा कि समाज में सुधार आया है।........

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : आप बिल्कुल सत्य फर्मा रहे हैं। मैं आपकी बात से इत्तफाक कर रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कुछ तो बोल रहा हूं आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो।

श्री हरिसिंह : मैं स्थिति जानता हूं। मेरे को कोई परहेज नहीं है।

यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सारे हिन्दुस्तान के सही दिशा में चलने वाले आदमी इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगी। मैं अपील करता हूं सब लोगों से इसको खत्म किया जाय, गांधीजी की इच्छा पूरी की जाय लेकिन जिसके साथ बैठना चाहते हो जो आदमी इसके खिलाफ है......

श्री कैलाश मेघवाल : ये सब झूठी बातें हैं। यह सब जानते हैं। एक आदमी को हम स्वीकार कर लेते हैं। ब्राह्मण चाहे भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे कांग्रेस में है और चाहे लोकदल में है, चाहे किसी अन्य में है उसका ब्राह्मण करेक्टर पहले है उसका राजनीतिक करेक्टर बाद में......

श्री सभापति : दाऊदयाल जी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता।

श्री हरिसिंह : अमुमन मैंने देखा कि जो लोग संस्कृत पढ़ गये......

(व्यवधान)

भाई दाऊदयाल जी संस्कृत पढ़े हुए हैं......

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह ईमानदारी की बात है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं अभी इसी समय गोपाल पचेरवाल के साथ बैठ करके एक साथ खाने को तैयार हूं। लेकिन मैं कांग्रेस के सदस्यों से कहूंगा कि गोपाल पचेरवाल, मांगीलाल जी के साथ बैठकर खायें। खा नहीं सकते। माननीय हरिसिंह जी तो किसी भी मूल्य पर नहीं, चैलेंज है मेरा। मांगीलाल जी के साथ चलो, साथ में मैं भी खाऊं और तुम भी खाओ। तुम्हारी कथनी और करनी एक नहीं है, हमारी कथनी और करनी दोनों एक है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(104)

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपकी कथनी में और हमारी कथनी में अन्तर है। आपको समय ने तोड़ा है। हमने कथनी बनायी है, इस आजादी के पहले बनायी है। आपकी कथनी में और हमारी कथनी में अन्तर है...

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री जी, अभी भी कह रहा हूं, चेलेन्ज देकर के हाथ कंगन को आरसी नहीं आजादी के पहले हम पैदा नहीं हुए थे। आजादी के बाद हम पैदा हुए हैं। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेता सब मर गये। बाबूजी जैसे बचे हैं लोग......

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सभापति महोदय, दाऊदयाल को......

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो सब नकली कांग्रेसी हो, डालडा छाप। आप क्या बात करते हो ? मैं तो अभी कह रहा हूं कि हाथ कंगन को आरसी नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो एम. एल. ए. हैं उनके साथ नहीं, आम आदमी के साथ बैठकर खाओ तब है......

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आज से दस दिन पहले कोटा नगर में अम्बेडकर बस्ती के अन्दर रेगर जाति के लोगों के साथ बैठकर दाऊदयाल और दाऊदयाल की पार्टी के भा. ज. पा. के पदाधिकारियों ने भोजन किया है......

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक दाऊदयाल का जिक्र नहीं है, आपकी पार्टी का सवाल है। आप कहां एक दाऊदयाल आते हैं। आपकी पार्टी, भारतीय जनसंघ ने कभी भी हरिजनों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया। यह समय का तकाजा है जिसने आपको झकझोर दिया है। यह समय का तकाजा है......

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : हम तैयार हैं आप चाहें जहां ले कर के चलो हम चलते हैं।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : हमारी पार्टी की बदौलत ही है आपकी बदौलत नहीं......

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आसन पैरों पर है कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिसिंह : मैं कैलाशजी से ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं......

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : डॉ. साहब खाने का पेमेंट कौन करेगा......

जयकृष्ण शर्मा : इनसे क्यों पूछ रहे हो...

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : ये इतने ईमानदार होते तो दल बदलकर नहीं जाते। आप ईमानदारी से बोल रहे हो....

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री मेघवाल। ऑर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : भारतीय जनता पार्टी के 32 स्वयंसेवकों में से 18 शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। इस बात पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी साख शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स में है। आप केवल नाम मात्र के……

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप सब जानते हो भा. ज. पा. की वजह से नहीं है……

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : जो भी हैं बनने को मजबूर हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। आपके जो इतने हैं उनके शिड्यूल कास्ट के, उनकी आत्मा मर चुकी है।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें….

(व्यवधान)

सदन का इस प्रकार से समय जाया हो रहा है। सदन में कोई बात नहीं लिखी जा रही है।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : वास्तविक स्थिति पीछे रह जाती है। आप अपनी उम्र के हिसाब से इवैलुएट कर लें कि आजादी के बाद कितने जातिगत संगठनों का सम्मेलन अखिल भारतीय या प्रान्तीय या जिला स्तर पर पिछले 5-10 सालों में हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, सन् 1952 से थोड़ी बहुत मुझे भी जानकारी और अनुभव संगठन का हुआ है। मैं वही देख रहा था। तो उसमें साफ लिखा हुआ था। जातिगत संगठन बढ़ रहे हैं वे जातिवाद को बढ़ाने के लिये बढ़ रहे हैं ये सबको मालूम है। हम देखते हैं कि ब्राह्मण चाहे भा. ज. पा. का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे लोकदल का हो अपने ब्राह्मण सम्मेलन में जाकर बैठता है तो अपने जातिगत हितों की बात करता है, हरिजनों के हित की बात नहीं करता। एक भी सम्मेलन ऐसा नहीं है। मुझे बता दीजिये, माननीय सभापति महोदय, किसी जातिगत सम्मेलन ने पिछले दिनों यह प्रस्ताव पास किया कि देश की सामाजिक रचना में, देश की सामाजिक व्यवस्था में हमको क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिये आगे बढ़ना है। हर जातिगत सम्मेलन ने जो प्रस्ताव पास किया है उससे जो ध्वनि निकल रही है वही ध्वनि मैंने अपने तरह के सब लोगों की आलोचना का पात्र बनने के लिये रिस्क उठाते हुए, खतरा उठाते हुए यहां कहने की हिम्मत की है, उसे झुठलायें नहीं फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य।

उसको झुठलाओ मत, माननीय फुलेरा से आने वाले विधायक। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यह जो जातिवादी…

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : मैं आपकी बात से ताईद करता हूं लेकिन मेरी एक बात का जवाब दीजिये वह कार्यकर्ता जो आपको घर में घुसने देते हैं……

श्री कैलाश मेघवाल : जाट तो उधर भी जाट है तो इधर भी जाट है, जाट तो जाट ही जाट है।...

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : आप ऐसे किसी एम. एल. ए. के घर में जाकर खाना खाते हो क्या ? इस बात का जवाब दे दीजिये। तब तो आपको वहां बैठे रहने का अधिकार है वरना आप बिलकुल ढोंग रच रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : जाते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कांग्रेस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं केन्द्र सरकार की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के शिड्यूल्ड कास्ट आयुक्त की सिफारिशों के बारे में, क्या उनकी पालना होगी कि नहीं, सिफारिशें पढ़ लीजिये। सिफारिश नम्बर 21....

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : मेरे घर पर तो आपने रोजाना ही खाना-पीना किया है और मैंने आपके घर पर किया है। अपने तो कोई विवाद ही नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, सिफारिश नम्बर 21–माननीय सभापति महोदय, क्या कहा जा रहा है—

"यह अति उपयुक्त समय है कि देश के हर कोने से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा समाप्त करने का कार्यक्रम चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जाय ताकि यह बुराई छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में ही समाप्त हो जाय।"

माननीय सभापति महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने में केवल 5 महीने बाकी हैं और पांच महीनों में क्या यह सिफारिशें जो आयुक्त की हैं आप लागू कर देंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मानवता का यह कदम सामाजिक संरचना के लिये सबसे बड़ा, काला धब्बा सिर पर मैला ढोने की जो प्रथा है उस प्रथा की आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, क्यों हरिजन और सफाई कर्मचारियों को उसी स्थिति में रहने के लिये मजबूर किया जा रहा है ? सारे देश में सामाजिक संरचना को ठीक करने के लिये, सारे समाज के एक वातावरण को ठीक करने के लिये जिस कार्यक्रम को हाथ में लेकर सबसे पहले किया जाना चाहिये था चाहे इसके लिये आपको फ्लश लैट्रिन्स बनानी पड़ें, चाहे दूसरी लैट्रिन्स बनानी पड़ें चाहे इसके लिये प्रत्येक नगरपालिका को अनुदान के पैसे देने पड़ें। अभी 12 करोड़ रुपये अभी 7 तारीख को सम्मेलन में नहीं खर्च करके मैला ढोने की प्रथा के लिये हाथ-गाड़ियां दे देते तो शायद राजस्थान में यह बुराई दूर हो जाती। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये अब आप बहुत समय ले चुके। एक घन्टा हो गया। आपने 2.25 पर शुरू किया था।

श्री कैलाश मेघवाल : डिस्टरबेन्स बहुत ज्यादा हो गया, डिस्टरबेन्स नहीं होना चाहिये हस्तक्षेप हो गया था इसलिये बोलने में,

(श्री कैलाश मेघवाल)

थोड़ा सा अवरोध आ जाता है। मैं चाहता हूं कि माननीय विधायक अवरोध नहीं करें। मैं मुख्य-मुख्य सिफारिशें पढ़कर समाप्त कर दूंगा। आपकी कृपा चाहिये। राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्टों के लिये। सिफारिश नम्बर 19—

"देश के विभिन्न भागों में अस्पृश्यता के विद्यमान होने के सम्बन्ध में कई संगठनों ने तथा हरिजन सेवक संघ तथा अन्य संस्थाओं ने जो सर्वेक्षण किये हैं उन्हें ताक पर पड़ा नहीं रहने दिया जाना चाहिये। राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये सतत् तथा ठोस प्रयत्न किये जाने चाहियें कि विभिन्न सर्वे रिपोर्टों में उल्लिखित स्थानों से अस्पृश्यता की बुराई दूर हो जाय।"

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार और यहां बैठे हुए कांग्रेस (आई) के विधायक और मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या एक भी ऐसी रिपोर्ट का अध्ययन आपने किया है, क्या वह उनकी नजरों के सामने से गुजरी है। या आज केवल पहली बार जबकि यहां बहस हो रही है तब इनको मालूम पड़ेगा और तब शायद इनकी आत्मा, झकझोरे इनकी आत्मा कचोटे, इनका कांशस को ठीक करना होगा, यह शायद अब जाकर होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अस्पृश्यता हटाने के लिये वैज्ञानिक आधार पर जो सर्वेक्षण, रिसर्चेज की हैं उन रिसर्चेज के आधार पर राजस्थान में वह कार्य लागू किया जाय। सिफारिश नम्बर 17—नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के विचारण हेतु आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारों ने विशेष न्यायालय स्थापित करने के कदम उठाये हैं परन्तु उन न्यायालयों द्वारा किये गये काम की सूचना उपलब्ध नहीं है केवल गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने अस्पृश्यता प्रबल क्षेत्रों का पता लगाने के लिये कुछ कदम उठाये हैं। यह मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसके लिये राजस्थान सरकार ने जो विशेष कोर्ट्स बनाई हैं कि उनको जल्दी न्याय मिल जाय वह जिस तरह की बनाई है कोर्ट्स इस विधान सभा में कई बार मांग हो चुकी है कि वह अव्यवहारिक हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत और मैं निवेदन करना चाहता हूं। शायद आंकड़े पूछेंगे, मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में एक सेल चलता है रोज सैकड़ों प्रार्थना-पत्र, सैकड़ों शिकायतें, चाहे वह विभागीय कर्मचारियों की हैं, चाहे वह गांव से आने वाले हरिजनों की हैं, वह शिकायतें यहां पर आती हैं जहां पर कि उनके नागरिक अधिकारों का हनन हुआ होता है, उन पर कुठाराघात हुआ होता है, उन पर अत्याचार होता है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तहत मुख्य मंत्री कार्यालय से नहीं होती है, कोई पढ़ा-लिखा आदमी जो खुद कहीं जाकर सोच-समझकर इस अधिनियम का उपयोग करता है। ऐसे गिने-चुने मुकदमे आपको मिल जायेंगे। इस अधिनियम का अधिक से अधिक प्रसार हो, इस अधिनियम के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही हो;

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह आज समय की मांग है। इसमें हमारी आशा है, आपसे कहना चाहता हूं जब हम कहते हैं कि राजस्थान में और देश में हरिजनों पर एट्रोसिटीज नहीं, एट्रोसिटीज होगी किस पर। यथा स्थितिवाद की स्थिति में हम चल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, कहां है हरिजन उठने की स्थिति में। सारे राजस्थान में अलग मोहल्ले हैं तो अलग मोहल्ले हैं, अलग बस्तियां हैं तो अलग बस्तियां हैं। कहां गया वह प्रगतिशील चिन्तन, कहां गई वह महात्मा गांधी की आवाज, कहां गई इस देश के महर्षि दयानन्दजी की आवाज, कहां गई बुद्ध और महावीर की आवाज, और कहां गई विवेकानन्द की आवाज "जय ध्वनि से गूंजे आसमान, मानव-मानव एक समान, मैं अछूतों को गले लगा लूंगा। वरना यह दूसरे हो जायेंगे।" कहां है वह बात। आज अलग बस्तियां हैं, हरिजनों की अलग बस्तियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं इसमें एक सिफारिश की गई है वह सिफारिश यह है कि मिश्रित बस्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मिश्रित बस्तियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स कालोनी बनती है, हरिजन कालोनी, रैगर कालोनी, क्या यह जातिवाद, कास्टलेस और क्लासलेस सोसायटी का जो हमारा आब्जेक्ट है, जो हमारे संविधान की घोषणा है, जो हमारे संविधान की अपेक्षा है क्या उसको पूरा करने की कोशिश की है? यहां पर बात होती है यथास्थितिवाद के हिसाब से और आदेश क्या निकलते हैं? शिड्यूल्ड कास्ट की बस्ती में पहला खम्भा लगेगा, शिड्यूल्ड कास्ट की बस्ती मिश्रित बस्ती में आयेगी यह कोई नहीं कहता, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को गांव के बीच में लाया जायेगा, यह कोई नहीं कहता। हैण्ड पम्प अलग लगेगा, आज यह जो चिन्तन चल रहा है यथास्थितिवाद का वाहक है, माननीय सभापति महोदय, और यथास्थितिवाद किसी परिवर्तन का सूचक नहीं हो सकता आज परिवर्तन की शक्तियां सब सोई हुई है ऐसी स्थिति में राजस्थान में तो यथास्थितिवाद बाकी सब लोग उठने चालू हो गये हैं। जबर्दस्ती होटलों में घुसने का आंदोलन, जबर्दस्ती मन्दिरों में जाने का आन्दोलन, जबर्दस्ती छुआछूत की भावना को प्रकट करने वाले कार्यक्रमों का विरोध करने का आन्दोलन यह जिस रोज होंगे उस रोज जो आतंक होंगे उनको हरिजन एट्रोसीटीज कहना पड़ेगा। आज हरिजन एट्रोसिटीज की परिभाषा ही बदल दी है। कहीं एक राजपूत, मेघवाल मर गया हरिजन एट्रोसिटीज हो गई। मैं इसको मानता नहीं। मैं आज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से हरिजन एट्रोसिटीज होने का कोई सवाल नहीं है। क्यों? यथास्थितिवाद वाली शक्तियां आज पावरफुल हैं, वे आज हरिजनों को नीचे के स्तर से उस यथास्थितिवाद के स्तर से उठने नहीं दे रही और जब तक वह शक्तियां नहीं उठेंगी, माननीय सभापति महोदय, तो हरिजन एट्रोसिटीज होने का सवाल नहीं।

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सीलिंग लॉज कितनी बड़ी जमीन के लिए है। सारे राजस्थान में सारे सीलिंग लॉ

(श्री कैलाश मेघवाल)

कानूनविदों ने जकड़ रखा है। यह सचिवालय इसमें जब-जब जो भी जाकर बैठे हैं ये सब लोग सीलिंग लॉज के साथ अन्याय करते आये हैं। राजस्थान की कल्पना की गई थी 50 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी यह इस कमीश्नर की भी सिफारिश है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि वह जमीनें कहाँ गई, कैसे गई, किस तरफ चली गई? जमीने हैं लेकिन वह जमीनें सरप्लस घोषित नहीं हुई, जमीनें हैं लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नहीं मिली। कागजों में दे दिये पट्टे उनको कब्जा नहीं दिया गया और कब्जा करने की कोशिश की जाती है उनको सरकारी सहयोग नहीं मिलता। सारे निहित स्वार्थ आज सचिवालय में हैं, सारी राजनैतिक व्यवस्था पर हावी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन हरिजनों को अधिक से अधिक भूमि दी जाए, हरिजनों को अधिक से अधिक औद्योगिक अवसर दिये जायें, औद्योगिक अवसर की भी इसमें सिफारिश की गई है, माननीय सभापति महोदय, और वह सिफारिश इसलिये पढ़ना चाहता हूं कि वह सब वह माध्यम है, वह कल्पना है जिसके आधार पर शिड्यूल्ड कास्ट/ट्राइब्स को ऊपर उठाना चाहते हैं।

सिफारिश 15 है—

"व्यापार तथा वाणिज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के और अधिक लोगों को लगाने के लिए यह आवश्यक है कि देहाती तथा शहरी इलाकों में जो नये आर्थिक अवसर विकसित होते जा रहे हैं उनमें उन्हें सरकार द्वारा नियंत्रित वस्तुओं की डीलरशिप का आरक्षण करके तथा इन समुदायों के व्यक्तियों को लाइसेंस/परमिट देकर उनकी मदद की जाए।"

माननीय सभापति महोदय, मैं आज बधाई देना चाहता हूं, मेरे कई मतभेद हो सकते हैं इस राजस्थान के मुख्य मंत्री जब पहाड़िया जी थे उन्होंने इस सिफारिश को लागू किया इस सिफारिश को लागू करके उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग आर्थिक प्रगति की ओर, आर्थिक सम्पन्नता की ओर बढ़ें। इसके लिए उन्होंने कुछ कार्यवाहियों को भी चालू किया था लेकिन दुर्भाग्य से वे चले गये, उनको यथास्थितिवाद के जो हामी हैं उन लोगों ने रहने नहीं दिया, एक आंकड़ा देना चाहता हूं, बसें दीं शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को, बसें दीं। आज वह बसें, जिन बसों को पहाड़िया जी ने वित्त निगम से फाइनेंस कराके, रोडवेज से अनुबंध कराके जो शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी बस खड़ी करेगा उस बस को वहां पर लगाया जायेगा आज पहाड़िया जी के हटने के तीन साल बाद, 90 प्रतिशत लोग वह बसें बेच चुके हैं, यह है सरकार की उपलब्धि। इस बात को सभी माननीय विधायक जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता हो यह इस सिफारिश की पालना तीन साल में हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी, कहीं तो आप भी अपने

(श्री कैलाश मेघवाल)

आरक्षण के आधार पर पहुंचे हो आप और मैं दोनों ही, उस आरक्षण के आधार पर कुर्सियां मिली हैं उस आरक्षण की इस सिफारिश को उन बेचारे बस मालिकों को बुलाकर, जो दिवालिया हो जाते हैं, धरना लगाकर यहां बैठते हैं, पिछले दिनों भी आये थे और कह रहे थे कि 90 प्रतिशत लोग बेच चुके हैं दिवालिया हो गये हैं और बाकी भी हो रहे हैं। यह इस सिफारिश की पालना राजस्थान सरकार कर रही है, इसी तरह से जो दूसरी योजनाएँ हैं उसमें भी हो रही है, तो मैं माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, आर्थिक क्षेत्र में जितना अधिक सहयोग किया जा सके उसको तेज करना पड़ेगा, अगर चाहते हैं कि समाज का वातावरण बदले, समाज में आर्थिक दृष्टि से जो सम्पन्नता आती है वह सम्पन्नता शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स में भी आये, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने, पहाड़िया जी के वक्त में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आर्थिक दृष्टि से उद्योगों में आगे बढ़ाने का जो अवसर उन्होंने दिया था और इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था उसको दबाओ मत, उल्टा मत करो, उसको आगे बढाओ, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के मामले में कोई मुझे यह बता दे कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिलती हो, निश्चित रूप से मैं चाहता हूं, न केवल यह आंकड़े बड़े भ्रामक, बड़े चौंकाने वाले हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों को मिलने वाली स्कालरशिप कई लोगों को सैकड़ों की तादाद में जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग नहीं है उनको दे दी गयी है, यह तथ्य 1981-82 की आडिटर जनरल आफ इण्डिया की जो रिपोर्ट इस विधान सभा में पेश हुई है–ऐसे अपात्र लोगों को शिड्यूल्ड कास्ट का पैसा छात्रवृत्ति का, देने वाले अधिकारियों के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, राजस्थान के छात्र शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्र हर जगह अपना एक मांग पत्र लिए फिरते हैं, एक ही तो मांग है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई घर से आ गया बाहर पढने के लिए 100-200 रुपये चाहिए, जुलाई से वह पढ़ना चालू करता है आप उसको दिसम्बर में पैसा देते हैं व्यवस्था यह है, केन्द्र सरकार के निर्देश यह हैं कि जुलाई में उनको पैसा मिलना चाहिए यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, कई मायनों में तो यह छात्रवृत्ति अप्रेल से मिलती है, साल निकल जाने के बाद मिलती है, और आजकल तो इस छात्रवृत्ति के लिए फाइनेंस की भी कमी आने लगी है मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार को, सारी व्यवस्था, बजट बढ़ेगा। व्यवस्था क्या है कि हर आदमी जो पात्र है छात्रवृत्ति पाने का उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, पर उसमें पैसे का आधार नहीं है,

(श्री कैलाश मेघवाल)

जो पैसा इस स्कीम में मिलता है वह यह नहीं है, वह आधार है, कास्ट के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर चाहे लखपति और करोड़पति भी है अगर वह लेना चाहता है, मेघवाल है, तो मिलनी चाहिये, यह व्यवस्था है, यह चिन्तन हो चुका है, इस तरह के चिन्तन के आधार पर यह दी जाती रही है। आज राजस्थान में कई जगह सुनने को मिलता है कि छात्रवृत्ति नहीं है। क्यों भई ? बजट नहीं है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिफारिश की गई इस आयुक्त की रिपोर्ट में कि हर पात्र व्यक्ति जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है चाहे वह प्राइमरी एज्यूकेशन का हो, चाहे सेकन्डरी या चाहे कॉलेज एज्यूकेशन का है, और चाहे हायर टेक्नोलोजिकल साइंस में एज्यूकेशन प्राप्त करने वाला है उसको आपको छात्रवृति देनी पड़ेगी, साधन उपलब्ध कराना पड़ेगा। अगर छुआछूत को मिटाने को और समाज को एक करने की एम्बिशन्स को पूरा करना है तो, मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा एक बिन्दु पर ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा और वह एक बिन्दु है, माननीय सभापति महोदय, सिफारिश नम्बर 177 सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विभिन्न आवासीय स्कीमों को कार्यान्वित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि अनुसूचित जाति का अलग बस्तियों में पृथक्करण न हो अपितु वे अन्य समुदायों के साथ मिश्रित बस्तियों में रहें, जब कभी भी कोई आवासीय स्कीम विशेषकर अनुसूचित जातियों के लिए हाथ में ली जाय तो उनमें उपयुक्त संख्या में मान लो 10 प्रतिशत मकान गैर अनुसूचित जातियों के लिए नियत कर देने चाहिये।" मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस सिफारिश की पालना नहीं कर रही है इस सिफारिश की पालना भी वह प्रारम्भ कर दे। शिक्षा के मामले में जैसा कि आपसे निवेदन किया उसमें सिफारिश है 183 उनका लिखना है—"प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित करते समय आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 9-14 वर्ष की आयु वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दाखिल न हुए अधिकांश बच्चे वास्तव में लाभान्वित हों और इसके सम्बन्धित आंकड़े भी एकत्रित किये जायें।"

यह जो अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। यदि वह स्कूल में आ जाये तो ठीक है लेकिन जो रेगुलर स्कूल में भर्ती नहीं हो सकें 9 से 14 साल की उम्र के बच्चे उनको प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से कवर करना चाहिये यह एक सिफारिश की गई। मैं चाहता हूं कि माननीय समाज कल्याण मंत्री जी इस सिफारिश को भी बड़ी मुस्तैदी से लागू करायें। इसके बाद.......

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं अभी समाप्त करता हूं। सिफारिश

(श्री कैलाश मेघवाल)

नम्बर 194–" "हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को अपने राज्यों में कम से कम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये स्थान आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिये।" ठीक है यह एक सिफारिश है और मैं यह भी जानता हूं जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें 8 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स के और 6 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब्स के स्थान मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित हैं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह सिफारिश पूरी नहीं है, पूरी यह है कि जनसंख्या के आधार पर 17 प्रतिशत 1981 की जनगणना के आधार पर शिड्यूल्ड कास्ट राजस्थान में हैं, 12 प्रतिशत 1981 की जनगणना के अनुसार शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं-शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का 17 और 12 का प्रतिशत मेडिकल कॉलेज में लागू कराने के लिये वर्तमान 8 और 6 की व्यवस्था में आप सुधार कीजिये। इन्हीं सिफारिशों के साथ एक सिफारिश और पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूं....

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिये आप। कृपया।

श्री कैलाश मेघवाल : आप तो बड़े उदार मन हैं।

श्री सभापति : आपको काफी समय हो गया।

श्री कैलाश मेघवाल : एक सिफारिश पढ़ देना चाहता हूं — पढ़ते ही बैठ जाऊंगा "यह खेदजनक बात है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के बावजूद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात रविशंकर तथा विक्रम विश्वविद्यालय, मध्य-प्रदेश, एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र, राजस्थान विश्वविद्यालय तथा बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, राजस्थान' इन सारे संस्थानों में अभी तक आदेशों की पालना नहीं हुई है। उन्हीं को मैं पहले रख चुका था। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ मुख्य सिफारिशें जो मैंने यहां व्यवस्था करके उनकी ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि ये जितनी भी सिफारिशें हैं राज्य सरकार उन सारी सिफारिशों का अध्ययन करे, अध्ययन करने के बाद राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की भलाई में उनका उपयोग करें। शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे। बाकी शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है मैं देखकर के भी आया हूं। शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये अन्य अवसर के लिए सुरक्षित रखता हूं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग से सिफारिशें हैं। मैं चाहूंगा कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ हमारे माननीय विधायक सरकार का ध्यान आकर्षित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमरचन्द ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, श्री दाऊदयाल जी को अभी बाहर जाना है इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले इनको बोलने दिया जाय।

श्री हरीसिंह (फुलेरा) : श्री दाऊदयाल जी इस बारे में क्या बोलेंगे ?

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जी की सदन में उपस्थिति अभी ज्यादा आवश्यक है।

(व्यवधान)

अभी एक सदस्य इधर से बोल लें, दस मिनट में।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : इनको बाहर जाना है।

श्री सभापति : जल्दी दे देंगे । श्री अमरचन्द जी।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही अच्छी बात है, कई समय से अनुसूचित जाति की रिपोर्ट एक बार चर्चा के लिए लेते आये हैं। सेशन खत्म हो उससे कुछ ही समय पूर्व इस पर बोलने का या इस पर चर्चा करने का समय रखा था लेकिन हमारे आग्रह को अध्यक्ष महोदय ने मान करके हमारे लिये आज टाइम रखा यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है।

आजादी के बाद शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के लिये बहुत ही अच्छे नियम बनाये। जब भारत का संविधान लागू किया गया, उस महापुरुष का नाम भी मैं लूंगा जिन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये इस प्रकार की व्यवस्था अपने विधान में रखी, डॉ. अम्बेडकर ने हमारे भारतवर्ष के अन्दर शोषित वर्ग को आगे बढ़ाने का द्वार खोला। उसी की आज देन है, आज हम मन्दिरों में जा सकते हैं; पूजा कर सकते हैं। सवर्ण और शिड्यूल्ड कास्ट्स में दिनों दिन भेद मिटता जा रहा है। बात सही है कि कई वर्षों का इस प्रकार का भेद इतनी जल्दी मिटाना आसान काम नहीं है। इसके साथ ही हमारी सरकार इस बात का भी प्रयास कर रही है कि शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स में ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा के स्तर पर और सरकारी नौकरियों के अन्दर भी अपना हक प्राप्त कर सकें, पहले तो हम यह स्वप्न देखा करते थे कि पढ़े लिखे लोग भी हमारे समाज में कहीं नजर आये लेकिन आज वह स्वप्न साकार हुआ। आज हमारे कई लोग ऊंचे पदों पर पहुंच चुके हैं। साथ में यह भी है कि वास्तव में यह दबा हुआ वर्ग एकाएक शिक्षा के अन्दर या उद्योगों में या किसी प्रकार अपनी आजीविका चलाने में असक्षम है इसका मूल कारण है कि राजा-महाराजाओं के जमाने में समाज का यह वर्ग दबा हुआ रहा इनमें शिक्षा का नामोनिशान नहीं था, आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं था। जब हमारी सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनने के बाद में इस प्रकार का संविधान बनाकर के गांधीजी ने द्वार खोला कि आज लोगों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे बड़ी, देन हमारे महात्मा गांधीजी की

(श्री अमरचन्द)

है जिन्होंने ऊँचे कुल को छोड़कर हरिजन बस्तियों में जाकर निवास किया और वहाँ पर स्वावलम्बी जीवन जीने को शिक्षा दी। हर काम अपने आप करो और हरिजनों के यहाँ जाकर के निवास किया। सवर्ण लोगों ने इसका विरोध भी किया और भेदभाव किया। आज वो चीज हम देखते हैं। आज यह चीज हम देखते हैं कि काफी अन्तर आ चुका है। बात यह है कि अभी भी शिक्षा की इस वर्ग के अन्दर बहुत कमी है। कई सुविधा उन लोगों को देने के बाद में भी कई बार ऐसी विडम्बना पैदा हो जाती है। वह पैदा नहीं होती, विडम्बना पैदा की जाती है. इन सवर्णों के सामने की शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हमारे बराबर अधिकारी कैसे रहें। जब मौका आता है इण्टरव्यू का उससे पहले हमारी व्यवस्था के अनुसार एडवर्टाइजमेंट निकलता है अखबार में, फार्म भर कर भेज देते हैं। लेकिन टेस्ट होने के बाद में भी कई ऐसे प्रसंग आये कि उत्तीर्ण होने के बाद भी नियुक्ति से वंचित रह गये। वह पद जो है उसमें लिखा गया कि योग्य कण्डीडेट नहीं मिलने के कारण अन्य व्यक्तियों से भरा गया। यह बात बिल्कुल इस बात का सबूत है कि हमारे साथ अभी भी इस प्रकार की ज्यादतियाँ होती रहती हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि सभी अधिकारी एक ही प्रकार के नहीं होते हैं अच्छे भी होते हैं जो हम लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने में पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन अभी ऐसे लोग भी मौजूद हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं जो एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करते हैं। हमारी सरकार इस बात के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे ताकि इसमें सुधार हो सके।

स्थिति यहाँ तक है कि कहीं-कहीं ऐसे भी विवाद खड़े कर देते हैं, अरे, क्या ये शिड्यूल्ड कास्ट के लोग राज कर सकते हैं, क्या ये लोग हमारे देश का हित कर सकते हैं, कुर्सी की गरिमा को निभा पायेंगे, क्या नियमों की पालना कर सकते हैं, क्या कन्ट्रोल कर सकते हैं। मैं उदाहरण के तरीके से एक बात कहूंगा कि आज जो हमारे यहाँ पर लाइटें हैं, हमारी सरकार ने बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था कर दी। लेकिन आजादी के बाद कुछ समय निकलने के पश्चात् भी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई फिर भी दीपक के सहारे पढ़ने वाले विद्यार्थी अन्य लोगों से कई गुना आगे नम्बर ले करके शासन को शोभायमान कर रहे हैं। मैं एक बात और कह दूं, आई.ए.एस. अफसरों की, अगर मैं यह कहूं तो जो कोई ऐसी बुरी बात नहीं होगी, आज जिस व्यक्ति की तुलना करूंगा कि सवर्ण जाति और शिड्यूल्ड कास्ट की। हरिजन जाति के बच्चे ने झोंपड़ी में पैदा होकर शिक्षा का अध्ययन किया और प्रयास और लगन के साथ जिलाधीश के रूप में पहुँच गया। चित्तौड़गढ़ के अन्दर हरिजन जाति का कलेक्टर लगा हुआ है। आज तक जितने भी कलेक्टर वहाँ रह चुके हैं उनसे पहले के कलेक्टरों की सारी बातें भुला दी। उस व्यक्ति ने उस जिले में रहकर जिस प्रकार से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के गरीब लोगों की सेवा की। जो कि दस-दस साल, 12-12 साल, 15-15 साल से सवर्ण लोग जमीनों पर कब्जा किए हुए थे उन्हें हटाकर गरीब

(श्री अमरचन्द)

लोगों को कब्जा दिलाया। आज उनकी फसलें वहां पर लहालहा रही हैं। आज वह लोग कहते हैं क्या सरकार आई, आछ्या कलेक्टर साहब ने भेज दी दो। म्हांका खेत हरा-भरा हो गया। पहाड़िया जी के शासन में भी बहुत अच्छे कामों की शुरुआत हुई। साथ ही साथ माथुर साहब की सरकार आने के बाद माथुर साहब द्वारा मुख्य मंत्री पद का भार संभालने के बाद में जो हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे समाज कल्याण मंत्री श्री दूलाराम जी हैं उन्होंने कई योजनायें सरकार के सामने रखी। वह पास होकर के आज देश के अन्दर शानदार कालोनियाँ बनाकर हर आदमी को मकान दिया जा रहा है। कई प्रकार की अन्य योजनायें हैं, भट्टा योजना, सिनेमा योजना। मैं कहता हूं कि आज कई ऐसे अवसर प्राप्त हैं इस बात को नकारा नहीं जा सकता। यह बात नहीं कि वास्तव में उत्थान हो गया है या सबका विकास हो गया है। अभी तो बहुत समय लगेगा। मैं इस रिपोर्ट के अनुसार पूरा विश्वास रखकर चलता हूं। वास्तव में जो नियम बनाये गये हैं उसकी जो पालना होनी चाहिए वह पालना अभी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि वास्तव में ऐसी कोई बात होती हो तो उस पर कड़ी निगाह रख करके उसमें सुधार लाया जाये।

मैं यह निवेदन करूंगा कि आज, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, आज हमारी शिक्षा में जो कमी है उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो करके अपना निर्वाह कर सकेगा। मैं लम्बी बात नहीं कहते हुए जो रिपोर्ट आज रखी जा रही है, जिस प्रकार हमारे और साथी भी बोलेंगे, उस ट्राइबल की रिपोर्ट के बारे में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा आज हमारे लिए सुरक्षा की, कानून की सुविधा है। इसका प्रावधान हमारी सरकार ने रखा है। कानूनी सुविधा गरीब वर्गों को मिलनी चाहिए, ट्राइब्स और शिड्यूल कास्ट के लोगों को मिलनी चाहिए। सस्ता न्याय, सस्ता कानून आज वास्तव में कागजों में है, क्रियान्विति अभी नहीं हुई है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा इसके अन्दर थोड़ा ध्यान रखा जाय। देखिये, आज तक भी यह समाज सक्षम नहीं है जो स्वतः जाकर अपनी बात कह सके और न्याय ले सके तो मेरा निवेदन है कि यह सुविधा उनको दिलायी जाय ताकि वह लोग अपनी बात जाकर कह सकें। इसके लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था करायी जाये ताकि उनकी हालत सुधर सके। आज आर्थिक दृष्टि से तो वह लोग पिछड़े हुए हैं ही।

एक बात मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा, हमारी सरकार ने बड़ी सुन्दर और अच्छी योजना बनायी। वह पानी की योजना बनाई। बड़ी-बड़ी टंकियां और बड़े-बड़े टैंक और नल योजना तो बाद में बनायी जायेंगी लेकिन उसके पहले हमारे यहां पर हैण्डपम्प की योजना की व्यवस्था की गयी है। हमारी सरकार ने बहुत सुन्दर कार्यक्रम बनाया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत उन गरीबों को आगे बढ़ाने के लिये हैण्डपम्प लगाये और उसमें मेम्बर रखा, एक तो प्रधान को, एक सरपंच को और एक विकास अधिकारी को इन तीनों

(श्री अमरचन्द)

को रखा। राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के यहां पहले हैण्डपम्प लगाये जायें और उसके बाद में सार्वजनिक स्थान जहां पर सभी लोग पानी पीते हैं, पर हैण्डपम्प लगाये जायें। पर हुआ उसका उलटा परिणाम। जो व्यक्ति सक्षम थे उन लोगों ने अपने द्वार के आगे हैण्डपम्प लगवा लिये और बेचारे जो गरीब लोग थे वे देखते ही रहे और कहते रहे साब मार्क आउट नहीं लायो हैण्डपम्प। मैं यह नहीं कहता कि उन लोगों के मोहल्ले में हैण्डपम्प नहीं लग सका लेकिन अधिकतर यह हुआ कि जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उनके प्रभाव में आकर के सवर्ण लोगों के मकानों के आगे हैण्डपम्प लगाये गये हैं। हमारी सरकार ने तो इसके लिये जांच भी कर ली है कि यह बात कहां तक सही है और उसके लिये कौन जिम्मेदार व्यक्ति जिन्होंने इस प्रकार की अनियमितता की। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो राज्य सरकार न्याय दिलाने के लिए प्रयत्न करे।

दूसरी बात, औषधालयों की व्यवस्था नहीं है। वहां पर विशेषकर जो प्रभावशाली होंगे वे औषधालय को अपने यहां ले जायेंगे। मैं मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, जो सबसे पिछड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में गांव गंगरार व राशमी जिसके अन्दर पिछड़े हुए लोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग और गरीब किसान निवास करते हैं। वहां पर यह जो स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी है वह नहीं मिल पाती है और शिक्षा का भी अभाव है। स्कूलों के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने बहुत ही सुन्दर निर्णय लिये है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। 250 की आबादी के ऊपर एक प्राथमिक शाला खोलने के लिए; दूसरा पंचायत हैड क्वार्टर पर एक मिडिल स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इस प्रकार पांच-छः मिडिल स्कूल खोले। इसी प्रकार सैकण्डरी स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है वह तो सराहनीय है। मैं तो, सभापति महोदय, इस बात के लिये माननीय माथुर साहब को धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया है। उन्होंने राजस्थान का शासन सम्भालने के बाद जो यह व्यवस्था की है और आपने विकास में जो गति दी है उसके लिये वास्तव में धन्यवाद देता हूं। लेकिन मन्त्रियों के लेवल पर जो बातें होती हैं, भेदभाव बरता जाता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, रोडों का एक मसला आया जहां रोड हैं वहां रोड दे रहे हैं, जहां नहीं हैं वहां पर आप नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार का भेदभाव नहीं बरतना चाहिए, समान दृष्टि से कार्य करना चाहिए। यह तो हमारे साथ भेदभाव वाली बातें हो रही हैं। इस प्रकार का भेदभाव हमारे राज्य में हो रहा है। मैं तो यह निवेदन करूंगा इसमें अगर कोई भूल हो गयी हो तो बात अलग है पर वास्तव में अगर जान बूझ कर भूल की गयी है तो यह बात अच्छी नहीं है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री रूपलाल ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर । मुझे जाना है, मुझे बोलने दिया जाय ।

श्री सभापति : रूपलाल जी आप विराजिये । आप बाद में बोल लेना पहले जोशी जी को बोलने दें । उसके बाद आप बोलें ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आप मेरे बाद बोल लें ।

सभापति महोदय, मुझे बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ता है और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अन्धों के आगे रोना और अपनी आंखें खोना है । सभापति महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो मन्त्री इस सारी डिबेट का जवाब देगा वह सदन में मौजूद नहीं है तो फिर हम किसके आगे अपना दुःखड़ा रो रहे हैं । मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, सम्माननीय मांगीलाल जी साहब, आप से प्रार्थना करता हूं कि आपको रिप्रजेन्ट करने वाला राजस्थान का मन्त्री तो यहां है ही नहीं । कौन आपको रिप्रजेन्ट करता है ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी (विधि मन्त्री): मैं रिप्रजेन्ट करता हूं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को रिप्रजेन्ट नहीं करते हैं आप किन को रिप्रजेन्ट करते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं । आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रिप्रजेन्ट नहीं करते हैं, माफ कीजियेगा । आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं यह हम अच्छी तरह से जानते हैं । आप शिड्यूल्ड कास्ट्स को रिप्रजेन्ट नहीं करते हैं । सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप भी अकेले में चाचा की मजाक करते हैं ।

(व्यवधान)

आप भी चाचा की मजाक बनाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, बहुत अच्छा हुआ मन्त्री महोदय आ गये । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात गत चार सत्रों से इसी विधान सभा के प्रांगण में उठायी जाती रही है । बाबा अम्बेडकर जयन्ती पर……

श्री दूलाराम (समाज कल्याण मन्त्री) : एक बात मैं बीच में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य, कि जब कभी कोई मन्त्री कहीं जाता है तो वह दूसरे मन्त्री

(श्री दूलाराम)

को कह जाता है कि उनके विभाग के बारे में जो बात कही जा रही है उसके पाइन्ट नोट करके बाद में बता दें ताकि वह अपने जवाब में उनका उत्तर दे सकें।

(व्यवधान)

जहां तक आपकी हमदर्दी है वह तो ठीक है मैं आपको आपकी बात का जवाब दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं, मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्य अमरचन्द जी ने बात सदन में कही थी उनकी एक बात अगर मन्त्रीजी ने नोट की है तो मैं चला जाऊं . . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री दूलाराम : मैं सभापति जी को यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूं कि जब आप चले जायेंगे ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने विषय पर बोले। आप अपनी डिबेट पर आ जाइये।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, बाबा अम्बेडकर के विषय में सदन में हर बार चर्चा होती है कि बाबा अम्बेडकर की जयन्ती पर सारे राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिये यहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रिप्रजेन्ट करने वाले, माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य हर बार बाबा अम्बेडकर जयन्ती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने को कहते हैं पर यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार, जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के वोट प्राप्त करती है।

(3.58 म. प)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

34 साल के बाद भी घोषणा नहीं कर रही है। बाबा अम्बेडकर जिनको वास्तव में मैं भी मानता हूं कि आज अगर बाबा अम्बेडकर नहीं होते तो हिन्दुस्तान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो लाभ मिला है वह नहीं मिल पाता है लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है, मैं मन्त्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब हाऊस में रिप्लाई देते वक्त यह भी घोषणा करेंगे कि इसी साल क्योंकि और यह चुनाव का काल भी है आपको फायदा भी होगा वोट भी मिलेंगे मेरी सलाह मानकर भगवान के नाम आप इस साल यह घोषणा कर दें कि बाबा अम्बेडकर की जयन्ती पर राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य·······

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके जनता पार्टी के शासन के समय आपने अवकाश घोषित नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि आपने छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कम आबादी होते हुए भी अधिक व्यय करने का प्रावधान किया है आपने राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये 31.33 करोड़ रुपये के

(श्री दाऊदयाल जोशी)

खर्च का प्रावधान किया है और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये जो राशि रखी है वह 233.84 करोड़ रुपये है। माननीय मन्त्री महोदय, इस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने जो बजट तय किया था क्या ईमानदारी के साथ प्रति वर्ष पूरा खर्च होता है। यहां करोड़ों रुपयों की राशि लैप्स होती है। शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर जितना पैसा दिल्ली से आता है और जो राज्य सरकार वहन करती है उसका माननीय मन्त्री महोदय, 25 प्रतिशत भी फायदा उस गरीब को, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नहीं मिलता है उसको तो ऊपर का ऊपर ही उड़ा दिया जाता है। मन्त्री महोदय, यह माही प्रोजेक्ट जो बनाया गया था। इसका सारा पैसा कोई इन्डीविजुअल व्यक्ति के ऊपर उठाने की बात थी, अन्त्योदय योजना थी, उसमें अन्तिम व्यक्ति के ऊपर उठाने की बात थी। पर उन कमजोर वर्ग के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। निर्णय जो हुआ वह कार्यान्वित नहीं हुआ। गरीब व्यक्ति जहां था वहीं पड़ा हुआ है। आज भी मुझे याद है पश्चिमी राजस्थान के अन्दर एक बीमारी है नारू और उसका इलाज आज तक नहीं कर पाये। उसका इलाज कराने के लिए मेरे कोटा क्षेत्र से लोग जाते हैं। आपके पश्चिमी राजस्थान में उस बीमारी का नाम है नारू, पाला। आपके यहां पर नारू रोग है। आज यह नारू रोग बड़े लोगों को नहीं होता, शहर के लोगों को नहीं होता, यह ग्रामीण क्षेत्र में होता है। ठेठ गांव में रहने वाले शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियों में होता है। मुझे याद है, मैं जोधपुर साइड में गया था वहां गांव के अन्दर एक-एक घर में चार-चार और पांच-पांच व्यक्तियों पर नारू रोग का असर था। क्या आप यह घोषणा कर सकते हैं कि राजस्थान में नारू रोग, जो केवल गंदे पानी की वजह से होता है, समूलतया नष्ट हो गया? नहीं हुआ। आज भी उस क्षेत्र के लोग इस रोग का इलाज कराने के लिए घूमते रहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहाड़ियाजी के मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया था कि जो अन्तर्जातीय विवाह करेगा उसको राजस्थान सरकार अनुदान के रूप में दस हजार रुपये देगी। आज भी इस रिपोर्ट में अस्पृश्यता निवारण के तहत घोषित किया है और आयोग ने सिफारिश की है—

'जिन राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अन्तर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देने के लिए स्कीम शुरू नहीं की है उन्हें ऐसा करना चाहिए और जिन राज्यों संघों राज्य क्षेत्रों ने ऐसी स्कीमें पहले ही शुरू कर दी हैं उन्हें चाहिए कि वे अन्तर्जातीय विवाह करने वालों को मिलने वाले प्रोत्साहनों को और उदार बनाने की वांछनीयता पर विचार करें ताकि इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में ऐसे प्रकोष्ठ स्थापित किये जायें जो अन्तर्जातीय विवाह करने वाली दम्पतियों से प्राप्त शिकायतों पर ध्यान दें और उन्हें विवाह से पहले या विवाह के बाद होने वाले किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचायें। इन प्रकोष्ठों का उपयोग यह सूचना देने के लिए भी किया जा सकता है कि अन्तर्जातीय विवाह करने वाली दम्पतियों को किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तर्जातीय विवाह के अन्दर आप अच्छी राय दें और शिड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों की शादी दूसरी जाति में कैसे हो सकती है इस पर आपके विचार आयें तो अच्छा हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर आपके बच्ची हो तो दाऊदयाल के बच्चा है एम. बी. बी. एस.……

श्री दूलाराम : मेरे तो लड़का है।

श्री दाऊदयाल जोशी : … हम दोनों ब्याह कर लेंगे। अपने बच्चे का संबंध मैं करने को तैयार हूं…

श्री दूलाराम : मेरा लड़का 16 साल का है और लड़की दो साल की है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह कथनी और करनी है, माननीय मंत्री जी।

श्री दूलाराम : यही तो मैं कह रहा हूं कि आपके भाषण में अन्तर्जातीय विवाह की बात तो आ सकती है लेकिन उस पर अमल नहीं हो सकता।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं तो अमल कर रहा हूं। तुम्हारी लड़की हो तो मेरा लड़का तैयार है।

श्री दूलाराम : ठीक है, मुझे लड़की दे दो और लड़का भी दे दो मैं तैयार हूं। माननीय सदस्य, मुझे मंजूर है। आपका लड़का भी दे दो और लड़की भी दे दो और मेरा भी लड़का और लड़की ले लो, मुझे मजूर है। अगर आपने भाषण दिया है तो स्वीकार कीजिए। कन्यादान स्पीकर साहब से ही करवायेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे एक ही लड़की है और मेरी लड़की की शादी की तारीख दो दिसम्बर है। आपको निमंत्रण है। है क्या हिम्मत? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह था कि…

श्री दूलाराम : लोग रोटी बन्द कर देंगे आपकी।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है, इस रिपोर्ट पर मेरा चैलेंज है कि मुख्य मंत्री जी की बात तो छोड़िये, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, माननीय समाज कल्याण मन्त्री जी, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट है जिसको मैंने पढ़ा है, यह मेरा चैलेंज है अगर आपने इसको पढ़ा है तो बता दीजिए कि भंगी कष्ट मुक्ति का पेज कितने पर वर्णन किया गया है। माननीय नेता लोग केवल वोट लेने के समय पर जाकर उसके घर पर दस्तक देते हैं कि भाई चमार, भंगी, रैगर यह खा जायेंगे दूसरे लोग और उस गरीब का वोट लेने के बाद कभी भी जाकर उस गरीब को संभाला नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि अन्तर्जातीय विवाह के लिए जैसा कहा था कि पहाड़िया जी के मंत्रिमण्डल में निर्णय था कि जो करेगा उसको दस हजार रुपया दिया जायेगा। क्या हुआ उस निर्णय का? कार्यान्वित नहीं हुआ। पहाड़िया जी शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी थे और उनके दिल में दर्द था, वेदना थी। लेकिन आज शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति

(श्री दाऊदयाल जोशी)

राजस्थान में मुख्य मंत्री नहीं रह सकेगा....

श्री दूलाराम : पहाड़िया जी के मंत्री मण्डल में भी था मैं और आज भी निर्णय हमने ही लिया है इसलिए कृपा करके कोई भी लड़का ले आइये, हम दस हजार रुपया देंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : घोषणा कराना।

श्री दूलाराम : लड़का है आप कोई लड़की तैयार कीजिए, मैं दूंगा दस हजार रुपया।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह × × × की बात नहीं है। यह राज्य है, यह विधान सभा है।

श्री दूलाराम : अन्तर्जातीय विवाह के मामले को समझते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो उस समय मंत्री मण्डल ने निर्णय लिया है उसको क्रियान्वित करो...

श्री अहमद बक्स सिंधी : अन्तर्जातीय विवाह अलाउड है। हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी कर सकता है।

श्री दूलाराम : एक मिनट माननीय सदस्य, मेरा निवेदन सुन लें। आपको भी मानता हूँ, आपके यहाँ कैलाश मेघवाल कुंवारे हैं उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी करा दो तो दस हजार रुपया मैं दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : तैयार हो ? मैं तो दस हजार भी नहीं लूंगा। एक पैसा भी नहीं लूंगा। अभी करो। आप कर दो एक रुपये से तिलक।

श्री दूलाराम : एक लड़की आप दे दो और एक मैं दे देता हूँ। अगर कोई जाति का ब्राह्मण है और अगर कोई देना चाहे तो मैं तैयार हूँ। मैं हरिजन हूँ और जुबान का पक्का हूँ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज अत्याचार होते हैं, उत्पीड़न होता है। मैं पूछना चाहता हूं, नगर परिषद् के मंत्री यहां नहीं हैं, 265 रुपये की एक गाड़ी बनी और कोटा नगर परिषद् में 1500 गाड़ियां भेजी उसमें हरिजन टट्टी उण्डेल कर उसको हाथ से घसीटकर ले जायेगा। माथे पर नहीं ले जायेगा। टट्टी साफ करेगा, उस डिब्बे में डालेगा और जहां पर आपने टैंकर खड़ा किया है वहां जाकर उसमें डालेगा। तो बात तो वहीं की वहीं रही। लोग तो चंद्रमा में जा रहे हैं, कृपा करके इतना ही करो अपने कार्यकाल में, हालांकि अब आ रहा है आपका कार्यकाल, उसके पहले-पहले राजस्थान में एक काम कर जाओ कि राजस्थान में कभी नहीं देखेंगे, कि हरिजन टट्टी साफ कर रहा है। मेरा निवेदन है कि जब कमीशन ने रिपोर्ट दी है तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं किया जा रहा है। अत्याचार तो चरम सीमा पर है।

अध्यक्ष महोदय; शिड्यूल्ड कास्ट और

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

ट्राइब्स के बारे में पिछली बार मैंने विधान सभा में यह चर्चा उठाई थी कि कोटा के मंडाना क्षेत्र में एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को पुलिस थाने में मार डाला। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपके मन में थोड़ी भी पीड़ा है तो शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति के साथ में जो यह हुआ उसका क्या हुआ ? आज तक थानेदार को जेल के सींखचों में नहीं डाला। इसी विधान सभा में जवाब दिया था कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स की 13 औरतों के साथ बलात्कार किया गया। थाने में पुलिस के संरक्षण में बलात्कार हो और हम फिर दावा करें और इस बात को ठोकें कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को ऊपर उठाना चाहते हैं। जो गरीब महिला रिपोर्ट दर्ज कराने जाये उसका सतीत्व लूटा जाए इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि...

श्री डूंगाराम : रेप तो सबके साथ होता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : माडा योजना के नाम पर आपने एक योजना बना रखी है—मिनि ट्राइबल प्लान। इसका कौन-कौन सी जगह काम हुआ ? मेरे क्षेत्र के 9 गांव, जो मांडा योजना में आते हैं, के लिए 9 लाख रुपया मंजूर किया। पिछली बार सत्र में माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि 9 लाख रुपये में से 37 हजार केवल मात्र खर्च हुआ है। आखिर यह हो क्या रहा है ? राज्य सरकार के बजट में पैसा देते हैं तो उसका उपयोग क्यों नहीं होता है ? मैं आज के दिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई न कोई एजेन्सी कायम की जाय जो यह देखे कि हम जो पैसा स्वीकार करते हैं बजट में, उसका सही-सही उपयोग हो रहा है या नहीं; उसका सही-सही आंकलन हो रहा है या नहीं, सही पैसा लग रहा है या नहीं। आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावास खोले। चार छात्रावास खोले लेकिन उनकी आज क्या हालत है। क्या उनमें भेड़-बकरियों की तरह बच्चे नहीं रहते हैं। सीगोद में एक छात्रावास है मेरे जिले में, उसमें जगह नहीं है, मकान नहीं है। मकान खण्डहर है। मैंने अनेक बार कहा, कलेक्टर साहबान को कहा कि किसी न किसी तरीके से भवन बनावें। भवन बनाने की बात नहीं है, किराये का भवन है। अवैध सन्तानों के लिए शिशु गृह कायम किये जायें। आज से दो महीने पहले मैं उसे देखने गया था। माननीय मन्त्री जी, करोड़ों रुपयों का सामान भरा पड़ा है। एक तरफ तो जैसा यहां अभी माननीय भैरूलालजी ने कहा 800 स्कूल खोल दिये गये लेकिन उनमें कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरी तरफ उसमें करोड़ों का सामान है। अपने बच्चों का छात्रावास जहां चलता हो, अनाथ बच्चों का जहां छात्रावास चलता हो, जो किसी प्रकार मर्डर करके चले जाते हैं जिनके माता-पिता नहीं हों ऐसे बच्चों के छात्रावास जहां चलते हों ऐसे भवन में अवैध रूप से आपका सारा सामान भरा पड़ा है। उन लोगों से अनेक बार मैंने कह दिया कि अवैध सामान को हटावो लेकिन उनको कोई चिन्ता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस विद्यालय

(श्री दाऊदयाल जोशी)

में, उस छात्रावास में जहां बच्चे पैदा होने के बाद, बच्चे के जन्म होते ही उस डिब्बे में डालते हैं तीन दिन से वह डिब्बा ही बन्द है। मैंने कहा डिब्बा बन्द है और उसकी घन्टी बन्द है। अब कोई बच्चा घर जाय और घन्टी नहीं बजे तो क्या होगा ? मैंने पूछा कि क्या बात है डिब्बा बन्द कैसे है ? तो जवाब मिला, नहीं साहब। जब पता लगाया तो कहा गया यह अभी खराब हुआ है। लेकिन पता करने पर मालूम हुआ कि तीन दिन से डिब्बा बन्द पड़ा है। एक अच्छी योजना से पैसा होते हुए अयोग्यता के कारण, अकर्मण्यता के कारण, माननीय मन्त्री जी, इन गरीबों को राहत नहीं मिल रही है। अगर आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को रिप्रेजेन्ट करते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने ऊपर ही मत सोचिये कि राजस्थान आवासन मंडल का मकान खुद को मिल जाय दूसरे जायें भाड़ में, ऐसा मत सोचिये। ये गरीब आपको दुआ देंगे तब तो आप समाज कल्याण के मन्त्री हैं नहीं तो आप अयोग्य मन्त्री हैं। इसलिए आप तुरन्त उनके हितों को संरक्षण न देने के कारण त्याग पत्र दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर बहस चल रही है। पिछले वर्ष भी इस पर बहस चली थी। सरकार यहां चर्चा के बाद में उस पर कोई क्रियान्विति नहीं कर पा रही है। किसी भी महकमे के प्रति सरकार जागरूक नहीं है और कोई भी आदेश नहीं हो पा रहे हैं बल्कि समस्या दिनोंदिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। छुआछूत के मामले भी इतने सामने आ रहे हैं, आज से 10 वर्ष पहले कोई हरिजनों की बारात पर हमला नहीं होता था लेकिन अब तो प्रतिदिन विधान सभा क्षेत्र में 3-4 केस अवश्य बन जाते हैं। उनके साथ मार पिटाई की जाती है, उनको घोड़ों पर से गिरा दिया जाता है और पुलिस भी हल्के फुल्के ढंग से लेती है। किसी भी ढंग से उस गुनाह की सजा नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार की एक प्रक्रिया चल रही है।

हमारे भारतवर्ष में स्वतन्त्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाने में काफी काम किया है। उनके प्रयत्नों से आजादी भी मिली लेकिन उसके बाद भी छुआछूत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को ऊपर उठाने की योजना नहीं बनी और न ही किन्हीं बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा कोई संकल्प लिया गया। यह सरकार इस छुआछूत के मामले को उतना ही छूती है जितना वोट प्राप्त करने में आवश्यकता है। अपने रास्ते में जितनी सी जरूरत पड़ती है उतना ही इस मामले को छू लेती है। अब तो, अध्यक्ष महोदय, जब जनता के बीच में हम जाते हैं तब और लोकसभा और विधान सभा में यह चर्चा होने लगी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग भी एक दूसरे से छुआछूत करते हैं और इन लोगों में भी आपस में खान-पान

(श्री रामकंवार बैरवा)

एक जगह नहीं हो रहा है। इसलिए छुआछूत नहीं मिट रहा है। पिछली 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयन्ती मनाई गई थी, शायद आप भी उपस्थित हुए थे, तब मुख्य मन्त्रीजी ने भी यही बात कही थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति एक-दूसरी जाति से छुआछूत करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के अन्दर जो लोग सरकार के अन्दर बैठे हैं और जो भी लोग सरकार में बैठे हैं चाहे वे आफिसर लाइन में हों या जन प्रतिनिधि के रूप में हों अगर वे ही इस क्षेत्र में नहीं उतरते हैं तो आम जनता की हिम्मत नहीं होती। सरकार में बैठे हुए लोग हरिजनों के मोहल्लों में जब आते हैं, हरिजनों की सभाओं में जब जाते हैं तब तो हरिजनों के उद्धार की बात करते हैं और वे ही लोग सवर्णों के मोहल्लों में जाते हैं या उनकी सभाओं में जाते हैं तब उनके उत्थान की बात करते हैं। आज इसी प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है इसलिये इसमें कोई सुधार नहीं आ पाया है।

सरकार द्वारा इन गरीब लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जो जमीनें दी गई थीं उन पर भी, अध्यक्ष महोदय, करीब 60 प्रतिशत लोग कब्जा नहीं कर पाये। वे लोग किसी भी रूप में उस पर खेती बाड़ी नहीं करते हैं। वे अपने परचे के पैसे जमा करवाते हैं किन्तु खेत में अनाज बो करके अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी मदद नहीं मिल रही है। यह भ्रष्टाचार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। गरीब लोग पैसे उतने दे ही नहीं सकते जिससे उनका काम हो सके और उनको अपना हक प्राप्त हो सके।

अकाल, महंगाई और बाढ़ वगैरह के शिकार ये ही लोग होते हैं। आज अध्यक्ष महोदय, महंगाई के नाम गरीब लोग हैं, न उनके पास नौकरी है, न अपनी जमीन उतनी है कि वह कमा कर खा सकें। वे तो बेचारे मजदूरी पर ही निर्भर करते हैं। अकाल का प्रभाव भी उन ही लोगों पर पड़ता है, महंगाई का असर भी उन्हीं पर पड़ता है। वे लोग आज अच्छी तरह दाल-रोटी भी नहीं खा सकते हैं और न ही अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकते हैं और न ही शादी विवाह अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज के जमाने में उनका इलाज नहीं हो सकता, उनकी शिक्षा नहीं हो सकती।

इसके साथ-साथ पीने के पानी की समस्या भी आज उनके सामने है। इस साल में अकाल होने की वजह से पूरे राजस्थान में पीने के पानी की समस्या खड़ी हुई है उन लोगों के लिए। कई जगह कोड़े का पानी पीकर प्यास बुझानी पड़ रही है। एक-एक किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है। कई दफा हमने सरकार से कहा कि ऐसा मसला है इसलिए हैण्डपम्प वगैरह लगावें या कोई कुआ बनवा करके व्यवस्था करावें लेकिन सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है।

सन् 60-61 में एक अभियान चलाया था राजस्थान में हरिजनों को कृषि सह-

(श्री रामकंवार बैरवा)

कारी समिति के माध्यम से जमीनें देने का उस समय राजस्थान में इस प्रकार की कोई चार सौ के आसपास कृषि सहकारी समितियों को जमीनें दी गई थीं। उन जमीनों को भगवान के नाम पर छोड़ दिया गया। वह उनका विकास नहीं करा सकीं। वह लोग जो पहले जमीन पर झोंपड़े डाले हुए थे उन पिचहत्तर प्रतिशत लोगों की जमीन सामूहिक खेती के नाम पर हड़प कर ली। जो साधन सम्पन्न लोग हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और वह खेती कर रहे हैं उपज कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के लिये जो कृषि सहकारी समितियों को जमीनें दी गई थीं उन जमीनों की पूरी जांच करवाई जावे और जांच करवाई जाकर जिन लोगों के नाम पर पहले जमीन दी गई थी उन लोगों को वापस दिलवा करके उन जमीनों पर बसाया जावे और उनको अपने खातेदारी राइट दिये जावें ताकि वे स्वतन्त्र रूप से खेती-बाड़ी कर सकें और जमीन के मालिक बन सकें।

नौकरियों के मामले में हरिजनों और आदिवासियों का जो रिजर्व कोटा है वह पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके समाज कल्याण विभाग के अन्दर हरिजनों की आज कितनी प्रतिशत संख्या है, यह बताया जावे। आप अपने जवाब में बतायें कि आपके विभाग में पूरे राजस्थान में छात्रावास से लेकर आपके जितने भी आफिस हैं उनमें कितने प्रतिशत हरिजन कर्मचारी हैं। इसका आप अपने उत्तर में उल्लेख करें। और आगे के लिए क्या ठोस कार्यवाही करने जा रहे हैं उसका भी पूरे रूप से उल्लेख किया जावे।

राजस्थान सरकार द्वारा हुडको की योजना चलाई थी। तीन हजार रुपया एक मेम्बर को दे करके एक कमरे की व्यवस्था करने का जो राजस्थान सरकार का संकल्प था इस बीस सूत्री कार्यक्रम में, उन लोगों के आज पूरे राजस्थान में अधूरे कमरे बने हुए हैं। किसी को पांच सौ रुपया मिला है तो किसी को हजार रुपया मिला है। उनके जो भी कच्चे मकान बने हुए थे उनको भी तोड़-फोड़ करके वह बेघर हो गए हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जिन लोगों को आपने तीन हजार रुपये दे करके एक कमरा बनाने का जो संकल्प किया था उसको जल्दी से जल्दी तीन हजार रुपया दें। हुडको द्वारा जिन लोगों ने मकान बुक करा रखे हैं उनके मकान जल्दी से जल्दी पूरे करवाये जावें ताकि वह लोग अपना सिर ढक सकें। पिछली बरसात में उनकी बड़ी दुर्दशा हुई थी। जो उनके पास कच्चे घर थे उनको भी तोड़-फोड़ दिया। उनको तहस-नहस कर वे बेघर हो गए। आज उनके मकान अधूरे बने हुए हैं।

इसके साथ ही आपके जो छात्रावास हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा। दस साल पहले जो छात्रावास चलते थे उनमें काफी सुधार था, अब आज की तारीख में उनमें देखरेख की बहुत बड़ी कमी आ गई है। छात्रावास में जो बच्चे रहते हैं उनके खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। उनके सामूहिक रूप से अच्छी तरह से रहने की,

(श्री रामकंवार बैरवा)

खाने की व्यवस्था नहीं है। उनको शुद्ध खाना नहीं मिलता है। इसलिए उनके जितने भी सुपरिटेन्डेण्ट्स हैं उनको आदेश जारी किये जावें कि होस्टल की जो व्यवस्था है उसमें सुधार जल्दी से जल्दी लाया जावे। लड़कों से इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको असली जानकारी मिल सकेगी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति ....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, इस विवाद में आप पूर्व में भी हिस्सा ले चुके हैं इसलिए अब आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो मिनट और लूंगा।

अनुसूचित जाति के लोगों के लिए घरेलू उद्योगों के लिए सरकार इस प्रकार की कोई योजना बनायें जिससे वे अपना खुद का काम कर सकें। जिस तरह से सरकार ऊंट, बैलगाड़ी या भैंस वगैरह खरीदने के लिए पचास प्रतिशत सब्सिडी देती है, इसी प्रकार घरेलू उद्योगों के लिए सब्सिडी कायम करके थोड़े ब्याज पर रुपया दिया जावे। घरेलू उद्योग में काम करने को उनको प्रोत्साहित करें तो हमेशा के लिए उनको बेरोजगारी से छुटकारा मिल सकेगा और खुशहाल बन सकेंगे।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि कोई इस प्रकार का ठोस, रचनात्मक प्लान अनुसूचित जाति, जन जाति को दें ताकि हमेशा के लिए इस गरीबी से और जो उनके सामने समस्या खड़ी हो रही है आर्थिक स्थिति की उससे, उनको छुटकारा मिल सके। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपलाल।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज सवेरे जब शोकाभिव्यक्ति चल रही थी उस वक्त गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारकाप्रसाद जी पुरोहित को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, उसमें उन्होंने कह दिया कि जोधपुर के भूतपूर्व महाराज ने पाकिस्तान से मिल करके षड्यंत्र किया था, Something like that. आप प्रोसिडिंग्स देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि किसी व्यक्ति के बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं हो इस तरह के चार्ज नहीं लगाने चाहिए। यह बहुत गलत बात होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको एक्सपंज किया जावे।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : इसमें गलत बात क्या थी।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। मैं सदन की कार्यवाही देख लूंगा उसके पश्चात् इस पर व्यवस्था दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

(श्री मेघराज तावड़)

पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, यह था मेरा कहना।

श्री यदुनाथसिंह : यह तो किताबों में छपा हुआ है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हिस्टोरीकली करेक्ट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रूपलाल परमार (खैरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष साहब, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर मैं आपकी सेवा में, समाज कल्याण मंत्री जी की सेवा में मेरे विचार रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष साहब, अनुसूचित जाति, जनजाति का ऐसा समाज है कि इस समाज के साथ में अंग्रेजों के वक्त में भारी जुल्म हुए और उनके साथ संघर्ष करना पड़ा। अनुसूचित जाति और जनजाति का आर्थिक और सामाजिक शोषण हुआ। उसके बाद हमारे देश के महान् नेता महात्मा गांधी ने एक कठिन कदम उठाया। इन जुल्मों के खिलाफ, अनुसूचित जाति और जनजाति को मानव के बराबर लाने के लिए बहुत बड़ा कठिन कदम उठाया। आज अनुसूचित जाति और जनजाति का जो भला हुआ है वह महात्मा गांधी की देन है, वह देश की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की देन है। आज अनुसूचित जाति, जनजाति महात्मा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को भूल नहीं सकती। 1943 में जब मैं पढ़ता था उस वक्त हमारे पर बहुत जुल्म हुए। हमने स्वयं भुगते हैं, हमें याद है। उस वक्त एक संत था वहां पढ़ाता था, वहां पर छूत-अछूत का एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न था, पानी पीने में, बैठने में बड़ा अन्तर किया जाता था। वहां पर विद्यार्थियों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता था। हरिजन, मेघवाल, आदिवासियों के बच्चे को इतने बड़े बांस के नलिये से पानी डालते थे। मटके से वे ही पीते थे हम नहीं पीते थे। आज हम आपके नजदीक पहुंचे हैं। किसकी मेहरबानी है? यह कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी है, महात्मा गांधी की मेहरबानी है, जवाहरलाल नेहरू की मेहरबानी है। आज ना पक्ष के माननीय सदस्य लम्बे-लम्बे भाषण देते हैं और उन भाषणों में यह कहा जाता है कि हरिजनों और मेघवालों को मन्दिर में घुसने नहीं देते। मन्दिर तो भगवान का स्थान है, सबसे पहले आप अपने सीने पर हाथ कर अपने मकान में रखने की कोशिश करो, वहां ले जाकर खाना खिलाओ, बेटी व्यवहार पाणे करो तब यह छूत दूर हो सकता है। भगवान के मन्दिर, जो पवित्र स्थान है, में जाने से रोकने वाले कौन हैं? वे ही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के वक्त में अंग्रेजों के पास रहकर अनुसूचित जाति और जनजाति का फायदा लिया था और जुल्म किये थे; वे ही लोग आज मन्दिर में नहीं जाने देते। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज भी अनुसूचित जाति, जनजाति अगर कहीं गरीब रही है, अनपढ़ रही है, विकास में पीछे रही है तो किस की देन से रही है? यह विरोधी दल के कई ऐसे लोग हैं जो आज भी उनको पीछे धकेल रहे हैं। वे बराबर नहीं रखना चाहते हैं, उनको बैठने का मौका नहीं देते हैं, सुनने का मौका नहीं

(श्री रूपलाल परमार)

देते हैं, पाणे बैठने नहीं देते, शादियों में बैठने नहीं देते, पढ़ाई में बराबर सहयोग नहीं देते तो कहाँ से उनको बराबर आने का मौका मिले ? यहां पर बैठे हुए सभी महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा, इधर के कांग्रेसी मेरे भाई हैं वे तो गरीबों के साथ, हरिजनों, मेघवालों के साथ बैठना पसंद करते हैं लेकिन आप लोग बैठना नहीं चाहते। यही प्रश्न महात्मा गांधी जी ने उठाये थे, हरिजनों और मेघवालों की बात कही थी। इनकी आर. एस. एस. की एक कमेटी बनी उसने कहा कि ये इन लोगों को अपने बराबर बैठाना चाहते हैं, ये नीच कौम को अपने बराबरी करना चाहते हैं। उनको गोली से उड़ाया, इससे ज्यादा अन्याय क्या हो सकता है। आज बराबरी की बात करते हो। आज यह क्या मामला है ? आपका कार्य बोल रहा है, जब-जब जिसने भी हरिजनों, मेघवालों की बात कही गयी उसको जलाया गया, गोलियों से उड़ाया गया।

(व्यवधान)

अगर आप उसको बराबर की जगह देना चाहते हो तो जैसा मंत्री महोदय ने कहा था, शादी कर दो, आप पाणे भोजन कराओ ना। दुनिया में जाकर क्या बात करो, पहले अपने घर में साफ करो, दिल को साफ करो, मन को साफ करो। जब मन में, दिल में जगह नहीं है तो भाषण कोई काम आने वाला नहीं है। हमारे कांग्रेस के भाइयों के दिल में जगह है, हमदर्दी है हरिजनों, आदिवासियों के लिए लेकिन आप लोगों ने हमदर्दी नहीं रखी।

(व्यवधान)

वास्तव में उन गरीबों को आप बराबर में लाना चाहते हैं तो इस देश में बहुत बड़ी सीमा है। महात्मा गांधी के उपदेश को मानते हो, महात्मा गांधी की भविष्यवाणी को मानते हो तो महात्मा गांधी की जय बोलने से काम चलने वाला नहीं है, महात्मा गांधी जी ने जो काम किया था वह काम करिये तब इस देश से जातिवाद, कुरीतियां छूत-अछूत दूर हो सकते हैं। साथियों, मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, आपसे भी निवेदन करूं, अगर इस देश में हरिजन नहीं हों तो तहारत साफ करने वाला इस दुनिया में आज कोई नहीं है। मैं हरिजन को बराबर बैठाना तो चाहता हूं पर वह तहारत में नहीं जाना चाहिए। तहारत साफ करने का प्रश्न है।

मैं एक मिसाल इन मिसालों के साथ जोड़ना चाहता हूं। हरिजन अछूत क्यों माना गया ? तहारत में काम कर रहा है यही बात नहीं है। हरिजन दस किला टट्टी उठा रहा है लेकिन मेरी मां भी एक किला रोज उठाती है घर में। मां को तो किसी ने अलग नहीं किया। मेरे खुद का हाथ रोज टट्टी में जाता है उससे रोटी खाते हैं उसको तो दूर नहीं रखा। लेकिन उन्होंने गलियां, शहर साफ किया इसलिए उनको आज तक कुचला जा रहा है। यह घोर अन्याय है। सत्य पर—

(व्यवधान)

यहाँ पर लिखा हुआ है, "सत्यमेव

(श्री रूपलाल परमार)

जयते"। सारे विश्व को पैदा करने वाली एक जमीन ने ही सारे देशों को उत्पन्न किया है। कौनसे देश अपने से अलग हुए? अगर कोई इस प्रश्न पर जाये तो यह भेद-भाव दूर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, सारे एक ही भगवान के पैदा किये हुए हैं, भले ही मानव हों। मानव सब जीवों का राजा है। यह किस प्रकार की कमी है? मनुष्य जब राजा होकर मनुष्य के साथ अन्याय करेगा तो पशुओं को छोड़ेगा क्या, पक्षियों को छोड़ेगा क्या? जन-धन को कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकेगा।

मैं अन्त में, माननीय अध्यक्ष साहब, इन सारी बातों को याद दिलाते हुए निवेदन करूंगा, हरिजन भी मैं अपने आप को कह सकता हूं लेकिन हमारे साथ आज घोर अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ रही है जिसका मुकाबला ये सामने वाले कर रहे हैं। आज गरीबों, हरिजनों को बराबर लाने की बात हो रही है लेकिन हमारा किस्सा कैसा है? आज हम पीछे जा रहे हैं। मेघवालों की बात करते हैं, मेघवालों ने कौनसा बुरा काम किया? मरे हुए जानवर का चमड़ा उतारा अपनी गोद में लिटाकर, उसको पक्का बनाया और हमें जूती पहनायी। उसको मेघवाल के नाम से घसीटा जा रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति बकरे को मारकर फाड़ कर खाता है, मेरे को कोई कुछ नहीं कहता। घोर अन्याय है।

(व्यवधान)

इस तरह से हर बस्ती में रहने वाले लोग सब मिलकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आज जहां-जहां हरिजन, मेघवाल, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय हो रहा है, यह कौन कर रहा है? हम में से कई लोग आई. ए. एस. आफिसर हैं वह भी यह काम करते हैं।

पिछली पांच तारीख को मैं गलता जी गया। हम दो जने थे। मैंने कहा, चाय पीने चलें। वहां पर दो जनों में चर्चा हो रही थी, हरिजनों का राज है। मेरे कानों में पड़ा। मैंने कहा, अरे भाई हरिजनों ने क्या बुरा किया, हरिजनों ने क्या बुरा किया वह भी अपने भाई हैं। बोले नहीं, नहीं। मैंने उनसे कहा कि मैं भी हरिजनों का भाई हूं। इस पर आगे क्या कहते हैं कि हरिजनों को हम चाय नहीं पिलाते। यह हो रहा है गलता जी में। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे आर. एस. एस. वाले हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आप नाम बताएं, माननीय सदस्य, राजस्थान सर्विसेज के लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हो, नाम बताओ।

श्री रूपलाल परमार : आप भी आर. एस. एस. के हैं। मेहरबानी करके सुनें।

मेरे क्षेत्र उदयपुर जिले में खैरवाड़ा तहसील है उसमें और बांसवाड़ा और डूंगरपुर तीनों जिलों में, 33 प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं। आपसे मैं निवेदन करूं, जब-जब जनता पार्टी का आदिवासी सम्मेलन डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हुआ तब तक उसका नाम वनवासी सम्मेलन रखा गया है। उसका नाम आप लोग क्या रखते हैं—

(श्री रूपलाल परमार)

वनवासी। तो हमें वनवासी रखना चाहते हैं, बन्दरों की तरह। वनवासी तो बन्दर होते हैं। यह ये समझते हैं कि ये बन्दर हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, दोनों के अन्तर को समझने की कोशिश करो आदिवासी का मतलब है आप लोग आदिवासी हैं और हम सब बाहर से आये हुए यह मतलब है क्या ? हमारा मतलब जो वन में रहते हैं वे वनवासी हैं इतना ही है। आदिवासी का मतलब जो पहले से रह रहे हो ? तो हम सब लोग बाद में आये क्या हिन्दुस्तान में ? आदि शब्द का उपयोग ही गलत किया है और यह भेदभाव पैदा करने के लिये आदिवासियों को........

श्री रूपलाल परमार : आप मेरी बात सुनें माननीय कटारिया साहब से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी समाज का पहले नाम आदिवासी रखा गया है वह शास्त्रों में, किताबों में आया है। आपकी पार्टी से किसने कह दिया कि यह वनवासी हैं। हम लोगों ने कहा क्या ? कौन है इसके पीछे ? अपने आपको ऊंचा करना चाहते हो और हमारे समाज की तौहीन करना चाहते हो, यह आपने सोचा नहीं। आज आपको वनवासी लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 5-10 साल वेट करो बतायेंगे।

श्री रूपलाल परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुनने की मेहरबानी करें। आज भी मैं आपसे निवेदन करूं, हमारी तहसील में जितने अध्यापक हैं, आर. एस. एस. के हैं। आज भी वे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। आज भी हमारे बच्चों की हालत बिगड़ रही है। हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा ? एक अध्यापक जा करके शाखा चलाता है। शिक्षा विभाग को बरबाद कर दिया है। इन सारे आर. एस. एस. के लोगों ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको रोका नहीं जायेगा तो हमारे देश को किधर ले जाना चाहते हैं ? हमारे देश को खड्डे में डालना चाहते हैं इनको रोका जाय। इनके कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न की जाय तब जाकर ये रुकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण मंत्री जी, मैं सही मुद्दे पर आना चाहता हूं--डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में 33 प्रतिशत आदिवासी हैं और उनका मुख्य धन्धा खेती है इसलिए उनकी विकास योजनाओं पर, उनकी उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाय। इस योजना में बंजर भूमि कृषि को योग्य बनाना, कुएं खुदवाना, नलकूप खुदवाना, नहर निकलवाना, पुराने कुओं को गहरा करवाना, नये तालाब बनवाना, अच्छी खाद का प्रयोग बढ़ाना यह जो कार्य हैं, इस तरह के कार्यक्रम जो गवर्नमेंट ने हाथ में लिए हैं और इसी प्रकार से आदिवासियों को अपने बराबर में लाना है तो यह कार्य बहुत ही अच्छे हैं।

मैं आपसे निवेदन करूं, राजस्थान में जितने अनुसूचित जाति और जन जाति के विधायक हैं। उनको बराबर करना है तो उनके क्षेत्रों में, तहसील में एक-एक कॉलेज खुल जाय त·

(श्री रूपलाल परमार)

उन गरीबों का भला होगा। यह मेरा एक प्रस्ताव है आपकी सेवा में। उनको अगर आप बराबर लाना चाहते हैं, गजेटेड अधिकारी बनाना चाहते हैं, आई. ए. एस. बनाना चाहते हैं, वेतन में बराबर करना चाहते हैं तो बराबर शिक्षा दीजिए। आज कल जो शिक्षा की व्यवस्था जयपुर, उदयपुर, अजमेर और बड़े-बड़े शहरों में है, गांवों में गरीब लोगों के पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां बच्चों को 8वीं, 10वीं तक पढ़ाने की सुविधा नहीं मिलती। बी. ए., एम. ए. पढ़ाने के लिए उदयपुर, जयपुर आना पड़े तो उनके माता-पिता के पास न पैसा है, न कपड़ा है, न इज्जत है। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आप इस समाज को उठाना चाहते हैं तो इस राजस्थान में जितने विधायक अनुसूचित जाति, जन जाति के हैं उन सब की तहसीलों में एक-एक कॉलेज खोल कर उनका कल्याण किया जाय। यही मेरा आपसे निवेदन है।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति और जन जाति के जितने लोग हैं चाहे फैक्ट्री वाले हों या किसान हों या अच्छा व्यापार करने वाले हों, आज भी ये लोग मजदूरी करते हैं। उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। होटल में कोई आदमी खाना खाने जाता है तो 6 रुपये खाने के लगते हैं। दो टाइम का खाना खाये तो 12 रुपये बनते हैं। उसको वहां 6 रुपये मिलते हैं। तो एक जून वह किसके यहां खायेगा। तो इस प्रकार यह गरीब बनते जा रहे हैं। पैसे वालों के तो मकान बन रहे हैं, हवेली बन रही हैं, मिल बन रही है, सब तरह की व्यवस्था है और ताकतवर बन रहे हैं और ये गरीब, गरीब बन रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी काम करना चाहती है लेकिन बीच में विरोधी लोग दस बातें करते हैं। प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी हरिजनों, मेघवालों, आदिवासियों की बातें करती हैं और उनका विकास हो रहा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की मेहरबानी से 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो लागू किया हुआ है उसके अन्तर्गत जिनके मकान नहीं थे। उनके मकान बने है, जिन लोगों के पास भैंस, बैलगाड़ी नहीं हैं उनको दिये गये हैं यह क्या बुरा है? आपने क्या किया? आपने एक ही काम किया; जिसका राज बना उसने सोचा अपने किसका भला करें? तो जीतने वालों का भला करो। तो भला यह किया कि 150 क्विंटल सोना था उसको निकाला और उस सोने को बांट कर घर भर लिये। करोड़ों का गेहूं आपने लुटाया ……

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): वह किसके पेट में गया?

श्री रूपलाल परमार: अगर इनके हाथ में शासन चला गया तो देश को, प्रजातन्त्र को ये लोग डूबा देंगे, राजस्थान की जनता भारत की जनता यह समझती है और ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिये। यही मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

ज्यादा जुल्म करने वाले आप ही थे।……

(श्री रूपलाल परमार) अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

(व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 25वां प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह राठौड़ (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय मैं कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन का उप- स्थापन करता हूं।

समिति ने दिनांक 12 अक्टूबर, 1984 से 17 अक्टूबर, 1984 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि उक्त तिथियों के लिए कार्य का बंटवारा इस प्रकार से किया जाय—

शुक्रवार 12 अक्टूबर, 1984	(1) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक 1984 (2) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984. पर विचार एवं पारण।
शनिवार 13 अक्टूबर, 1984	बैठक नहीं होगी।
रविवार 14 अक्टूबर, 1984	
सोमवार 15 अक्टूबर, 1984	(1) राजस्थान अभिघृति (संशोधन) विधेयक, 1984
मंगलवार 16 अक्टूबर, 1984	(2) राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984 (3) राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं (संशोधन) विधेयक, 1984 (4) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1984

(5) राजस्थान के विद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है

पर विचार और उनका पारण ।

बुधवार 17 अक्टूबर, 1984

(1) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1984–85 प्रथम संकलन व इससे संबंधित विनियोग विधेयक,

(2) वर्ष 1977–78 के लिये अतिरेक मांगें व इससे संबंधित विनियोग विधेयक

पर विचार और उनका पारण ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं । आपने यह निर्देश दिया था दुबारा इसकी मीटिंग तारीख 15 को होगी और अगला ऐजेन्डा 15 तारीख को देखेंगे ।....

श्री अध्यक्ष : यह तय कर लिया था कि 15 तारीख को दुबारा मीटिंग करेंगे परन्तु पुनर्विचार की कोई बात नहीं हुई थी ।....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पुनर्विचार तो नहीं, यह तय हुआ था कि 17 तारीख के आगे क्या कार्यक्रम लेना है वह उस रोज तय करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गयी ।

श्री नाथूराम अहारी ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि ।

बैठक का समय माननीय सदस्य, अहारी का भाषण समाप्त हो तब तक के लिये बढ़ाया जाता है ।

प्रतिवेदन पर विचार
अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त का छब्बीसवां एवं सत्ताइसवां प्रतिवेदन

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जाति और जन जाति आयोग के आयुक्त

(श्री नाथूराम अहारी)

की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। मैं भी इस पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

आदिवासी, जन जाति के लोगों के लिये राज्य सरकार और भारत सरकार ने जिस तरह से कानून पास किये हैं, आजादी के इन 37 साल के बाद हमारी जाति की जो हालत है वह हम से अछूती नहीं है। हमारे लोग मनुष्य की तरह नहीं जीते थे। पिछड़े वर्ग के लोगों को सवर्ण लोग जिस तरह का कपड़ा पहिनते थे, जो भी खाना खाते थे जो भी काम वे करते थे उस तरह की एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जब कांग्रेस सत्ता हमारे देश में स्थापित हुई तब से इस तरह के कानून बनाये हैं जिससे पिछड़े हुए जो लोग हैं वे आगे बढ़ सकते हैं। कई इस तरह के कानून बने हैं जिनसे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, हर दृष्टि से वह चहुंमुखी विकास कर सकता है और कर रहा है। परन्तु हमारे यहां कई लोग ऐसे हैं जो हर क्षेत्र में बैठे हुए हैं, उनको खुराफात सूझती है, पुरानी बातें याद हो आती हैं और वे बाधा उत्पन्न करते हैं। ना पक्ष के माननीय सदस्यों ने कई ऐसी बातें कही हैं कि कांग्रेस सरकार की नीति और कार्य प्रणाली गलत है। उनके दिमाग में इस तरह की जो भावना है वह बिलकुल गलत है। उनमें ऐसे विचार कूट-कूट कर भरे गये हैं। जो गरीब वर्ग को आगे बढ़ाना चाहता है उसको ये पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। इस तरह से गरीबों को भड़काया जाता है। गरीबों के लिये हमारी सरकार ने जो रिजर्वेशन का कोटा रखा था उसको इन्होंने ढाई वर्ष के शासन काल में समाप्त कर दिया। यहां तक कि हमारे डूंगरपुर में.......

श्री दूलाराम : उनके कहने का मतलब यह था कि 1980 में रिजर्वेशन खत्म हुआ था और जनता पार्टी का शासन आने के पूर्व देश की प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने इसको बढ़ाया.......

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको पुरानी और अगली बातों की जानकारी नहीं है।....

श्री नाथूराम अहारी : इसी तरह से पहले जो रचनात्मक काम करने वाली संस्थाएं थीं हमारे जिले में, आदिम जाति सेवक संघ की जो जमीन थी उसके लिए इन्होंने नोटिस दिये, आदिम जाति के सेवक संघ के मन्त्री को नोटिस दिये। इन्होंने कहा कि यह जमीन हमारी है। इतना परेशान किया गया, कोर्ट में बुलाया गया। यहां तक कि हमारे जो काम होने वाले थे, विकास के काम होने वाले थे, कहीं कोई काम है, कहीं स्कूलों का है, उसमें हर जगह बाधा डाली। पहले जयपुर में इन्दिराजी के नाम पर इन्दिरा मार्केट था उसका भी नाम इन्होंने बदलने की कोशिश की। कितना संकुचित विचार था इनका। इसलिए यह स्वतः ही गिर गये। इनकी कथनी और करनी में फर्क था इसलिए गिर गये।

हमारे देश में अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। गांवों की जनता के अनुकूल वातावरण कब फैलता है? इन लोगों ने

(श्री नाथूराम अहारी)

आर. एस. एस. की शाखाएं हर स्कूल में खोलीं। मेरे पूर्व वक्ता ने जो बताया है वह सही बात है। शिक्षा विभाग का ढांचा इतना खराब कर दिया है कि आजकल मास्टर बच्चों को बिलकुल नहीं पढ़ाते हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि सातवीं छठी का बच्चा जोड़ बाकी नहीं कर सकता है। यह हालत हो गई है। इस तरह से हमारे बच्चों के दिमाग बिगाड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की जो प्रवृत्ति चल रही है इस प्रवृत्ति को बन्द करने के लिए यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाना चाहिए और इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारे विकास में अवरोध पैदा न हो।...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी और हरिजन के बारे में चर्चा काफी टाइम से चल रही है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि मांगीलाल जी और आप आपस में खा लो। ये तो ब्राह्मण से भी ज्यादा पवित्र हैं यहां विधान सभा में आये हैं। मेरे खयाल से करीब-करीब ऐसे लोग हैं जो कि हमारे वहां कहा जाता है कि जो सवर्ण लोग थे उन्होंने मांस और दारू को महंगा कर डाला। शायद यह कहा जाता है। हम सब उनके साथ खा लें यह अच्छी बात नहीं है। कोई गरीब आदमी है, भूखा रहने वाला जो गरीब किसान है या गरीब हरिजन है उसे खाने दो। तो इस तरह से यहां बड़े-बड़े भाषण देना कोई वक्त नहीं रखता है। ये बेकार की बातें हैं, बेकार की बहस की जाती है। हमारे दिल में हैं, हमारे दिल में जगह होनी चाहिए। हमारी जो योजना बनी है उस योजना में जो कानून बना है वह हमारे गरीब लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसमें थोड़ा और काम करने वाले आफिसर या हमारे जो सम्बन्धित मन्त्रिगण हैं उनमें एक परिवर्तन करने की जरूरत है। जो कानून बना है उस कानून का पालन हो, उसका पूर्ण रूप से अमल किया जाय, उसका सही पालन किया जाय तो कोई कारण नहीं कि हमारा देश गरीबी से ऊंचा उठ सकेगा।

मैं थोड़े सुझाव देना चाहता हूं, सरकार ने जो नियम बनाये हैं उसके अन्तर्गत सिंचाई की योजना के लिए जो बहुत बड़े-बड़े बांध बनाये हैं। यह बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। केवल मेन्टीनेन्स की कमी के कारण जो पानी उन बांधों में, बड़े-बड़े तालावों में भरा हुआ है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। नहरों का मेंटीनेन्स किया जाय। जो कच्ची नहर हैं उनको पक्का बनाया जाय ताकि उन नहरों के पानी का सही उपयोग किया जा सके। साथ ही, हमारे उदयपुर डिविजन में जो नदी, नाले हैं, उनमें बरसाती पानी बहकर चला जाता है। इसके लिये मैंने कई बार लिखा भी है। इस बारे में भी विचार किया जाय कि उस बरसाती पानी का सही उपयोग हो। वह पानी बहने नहीं दिया जाय, एक-एक बूंद का उपयोग हो। इसका कोई मास्टर प्लान बनाया जाये, कोई

(श्री नाथूराम अहारी)

व्यवस्था हो ताकि हमारे यहां हर दो तीन साल में अकाल पड़ता है उसका मुकाबला किया जा सके। इसी के साथ जहां बांध और तालाब नहीं है, जहां नहरी एरिया नहीं है। वहां कुआं करीब-करीब हर किसान के घर में है। एक अभियान के तौर पर युद्ध स्तर पर उन कुओं को गहरा कराया जाय। हमारी सरकार की जो योजना है वाटर पम्पों पर रियायत देने की वह रियायत दी जाये तभी जाकर उसका सही उपयोग हो सकेगा।

इसी के साथ में निवेदन करना चाहता हूं, 20 सूत्री कार्यक्रम में आई. आर. डी. का जो कार्यक्रम चलता है उसमें गाय, भैंस बांटी जाती हैं। अगर इन पशुओं को जहां नहरी एरिया नहीं है, वहां बांटेंगे तो उसका सही उपयोग नहीं होगा। और किसानों ने अपने माथे पर जो ऋण लाद रखा है उसका सही उपयोग नहीं होगा। इसलिए जितने भी कुएं हैं उनको युद्ध स्तर पर पूरे करवाये जायें।

इसके साथ ही आवागमन के साधनों के बारे में कहूंगा। जहां बहुत बड़ी-बड़ी पालें हैं वहां बिखरी हुई आबादी है। जहां गरीब लोग रहते हैं वहां आवागमन के साधनों की बहुत कमी है। यह मूल्यांकन किया जाता है कि इतनी आबादी वाले गांव में योजना चलाई जाए परन्तु जहां मूल्यांकन करवाया जाता है वहां इतनी आबादी नहीं होती है। बहुत बड़े-बड़े पाले हैं उनको सड़कों से जोड़ा जाय।

इसी तरह से स्कूलों के बारे में निवेदन करूंगा। पहले 500 की आबादी पर स्कूल खोला करते थे अब 250 की आबादी पर किया है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां 200-300 की आबादी है लेकिन उन गांवों में कोई स्कूल नहीं है। तो जहां पर 250 की आबादी है, उसमें जहां-जहां भी स्कूल नहीं हैं वहां स्कूल खोली जायें। कई जगह आश्रम स्कूल खोले हैं। उनमें जो टेण्डर दिया जाता है वह जो चालाक आदमी होता है उसको दिया जाता है और विभागीय लोग सांठ-गांठ करके इसको राशन वगैरह पहुंचाते हैं। इस व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन करके स्थानीय कोई भी व्यापारी हो उसको टेण्डर दें। वहां से राशन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। जैसे अभी मेरे रघुनाथपुरा में खाटें आयी थीं। उन खाटों की जो हालत अभी है, अभी दो साल हुए नहीं कि खाट खत्म हो गयीं। तो प्रमाणित व्यक्तियों से टेण्डर लेना चाहिए जिससे आश्रम स्कूलों का पैसा बरबाद नहीं हो और उसका सही उपयोग हो जाये। हमारे डूंगरपुर जिले में एक कॉलेज खोला है, वहां 80 प्रतिशत लोग आदिवासी रहते हैं। उसमें 12 पर्सेन्ट कोटा है उसके अनुसार 4-5 या 6 व्यक्तियों को लिया गया है। 80 पर्सेन्ट लोगों में से 4-5 या 6 व्यक्तियों को लेना बहुत ही गलत है। यह रिजर्वेशन में खामी है। हमारे देश में देश की जनसंख्या को देखते हुए यह जो रिजर्वेशन आंका गया है उसको रिवाइज किया जाय। आदिवासी लोगों का दूसरी कौम के जो लोग रहते हैं उसके अनुसार रिज़र्वेशन का कोटा तय किया जाय तो सही फायदा होगा।

इसी तरह से रोजगार के बारे में निवे-

(श्री नाथूराम अहारी)

वन करूंगा। रोजगार के लिये भी छोटी-छोटी नौकरियों में आदिवासी या दूसरे हरिजन लोग हैं वे जा नहीं सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी वहां पर ऑफिसर बैठे हुए हैं वे पैसा लेते हैं। कोई न कोई इस तरह का रास्ता निकाला जाय ताकि उसका आसानी से रिजर्वेशन हो सके। अभी मेरे यहां बांसवाड़ा में इन्टरव्यू हुए। लोगों ने चोरी-छिपे 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपये दिये। दूसरे लोगों ने 6-6, 7-7 हजार दिये हैं, उनका तो हो गया और कम पैसे वाले रह गये। इसमें कोई न कोई इस तरह का सुधार होना चाहिए जिससे कि हमारी सरकार की नीति के अनुसार सही उसका उपयोग किया जा सके और लोगों को सही फायदा मिल सकें।

मैं तो इस मौके पर यही कहूंगा कि जो हमारी सरकार की योजना है उसको चालू करने के लिए जो बीच में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बीच में जो रुकावटें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया जाय या कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय जिससे कि हमारी सरकार की जो नीति है उसका लाभ आराम से गरीबों तक पहुंच सके और आराम से हम लोग हमारे देश के विकास को आगे बढ़ा सकें।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : हमें बोलने का मौका दिया जाय, टाइम बढ़ाया जाये। यह एक ऐसा मसला है, हिन्दुस्तान की ऐसी जमात का मसला है···

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय समाप्त हो गया है। इस प्रतिवेदन पर जब दुबारा चर्चा होगी उस वक्त जो-जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे उनको समय दिया जायेगा।

श्री त्रिलोक सिंह : इसमें जिन्दगी और मौत का सवाल है। इसको कब तक धोखा देंगे, ××× कब तक इसको बहकायेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया ध्यान ग्रहण कीजिये।

श्री त्रिलोक सिंह : यही है कमाने वाला। कठोर मेहनत करने वाले को···

(व्यवधान)

श्री अमरचन्द : अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट पर बहस हुई है इसमें हमारा निवेदन यह है कि जो शेष माननीय सदस्य बोलने के इच्छुक हैं इस पर सुझाव देना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी उसके समक्ष यह मसला रख देंगे।

श्री त्रिलोक सिंह : नहीं, यह क्या बात है। पहला सवाल तो यह कि इस जमात के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ···

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोक सिंह)

(व्यवधान)

एक मखौल करने को दो घंटे की बहस रख लेंगे। जबकि उस जमात का यह मसला है। यह लूटने वालों की दूकान लगातार उसको लूटती रही है। आज 36 साल के बाद भी आज यह वर्ग टट्टी उठाता है।

श्री अध्यक्ष : काफी समय दिया गया है। साढ़े तीन घंटे····

श्री त्रिलोक सिंह : 36 साल के बाद भी आज उसकी यह हालत है···

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी पार्टी ने भी मेरा नाम बोलने के लिए दिया था।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी दुबारा, तब इस विषय को भी रखने की कोशिश की जायेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी पार्टी ने तो मेरा नाम भी बोलने के लिए दिया था आपने उसको एकदम से स्थगित कर दिया।

श्री त्रिलोक सिंह : अभी आधे घंटे का समय बढ़ा दें।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझे समय दे दिया जाय। मेरा यह कहना है····

एक माननीय सदस्य : कल रख लो।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : उनका भाषण समाप्त हो तब तक के लिये ही समय बढ़ाया गया था····

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित कार्य सूची है। लेकिन अभी जैसा निवेदन किया दुबारा 15 तारीख को जब कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी तो दुबारा इस पर विचार करने के लिए कोई तिथि निश्चित की जायेगी।

श्री त्रिलोक सिंह : पांच मिनट दे दीजिये।

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे····

श्री यदुनाथ सिंह : रिपोर्ट तो कल ही मिली है····

श्री अध्यक्ष : आप तो बोल चुके हैं।

श्री मांगीलाल आर्य : मैं नहीं बोला हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : पहले तो पुरानी बहस चल रही थी····

श्री अध्यक्ष : वही बहस चल रही है।

श्री यदुनाथ सिंह : वह नहीं चल रही है। मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट तो कल ही रात को हमको मिली है।

श्री त्रिलोक सिंह : यह हरिजनों के साथ मखौल हो रहा है। उस पर चर्चा भी नहीं करने दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों

(श्री अध्यक्ष)

से निवेदन किया दुबारा 15 तारीख को जब कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी तो फिर कोई तारीख निश्चित की जायेगी।

श्री भैरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, जैसे जब भी इस पर विचार होता है तो या तो आप आखिरी तारीख लेते हैं या फिर विधान सभा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आम तौर पर ऐसा होता है....

श्री भैरू लाल मीणा : और अब के पहले दिन ही रख लिया गया है जिससे कि कहने का मौका नहीं मिला और तैयारी भी नहीं हुई....

श्री अध्यक्ष : पहले शिकायत यह रहती थी कि आखिरी दिन रखी जाती है इसलिए अब की बार प्रथम दिन रखी है। अब बीच में रख लेंगे।

श्री त्रिलोक सिंह : यह भी छुआछूत है। हाऊस में इस तरह की हालत है। इसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहते हैं। महात्मा गांधी उनका भला चाहते थे। इस कांग्रेस ने उनका क्या भला किया? न उनको खाने को मिला, न उनको रहने को मिला, न उनको नौकरी मिली और न रोटी मिली।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल आर्य कुछ कहना चाहते हैं। आपको अवसर मिलेगा; जब बहस होगी।

श्री मांगीलाल आर्य : इस पर कल भी चर्चा रखी जाय। आज ही यह रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है।

श्री त्रिलोक सिंह : यह तो बोल लिये हैं इनको क्या है?, जिसको रोटी नहीं मिलती है उसको तो यह लूटना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्यों की इच्छा होगी तो इस पर फिर चर्चा होगी। 15 तारीख को जैसा मैंने निवेदन किया....

श्री त्रिलोक सिंह : समय ही बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : समय बढ़ाया जाय क्या?

श्री त्रिलोक सिंह : हां बढ़ाया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं बढ़ाया जाय।

श्री अमरचन्द जैन : समय नहीं बढ़ाया जाय। मेरा तो यही निवेदन है कि आपने आज रिपोर्ट पर हमको जो चर्चा करने का मौका दिया उसके लिये तो मैं आपका आभारी हूं लेकिन पूरी चर्चा नहीं हो पायी माननीय सदस्य अन्य कई सुझाव रखना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि पूरी चर्चा नहीं हुई है, 15 तारीख को कार्य सलाहकार समिति की दुबारा बैठक होगी उस दिन कार्य सलाह-

(श्री अध्यक्ष)

कार समिति के सामने मैं इस बात को फिर रखूंगा।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री त्रिलोक सिंह : ××× धोखा देना चाहते हैं, उनको लूटते हैं; उनका शोषण करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। ये इस तरह से हरिजनों को धोखा देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गयी।

(तदनन्तर सदन की बैठक म.प. 5.15 बजे शुक्रवार दिनांक 12 अक्टूबर, 1984 के म. प. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची)

प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति सूची

क्रम संख्या	नाम विद्यालय	पंचायत समिति
1	2	3
1.	चिनाना	सेवर
2.	घुस्यारी	सेवर
3.	मूढोता	सेवर
4.	मंडरपुर	सेवर
5.	सेवर (कन्या)	सेवर
6.	सोशवाडा	डीग
7.	बहेवरा	डीग
8.	कुम्हा (कन्या)	डीग
9.	जयवोली	रूपवास
10.	दोरदा	रूपवास
11.	टौडाठाकुर	रूपवास
12.	उवार	कुम्हेर
13.	डिडवारी	कुम्हेर
14.	सितारा	कुम्हेर
15.	नगला (कन्या)	कुम्हेर
16.	विजयनगर	कुम्हेर
17.	जयश्री	नगर
18.	नाडमका	नगर
19.	नन्देरा	कामां
20.	बरखेड़ा (पहाड़ी)	नगर
21.	सेमली (कन्या)	नगर
22.	नयाबास	नदबई
23.	जहांगीरपुर	नदबई
24.	रोनीला	नदबई

1	2	3
25.	गुदावली	नदबई
26.	कपूरामलूका	बयाना
27.	भगोरी	बयाना
28.	दमदमा	बयाना
29.	ईंटखेडा	बयाना
30.	घाटरी	बैर
31.	बसेराकलां	बैर
32.	नारोली	बैर
33.	छोड़लीगूजर (पाली)	बैर

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 2 का प्रतिवेदन)

ANNEXURE-'A'

Extract from letter No. T/BP/125/1306-11 dated 29th June, 1984 from Addl. Chief Engineer Irrigation (Head quarter) Rajasthan, Jaipur addressed to Secretary to Government, Irrigation Department Rajasthan, Jaipur.

The Bhakra Main Line, maintained by Punjab Government, was cut by some miscreants on the night of 5th & 6th June 84. The works related to closing the cut as well as repairs and restoration of damaged canal are under execution with Punjab Government, Irrigation Department.

The Planning and procurement of equipment was commenced a day after the breach took place. With all out efforts, all the equipment was brought to the site within 15 to 16 days. The table below shows the details of equipment procured :—

Particulars	No. of Machines required as per programme	No. of Machines brought to site upto 22.6.84.
Excavators	24	22 (2 more not required)
Carriers	72	72
Dozers	26	25 (Sufficient)
Compactors	16	19
Concrete Mizers	30	30

The total works in the reach RD 18,500 to 20,000 ft. comprised of about 100 lacs cft. of earthwork besides 1,50,000 cft. of concrete lining. The breach had scoured the bed by about 16 feet. The bank height at the place of breach was about 22 feet. On the day of inspection i.e. 25th June, 1984 the bed had been filled in. Bed

lining work was in progress. The banks on either side were being raised, layers by layer, with the help of heavy earth moving equipment.

Punjab authorities were hopeful of completing restoration work by the targetted date 7th July, 1984. The progress and tempo of work indicated that work in all respects would be over by the programmed date provided there is no dislocation due to rains.

My own view is that works are likely to be completed by 10th July, 1984. We should expected irrigation supplies at Rajasthan contact points via Haryana earliest by 20th July, 1984. With supplies less than full authorised discharges of all the four contact points put together, first preference should be given to Amarsingh & Jasana Systems i.e. contact points 4 & 5.

Facts as above are brought to your notice for kind information and further necessary action please.

ANNEXURE-'B'

Extract from letter No. T/BP/125/1916-18 dated 30th July, 1984 from Addl. Chief Engineer (Head quarter) Irrigation Rajasthan, Jaipur to Secretary to Government, Irrigation Department, Rajasthan, Jaipur.

Bhakra Main Line breached on 5th and 6th June, 1984 night between RD 19 to 20. The repair work was taken up by Punjab Government. A total period of 5 weeks was taken for completing the repair work. The water was released at Bhakra Main Line head on 10th July, 1984. On the first day 255 Cusecs was released. It was gradually increased to maximum safe carrying capacity i.e. 11280 Cs. on 21st morning.

2. Unfortunately the Bhakra Main Line breached again on 20th and 21st July, 1984 night at RD 39.5 i.e. about 6 Kms. D/S of the first breach site. The canal was breached by some of the miscreants. The first breach was U/S of Budhki super passage crossing whereas the second breach was D/S of Siswan super passage crossing. With breach in the D/S of pucca structure, the masonry work also got partly damaged. The length of the breach has now been correctly measured and as per report gathered at the site, it is about 550 ft. on the right banks and it is 500 ft. on the left bank. The maximum scoured depth in the bed is about 22 ft. against 16 ft. at the first breach site. Both the D/S flared walls, D/S abutment, D/S too wall, humped portion and D/S too wall of the structure have been completely damaged.

3. The Director Regulation, Bhakra Beas Management Board received information about the breach from Chief Engineer, Canals, Punjab at 7.30 A.M. on 21st July, 1984. The reduction in the canal was started immediately thereafter. The Bhakra Beas Management Board Officers, Punjab Officers and Haryana Officers reached breach site immediately. In order to save superpassage a relief cut was given just U/S of the structure. Simultenceously the gates of the cross regulator at Lohand were also lowered by about 4½ ft. (a course which is not normally adopted to save collapse of lining), after about an hour the gates were further lowered by about 2½ ft. With this action although

lining in length of 150 ft. get damaged but major damage to super passage was avoided.

4. During inspection of the breach site on 27th July, 1984 it was noticed that U/S Coffer Dam in the canal bed was almost complete. Dowatering was in progress. The sand was being brought and dozed into scoured canal bed. The damaged pucca work was being demolished. The earthen bundh to prevent the Siswan water from entering the canal from D/S was completed. A power line had been extended to the breach site to facilitate work on round the clock. 7 excavators, 5 bulldozers, 32 dumpers, 4 tractors, 3 compactors and 12 mixers had reached the site. The first breach was closed in 5 weeks. With fair whether conditions, continuing, it is hoped that the repair work would be completed in about 5 to 6 weeks and water released at B.M.L. head on 26th of August, 1984. With this programme water is likely to reach Rajasthan in 1st week of September, 1984.

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूचना व विवरण)

वर्ष 1983–84 में अतिक्रमण के नियमित मामलों की सूची

क्र. सं.	काम खननकर्ता	क्षेत्र	नियमितिकरण आदेशों की तिथि	नियमितिकरण का मापदण्ड
1.	श्री डालू पुत्र श्री भाव सिंह बन्जारा	नाला का माताजी	30–4–83	एक वर्ष का रेन्ट अतिरिक्त रूप से लेकर नियमितिकरण किया गया ।
2.	श्री नवल पुत्र श्री नन्दा मीणा	सुखपुरा 'सी'	27–3–84	" "
3.	श्री लालू पुत्र श्री गोकुल लुहार	सुखपुरा 'सी'	28–3–84	" "
4.	श्री लालू पुत्र श्री गोकुल लुहार	सुखपुरा 'सी'	28–3–84	" "
5.	श्री गोकुल पुत्र श्री बालू रेगर	सुखपुरा 'सी'	27–3–84	" "

147

परिशिष्ट "ख"

क. सं.	नाम अतिक्रमणी	क्षेत्र	पंचनामा की तिथि	पंचनामा पर की गयी कार्यवाही
1.	श्री डालू पुत्र श्री भावसिंह बन्जारा	नला का माताजी	(1) 20–12–80	रु. 213.50 खनिज की कीमत (रायल्टी की 10 गुणा के हिसाब से) जमा किये गये ।
			(2) 25–12–80	रु. 106.80 खनिज की कीमत (रायल्टी की 10 गुणा के हिसाब से) जमा किये गये ।
			(3) 3–1–81	रु. 313.50 खनिज की कीमत (रायल्टी की 10 गुणा के हिसाब से) जमा किये गये ।
			(4) 9–1–81	रु. 675.50 खनिज की कीमत (रायल्टी की 10 गुणा के हिसाब से) जमा किये गये ।
			(5) 11–3–82	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10–4–81 से वसूली स्थगित है ।
2.	श्री नवल पुत्र श्री नन्दा मीणा	सुखपुरा 'सी'	2–9–81	,, ,, ,,
3.	श्री गोकुल पुत्र श्री बालू रैगर	सुखपुरा 'सी'	(1) 2–9–81	वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।
			(2) 17–10–81	,, ,, ,,
			(3) 13–7–82	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10–4–81 से वसूली स्थगित है ।
			(4) 18–7–82	,, ,, ,,
4.	श्री लालू पुत्र श्री गोकुल लुहार	सुखपुरा 'सी'	(1) 5–12–81	,, ,, ,,
			(2) 20–4–82	वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।
5.	श्री लालू पुत्र श्री गोकुल लुहार	सुखपुरा 'सी'	(1) 6–12–80	रु. 82.00 खनिज की कीमत (रायल्टी की 10 गुणा के हिसाब से) जमा किये गये ।
			(2) 10–5–82	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.4.81 से वसूली स्थगित है ।

परिशिष्ट—4

(तारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची)

भाग 3 का संलग्न

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन व्यवसाय से संबंधित मंगवाई जाने वाली पत्रिकाओं की सूची :—

1. डेस्टीनेशन इण्डिया
2. इन्द्रामा
3. टूरिज्म एण्ड वाइल्ड लाईफ
4. इण्डियन होटल कीपर एण्ड ट्रेवलर्स
5. ट्रेवल सीन्स
6. ट्रेवल रिव्यू
7. ट्रेवलायड़
8. सोमा
9. दी इण्डिया मैग्जीन
10. नेशनल जिओग्रेफिक
11. ताज

भाग 4 का संलग्न

वर्ष 1984-85 में प्रस्तावित पर्यटन स्थालों का विकास एवं व्यय को आने वाली राशि

क्र. सं.	कार्य	प्रस्तावित राशि (लाख रु.)
1.	गैटोर छतरियों के आसपास भूमि समतलीकरण	1.00
2.	केशर क्यारी, आमेर (जयपुर) का सुधार कार्य	3.25
3.	नाहरगढ़ किले (जयपुर) पर पिकनिक स्पोट एवं दृश्यावलोकन बिन्दु विकास कार्य	0.37
4.	जसवन्त थड़ा, जोधपुर के आसपास सुधार कार्य एवं फ्लड लाईटिंग	1.16
5.	जीणमाता मन्दिर एवं हर्ष सीकर का विकास कार्य	3.00
6.	किराडू मन्दिर बाड़मेर का सुधार कार्य एवं विश्राम स्थल का प्रावधान	0.99
7.	मेनाल एवं बीजोलिया मन्दिर, भीलवाड़ा का सुधार कार्य	1.00
8.	बून्दी किले का सुधार कार्य, फ्लड लाइटिंग	5.00
9.	बारोली मन्दिर का सुधार कार्य (केफेटेरिया एवं विश्राम स्थल)	1.00
10.	तारागढ़ किला, अजमेर	0.50
11.	पुष्कर के घाट	1.50
12.	मण्डोर किला क्षेत्र का सुधार कार्य	2.00
		20.77

जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत

1.	ट्रेवरर्स टैंक माउन्ट आबू का सुधार कार्य	0.94
2.	गुरु शिखर माउन्ट आबू का विकास कार्य	1.59
3.	मा. आबू में सीवरेज योजना हेतु अंशदान	4.50
4.	पर्यावरण कमेटी माउन्ट आबू को अंशदान	0.20
		7·23
	कुल राशि —	28.00

परिशिष्ट—5

(तारांकित प्रश्न संख्या की सूची)

राज्य में यूनानी दवाखानों की सूची मय कार्यरत हकीमों के

क्र. सं.	नाम दवाखाना	नाम कार्यरत हकीम
1.	अ श्रेणी अजमेर	श्री मोज्जम शाह
		श्री पजल्लुलाह
2.	,, जयपुर	श्री अब्दुल कवी सिद्धीकी
		श्री मोहम्मद अजमल
		श्री अजीज अहमद
3.	,, टोंक	श्री जहूर अहमद सिद्धीकी
		श्री अब्दुल मुत्तकीम
4.	,, फतेहपुर (सीकर)	श्री उमरदीन खां
5.	सरावार (अजमेर)	श्रीमती ईशरत फातमा
6.	तारागढ़ (अजमेर)	–
7.	इन्द्रकोट (अजमेर)	–
8.	तोपखाना देश (जयपुर)	श्री गुलाम नबी
9.	ताला (जयपुर)	श्री जुबेर अहमद
10.	बासबदनपुरा (जयपुर)	श्री अब्दुल कादिर
11.	जौहरी बाजार (जयपुर)	श्री हबीब हसन
12.	चांदराना (जयपुर)	–
13.	घाटगेट (जयपुर)	श्री वासित अली
14.	घोला (जयपुर)	–
15.	देवली (टोंक)	श्री इबादुला खां
16.	उमर (बून्दी)	–
17.	नुंआ (झुन्झुनू) 'अ' श्रेणी	श्री अब्दुल हमीद मजीदी 'अ' श्रेणी
18.	कुलोटकला (झुन्झुनू)	श्री मोहम्मद अब्दुल हाफिज
19.	पुहानिया (झुन्झुनू)	–
20.	टोडा (भीम) (स. माधोपुर)	श्री मोहम्मद मोहसिन

क्र. सं. नाम दवाखाना	नाम कार्यरत हकीम
21. बालघाट (सवाई माधोपुर)	श्री मोहम्मद मोहसिन
22. करोली ,,	श्री जमीलुद्दीन
23. डाबरा ,,	–
24. मलारनाडूंगर ,,	श्री अब्दुल गफार अंसारी
25. पलासावटा ,,	–
26. मखोली ,,	–
27. गंगोर (सवाई माधोपुर)	–
28. हिण्डोन ,,	श्री सराजुद्दीन अंसारी
29. घोलपुर	–
30. घोंसिगा (भरतपुर)	श्री मूसद अहमद
31. नादनपुर ,,	–
32. जोतरल्लाई ,,	–
33. ततमड ,,	–
34. कोटा	श्री मोहम्मद अलीम खां
35. जैपला (कोटा)	–
36. छवड़ा ,,	श्री जियाउल हसन
37. पिडावा (झालावाड़)	–
38. कसाईवाडी (बीकानेर)	श्री अब्दुल हकीम
39. धोबीतलाई ,,	–
40. रिडमलसर ,,	–
41. पाली	श्री बुकरात अहमद
42. रोहट (पाली)	श्री मोहम्मद सिद्दीक
43. प्रतापगढ़ (चित्तौड़)	–
44. जगदीशचौक (उदयपुर)	श्री गुलाम मोहम्मद
45. फतेहनगर (उदयपुर)	–
46. डूंगरपुर	श्री जफर अली
47. गलियाकोट (डूंगरपुर)	श्री रईस अहमद
48. ढूढरिया (डूंगरपुर)	–
49. गामडीदेवल (डूंगरपुर)	–
50. नागौर	–
51. मकराना (नागौर)	–
52. बासनी (नागौर)	श्री अब्दुल रशीद
53. बुरहान का तला (बाड़मेर)	–
54. दूदियाकला (बाड़मेर)	–

क्र.सं.	नाम दवाखाना	नाम कार्यरत हकीम
55.	दैतानी (बाड़मेर)	श्री अब्दुल रशीद
56.	गोमठ—(जैसलमेर)	श्री अब्दुल रज्जाक
57.	चूरू	श्री मुशर्रफ अली
58.	भारिया—(चूरू)	—
59.	खैरातियान—(जोधपुर)	श्री मोहम्मद मुस्लिम कासमी
60.	उदयमन्दिर—(जोधपुर)	श्री मेहदी हसन
61.	झंवर—(जोधपुर)	—
62.	गुलजारपुरा—(जोधपुर)	—
63.	खटीकों की बावड़ी—(जोधपुर)	—
64.	कुईन्दा—(जोधपुर)	—
65.	सिलावटों का बास—(जोधपुर)	—
66.	थौंस—(अलवर)	—
67.	जैरोली—(अलवर)	—
68.	टोपरिया—(गंगानगर)	—
69.	डूंगरिया—(बांसवाड़ा)	—

परिशिष्ट–2

उन यूनानी दवाखानों की सूची, जिनमें कम्पाउण्डर/नर्स एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कार्यरत हैं :—

क्र. सं. 1	नाम दवाखाना 2	कार्यरत कर्मचारी का नाम 3
1.	तारागढ़ (अजमेर)	कम्पा. मोहन लाल
2.	इन्द्रकोट (अजमेर)	कम्पा. हीरालाल
3.	चान्दराना (जयपुर)	कम्पा. किशनलाल
4.	धौला (जयपुर)	कम्पा. मोहनलाल
5.	उमर (बून्दी)	च. श्रे. क. बद्रीलाल
6.	पुहानिया (झुन्झुनू)	कम्पा. जफ्फारखां
7.	बालघाट (स. माधोपुर)	च. श्रे. क. नसीर अहमद
8.	डाबरा (स. माधोपुर)	कम्पा. घनश्याम
9.	फलसावटा (स. माधोपुर)	कम्पा. बाबूलाल
10.	मखौली (स. माधोपुर)	कम्पा. मुराद मोहम्मद
11.	गेगांर (स. माधोपुर)	कम्पा. राधेश्याम
12.	धौलपुर	कम्पा. रमेशचन्द्र नर्स अली अम्मा
13.	नादनपुर (भरतपुर)	कम्पा. मोहम्मद साहिर खां
14.	जोतरूल्लाह (भरतपुर)	कम्पा. गोरे खां
15.	ततमड (भरतपुर)	कम्पा. मिश्रीलाल कम्पा. सतीशचन्द्र
16.	जैपला (कोटा)	कम्पा. रामकिशोरलाल
17.	पिडावा (झालावाड़)	कम्पा. सुरेशचन्द्र
18.	धोबीतलाई (बीकानेर)	कम्पा. बलदेवकुमार
19.	रिडमलसर (बीकानेर)	कम्पा. मो. हुसैन
20.	प्रतापगढ़ (चित्तौड़)	कम्पा. लियाकत अली कम्पा. बिठला चारपोटा
21.	फतेहनगर (उदयपुर)	कम्पा. मो. उमर.
22.	ढूढ़रिया (डूंगरपुर)	कम्पा. अब्दुल अजीज
23.	गामडीदेवल (डूंगरपुर)	कम्पा. रणछोडलाल
24.	नागौर	नर्स सईदा बेगम
25.	मकराना (नागौर)	कम्पा. चन्द्रशेखर
29.	बुरहानका तला (बाड़मेर)	च. श्रे. क. मठार खां

1	2	3
27.	दूदियाकलां (बाड़मेर)	कम्पा. बालजी खाट
28.	देतानी (बाड़मेर)	कम्पा. हरीप्रसाद
29.	झारिया (चूरू)	कम्पा. अब्दुल सत्तार
30.	झंवर (जोधपुर)	कम्पा. आबिद इलाही
31.	गुलजारपुरा (जोधपुर)	नर्स देवकीरानी
32.	खटीकों की बावड़ी (जोधपुर)	—
33.	कुईमदा (जोधपुर)	कम्पा. रमेशचन्द्र
34.	सिलावटों का बास (जोधपुर)	नर्स–सन्तोष कुमारी
35.	थोंस (अलवर)	कम्पा. किशोरीलाल
36.	जैरोली (अलवर)	कम्पा. श्यामकुमार
37.	टोपरिया (गंगानगर)	—
38.	डूंगरिया (बांसवाड़ा)	कम्पा. अब्दुल हमीद

परिशिष्ट 6 परिशिष्ट 'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या 8 की सूची)

क्रमांक	प्रवशीतन केन्द्र का स्थान	प्रारम्भिक स्थापित क्षमता (हजार लीटर प्रतिदिन)	वर्तमान क्षमता (हजार लीटर प्रतिदिन)	स्थापना वर्ष कालम 4 में दर्शायी क्षमता के लिए	लागत राशि लाख रु.
1	2	3	4	5	6
1.	लूणकरणसर	10	30	1979	41.21
2.	सरदारशहर	10	30	1980	39.01
3.	पोकरण	10	20	1979	27.15
4.	बाड़मेर	10	10	1981	26.43
5.	बालोतरा	10	20	1981	37.93
6.	पाली	10	20	1980	45.48
7.	मेड़ता सिटी	10	20	1980	36.36
8.	नागौर	10	10	1982	24.72
9.	कोटपूतली	20	20	1980	27.75
10.	दौसा	20	20	1980	26.95
11.	ब्यावर	10	10	1981	25.28
12.	विजयनगर	20	20	1982	25.83
13.	गंगापुर	20	20	1981	28.31
14.	मालपुरा	4	20	1979	8.63
15.	डूंगरपुर	10	10	1982	27.06
16.	बांसवाड़ा	10	10	1984	26.63
17. ×	भीलवाड़ा	30	30	1980	21.66
18.	तिजारा	20	20	1979	26.04

× इस केन्द्र के स्थान पर अगस्त, 1983 से एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला डेयरी संयंत्र कार्यशील हो गया है।

परिशिष्ट 'ब'

अवशीतन केन्द्रों के वार्षिक औसतन दूध संकलन का विवरण

अवशीतन केन्द्र	क्षमता (लीटर प्र. दि.)	वर्ष 1981	1982	1983
पोकरण	20,000	2677	4402	6187
पाली	20,000	5232	4807	8959
बालोतरा	20,000	2835	3104	3042
मेड़तासिटी	20,000	828	909	875
लूणकरणसर	30,000	15624	43453	53731
सरदार शहर	30,000	5748	16756	38418
भीलवाड़ा	30,000	7949	9047	13971 ×
कोटपुतली	20,000	1088	1132	551
दौसा	20,000	3063	4097	3257
ब्यावर	10,000	—	3049	3329
बाड़मेर	10,000	1993	2177	3726
विजयनगर	20,000	—	5421	4984
नागौर	10,000	3601	2365	1745
बांसवाड़ा	10,000	—	517	710
डूंगरपुर	10,000	—	1399	1773
टोंक व सवाई माधोपुर	20,000	6109	6416	6597
(मालपुरा व गंगापुर) तिजारा	120,000 20,000	—	5032 × ×	2792 × ×

× अगस्त, 1983 से इसके स्थान पर एक लाख लीटर क्षमता वाला डेयरी संयंत्र स्थापित किया गया ।

× × आंकड़े सहकारिता वर्ष से सम्बन्धित हैं ।

परिशिष्ट "स"

अवशीतन केन्द्र	समय	कारण	सुधार के लिए कदम
कोटपुतली	22–5–84 से	दूध के अभाव में। बन्द किये जाने के समय दूध संकलन 400 लीटर प्रति दिन से कम था।	इस केन्द्र का कार्यक्षेत्र नीम का थाना, बहरोड़ से सम्बन्ध किए जाने का निश्चय किया गया है। दीपावली, 1984 के पश्चात् इस केन्द्र को पुनः प्रारम्भ किया जावेगा। इसके लिए एक परियोजना अधिकारी एवं 10 ग्रामीण विस्तार कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर अलग स्वीयर हेड टीम बनाई जा रही है।
मेड़ता सिटी	अगस्त, 84 से	अवशीतन केन्द्र को बन्द किए जाने के समय दूध संकलन मात्रा 600 ली. प्र. दि. तक गिर चुकी थी। केन्द्र को अत्यधिक वित्तीय हानि होने के कारण एवं दुग्ध परिवहन व्यय अधिक होने के कारण।	इस केन्द्र के बन्द होने से पूर्व बड़ी घाटी, हीरनी ढाणी एवं डेगाना के तीन दुग्ध मार्ग क्रियाशील थे। बड़ी घाटी मार्ग पर दुग्ध संकलन कार्य अजमेर संघ द्वारा एवं हीरनो ढाणी एवं डेगाना मार्ग को पुनः संगठित कर उनका दूध नागौर अवशीतन केन्द्र पर एकत्रित किए जाने के आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं। इस क्षेत्र की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों पर संघ के प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मचारी उत्पादकों से सीधा सम्पर्क बनाये हुए है एवं दूध की मात्रा बढ़ाने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। दूध मात्रा बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप मेड़ता अवशीतन केन्द्र को पुनः प्रारम्भ करने के आदेश दिए जा चुके है।

परिशिष्ट-7

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

कृषि उपज मण्डी समितियों की सेवा में आरक्षण

10. श्री सुरजाराम टांक (नोखा)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समितियों में नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के अनुसार पूर्ति की जाती है ? यदि हां तो रोस्टर प्रणाली कब से लागू की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) बीकानेर जिले में वर्तमान में मंडी समितियों में कितने पद हैं ? कितने पदों को आरक्षण के अनुसार भरा गया है ? क्रमश: सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

रोस्टर प्रणाली वर्ष 1980 से लागू कर दी गई है ।

(2) बीकानेर जिले की मण्डी समितियों में वर्तमान में सृजित पदों, भरे हुए पदों एवं आरक्षण के अनुसार भरे गये पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम पद	सृजित पद	भरे पद	आरक्षण के तहत भरे पद अनु. जाति	आरक्षण के तहत भरे पद अनु. जनजाति
1.	सहायक सचिव	1	—	—	—
2.	लेखाकार	1	—	—	—
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	—	—	—
4.	पर्यवेक्षक	5	2	—	—
5.	वरिष्ठ लिपिक	3	2	—	1
6.	कनिष्ठ लिपिक	27	27	3	2
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	29	28	9	—
8.	वाहन चालक	1	1	—	—

मण्डी समितियों में रोस्टर संधारण खण्ड स्तर पर संधारित किया जाता है । पद का सृजन मण्डी समिति के अनुसार है, तहसीलवार नहीं ।

उदयपुर जिले के विद्यालयों में खोले गये नये विषय

11. श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में 1982 से अब तक किन-किन विद्यालयों में क्या-क्या नये विषय खोले गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।	(1) सूची संलग्न है।
(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी विद्यालयों में नये विषय खोलने पर पूर्ण व्यय शिक्षा विभाग द्वारा ही वहन किया जाता है ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग द्वारा जिला उदयपुर में किन-किन विद्यालयों को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ? कृपया विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।	(2) जी हां। सूची संलग्न है।
(3) क्या यह भी सही है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय, टीडी, उदयपुर में विज्ञान विषय है ? यदि हां, तो 1982 से प्रति वर्ष अब तक विज्ञान विषय में लगने वाले साज-सामान, यथा रसायन, कीप, नली आदि खरीदने के लिए कितनी राशि दी गई ?	(3) जी हां। सूची संलग्न है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (छात्र संस्थायें) उदयपुर (राज.)

सत्र 1982—83 में खोले गये विषय/वर्ग एवं बजट आवंटन सम्बन्धी सूचना

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विषय/वर्ग	प्रयोगशाला 7		कार्यालय		पुस्तकालय	
			आवर्तक	अनावर्तक	आवर्तक	अनावर्तक	आवर्तक	अनावर्तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गो. उ. मा. वि. नाथद्वारा	कृषि	6160	—	330	—	100	—
2.	रा.उ.मा.वि. सलूम्बर	— —	9000	—	1000	—	500	—
3.	" फतहनगर	जीव विज्ञान	240	—	330	—	110	—
4.	" कांकरोली	जीव विज्ञान	440	—	330	—	110	—
5.	" भीण्डर	जीव विज्ञान	6160	—	330	—	160	—
6.	रा.मा.वि. कोठरिया	वाणिज्य	—	—	400	2,000	500	800
7.	" मुवाणा	— —	—	—	400	2,000	500	800
8.	" मेनार	विज्ञान (गणित)	1300	7500	400	2,500	300	1000
9.	" सेमारी	जीव विज्ञान	1750	12000	700	4,500	500	1750
10.	" घनेरिया	वाणिज्य	—	—	400	2,000	500	800
11.	उ.मा.वि. गोगुन्दा	कला	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	रा.मा.वि. लसानी	कृषि	10000	30000	300	1200	300	1000
13.	रा.मा.वि. रिछेड़	गणित	1300	7500	400	2500	300	1000
14.	रा.मा.वि. कूरज	कृषि	6160	7500	330	–	160	100
15.	रा.मा.वि. मोही	कृषि	7000	–	505	–	180	—
16.	रा.उ.मा.वि. फतहनगर	कृषि (विज्ञान)	5000	10000	200	2000	300	800
17.	रा.उ.मा.वि. कांकरोली	– –	5000	10000	200	2000	300	800
18.	रा.मा.वि. केजड़	कृषि (विज्ञान)	10000	25000	300	1200	300	800
19.	रा.मा.वि. केलवा	विज्ञान (गणित)	1750	10000	700	3300	500	1000
20.	रा.मा.वि. सीसारमा	विज्ञान (गणित)	1750	10000	700	3300	500	1000
21.	रा.मा.वि. कुवारिया	विज्ञान (गणित)	1750	10000	700	3300	500	1000
22.	रा.उ.मा.वि. खैरवाड़ा	तृतीय भाषा गुजराती	–	–	400	2000	500	600
23.	रा.उ.मा.वि. धरियावंद	विज्ञान (गणित)	1750	11000	700	4300	500	1000
24.	रा.मा.वि. झाडोल	वाणिज्य	–	–	400	2000	500	600
25.	—"—	विज्ञान	400	–	500	—	1100	–
26.	रा.उ.मा.वि. खैरवाड़ा	विज्ञान	400	–	500	–	1100	–
27.	रा.उ.मा.वि. सराड़ा	– –	1000	500	500	–	200	–

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग [छात्र संस्थायें—उदयपुर (राजस्थान)]

सत्र 1983-84

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विषय	व. अ. 17	व. अ. 11	प्रयोग स. 7	प्रयोग सेवक 2	प्रयोगशाला	कार्यालय (आवर्तक)	पुस्तकालय	खेल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	मा. वि. सायरा	सिलाई	....	....	....	आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है	....	....	....	...........।	
(2)	,, आडोवली	विज्ञान	....	....	....	,, ,,	,,	....	....	...........।	
(3)	,, खामनोर	विज्ञान	....	....	....	,, ,,	,,	....	....	...........।	
(4)	उ. मा. वि. भबराना	कला	—	—	—	—	—	200/-	500/-	500/-	1200/-
(5)	मा. वि. मदार	वाणिज्य	—	—	—	—	—	500/-	500/-	500/-	1500/-
(6)	उ. मा. वि. केलवाड़ा	'बैंकिंग'	—	—	—	—	।	1000/-	250/-	500/-	1750/-
(7)	मा. वि. समीचा	कला	....	....	....	आवंटन नहीं प्राप्त किया गया है	....	....	....	....	
(8)	मा. वि. बरार	वाणिज्य	....	....	....	,, ,,	,,	....	....	....	
(9)	,, बिनोल	कृषि	—	—	—	—	1000/-	500/-	1000/-	500/-	3000/-
(10)	,, ईटालीखेड़ा	विज्ञान	—	—	2	2	800/-	500/-	2300/-	-	3600/-
(11)	,, घमला	वाणिज्य	—	—	—	—	—	500/-	500/-	500/-	1500/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(12)	मा.वि. परसाद	वाणिज्य	—	—	—	—	—	500/-	500/-	500/-	1500/-
(13)	मा.वि. भुपालपुरा	उर्दू	…………………			आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है …………					
						—:—					
						सत्र—1982–83					
(1)	उ. मा. वि. टीडी	"विज्ञान"					1100/-	500/-	1100/-	—	2700/-
						सत्र—1983–84					
	—"—	—"—					200/-	400/-	1000/-	—	1600/-
						सत्र—1984–85					
	–"–	—"–					200/-	—	—	—	200/-

ह./-
जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर

सत्र 1984-85 में खुले विषय/वर्ग की सूचना

क. सं.	नाम विद्यालय	विषय/वर्ग
1.	राउमावि टीडी	कला वर्ग
2.	,, धरियावद	जीव विज्ञान
3.	,, कुरावड़	विज्ञान (गणित)
4.	रामावि वनेड़िया	वाणिज्य वर्ग
5.	रामावि ओगणा	वाणिज्य वर्ग
6.	रामावि छाणी	विज्ञान (गणित)
7.	राउमावि खेरवाड़ा	जीव विज्ञान
8.	राउमावि देलवाड़ा	विज्ञान (गणित)
9.	राउमावि मावली	कृषि वर्ग
10.	राउमावि चारभुजा	विज्ञान (जीव विज्ञान) वर्ग
11.	राउमावि राजनगर	उर्दू
12.	राउमावि गोगुन्दा	टंकण विषय
13.	रामावि मेनार	कृषि वर्ग
14.	रामावि कानोड़	उर्दू
15.	रामावि काछबलो	विज्ञान (गणित) वर्ग
16.	कन्या विद्यालय जगदीश चौक	वाणिज्य वर्ग
17.	रामावि देवपुरा	विज्ञान (गणित) वर्ग

उपरोक्त विद्यालय राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 13 (10) शिक्षा-1/84 दिनांक 27-9-84 द्वारा खोले गये। इनका बजट प्राप्त नहीं हुआ है।

ह./—
जिला शिक्षा अधिकारी,
शिक्षा विभाग उदयपुर

166

जमवारामगढ़ क्षेत्र में नदी नालों पर एनीकट/बांध निर्माण

12. **वैद्य भैंरूलाल भारद्वाज** (जमवा रामगढ़)–क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जमवा रामगढ़ चुनाव क्षेत्र के ग्राम सिरोही (आमेर), ग्राम आंधी (जमवा रामगढ़), ग्राम भानपुर कलां (जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र) में सिचाई विभाग ने छोटे-छोटे एनीकट बनाने के लिए जो सर्वे किया है उनका निर्माण कार्य कब तक आरंभ कर दिया जावेगा ?

(2) उक्त क्षेत्र के कृषि कुओं में पानी की हो रही भयंकर कमी को देखते हुए क्या सरकार नदी नालों पर छोटे-छोटे एनीकट या बांध बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इनका कब तक सर्वे करा कर, इन पर कार्य आरम्भ करा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तीनों स्थलों पर एनीकटो के निर्माण के लिए सर्वे कर आंकलन बना लिये गये हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच के पश्चात् स्वीकृति जारी होने एवं बजट उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जा सकेगा।

(2) उक्त क्षेत्र में छोटे-छोटे नदी नालों पर एनीकट या बांध निर्माण के प्रस्तावों की जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में उपयुक्त पाये जाने पर विस्तृत सर्वे करवा कर आंकलन तैयार किये जायेंगे। स्वीकृति जारी होने एवं बजट आवंटन होने पर कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।

दूदू (जयपुर) में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को भू-आवंटन

13. **श्री महेन्द्र कुमार** (आसपुर):- क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति व तहसील दूदू, जिला जयपुर में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को सीलिंग के तहत अवाप्त कृषि भूमि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कब तथा कितने परिवारों को ? कृपया सीलिंग के तहत आवंटित भूमि की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवंटित भूमि में से कितनी पर आवंटी काश्त कर रहे हैं और कितनी भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है अथवा उसके बारे में अन्य विवाद या शिकायतें हैं और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। सीलिंग में अवाप्त कृषि भूमि में से 549 अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को 3474 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। नामवार सूची संलग्न प्रेषित है।

(2) उक्त आवंटित भूमि में से 2840 बीघा 06 बिस्वा पर आवंटियों का कब्जा काश्त है। 633 बीघा 11 बिस्वा भूमि का कब्जा नहीं दिया गया। इसके मुख्य कारण विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न आदेश हैं। राजपक्ष की ओर से पैरवी व्यवस्था की जा रही है।

(167)

सूची सीलिंग भूमि नियम 1963 के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ हेतु अनुसूचितजाति/जनजाति के व्यक्तियों को पंचायत समिति दूदू व तहसील दूदू में आवंटन की गई।

क. सं.	तहसील	ग्राम	आवंटन दिनांक	नाम आवंटी	अ.जा./ ज. जाति	रकबा बीघा	बिस्वा वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फुलेरा	सिरोही खुर्द	18·2·76	श्री सेवा पुत्र रामचन्द्र बलाई	अ.जा.	11	10
2.	,,	,,	,,	श्री बिरधा/रामचन्द्र बलाई	,,	11	10
3.	,,	,,	,,	श्री छोटू/रामचन्द्र बलाई	,,	15	—
4.	,,	,,	,,	श्री रामदेव/रामचन्द्र बलाई	,,	15	5
5.	,,	,,	,,	श्री हीराराम/नारायण बलाई	,,	5	—
6.	,,	,,	,,	श्री खेमराम/रामदेव बलाई	,,	5	—
7.	दूदू	अखेपुरा	3·7·72	श्री नारायण/भोलू बागरिया	अ.जा.	15	—
8.	,,	,,	,,	हरदेव/टोडा बलाई	,,	15	—
9.	,,	,,	,,	गणेश/भोवा बलाई	,,	15	1
10.	,,	,,	,,	सुनदरा/देवा बलाई	,,	15	—
11.	,,	,,	,,	रोडू/रुघनाथ बागरिया	,,	8	7
12.	,,	,,	,,	देवकरण/बगतावरा बागरिया	,,	9	—
13.	,,	,,	,,	पांचू/रामकिशन बागरिया	,,	6	—
14.	,,	,,	,,	नारायण/भूरा बागरिया	,,	6	—
15.	,,	ईटाखोही	,,	रामा/लादू बागरिया	,,	13	—
16.	,,	,,	,,	नोरतिया/चन्दा चमार	,,	13	—
17.	,,	,,	,,	जगल्या/लादू बागरिया	,,	4	13
18.	,,	,,	,,	श्रवण/भेरू चमार	,,	13	—
19.	,,	,,	,,	ग्यारस्या/चोथू बागरिया	,,	12	10
20.	,,	,,	,,	भेरू/गणेश चमार	,,	12	10
21.	,,	,,	,,	गोविन्दा/सरदारा बागरिया	,,	12	4
22.	,,	,,	,,	लक्ष्मी बेवा रामनिवास हरिजन	,,	12	10
23.	,,	,,	,,	पन्ना/गणेश बागरिया	,,	13	—
24.	,,	,,	,,	काना/चोथू बागरिया	,,	13	—
25.	,,	,,	,,	गणेश/मोटा रेगर	,,	13	—

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	दूदू	ईटाखोई	3·7 72	चमना/गणेश बागरिया	अ.जा.	13	—
27.	,,	,,	,,	जेत्या/लादू बागरिया	,,	13	—
28	,,	,,	,,	लाखा/लादू बागरिया	,,	13	—
29.	,,	,,	,,	गंगाराम/ग्यारसा रैगर	,,	13	9
30.	,,	गंगातीकला	6·2·76	हजारी/जगमाल बागरिया	,,	4	14
31.	,,	,,	,,	चन्दा/अर्जुना बागरिया	,,	2	—
32.	,,	,,	,,	छीतर/रतना बागरिया	,,	2	10
33.	,,	,,	,,	रतना/अर्जुन बागरिया	,,	2	10
34.	,,	,,	,,	गंगाराम/अर्जुन बागरिया	,,	1	15
35.	,,	,,	,,	रामकरण/हजारी बागरिया	,,	2	15
36.	,,	,,	,,	धन्ना/अर्जुन बागरिया	,,	3	15
37.	,,	,,	,,	प्रभात/धन्ना रैगर	,,	4	—
38.	,,	,,	,,	ग्यारसा/धन्ना रैगर	,,	4	—
39.	,,	,,	,,	किशना/खांगा रैगर	,,	3	14
40.	,,	सांवरदा	25·7·72	गंगाराम/नाथू रैगर	,,	6	8
41.	,,	गिदानी	,,	श्योकरण/देवा बलाई	,,	5	12
42.	,,	गुढासायपुरा	28·6·76	रामसहाय/कालू हरिजन	,,	3	—
43.	,,	,,	,,	जूथा/सुवा बलाई	,,	3	—
44.	,,	,,	,,	पांचू/सुवा बलाई	,,	3	—
45.	,,	,,	,,	रामा/कालू हरिजन	,,	3	—
46.	,,	,,	,,	घीसा/दूला बागरिया	,,	3	—
47.	,,	,,	,,	रूघनाथ/नाथू ढोली	,,	3	—
48.	,,	,,	,,	रामपाल/रोडू रैगर	,,	3	—
49.	,,	,,	,,	बदूड़ा/जयदेव बैरवा	,,	5	1
50.	,,	,,	,,	काना/गंगाराम बैरवा	,,	5	1
51.	,,	ममाना	7·2·76	रामस्वरूप/धन्ना हरिजन	,,	13	—
52.	,,	,,	,,	जगदीश/धन्ना हरिजन	,,	13	—
53.	,,	,,	,,	लाडा/रामकरण बलाई	,,	10	—
54.	,,	,,	,,	रामकरण/मूला बलाई	,,	10	—
55.	,,	,,	,,	रामधन/मांगू बलाई	,,	7	—
56.	,,	,,	,,	रामेश्वर/मांगू बलाई	,,	5	—
57.	दूदू	साली	7·2·76	फूलां/मोती बलाई	,,	8	—

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	दूदू	साली	7·2·76	हीरा/रोडू खटीक	अ.जा.	8	—
59.	"	"	"	तेजा/बिरदा रेगर	"	5	—
60.	"	"	"	धीसा/जुहारा रेगर	"	5	—
61.	"	"	"	धीसा/मोहना हरिजन	"	2	—
62.	"	"	"	कालू/रोडू खटीक	"	5	1
63.	"	"	"	रामा/सुलतान खटीक	"	2	—
64.	"	"	"	भोलू/गंगाराम खटीक	"	3	—
65.	"	"	"	कालू/रोडू खटीक	"	3	6
66.	"	"	"	नवरतन/रोडू खटीक	"	9	—
67.	"	"	"	भंवरलाल/सुवा भील	अ.ज.जा.	6	10
68.	"	"	"	गोविन्दा/नारायण रेगर	अ.जा.	8	—
69.	"	"	"	मंगलचन्द/भैरू खटीक	"	5	1
70.	"	"	"	भैरू/नारायण रेगर	"	5	1
71.	"	"	"	भंवरलाल/चन्द्रा रेगर	"	6	14
72.	"	"	"	भंवरलाल/भैरू खटीक	"	3	8
73.	"	"	"	मंगला/रामलाल रेगर	"	2	6
74.	"	"	"	रामू/देवा बलाई	"	5	13
75.	"	"	"	गुल्ला/महता. रेगर	"	5	—
76.	"	"	"	सुगनी/पूरणमल खटीक	"	5	3
77.	"	"	"	श्रीकिशन/भंवरलाल रेगर	"	7	—
78.	"	"	"	मदनलाल/प्रभू रेगर	"	10	10
79.	"	"	"	कालू/नारायण रेगर	"	10	—
80.	"	"	"	पुरुषोत्तम/नाथू हरिजन	"	8	—
81.	"	"	"	केली/सुवा बलाई	"	5	—
82.	"	"	"	छीतर/तन्नाराम खटीक	"	4	—
83.	"	"	"	सुगनी/खेमाराम बलाई	"	3	12
84.	"	"	"	भंवरलाल/भूला रेगर	"	2	3
85.	"	"	"	भोलू/गंगाराम रेगर	"	2	8
86.	"	"	"	रामा/सुगना खटीक	"	3	5
87.	"	"	"	गोरधन/लादू खटीक	"	10	—
88.	"	"	"	रामपाल/लादू खटीक	"	10	—
89.	"	"	"	माधू/ओंकार खटीक	"	9	1

1	2	3	4	5	6	7	8
90.	दूदू	साली	7·2·76	रतना/घीसा रैगर	अ.जा.	—	19
91.	,,	,,	,,	रमा/सुगना खटीक	,,	3	5
92.	,,	,,	,,	हनुमान/भैरू बलाई	,,	5	—
93.	,,	,,	,,	अमरा/भंवरलाल बलाई	,,	5	—
94.	,,	,,	,,	रूपा/लादू बलाई	,,	7	5
95.	,,	,,	,,	गिरधारी/बिहारी रैगर	,,	7	16
96.	,,	,,	,,	कमला पुत्रीभोलू रैगर	,,	3	7
97.	,,	,,	,,	चेतन/नारायण रैगर	,,	4	2
98.	,,	,,	,,	दूला/गुल्ला बागरिया	,,	5	—
99.	,,	,,	,,	बीजा/बलदेव बागरिया	,,	5	—
100.	,,	,,	28·6·76	घीसा/गंभीरा रैगर	,,	2	17
101.	,,	,,	,,	चौथू/तुलछाराम खटीक	,,	4	—
102.	,,	,,	,,	हीरा/चन्द्रा रैगर	,,	4	9
103.	,,	गांगरडू	16·6·76	श्योकरण/भूरा खटीक	,,	13	2
104.	,,	महुतगांव	7·2·76	भंवरीया/बन्ना बागरिया	,,	8	5
105.	,,	,,	,,	रामचन्द्र/छोगा रैगर	,,	6	18
106.	,,	,,	,,	गोरू/भूरा रैगर	,,	2	10
107.	,,	,,	,,	सुखा/चन्द्रा रैगर	,,	3	2
108.	,,	,,	,,	श्योजी/चन्द्रा रैगर	,,	3	1
109.	,,	,,	,,	भूरा/सांवताराम बागरिया	,,	1	6
110.	,,	,,	,,	बाबूलाल/नारायण रैगर	,,	7	16
111.	,,	गेंजी	,,	गोपाल/अर्जुन मीणा	अ.ज.जा.	11	6
112.	,,	दूदू	8·2·76	कल्याणमल/दूलाराम रैगर	अ.जा.	3	14
113.	,,	,,	,,	हीरालाल/सुवालाल रैगर	,,	10	—
114.	,,	,,	,,	जगदीश/गंगाराम रैगर	,,	8	—
115.	,,	,,	4·7·72	किशनलाल/लादू रैगर	,,	12	9
116.	,,	,,	,,	गोरधन/मनसुख खटीक	,,	15	3
117.	,,	,,	,,	ताराचन्द/मांगीलाल बलाई	,,	13	14
118.	,,	,,	,,	मुक्तिलाल/लादू हरिजन	,,	1	9
119.	,,	,,	,,	भूरा/लादू रैगर	,,	13	—

1	2	3	4	5	6	7	8
120.	दूदू	दूदू	4.7.72	दूला/गोपी रेगर	अ.जा.	13	—
121.	,,	,,	,,	रोडू/मांगू बागरिया	,,	15	1
122.	,,	,,	,,	घीसा/कल्याण खटीक	,,	9	15
123.	,,	मांगलवाड़ा	8.12.76	छीतर/ओंकार बैरवा	,,	6	—
124.	,,	,,	,,	किशनलाल/हरदेव बैरवा	,,	6	—
125.	,,	घमाना	10.5.76	बदना/मांगू बावरिया	,,	10	—
126.	,,	,,	,,	प्रभू/रामनाथ बैरवा	,,	7	2
127.	,,	,,	,,	हरजी/रामनाथ बैरवा	,,	7	1
128.	,,	,,	,,	हरदेव/रामदेव बलाई	,,	5	18
129.	,,	,,	,,	गंगाराम/जयदेव बलाई	,,	4	—
130.	,,	मोजमाबाद	3·7·72	लाला/पेमा बैरवा	,,	7	15
131.	,,	,,	,,	मोहनलाल/छीतर बैरवा	,,	6	7
132.	,,	,,	,,	रामदेव/धन्ना बागरिया	,,	3	14
133.	,,	,,	3.2.76	रामनारायण/मूला खटीक	,,	3	6
134.	,,	,,	,,	हीरा/मूला खटीक	,,	3	6
135.	,,	,,	,,	बजरंगा/काना खटीक	,,	2	15
136.	,,	,,	,,	माधो/अर्जुन खटीक	,,	4	14
137.	,,	,,	,,	कामा/अर्जुन खटीक	,,	3	16
138.	,,	,,	,,	ग्यारसा/रामदेव खटीक	,,	3	15
139.	,,	,,	,,	रामा/नंदा खटीक	,,	3	—
140.	,,	बिचून	13.5,76	सूरजमल/मंगला खटीक	,,	4	5
141.	,,	,,	,,	रतना/धोकला बलाई	,,	6	13
142.	,,	,,	,,	दल्ला/नाथू रेगर	,,	5	14
143.	,,	,,	,,	रामकरण/हुक्मा बलाई	,,	2	16
144.	,,	,,	,,	किशना/बोदू खटीक	,,	4	5
145	,,	,,	,,	कल्याण/भैरू खटीक	,,	5	6
145.	,,	,,	,,	नानगा/गोपाल बलाई	,,	1	18
147.	,,	,,	,,	जगदीश/मोती भंगी	,,	5	17
148.	,,	,,	,,	सांवता/डालू रेगर	,,	4	1
149.	,,	,,	,,	छीतर/लादू खटीक	,,	1	16
150.	,,	,,	,,	भैरू/भूरा रेगर	,,	3	17

(172)

1	2	3	4	5	6	7	8
151.	हूडू	बिचुन	13.5.76	धन्ना/आशा खटीक	अ.ज.	3	4
152.	,,	,,	,,	रामचन्द्र/बाबू बलाई	,,	3	1
153.	,,	,,	,,	बलदेव/गोविन्द बलाई	,,	5	19
154.	,,	सीतारामपुरा	,,	नाथू/रुघनाथ हरिजन	,,	3	—
155.	,,	,,	,,	लाला/घासी हरिजन	,,	2	14
156.	,,	,,	,,	रोडू/गोपीलाल मीणा	अ.ज.जा.	2	13
157.	,,	,,	,,	बजरंग/आशा बागरिया	अ.जा.	2	6
158.	,,	,,	,,	श्रीकिशन/कालू बैरवा	,,	1	5
159.	,,	,,	,,	रामजीलाल/मांगीलाल बैरवा	,,	1	9

सूची सीलिंग भूमि नियम 1973 के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ हेतु अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को पंचायत समिति दूदू व तहसील दूदू में आवंटन की गई

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	आवंटन दिनांक	नाम आवंटी	अ. जा./ अ.ज.जा.	रकबा बीघा	बिस्वा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फुलेरा	गोविन्दपुरा	24.5.76	घीसा/रूपनारायण मीणा	अ.ज.जा.	13	5
2.	„	„	„	हीरालाल/रूघनाथ	„	15	—
3.	„	„	„	रामचन्द्र/रूगनाथ मीणा	„	15	—
4.	„	„	„	सांवरलाल/बन्नारा मीणा	„	10	—
5.	„	„	„	हनुमान/रामनाथ मीणा	„	10	—
6.	„	„	„	जगदीश/नारायण मीणा	„	10	—
7.	„	„	„	नारू/नारायण मीणा	„	11	9
8.	„	„	„	गोपाल/जीवण मीणा	„	10	19
9.	„	„	„	श्याम/जीवण मीणा	„	12	1
10.	„	„	„	भंवरलाल/रामकरण मीणा	„	14	4
11.	„	„	„	ईशर/घोंकल मीणा	„	12	—
12.	„	„	„	धोंकल/बगसा मीणा	„	11	4
13.	„	„	„	नारायण/बरदा मीणा	„	7	3
14.	„	„	„	श्रवण/रामनाथ मीणा	„	9	17
15.	„	„	„	सुवा/रामनाथ मीणा	„	10	—
16.	„	„	„	रामपाल/मेवाराम रैगर	अ.जा.	10	—
17.	„	„	„	श्रवण/रामपाल रैगर	„	8	10
18.	„	„	„	भंवरलाल/रामपाल रैगर	„	8	10
19.	„	„	„	जेठा/लक्ष्मण रैगर	„	8	19
20.	„	„	„	श्रवण/तुलछा रैगर	„	11	—
21.	„	„	„	नानू/कानाराम रैगर	„	10	19
22.	„	„	„	घीसा/बलदेव बलाई	„	10	—
23.	„	„	„	छोटू/भैरू बलाई	„	9	16
24.	„	„	„	रामदेव/धोकल मीणा	अ.ज.जा.	10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	फुलेरा	गोविन्दपुरा	24·5·76	हीरा/धोंकल मीणा	अ.जा.	10	—
26.	,,	,,	,,	सीताराम/भागीरथ मीणा	,,	12	—
27.	,,	,,	,,	रामनिवास/छोगा रैगर	,,	9	—
28.	,,	,,	,,	जगदीश/धोंकला मीणा	अ.ज.जा.	10	4
29.	,,	,,	,,	भगवाना/धोंकल मीणा	अ.ज.जा.	10	7
30.	,,	,,	,,	मुकना/रामनाथ मीणा	,,	9	4
31.	,,	,,	,,	खोदू/रामनाथ मीणा	,,	6	15
32.	,,	मोरडाखुर्द	,,	बना/गंगाराम ढोली	अ.जा.	10	—
33.	,,	,,	,,	भंवरलाल/रामदीन रैगर	,,	10	—
34.	,,	,,	,,	रामेश्वर/किशना नायक	,,	10	—
35.	,,	,,	,,	श्रवण/नाथू बलाई	,,	10	—
36.	,,	,,	,,	छीतर/गणेश बलाई	,,	10	—
37.	,,	,,	,,	गोगा/नाथू बलाई	,,	10	—
38.	,,	,,	,,	सूवा/रामलाल नायक	,,	10	—
39.	,,	,,	,,	नारायण/धन्ना रैगर	,,	10	—
40.	,,	,,	,,	रामसुखा/रामदीन रैगर	,,	10	—
41.	,,	,,	,,	सुगनी बेवा लादू नायक	,,	10	—
42.	,,	मिडवैया	,,	कालू/लादू बलाई	,,	4	—
43.	,,	,,	,,	नाथू/हुक्मा बलाई	,,	4	3
44.	,,	,,	,,	मूल्या/सुखा बलाई	,,	4	—
45.	,,	,,	,,	गोधा/सुखा बलाई	,,	3	13
46.	,,	,,	,,	प्रभात/लादू बलाई	,,	6	8
47.	,,	बरडोवा	,,	दल्लू/सांरिया बागरिया	,,	4	3
48.	,,	,,	,,	बालू/सेडू बागरिया	,,	4	3
49.	,,	,,	,,	मोडू/सेडू बागरिया	,,	4	3
50.	,,	,,	,,	भंवरलाल/कल्याण ढोली	,,	4	14
51.	,,	,,	,,	दुर्गालाल/दिवाराम ढोली	,,	5	5
52.	,,	,,	,,	तुलछा/सुखा रैगर	,,	3	14
53.	,,	,,	,,	प्रताप/सुखा रैगर	,,	4	6
54.	,,	,,	,,	पोखर/टोडा बागरिया	,,	4	2
55.	,,	,,	,,	धापू/सुखा बलाई	,,	3	2
56.	,,	,,	,,	मूला/सुखा रैगर	,,	3	17

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	फुलेरा	बरडेवा	24.5 76	भंवरलाल/गुलाब नायक	अ.जा.	3	12
58.	,,	,,	,,	मांगू/मन्ना नायक	,,	3	6
59.	,,	,,	,,	हरजी/गणेश बलाई	,,	5	10
60.	,,	,,	,,	धन्ना/कन्ना बागरिया	,,	4	12
61.	,,	,,	,,	बाबूलाल/रामदेव हरिजन	,,	4	19
62.	,,	,,	,,	किशनलाल/रामदेव हरिजन	,,	3	10
63.	,,	,,	,,	मूलचन्द/भीका बलाई	,,	5	5
64.	,,	,,	,,	माना/बक्षा नायक	,,	5	4
65.	,,	,,	,,	जीता/काना नायक	,,	3	14
66.	,,	,,	,,	हनुमान/लाला बलाई	,,	4	7
67.	,,	,,	,,	भूरा/चन्दाराम बलाई	,,	4	8
68.	,,	,,	,,	पांचू/हरला बागरिया	,,	4	17
69.	,,	,,	,,	कालू/टोडा बागरिया	,,	4	14
70.	,,	,,	,,	सुखा/रामू रेगर	,,	3	12
71.	,,	,,	,,	रामदेव/सुवा हरिजन	,,	11	10
72.	,,	,,	,,	भूरा/सुजा बागरिया	,,	11	10
73.	,,	,,	,,	छोटी/सांवता नायक	,,	3	1[illegible]
74.	,,	,,	,,	राजा/लिखमा नायक	,,	3	10
75.	,,	,,	,,	पूसी/मुना रेगर	,,	4	[illegible]
76.	,,	,,	,,	मांगीलाल/भूरा बलाई	,,	3	7
77.	,,	,,	,,	शम्भू/सेडू रेगर	,,	2	7
78.	,,	,,	,,	गंगाराम/घासी खटीक	,,	1	13
79.	,,	,,	,,	कुन्दनमल/गंगाराम खटीक	,,	2	3
80.	,,	,,	,,	सुजा/काना बागरिया	,,	3	3
81.	,,	,,	,,	लालाराम/पाथ्या नायक	,,	3	5
82.	,,	,,	,,	कालू/नन्दा बलाई	,,	6	12
83.	,,	,,	,,	सुवा/कालूराम बलाई	,,	6	3
84.	,,	,,	,,	मांगीलाल/नन्दा बलाई	,,	5	2
85.	,,	,,	,,	आसकरण/भीवा बलाई	,,	5	10
86.	,,	,,	,,	नारायण/भीवा बलाई	,,	5	12
87.	,,	हसनपुरा	,,	हरलाल/लक्ष्मण बलाई	,,	3	6
88.	,,	,,	,,	भेरु/बगतावरा खटीक	,,	5	10

(176)

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	फुलेरा	हसनपुरा	24.5.76	सुखा/नारायण खटीक	अ.जा.	3	10
90.	,,	,,	,,	पदमा/नारायण खटीक	,,	4	9
91.	,,	,,	6.7.84	मादू/लक्ष्मण बागरिया	,,	6	5
92.	,,	,,	,,	मंगला/गिरधारी खटीक	,,	6	—
93.	,,	भांवसा	19.8.78	गुलाब/श्योनारायण मीणा	अ. ज. जा.	8	—
94.	,,	,,	18.6.76	मादू/देवा बलाई	अ. जा.	5	11
95.	,,	नरेना	8.9.76	बिरदीचन्द/कालूराम रेगर	,,	1	11
96.	,,	महनवास	30.5.76	नाथू/बीजाराम बलाई	,,	7	—
97.	,,	,,	,,	किशना/श्योराम बलाई	,,	7	—
98.	,,	,,	,,	रामू/घीसा बलाई	,,	7	—
99.	,,	,,	,,	रूघा/श्योराम बलाई	,,	7	—
100.	,,	,,	,,	गोपाल/कल्याण बलाई	,,	5	—
101.	,,	,,	,,	काना/भूरा बलाई	,,	5	—
102.	,,	,,	,,	हुक्मा/भूरा बलाई	,,	5	—
103.	,,	,,	,,	मोहनलाल/कल्याण बलाई	,,	5	—
104.	,,	,,	,,	श्योचंद/श्योदान नट	,,	1	10
105.	,,	,,	,,	गोपी/श्योदान नट	,,	1	10
106.	,,	,,	,,	सुरज्ञानी/श्योदान नट	,,	1	10
107.	,,	ओंवास	,,	श्रवणलाल/जीवननाथ कालबेलिया	,,	3	10
108.	,,	,,	,,	भागीरथ/सुरजाराम रेगर	,,	5	9
109.	,,	,,	,,	बाला/छोटूराम रेगर	,,	5	9
110.	,,	,,	,,	सुलतान/गणपतनाथ कालबेलिया	,,	3	17
111.	,,	,,	19.2.76	रामगोपाल/दूला बलाई	,,	5	10
112.	,,	हिरनौदा	10.9.78	मांगू/गणेश बलाई	,,	3	1
113.	दूदू	गागरडू	8.2.76	चन्दालाल/सांवता बलाई	अ.जा.	7	—
114.	,,	,,	,,	सेगू/बक्षा बलाई	,,	8	8
115.	,,	,,	,,	श्यामसुन्दर/बन्ना मीणा	अ.ज.जा.	8	5
116.	,,	,,	,,	बक्षा/सांवता बलाई	अ.जा	8	13
117.	,,	,,	,,	रामा/बक्षा बलाई	,,	5	16
118.	,,	,,	,,	सुवा/भूरा खटीक	,,	4	13
119.	,,	,,	,,	ल.ना/लाबूराम रेगर	,,	10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
120.	दूदू	गागरडू	8.2.76	लादू/तुलछा रैगर	„	10	—
121.	„	„	„	अर्जुनसिंह/सांवतसिंह गंवारिया	„	5	—
122.	„	„	„	गंगाराम/बगतावरा मीणा	अ.ज.जा.	4	13
123.	„	„	„	रामस्वरूप/रुघा बैरवा	अ.जा.	4	—
124.	„	„	„	काना/देवा बलाई	„	5	—
125.	„	„	„	भूरा/अन्ना बागरिया	„	1	—
126.	„	„	„	श्योजी/चन्द्रा रेगर	„	1	15
127.	„	„	„	सूरजकरण/भेरू रैगर	„	6	8
128.	„	„	„	पांचू/श्योजी रैगर	„	1	14
129.	„	रहलाना	5.2.76	नारायण/मांगू बैरवा	„	8	—
130.	„	„	„	काना/रामदेव बैरवा	„	7	16
131.	„	„	„	रामचन्द्र/गणेश बैरवा	„	7	10
132.	„	„	„	नारायण/भंवर खटीक	„	7	10
133.	„	„	„	सोनिया/भूरा बैरवा	„	10	—
134.	„	„	„	छोगा/भूरा चमार	„	10	—
135.	„	„	„	मदन/नारायण बैरवा	„	13	6
136.	„	„	„	काना/भूरा बैरवा	„	12	6
137.	„	„	„	हरजी/काना रैगर	„	7	—
138.	„	„	7.3.76	छोगा/मांगू रैगर	„	7	—
139.	„	„	„	रामनाथ/लादू चमार	„	8	6
140.	„	„	„	कन्हैयालाल/रामदेव रैगर	„	5	—
141.	„	„	„	मदना/कालू रैगर	„	5	8
142.	„	„	„	हरजी/रामदेव रैगर	„	5	—
143.	„	„	„	तेजपाल/पेमा रैगर	„	8	10
144.	„	„	„	श्रवण/किशना रैगर	„	6	10
145.	„	„	„	हनुमान/गंगाराम रैगर	„	7	3
146.	„	„	5.2.76	धीसा/बालू बागरिया	„	13	11
147.	„	„	„	काना/भीवा चमार	„	8	1
148.	„	कैरियाबुजुर्ग	16.6.76	कमल्या पत्नि बालू बैरवा	„	8	9
149.	„	„	„	पन्ना/बालू बागरिया	„	5	—
150.	„	„	„	श्रवण/काना बागरिया	„	1	5
151.	„	सांपोडिया	9.7.82	नंदा/लादू बलाई	„	4	6

1	2	3	4	5	6	7	8
152.	दूदू	लापोडिया	9.7.82	छोगा/गोरु बलाई	अ. जा.	7	13
153.	"	"	"	चोथमल/लादू बलाई	"	3	2
154.	"	"	8·2·76	सोरदाराम/गंगाराम बैरवा	"	4	14
155.	"	"	"	भंवरलाल/रामदेव बैरवा	"	2	4
156.	"	"	"	लादू/हरदेव बैरवा	"	8	5
157.	"	"	26.1·83	नरसी/गंगावक्ष रैगर	"	6	16
158.	"	"	"	घासी/रामा बैरवा	"	5	10
159.	"	"	13·7·77	कान/छीतर बैरवा	अ. जा.	2	3
160.	"	"	"	घोला/लादू चमार	"	4	17
161.	"	"	"	रुगनाथ/छीत रबैरवा	"	8	·16
162.	"	"	29.3.76	बद्री/बिरदाराम बैरवा	"	10	—
163.	"	"	"	छोटू/गंगाराम बैरवा	"	10	—
164.	"	"	"	मंगला/गंगाराम बैरवा	"	10	—
165.	"	"	"	नाथू/देवा रेगर	"	10	—
166.	"	"	"	रामसुखा/मंगलाराम बैरवा	"	10	—
167.	"	"	21.7.76	मूला/मोती रेगर	"	10	—
168.	"	"	"	जोधा/नाथू बागरिया	"	10	—
169.	"	"	"	मगोह/नाथू बागरिया	"	10	—
170.	"	"	"	नोरत्या/श्योजी बलाई	"	10	—
171.	"	"	"	भंवरलाल/नारायण बलाई	"	5	—
172.	"	"	"	देवा/श्योकरण बलाई	"	8	—
173.	"	"	"	लादू/मांगू बलाई	"	10	—
174.	"	"	"	गणेश/चन्द्रा बैरवा	"	4	—
175.	"	"	"	श्योकरण/लादू बैरवा	"	5	—
176.	"	"	"	रामकिशन/धन्ना बैरवा	"	5	—
177.	"	"	"	अम्बालाल/देवलाल	"	7	—
178.	"	"	"	गुलाबबेवा/हरिनारायण बैरवा	"	7	13
179.	"	"	"	छोगा/गोरु बैरवा	"	6	4
180.	"	"	"	सुजा/गोरु बलाई	"	10	—
181.	"	"	9.7.82	रामकरण/पांचू बलाई	"	3	—
182.	"	पड़ासोली	28·6·76	भंवरलाल/लादू खटीक	"	3	—
183.	"	"	"	करणा/रामदेव बलाई	"	5	—

(179)

1	2	3	4	5	6	7	8
184.	दूदू	"	8.2.76	दूस्या/छीतर बलाई	अ. जा.	5	—
185.	"	घांघोली	"	काना/हरला बैरवा	"	6	—
186.	"	"	"	गोपी/गणेश बैरवा	"	6	—
187.	"	दातरी	7.2.76	सुवा/गोपी खटीक	"	1	—
188.	"	"	"	जयराम/नाथू बागरिया	"	10	18
189.	"	"	"	नाथू/नन्दा बागरिया	"	9	4
190.	"	"	"	रामदेव/लाला रेगर	"	3	15
191.	"	साखून	7.2.76	रामलाल/भागीरथ खटीक	"	9	4
192.	"	"	"	गन्ना/जोरु मीणा	"	6	11
193.	"	"	"	सेडू/सेवाराम रेगर	"	6	10
194.	"	"	"	हनुमान/गोरधन रेगर	"	6	8
195.	"	"	"	बन्नाराम/रामदेव रेगर	"	6	6
196.	"	"	"	शम्भूलाल/अमरा रेगर	"	5	19
197.	"	"	"	छोटू/श्योनारायण बागरिया	"	2	10
198.	"	दांतडा	"	रतना/भन्ना बलाई	"	5	8
199.	"	"	"	रामदेव/बन्ना बलाई	"	5	8
200.	"	सिरोहीकला	15.6.76	श्रवण/सुवा बलाई	"	5	—
201.	"	"	"	भंवरलाल/लादू बलाई	"	5	1
202.	"	मोर्डी	"	हरजी/दूला रेगर	"	8	18
203.	"	"	"	नारायण/दूला रेगर	"	10	12
204.	"	"	"	श्रीबक्स/दूला रेगर	"	9	—
205.	"	"	8.2.76	छीतर/अर्जुन बलाई	"	14	2
206.	"	पींगून	"	हजारी/रतना रेगर	"	7	10
207.	"	"	"	छीतर/माना रेगर	"	3	12
208.	"	जडावता	"	सीताराम/नारायण बलाई	"	15	16
209.	"	"	"	राधाकिशन/गोपी बलाई	"	15	8
210.	"	"	"	हरबक्ष/गंगू रेगर	"	13	17
211.	"	"	"	छोटू/नानगराम मीणा	अ. ज. जा.	16	4
212.	"	"	"	मालचन्द/हरबक्ष रेगर	अ. जा.	12	10
213.	"	ममाणा	15.2.76	भोलू/हनुमान मीणा	अ. ज. जा.	7	10
214.	"	"	"	लादू/भैरु रेगर	अ. जा.	7	10

1	2	3	4	5	6	7	8
215.	दूदू	ममाणा	15.2.76	पांचू/जयराम बलाई	अ. जा.	11	—
216.	,,	हरसोली	5.2.76	किशनी/मंगला हरिजन	,,	3	18
217.	,,	,,	,,	जुम्मा/नारायण बलाई	,,	10	18
218.	,,	,,	,,	श्योजी/बगला हरिजन	,,	10	—
219.	,,	,,	,,	चोसा/ओंकार रेगर	,,	6	—
220.	,,	,,	,,	लाला/बाबू रेगर	,,	6	—
221.	,,	,,	,,	कैलाश/जमनालाल वर्मा	,,	6	—
222.	,,	,,	,,	भोरिया/चन्द्रा बलाई	,,	5	—
223.	,,	सुनाडिया	15.2.76	गोपी/नाथू बलाई	,,	3	5
224.	,,	,,	,,	सुवा/बोदु रेगर	,,	4	13
225.	,,	,,	,,	देवा/नाथु बलाई	,,	6	15
226.	,,	कचनारिया	11.6.76	सुवा/रतना भील	अ. ज. जा.	4	16
227.	,,	,,	,,	गोपी/भैरु भील	,,	5	9
228.	,,	,,	,,	फूला/छोटूराम बलाई	अ. जा.	6	—
229.	,,	,,	,,	गोविन्दा/श्योबक्ष बैरवा	,,	3	10
230.	,,	,,	,,	काना/छोटू बलाई	,,	3	3
231.	,,	,,	,,	श्योजी/भ्रमरा बैरवा	,,	12	10
232.	,,	केरियाबाद	28.6.76	रामचन्द्र/नाथू भील	अ. ज. जा.	7	12
233.	,,	,,	,,	भैरु/जगन्नाथ धोबी	अ. जा.	6	9
234.	,,	,,	,,	धन्ना/ईशर बैरवा	,,	6	10
235.	,,	,,	,,	मनबरी/गुरदा बागरिया	,,	9	—
236.	,,	,,	9.7.82	झूंथी/छीतर बागरिया	,,	4	—
237.	,,	उरसेवा	15.7.77	भैरु/काना रेगर	,,	7	—
238.	,,	,,	,,	मोहन/बीजा खटीक	,,	6	10
239.	,,	,,	,,	भागीरथ/पांचू खटीक	,,	6	10
240.	,,	,,	,,	बदरी/गोगा भील	अ. ज. जा.	3	6
241.	,,	,,	,,	नोरत्या/किस्तूरा खटीक	अ. जा.	4	7
242.	,,	,,	,,	चोथू/बन्ना बागरिया	,,	5	—
243.	,,	,,	8.2.76	गोगा/काना भील	अ. ज. जा.	5	—
244.	,,	,,	,,	गंगलिया/गोगा भील	,,	5	—
245.	,,	,,	,,	रिद्धकरण/छीतर बलाई	अ. जा.	4	5

1	2	3	4	5	5	7	8
246.	दूदू	उरसेवा	8.2.76	लादू/नारायण धोबी	अ.जा.	5	—
247.	,,	,,	,,	मदन/नारायण धोबी	,,	5	—
248.	,,	,,	,,	रामलाल/सुवा धोबी	,,	5	—
249.	,,	,,	30.1.78	लालाराम/बीजाराम खटीक	,,	3	—
250.	,,	,,	,,	बाबूलाल/सुआदास रेगर	अ.जा.	3	—
251.	,,	,,	30.1.76	नारायण/छीतर बलाई	,,	2	15
252.	,,	,,	8.2.76	स्वरूपा/रुघा बलाई	,,	6	4
253.	,,	,,	,,	छोटू/छीतर बलाई	,,	5	—
254.	,,	,,	,,	प्रभू/ओंकार बलाई	,,	5	—
255.	,,	,,	,,	कल्याण/ईश्वर बलाई	,,	5	—
256.	,,	,,	,,	रामकरण/ओंकार बलाई	,,	5	—
257.	,,	,,	,,	हनुमान/छीतर बलाई	,,	4	5
258.	,,	,,	30.1.13	कालू/बगतावरा बागरिया	,,	1	5
259.	,,	,,	11.6.76	प्रताप/हरचन्द बागरिया	,,	—	11
260.	,,	,,	,,	गोपी/नारायण धोबी	,,	2	10
261.	,,	,,	,,	भेरू/पन्ना बेरवा	,,	10	16
262.	,,	,,	30.1.83	हरकचन्द/ईश्वर बागरिया	,,	1	10
263.	,,	,,	,,	भूरा/बगतावर बागरिया	,,	2	—
264.	,,	,,	,,	गणपत/भागीरथ बागरिया	,,	2	—
265.	,,	,,	8.2.76	रामा/गोरू बागरिया	,,	5	—
266.	,,	,,	,,	रामलाल/भागीरथ बेरवा	,,	6	8
267.	,,	,,	,,	प्रभू/भागीरथ रेगर	,,	5	—
268.	,,	,,	,,	श्रवण/हीरा रेगर	,,	5	—
269.	,,	,,	5.5.78	मुक्तीराम/बिरधाराम खटीक	,,	4	—
270.	,,	,,	,,	मोतीराम/गणेश खटीक	,,	10	3
271.	,,	,,	30.1.83	प्रेमा/काना रेगर	,,	2	10
272.	,,	,,	5.10.77	किशना/मांगू रेगर	,,	5	18
273.	,,	,,	,,	हरजी/माधू भील	अ.ज.जा.	12	4
274.	,,	,,	,,	गोपी/गोरू बेरवा	अ.जा.	8	8
275.	,,	,,	11.6.76	रामप्रशाद/सीताराम भांड	,,	4	10
276.	,,	,,	,,	छोटू/माधू भील	,,	4	10

1	2	3	4	5	6	7	8
277.	दूदू	डरसेवा	11.6.76	हमीरा/प्रताप भील	अ.ज.जा.	4	10
278.	,,	,,	31.1.83	प्रभू/पांचू खटीक	अ.जा.	2	—
279.	,,	खुडीयाला	8.2.76	पूरा/बोदू बलाई	,,	7	5
280.	,,	,,	,,	बिरदा/धन्ना बलाई	,,	8	4
281.	,,	गुढासायपुरा	,,	भीवां/काना बेरवा	,,	3	4
282.	,,	,,	,,	रामपाल/रोडू रेगर	,,	5	—
283.	,,	दूदू	,,	भंवरलाल/सुगना रेगर	,,	4	8
284.	,,	,,	,,	सोहनलाल/धन्ना रेगर	,,	5	—
285.	,,	,,	,,	रामचन्द्र/दूलाराम रेगर	,,	5	—
286.	,,	,,	,,	हीरा/समन्दरस्या बागरिया	,,	5	—
287.	,,	,,	,,	भुवा/जोरा बागरिया	,,	5	—
288.	,,	,,	,,	मानिया/छोटू बागरिया	,,	4	11
289.	,,	,,	,,	मुक्तिलाल/नंदराम हरिजन	,,	8	—
290.	,,	,,	,,	जमनलाल/गोपीराम मेहतर	,,	5	—
291.	,,	,,	,,	पूरण/बाछूलाल हरिजन	,,	5	—
292.	,,	,,	,,	किशन/नाथू मेहतर	,,	7	7
293.	,,	,,	,,	नाथू/ओंकार बलाई	,,	9	1
294.	,,	,,	,,	ताराचंद/सुवालाल रेगर	,,	4	14
295.	,,	,,	,,	देवा/लक्ष्मण रेगर	,,	5	10
296.	,,	,,	,,	कालूराम/ईश्वर रेगर	,,	5	13
297.	दूदू	दूदू	8.2.76	गणेश/श्योराम खटीक	,,	6	11
298.	,,	,,	,,	हरदेव/रूपा रैगर	,,	6	9
299.	,,	,,	,,	जयनारायण/सुगना रैगर	,,	5	4
200.	,,	,,	,,	ईशर/पांचूराम रैगर	,,	6	12
201.	,,	,,	,,	पेमा/बालू रैगर	,,	5	—
202.	,,	,,	,,	जगनाथ/पेमा रैगर	,,	5	8
203.	,,	,,	,,	मुकना/जवाना बागरिया	,,	6	5
204.	,,	,,	,,	धीरा/भागीरथ बागरिया	,,	5	—
305.	,,	,,	,,	जयदेव/सौदान बागरिया	,,	5	—
306.	,,	,,	,,	धन्ना/श्योदान बागरिया	,,	5	—
307.	,,	,,	,,	चन्दा/जोरू बागरिया	,,	5	—
308.	,,	,,	,,	बन्ना/हरदेव बागरिया	,,	5	—

1	2	3	4	5	6	7	8
309.	दूदू	दूदू	8.2.76	श्योचन्दा/हमीर बागरिया	अ.जा.	5	—
310.	"	"	"	गणेश/श्योचन्दा बागरिया	"	5	—
311.	"	"	"	मांना/मांगू बागरिया	"	5	—
312.	"	"	"	बालू/कान्ना बागरिया	"	5	—
313.	"	"	"	भूरा/श्योकरण बागरिया	"	5	—
314.	"	"	"	घीसा/भागीरथ बागरिया	"	7	9
315.	"	"	"	नोरत/मोहरू मेहतर	"	6	4
316.	"	"	"	लालचन्द/सुवालाल रैगर	"	3	16
317.	"	"	"	लालाराम/रतनाराम रैगर	"	6	13
318.	"	"	"	कानाराम/रतनाराम रैगर	"	5	10
319.	"	"	"	गोदू/रुघाराम रैगर	"	5	4
320.	"	"	"	धन्ना/नारायण रैगर	"	4	1
321.	"	"	"	मोतीराम/पांचूराम रैगर	"	3	4
322.	"	"	"	श्रवण/बन्ना मीणा	अ.ज.जा.	2	18
323.	"	"	"	हनुमान/जोरा मीणा	"	3	8
324.	"	"	"	घनश्याम/बिरदा रैगर	अ.जा.	2	16
325.	"	"	"	हीरालाल/बिरदाराम रैगर	"	2	18
326.	"	"	"	रामचन्द्र/श्योकरण रैगर	"	2	5
327.	"	"	"	जगदीश/श्योकरण रैगर	"	3	5
328.	"	सालूकला	"	ईशर/घासी बलाई	"	15	8
329.	"	"	"	परसाराम/ओंकार बलाई	"	11	9
330.	"	"	"	बिरमराम/ओंकार बलाई	"	10	7
331.	"	गिदानी	"	मेवा/कान्ना रैगर	"	5	—
332.	"	"	"	सुखाराम/रामदेव रैगर	"	6	1
333.	"	"	"	किशोरी/भूरा ढोली	"	17	5
334.	"	झावरदा	28.6.76	किशना/मादू रैगर	"	2	8
335.	"	"	"	नंदाराम/जमना हरिजन	"	3	—
336.	"	"	"	सुवाराम/घासीराम हरिजन	"	1	5
337.	"	दूदू	8.2.76	सुवालाल/बालू रैगर	"	3	4
338.	"	"	"	कल्याण/पन्ना रैगर	"	7	8
339.	"	"	"	गुलाबचन्द/माधूराम रैगर	"	3	6

1	2	3	4	5	6	7	8
340.	दूदू	दूदू	8.2.76	राधेश्याम/भागीरथ रेंगर	अ.जा.	2	2
341.	"	बीचून	6.2.76	प्रत्या/रामू हरिजन	"	3	4
342.	दूदू	सीतारामपुरा	9.2.76	भगताराम/जूंथाराम मीणा	अ.ज.जा.	10	18
343.	"	बिहारीपुरा	3.2.76	भागीरथ/शम्भू मीणा	"	6	—
344.	"	"	"	बोदू/सुलतान मीणा	"	5	7
345.	"	"	"	भूरा/लादू बलाई	अ.जा.	6	—
346.	"	"	"	मंगला/सुवा बलाई	"	6	2
347.	"	"	"	श्योदान/चन्द्रा भंगी	"	4	1
348.	"	"	"	श्रवण/केशरा बेरवा	"	4	15
349.	"	"	"	रामचन्द्र/हरबक्ष बेरवा	"	4	15
350.	"	"	"	भेरू/जूंथा रेंगर	"	6	—
351.	"	"	"	लादूराम/पथराज बागरिया	"	6	—
452.	"	"	"	धोंकल/पथराज बागरिया	"	6	10
353.	"	"	"	प्रहलाद/चन्दाराम बेरवा	"	8	—
354.	"	"	"	खेमाराम/गोविन्दा रेंगर	"	4	10
355.	"	"	"	नानगराम/गोविन्दा रेंगर	"	4	10
356.	"	"	"	गुल्ला/गोविन्दराम रेंगर	"	4	10
357.	"	"	"	पांचूराम/चन्दाराम रेंगर	"	5	4
358.	"	लोरडी	"	रामू/चन्द्रा बेरवा	"	5	—
359.	"	"	"	रामलाल/चतरा रेंगर	"	4	—
360.	"	"	"	गणेशनारायण/छोटू गंवरिया	"	4	—
361.	"	"	"	रूपाराम/चतरा रेंगर	"	4	—
362.	"	मोजमाबाद	"	श्योराम/चतरा बेरवा	"	7	—
363.	"	गिरधारीपुरा	15.5.76	हरनारायण/छोटू मीणा	अ.ज.जा.	3	15
364.	"	"	"	बिरदा/नारायण मीणा	"	6	17
365.	"	"	"	जगदीश/नारायण मीणा	"	5	10
366.	"	"	"	हनुमान/नारायण मीणा	"	6	14
367.	"	"	"	बाबूड़ा/भूरा हरिजन	"	4	—
368.	"	महला	6.2.76	बाबूलाल/भूरा हरिजन	"	2	16
369.	"	बोराज	"	सूजा/भेरू धोबी	"	11	2
370.	"	"	14.10.82	श्योराम/नारायण खटीक	"	3	—
371	"	"	"	मोतीराम/काना रेंगर	"	5	—

1	2	3	4	5	6	7	8
372.	,,	,,	,,	छीतर/भूरा रैगर	,,	5	—
373.	,,	,,	,,	लालूराम/गणेश रैगर	,,	5	—
374.	,,	,,	,,	भंवरलाल/नारायण बलाई	,,	5	—
375.	,,	,,	,,	लक्ष्मण/नारायण खटीक	,,	5	—
376.	,,	,,	,,	बद्रीलाल/देवीलाल नट	,,	5	—
377.	,,	,,	,,	कोशल्या/देवीलाल नट	,,	3	—
378.	,,	,,	,,	भंवरलाल/डूंगा रैगर	,,	5	—
379.	दूदू	बोरिज	14·10·81	सूजाराम/डूंगाराम रैगर	अ.जा.	5	—
380.	,,	,,	,,	हनुमान/सूजाराम रैगर	,,	5	—
381.	,,	,,	,,	भैरू/काना रैगर	,,	5	4
382.	,,	गगरडू	8·2·76	गंगाराम/बगतावर मीणा	अ.ज.जा.	5	7
383.	,,	,,	,,	रामस्वरूप/रघा चमार	अ.जा.	6	—
384.	,,	,,	,,	कांना/देवा बलाई	,,	6	—
385.	,,	,,	,,	अर्जुनसिंह/सावंतसिंह गवारिया	,,	5	—
386.	,,	,,	,,	अमरसिंह/सांवतसिंह गवारिया	,,	5	—
387.	,,	,,	6·1·76	तेजा/बक्षा बलाई	,,	6	9
358.	,,	,,	,,	रामा/बक्षा बलाई	,,	7	3
389.	,,	,,	28·6·77	धापू/घीसा मीणा	अ.ज.जा.	5	12
390.	,,	,,	6·1·77	पांचू, मंगल्या, सुखेदेव/रामचन्द्र चमार	अ.जा.	14	[illegible]

नोहर में ठेकेदारों में आबकारी शुल्क की बकाया

14. श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभ नगर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नोहर (गंगानगर) में शराब के ठेकेदारों में आबकारी शुल्क की कितनी राशि कब-कब से क्यों बकाया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) सरकार बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जमील खां पुत्र भूरेखां एण्ड पार्टनर्स निवासी नरडियान, सादुलपुर ने देशी मदिरा दुकान, नोहर वर्ष 1981–82 (1.9.81 से 31.3.82 तक) चलाई तथा वर्ष समाप्ति पर दिनांक 1.4.82 को रुपये 5,45,843.80 की एकाकी विशेषाधिकार राशि की बकाया है। जो विभाग द्वारा वसूल की जानी है।

(2) विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर बाकीदार ने उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट संख्या 426/82 दायर की। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.2.1984 द्वारा पेटीशनरों को जिला आबकारी अधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष बकाया के बराबर जमानत पेश करने के आदेश दिये हैं। बाकीदार ने जमानत पेश कर दी है। माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में वसूली की कार्यवाही अवरुद्ध है।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता

15. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर)—क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राजस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ?

(2) आयुर्वेद विभागान्तर्गत कुल कितने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत हैं एवं उनमें कितने पद रिक्त हैं ? ये रिक्त पद कब तक भरे जावेंगे ?

(3) क्या होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र राज्य कर्मचारियों के लिए मान्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या राज्य कर्मचारियों द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा परिचर्या पर किया गया व्यय ऐलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धतियों की तरह राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाता है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) आयुर्वेद विभागान्तर्गत कुल 73 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय/औषधालय कार्यरत हैं। इनमें 21 होम्योपैथिक चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। पद पूर्ति के

(आयुर्वेद मंत्री)

संबंध में अपर ज्यूडिसीयल मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष वाद दायर किये हुए हैं तथा अपर ज्युडिसीयल मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वारा स्थगन आदेश भी दिये हुए है। इस स्थगन आदेश के संदर्भ में रिक्त पदों पर भर्ती बाबत मामला विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं। यह मामला राज्य सरकार के विचारधीन है।

(4) जी नहीं। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

झालावाड़ जिले में दुग्ध उत्पादक डेयरी की स्थापना की मांग

16. श्री बालचंद आर्यवीर (डग)
श्री अनंग कुमार जैन (झालारपाटन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के लिए अभी तक दुग्ध डेयरी की कोई योजना तैयार नहीं की गई है जबकि जिले में बहुसंख्या में पशुधन है और दूध भी काफी मात्रा में उपलब्ध है ?

(2) क्या सरकार हर पंचायत समिति सेन्टर व नगरपालिका सेन्टर पर दुग्ध डेयरी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

दुग्ध की उपलब्धि एवं उपलब्ध वित्तीय साधनों को मध्यनजर रखते हुए डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाते हैं।

गढ़ी सांवलदास मन्दिर, भरतपुर

17. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यही सही है कि भरतपुर स्थित गढ़ी सांवलदास मन्दिर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो अतिक्रमणियों को हटाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मन्दिर की लगभग 400 बीघा उपजाऊ भूमि पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है और स्वयं मन्दिर के स्थान में नागा साधुओं की मर्यादा एवं परम्पराओं को भंग कर एक ऐसे व्यक्ति को मन्दिर पर कब्जा करने का मौका दिया है जिसके साथ एक स्त्री भी रहती है तथा मन्दिर की चल सम्पत्ति को नष्ट भ्रष्ट करते हुए अपने कब्जे में कर दिया है ?

(3) यदि हां, तो मन्दिर तथा मन्दिर की सम्पत्ति की रक्षा करने तथा मन्दिर के लिए परम्परागत विधि से महन्त को चुनने के लिए क्या कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(देवस्थान मंत्री)

(2) जी नहीं । मन्दिर की भूमि पर कोई अनधिकृत कब्जा नहीं है। जो पुजारी मन्दिर की सेवा-पूजा कर रहा है वह मृतक महन्त के समय से ही करता आ रहा है ।

(3) यह मन्दिर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत एक सार्वजनिक प्रन्यास है । प्रन्यास के विधान के अन्तर्गत नवीन प्रन्यासी की नियुक्ति मंदिर के मुख्य मृतक प्रन्यासी श्री दामोदर दास के द्वारा ही की जाती थी चूंकि मृतक महन्त द्वारा अपने जीवनकाल में कोई प्रन्यासी नियुक्त नहीं किया गया अतः मृतक महन्त के शिष्य का अन्तिम निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है यह सक्षम न्यायालय का क्षेत्र है अभी तक किसी भी चेले अथवा व्यक्ति ने मृतक महन्त के वारिस होने का उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर देवस्थान विभाग में प्रस्तुत नहीं किया अतः नवीन प्रन्यासी के चयन का मामला सिविल कोर्ट को विचारण हेतु प्रस्तुत करने के आदेश सहायक आयुक्त को दे दिये गए हैं ।

गेहूं एवं बाजरा के बीज व खाद में मिलावट की शिकायतें

18. **श्री मालाराम** (खेतड़ी)–क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को गत फसलों के समय दिये गये गेहूं एवं बाजरा के बीज एवं खाद में मिलावट संबंधी कोई सूचना एवं शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां की एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) सीकर एवं झुंझुनू जिलों के बारे में भी उक्त सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार को कोई शिकायतें अथवा सूचना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ? क्या किसानों से इस बारे में पूछताछ की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में गत रबी 1983-84 में गेहूं के बीज में मिलावट सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी । गत खरीफ 1984 में हाई ब्रीड बाजरे के बीज के सम्बन्ध में अलवर व पाली जिले से शिकायतें प्राप्त हुई थी जो विस्तृत जांच करने पर निराधार पायी गयी । खाद के मिलावट के सम्बन्ध में तहसील निम्बाहेडा (चित्तौड़) में नकली रसायन का मामला पकड़ा गया तथा पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कर दी गयी है ।

(2) सीकर व झुंझुनू जिले से गेहूं, बाजरा व खाद के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

पंचायत समिति, रानीवाड़ा में कृषि प्रयोजन हेतु अनधिकृत कनेक्शन्स

19. **श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा पंचायत समिति, जिला जालोर में कृषि के कुछ अनधिकृत कनेक्शन्स लिये जाने की जानकारी बोर्ड को मिली है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर, कितने-कितने हॉर्स

(श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह)
पावर के कब-कब से चालू थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इन लोगों को बोर्ड द्वारा बिल भी भेजे जाते रहे हैं ? यदि हां, तो कब से कब तक प्राप्त होते रहे हैं ? उस समय वहां कौन-कौन अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत थे ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, रानीवाड़ा पंचायत समिति, जिला जालोर में कृषि के कुछ अनधिकृत कनेक्शन लिए जाने की जानकारी मण्डल को मिली । मण्डल के सतंकता दल द्वारा जांच करने पर एक व्यक्ति को दिनांक 30-8-1984 को बिजली की चोरी करते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध पुलिस में केस दर्ज करा दिया गया है। अन्य मामलों में प्रमाण एकत्र किए जा रहे हैं ।

(2) जी नहीं, उपरोक्त एक व्यक्ति जिसका मामला पकड़ा गया है को कोई बिल नहीं भेजा गया है । उस समय निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत थे—

1. श्री एस. डी. शर्मा अधिशाषी अभियन्ता
2. श्री आर. आर. अग्रवाल सहायक अभियन्यता
3. श्री महादेव खानचन्दानी, सहायक अभियन्ता
4. श्री पी. एस. सोनी, कनिष्ठ अभियन्ता
5. श्री बाबू सिंह राणावत, कनिष्ठ अभियन्ता

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

पंचायत समिति, बामनवास में पेयजल योजनायें

20. श्री कुन्जी-लाल (बामनवास)—क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पंचायत समिति बामनवास में कौन-कौन सी पेयजल योजनायें स्वीकृत हैं और कितनी स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम डूंगर पट्टी अमरवां में पेय जल योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले के ग्राम बामनवास की पेयजल योजना पानी के अभाव में सफल नहीं है ? यदि हां तो क्या सरकार का ग्राम बानोर के ट्यूब वेल से ग्राम बामनवास को पानी सप्लाई करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) स्वीकृत योजनाओं की सूची सदन की पटल पर दी गई हैं । एवं स्वीकृति हेतु कोई भी योजना विचाराधीन नहीं हैं ।

(2) जी हां, योजना का कार्य वर्ष 84-85 में शुरू कर दिया जावेगा ।

(3) जी हां, ग्राम बानोर के नलकूप से बामनवास की पेयजल योजना विचाराधीन है ।

190

भाग संख्या 1 की सूची

पंचायत समिति बामनवास की स्वीकृत योजनाओं की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.	योजना	स्वीकृत वर्ष
1.	सीतोड़	75	पी. एण्ड टी.	1981-82
2.	अमरवा डूंगरपट्टी	1	,, ,,	1982-83
3.	सुकार	9	,, ,,	1982-83
4.	बानोर (स्रोत ग्राम)	24		
5.	टाडा	25		
6.	बडीला	51		
7.	दातासूती	52	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना	1981-82
8.	रणीला	54		
9.	झडोली	56		
10.	बाढ़ झाडोली	57		
11.	सफीपुरा	63		
12.	श्यामपुरा	33		
13.	कीर्तिपुरा	49		
14.	गण्डाल	59	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना	1982-83
15.	ब्रधावला	62		
16.	राघेकी	64		
17.	नागाताली	65		
18.	काचरहुडा	45		
19.	सीतापुर (स्रोत)	44		
20.	नागरहेडा	79	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना	1982-83
21.	रामजानीपुरा	86		
22.	माण्डलगांव	87		
23.	लाडपुरा	98		
24.	बाढ़दहरा	99		
25.	चक उदई रामपुरा	109		
26.	सुखानन्दपुरा (स्रोत)	108		
27.	तिगरिया	133	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना	1982-83
28.	बन्जारी	117		
29.	जीवद (स्रोत)	127		
30.	बाढ़ साहूनी	128		

जिला बाड़मेर के भूमिहीन किसानों को काबिज भूमि का नियमन

21. श्री अमीन खां (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के भूमिहीन किसानों को, जिनका कब्जा 1 जुलाई, 1975 से है, उक्त भूमि के नियमन करने के आदेश हुए हैं? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों के अनुसार नियमन करने से पूर्व किसानों से जुर्माना वसूल किया जाता है? यदि हां, तो क्या पूर्व में ऐसे आदेश कभी निकाले गये थे?

(3) क्या सरकार यह महसूस करती है कि गरीब भूमिहीनों से जुर्मानों की रकमें वसूल किये बिना नियमन किया जाना चाहिये? नहीं, तो क्यों?

(4) भूमिहीनों को सरकारी भूमि कितने बीघा आवंटन या नियमन की जा रही है? क्या यह सही है कि गिरदावरी में जितने रकबे पर कब्जा है उतना ही रकबा का नियमन किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(5) अब तक कितने लोगों की भूमि का नियमन किया गया है? कृपया तहसीलवार संख्या सूची जिला बाड़मेर व जैसलमेर की सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जिनका कब्जा दिनांक 1-7-75 से पूर्व का है उन्हें नियमन करने हेतु दिनांक 31-5-83 को आदेश जारी किए गए।

(2) उक्त जुर्माना राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नियमन की तिथि से पूर्व हुए अतिक्रमण वाले वर्षों का लिया जाना आवश्यक है।

(3) जी नहीं।

(4) नियमन को सीमा नियम 12 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 द्वारा निर्धारित है। नियमन केवल उसी सीमा तक किया जा सकता है जो कि रेकार्ड के अनुरूप अतिक्रमी के वास्तविक कब्जे में व खेती में हो।

(5) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

जिला बाड़मेर में नियमन किये गये मामलों की तहसीलवार संख्या सूची

क्र. सं.	तहसील	व्यक्तियों की संख्या	नियमन किया गया क्षेत्र
1.	बाड़मेर	2	99 बीघा 3 बिस्वा
2.	शिव	8	361 बीघा 9 बिस्वा
3.	चौहटन	145	5182–बीघा 11 बिस्वा
4.	गुड़ामालानी	5	97 बीघा 1 बिस्वा
5.	पचपदरा	8	596 बीघा 17 बिस्वा

जिला जैसलमेर में नियमन किये गये मामलों की तहसीलवार संख्या सूची

क्र. सं.	तहसील	व्यक्तियों की संख्या	नियमन किया गया क्षेत्र
1.	जैसलमेर	332	6,868 बीघा 12 बिस्वा

जीरा रायड़ा प्रकरण में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

22. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जीरा रायड़ा को राजस्थान से दूसरे राज्य में बिक्री हेतु ले जाने के बारे में दिनांक 13-9-82 को तत्कालीन वित्त मन्त्रीजी ने विधान सभा के पटल पर यह आश्वासन दिया कि धारा 2 (टी) बिक्री कर अधिनियम के संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 23-4-82 को जो सरक्यूलर निकाला, उन अधिकारियों से गलती हो गई तथा उस गलत सरक्यूलर निकालने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे ?

(2) यदि हां, तो यह गलत सरक्यूलर निकालने वाले अधिकारी कौन थे ?

(3) क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि गलत अभिप्राय लेकर वाणिज्यिक कर आयुक्त ने दिनांक 23-4-84, 2-6-84 के परिपत्र द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को काश्तकारों से कर वसूल करने के निर्देश जारी किये जिसे 1-10-82 को विद्ड्रा किया गया ? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह भी सही है कि सी. टी. ओ., सिरोही ने उक्त परिपत्रों की पालना में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (टी) के अनुसार कानूनन कर एवं शास्ति वसूल नहीं की जा सकने बाबत उपायुक्त, विधि व आयुक्त को मई, 1982 में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर आयुक्त ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो उसके कारण काश्तकारों से अनुचित कर एवं शास्ति वसूल कर लिये जाने से आयुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) विधान सभा में दिनांक 9 मार्च, 1983 को उक्त मामले में बताये गये दोषी अधिकारियों में किस-किस अधिकारी को निलम्बित किया गया और किस-किस को नहीं और क्यों ? अधिकारी, वाणिज्यिक कर, सिरोही को निलम्बित किन कारणों से किया गया है ?

(7) क्या यह सही है कि निलम्बित अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो सिर्फ 6 अधिकारियों को ही निलम्बित क्यों किया गया ?

(8) क्या यह सही है कि उपायुक्त (प्रशासन), जोधपुर वर्ष 1981-82 व 1982-83 में निरीक्षक, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण जांच चौकी आबू रोड, मण्डार व मोखमपुरा पर करते रहे हैं ?

193

श्री यदुनाथ सिंह

(9) क्या सही है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही ने समय-समय पर इन चौकियों पर पदस्थापित स्टाफ के विरुद्ध जांच चौकियों पर कर-चोरी के मामले पकड़े तथा उपायुक्त (प्रशासन), जोधपुर को प्रतिवेदन भेजे ?

(10) क्या यह सही है कि क्रम संख्या (9) की स्थिति के बावजूद उपायुक्त (प्रशासन), जोधपुर उनका पदस्थापन/स्थानान्तरण इन चैक पोस्टों पर करते रहे हैं ? यदि हां, तो किस कारण ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) जी नहीं । दिनांक 23-4-82 एवं 4-6-82 के परिपत्रों में काश्तकारों से कर वसूल करने के निर्देश जारी नहीं किये गये थे अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी हां, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही का पत्र दिनांक 21-5-82 आयुक्त कार्यालय में दिनांक 3-6-82 को प्राप्त हुआ । पर चूंकि इसके पूर्व ही परिपत्र दिनांक 2-6-82 जारी किया जा चुका था जिसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

(6) राज्य सरकार के कार्मिक (क-3) विभाग के आदेश दिनांक 15-5-84 द्वारा शिवराम शिवर, वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्री मोहनसिंह सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, श्री मूलसिंह सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्री शंकरदान सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्री गिरधारी सिंह वाणिज्यिक कर निरीक्षक, श्री भंवरलाल शर्मा, वाणिज्यिक कर निरीक्षक को निलम्बित किया गया। बाकी के लिए राज्य सरकार ने निर्देश दिये हैं कि उनको चैक पोस्ट पर पदस्थापित नहीं किया जावे । तत्कालीन वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही श्री शिवराम शिवर को अपने कार्यों में बदनियति व दुराचरण के कारणों से निलम्बित किया गया ।

(7) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 15-5-84 द्वारा दोषी अधिकारियों को निलम्बित किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है. बाकी के बारे में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3 (52) वित्त/ग्रु.प-4/83 दिनांक 1-6-84 के द्वारा उन्हें चैक पोस्ट पर नहीं लगाने के लिए ही निर्देश दिए हैं ।

(8) जी हां ।

(9) जी हां ।

(10) 4 कनिष्ठ लिपिकों एवं एक वाणिज्यिक कर निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें से दो कनिष्ठ लिपिकों की जांच रिपोर्ट पर उन्हें दोषमुक्त पाया अतः उन्हें चैक पोस्ट पर पदस्थापित किया गया तथा शेष 2 के विरुद्ध जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाएगी तथा वाणिज्यिक कर निरीक्षक के विरुद्ध अभि-

(194)

(वित्त मन्त्री)
योग न बनाने व कराधवंचन कार्य में शिथिलता बरतने बावत आरोप था, कोई गम्भीर आरोप नहीं था।

जयपुर से उत्तर प्रदेश स्थित तीर्थ स्थलों तक बस सेवा

23. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण-झूला, गीता मन्दिर की महत्ता को ध्यान में रखते हुए जयपुर से सीधी बस सेवा उपलब्ध कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी हां। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य से पारस्परिक अन्तर्राज्यीय परिवहन करार हेतु प्रसंग किया हुआ है तथा दोनों राज्यों के मध्य आयोजित होने वाली आगामी बैठक में जयपुर-हरिद्वार मार्ग पर वाहन संचालन के समझौते हेतु प्रयास किये जावेंगे। दोनों राज्य सरकारों के बीच समझौता होने पर ही वाहन संचालन किया जाना संभव होगा।

अलवर में नई मण्डी में तामीर दुकानें

24. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई की प्रथम वर्षा के साथ कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अलवर में नई मण्डी में निर्माण कराई गई दुकानों में से दो दुकानें ढह गईं ?

(2) क्या यह सही है कि दुकानों का ढहने का कारण घटिया सामग्री का उपयोग में लाना है ?

(3) क्या यह सही है कि इन दुकानों का निर्माण कार्य उस ठेकेदार को दिया गया है जिसको मकानों के निर्माण का अनुभव नहीं है ?

(4) क्या सरकार उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिनकी देखरेख में यह कार्य हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 13-8-84 को मण्डी समिति, अलवर के निर्माणाधीन नवीन मण्डी यार्ड के 'सी' ब्लाक के गोदाम संख्या 17 एवं 18 की छत का एक भाग टूट कर गिर गया था। दुकानों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई।

(2) इस बारे में जांच कराई जा रही है।

(3) सम्बन्धित ठेकेदार भवन व पथ निर्माण कार्यों हेतु बोर्ड में एवं अन्य विभागों में पंजीकृत है।

(4) जी हां। इस बारे में जांच की जा रही है तथा दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

तहसील जैतारण के ग्रामों में विद्युत् व्यवस्था

25. **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दागला तहसील जैतारण (पाली) की विद्युत् लाइन ग्राम मोहराई से दागला तक गत डेढ वर्ष से गिरी हुई पड़ी है तथा ग्राम को विद्युत् सप्लाई बन्द है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यह लाइन कब तक ठीक कर चालू कर दी जायेगी ?

(2) तहसील जैतारण में कौन-कौन से गांव में ट्रांसफोर्मर जले हुए हैं और कब से जले हुए हैं ? इनकी जगह कब तक नए ट्रांसफोर्मर या रिपेयर्ड ट्रांसफोर्मर लगा दिए जावेंगे ?

(3) क्या पृथ्वीपुरा व जैतारण एवं सब स्टेशन पर 1.6 रा. ट्रांसफोर्मर गत एक वर्ष से जला हुआ है ? यदि हां, तो आज तक ट्रांसफोर्मर क्यों नहीं बदला गया व अब कब तक बदल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, जुलाई 83 में अतिवृष्टि के कारण मोहराई से दागला (लगभग 2.5 कि.मी.) 11. के. वी. विद्युत् लाइन गिर गई थी। ग्राम दागला में एक भी विद्युत कनेक्शन नहीं था। प्राकृतिक कारणों से विद्युत् लाइन गिर जाने के लिए कोई भी दोषी नहीं है। उक्त लाइन का कार्य प्रगति पर है एवं 20.10.84 तक लाइन चालू होने की पूर्ण सम्भावना है।

(2) तहसील जैतारण में जिन गांवों के ट्रांसफारमर जले हुए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	गांव का नाम	ट्रांसफारमर क्षमता	जलने की तिथि
1.	बांजाकुडी	25 के.वी.ए. 11/4 के.वी.	22.8.84
2.	जैतारण (अगेवा रोड)	25 के.वी.ए. ,,	20.8.84
3.	जातुस	25 के.वी.ए. ,,	1.10.84
4.	निमाज	100 के.वी.ए. ,,	5.10.84
5.	आगेवा	1600 के.वी.ए. 33/11 के.वी	24.7.84
6.	पृथ्वीपुरा	1600 के.वी.ए. 33/11 के.वी.	8.12.82

ग्राम अगेवा के 33/11 के. वी. ट्रांसफारमर के लगाने की प्रक्रिया जारी है एवं इसे शीघ्र ही चालू कर दिया जावेगा। शेष ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था की जा रही है। विद्युत वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था कर इन गांवों को विद्युत् नियमित रूप से दी जा रही है।

(3) जी हां, ट्रांसफारमर मरम्मत हेतु भिजवाये जा चुके हैं जिन्हें उपलब्ध होने पर बदल दिया जावेगा।

निर्वाचन क्षेत्र मनोहरथाना में लघु सिंचाई योजना

26. **श्री भैरूलाल** (मनोहरथाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र मनोहर थाना की परवन, नेवन और छापी नदियों में अथाह पानी के देहों के उपरान्त भी इस क्षेत्र में सरकार की ओर से कोई लघु सिंचाई योजना नहीं बनाई गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन देहों के समीप की समस्त भूमि कृषि जोत में ली जा रही है किन्तु असिंचित होने से कृषक अपने श्रम का पूरा लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं ? यदि हाँ तो क्या सरकार इन देहों पर सिंचाई योजना बनाकर कृषकों का आर्थिक उन्नयन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) जी हां।

जिला सवाई माधोपुर में भूमिहीन को भू-आवंटन

27. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में सन् 1981 से अगस्त, 1984 के दौरान सीलिंग में आई भूमि का भूमिहीनों में आवंटन किया गया ? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि सीलिंग में आई है तथा कितने भूमिहीनों को आवंटित की गई ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवंटित की गई भूमि अभी तक आवंटियों के कब्जे में नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवंटियों की ओर से कितने मुकदमे चल रहे हैं ? सरकार अब इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिले में जितनी भूमि सीलिंग कानून के अन्तर्गत सन् 1981 से 1984 तक अवाप्त की गई एवं आवंटित की गई है कि सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) कुल 566 आवंटियों में से 51 को छोड़कर शेष को आवंटित भूमि का कब्जा दिया जा चुका है। आवंटियों की ओर से तीन मुकदमे चल रहे हैं। अग्रिम कार्यवाही राजस्व मण्डल के निर्णय एवं विवादों के समाधान के पश्चात् की जायेगी।

1. जिले में सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त कुल भूमि 7879 एकड़

2. कुल आवंटित भूमि 5645.63 एकड़

सिलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित की गई भूमि में से सन् 1981 से अगस्त, 1984 तक भूमिहीनों को आवंटित की गई भूमि का तहसीलवार विवरण

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	स. व्यक्ति	रकबा (एकड़ों में)
1.	सवाई माधोपुर	(अ) हज्जाम खेड़ो	34	
		(ब) भेसखेडा	9	
		(स) मुई	2	
			45	144
2	खण्डार	निल	निल	निल
3.	बौंली	(अ) मित्रपुरा	10	
		(ब) हिन्दूपुरा	11	
		(स) मलारना डूंगर	1	
			22	52
4.	गंगापुर	निल	निल	निल
5.	बामनवास	निल	निल	निल
6.	नादौती	निल	निल	निल
7.	हिण्डौन	निल	निल	निल
8.	टोडाभीम	(अ) महस्वा (उपरोक्त में से 48 व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिया गया)	365	
		(ब) कमालपुरा (उपरोक्त में से 3 व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिया गया)	132	
			497	1374
9.	महवा	निल	निल	निल
10.	करौली	गढमडोरा	2	10
11.	सपोटरा	निल	निल	निल
		योग :—	566	1580 एकड़

आवंटियों की सूची ग्राम महस्वार दिनांक 30 जून, 1982
(तहसील—टोडाभीम)

क्रमांक	नाम आवंटी	ग्राम	ख. नं.	रकबा	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीपाल पुत्र मौसरिया बैरवा	महस्वा	19	5	
2.	रामजीलाल पुत्र छीतरिया बैरवा	,,	19	5	
3.	कजोडया पुत्र सौला बैरवा	,,	19	5	
4.	नथौली पुत्र मूल्या बैरवा	,,	19	5	
5.	लूटरा पुत्र मोडया बैरवा	,,	19	3	
6.	श्रीफल पुत्र सुवती बैरवा	,,	19	3	
7.	घसीडया पुत्र धाक्या बैरवा	,,	19	5	
8.	असराम पुत्र रामखिलाडी बैरवा	,,	19	5	
9.	गोपी पुत्र रामसहाय बैरवा	,,	19	3	
10.	मूल्या पुत्र काना बैरवा	,,	19	5	
11.	प्रभाती पुत्र श्योनारायण बैरवा	,,	19	3	
12.	पाखण्डी पुत्र रामहेत बैरवा	,,	19	5	
13.	मिश्रया पुत्र नानगा चमार	,,	19	8	
14.	गिर्राज पुत्र रामहेत बैरवा	,,	19	5	
15.	प्रभु पुत्र गेंदया चमार	,,	19	5	
16.	दौजी पुत्र गंगो बैरवा	,,	19	3	
17.	इन्दर पुत्र दीपा बैरवा	,,	16	5	
18.	हरभजन पुत्र दीपा बैरवा	,,	16	5	
19.	भूरया पुत्र बुधराम बैरवा	,,	16	5	
20.	पितराम पुत्र मूल्या बैरवा	,,	16	5	
21.	रामा पुत्र रामहेत बैरवा	,,	16	5	
22.	मीठया पुत्र नानगा बैरवा	,,	16	5	
23.	भरोसी पुत्र हटोला कोली	,,	16	5	
24.	मिट्ठू पुत्र मगना कोली	,,	16	5	
25.	रमेश पुत्र मंगतू हरिजन	,,	23	6	
26.	बाबू लाल पुत्र मांगया बैरवा	,,	16	3	

1	2	3	4	5	6
27.	हरी पुत्र बद्दू महतर	महस्वा	16	5	
28.	दुर्गा पुत्र रेवड्या बैरवा	,,	16	5	
29.	मूला पुत्र एसौली बैरवा	,,	16	5	
30.	नाथ्यां पुत्र बबेरया बैरवा	,,	16	5	
31.	फैली पुत्र बिशन्या बैरवा	,,	16	5	
32.	सम्पत पुत्र नौसरिया बैरवा	,,	16	5	
33.	मांगीलाल पुत्र सोन्या कोली	,,	23	5	
34.	गोली पुत्र सावलिया कोली	,,	15	5	
35.	सीताराम पुत्र रामसस्या चमार	,,	15	5	
36.	भारमल पुत्र रामसरया बैरवा	,,	15	5	
37.	फाबूला पुत्र दीपा बैरवा	,,	15	2	
38.	मांगीलाल पुत्र बैदीराम बैरवा	,,	15	5	
39.	रेवड्या पुत्र श्योली चमार	,,	23	5	
40.	नथवा पुत्र जीता बैरवा	,,	23	4	
41.	चिम्मन पुत्र दीपा चमार	,,	23	3	
42.	रामा पुत्र नानगा चमार	,,	23	5	
43.	गंगासहाय पुत्र नाथया बैरवा	,,	23	5	
44.	रामचरण पुत्र गोकल महतर	,,	16	5	
45.	घासीलाल पुत्र जीता बैरवा	,,	19	3	
46.	बाबूलाल पुत्र मिश्रया हरिजन	,,	19	10	
47.	प्रेरसादी पुत्र मांगया चमार	,,	19	5	
48.	दौला पुत्र भिक्खी फकीर	,,	1307	5	
49.	रामदेव पुत्र लटूरया चमार	,,	23	5	
50.	विष्णु पुत्र हजारी मीना	,,	10	5	
51.	गोपाल पुत्र किशोरी मीना	,,	10	3	
52.	रामनिवास पुत्र जलधारी मीना	,,	10	5	
53.	छोटू पुत्र नथया मीना	,,	10	5	
54.	प्रताप पुत्र छोटू मीना	,,	10	5	
55.	भजनलाल पुत्र जयलाल मीना	,,	10	5	
56.	राजपाल पुत्र मोदू मीना	,,	10	5	

202

1	2	3	4	5	6
57.	श्री फूल पुत्र नथया मीना	,,	10	5	
58.	रतन लाल पुत्र गंगाबिशन मीना	,,	10	3	
59.	सुगीराम पुत्र गंगाबिशन मीना	,,	10	3	
60.	हरसहाय पुत्र श्रीफूल मीना	,,	10	5	
61.	कलवा पुत्र मिश्रया मीना	,,	10	5	
62.	गिर्राज पुत्र गोकल मीना	,,	10	5	
63.	रामजीलाल पुत्र पल्टू मीना	,,	10	5	
64.	जगन्या पुत्र हटीला मीना	,,	10	5	
65.	रामस्वरूप पुत्र चोथी लाल मीना	,,	10	5	
66.	प्रभु पुत्र जोहरी मीना	,,	10	5	
67.	रामसहाय पुत्र चौथीलाल मीना	,,	10	5	
68.	भरतू पुत्र रघुनाथ मीना	,,	10	5	
69.	मिश्रया पुत्र रतनलाल मीना	,,	10	5	
70.	रामसिंह पुत्र जिन्सी मीना	,,	10	5	
71.	भरतू पुत्र रामसहाय मीना	,,	10	5	
72.	हुकम पुत्र रामनारायण मीना	,,	6	4	
73.	गंगासहाय पुत्र मूल्या राम मीना	,,	6	5	
74.	रामफूल पुत्र गोकल मीना	,,	6	5	
75.	उंकार पुत्र मूल्या मीना	,,	6	5	
76.	गिर्राज पुत्र युथरया मीना	,,	4	5	
77.	मिट्ठू पुत्र रामरतन मीना	,,	13	5	
78.	ख्याली पुत्र रामरतन मीना	,,	13	5	
79.	हरसिंह पुत्र रामरतन मीना	,,	13	5	
80.	नथोली पुत्र बतु मीना	,,	13	5	
81.	लक्ष्मीनारायण पुत्र भुल्या मीना	,,	13	5	
82.	मिश्रया पुत्र कजोडया मीना	,,	130	10	
83.	सुख्या पुत्र हरना मीना	,,	130	5	
84.	धुन्धी पुत्र श्रीयाराम मीना	,,	130	5	
85.	रामकुमार पुत्र कलवा मीना	,,	130	5	

1	2	3	4	5	6
86.	रामनिवास पुत्र मूल्या मीना	महुस्वा	130	5	
87.	रामचरण पुत्र मूल्या मीना	,,	130	8	
88.	रामभरोसी पुत्र धरमा मीना	,,	130	4	
89.	गोकल पुत्र श्योलाल मीना	,,	130	5	
90.	कल्याण पुत्र धर्मपाल मीना	,,	130	8	
91.	मोहनिया पुत्र धर्मपाल मीना	,,	130	4	
92.	सुगन पुत्र मोहरी मीना	,,	130	3	
93.	रतीराम पुत्र श्योजी मीना	,,	130	5	
94.	सियाराम पुत्र रतीराम मीना	,,	130	5	
95.	सम्पतराम पुत्र हजारी लाल मीना	,,	13	5	
96.	रामकिशोर पुत्र पैली मीना	,,	13	5	
97.	रामजीलाल पुत्र मोहरलाल मीना	,,	13	5	
98.	रूपसिंह पुत्र श्रीकिशन मीना	,,	130	5	
99.	मदन पुत्र रामधन मीना	,,	1307	5	
100.	कैलाश पुत्र श्रीफूल मीना	,,	130	5	
101.	लक्ष्मण पुत्र रामधन मीना	,,	130	5	
102.	नृसिंह पुत्र रामधन मीना	,,	130	5	
103.	रामधन पुत्र नथ्या मीना	,,	130	5	
104.	बदरी पुत्र मलखान मीना	,,	8	5	
105.	मोहरसिंह पुत्र मलखान मीना	,,	8	5	
106.	गोपी पुत्र माग्या मीना	,,	8	5	
107.	सुल्या पुत्र उदय मीना	,,	8	5	
108.	नारायण पुत्र भोला मीना	,,	8	5	
109.	किशोर पुत्र उकोरिया मीना	,,	8	5	
110.	रघुनाथ पुत्र माग्या मीना	,,	8	5	
111.	रामधन पुत्र श्योनारायण मीना	,,	8	5	
112.	गंगासहाय पुत्र माग्या मीना	,,	8	5	
113.	चिरंजी पुत्र श्योजी मीना	,,	8	5	
114.	मेघचन्द्र पुत्र श्योजी मीना	,,	8	5	
115.	गिर्राज पुत्र श्योजी मीना	,,	8	5	

1	2	3	4	5	6
116.	डलेवर पुत्र बद्री मीना	महस्वा	8	5	
117.	रामचन्द्र पुत्र रेवडया मीना	,,	8	5	
118.	दौलसिंह पुत्र चिरंजी मीना	,,	8	5	
119.	बदरी पुत्र श्योजी मीना	,,	8	5	
120.	रूपगी पुत्र श्योजी मीना	,,	8	5	
121.	सिवला पुत्र भजन मीना	,,	8	5	
122.	टुण्डा पुत्र रुखराम मीना	,,	8	5	
123.	इन्द्राज पुत्र रतीराम मीना	,,	8	5	
124.	बीरबल पुत्र चम्बोलो मीना	,,	8	5	
125.	रामचरण पुत्र रामसहाय मीना	,,	14	5	
126.	ब्रजमोहन पुत्र किशनलाल मीना	,,	14	5	
127.	किशनलाल पुत्र रामफूल मीना	,,	14	5	
128.	जलसिंह पुत्र रतनलाल मीना	,,	14	5	
129.	बाबूलाल पुत्र रामसिंह मीना	,,	14	5	
130.	रामसिंह पुत्र रामहंस मीना	,,	14	5	
131.	रामजीलाल पुत्र श्योनारायण मीना	,,	14	5	
132.	हरमुख पुत्र मोहन मीना	,,	13	5	
133.	अन्तराम पुत्र श्योपाल मीना	,,	13	5	
134.	कमल पुत्र रामधन मीना	,,	8	5	
135.	बत्तीलाल पुत्र गोपी मीना	,,	8	5	
136.	रघुनाथ पुत्र खिलाडी मीना	,,	8	3	
137.	खिलाडी पुत्र मूला मीना	,,	8	3	
138.	ब्रजमोहन पुत्र चम्पोला मीना	,,	8	5	
139.	रामेश्वर पुत्र गोपी मीना	,,	14	5	
140.	मूल्याराम पुत्र मोहरलाल मीना	,,	14	5	
141.	तेजराम पुत्र रामजीलाल मीना	,,	14	5	
142.	नारायण पुत्र रामहेत मीना	,,	14	5	
143.	रामप्रसाद पुत्र संसराम मीना	,,	14	5	
144.	गोपाल पुत्र रामजीलाल मीना	,,	14	5	
145.	सुगनी पुत्री काना मीना	,,	14	5	

1	2	3	4	5	6
146.	श्रीचन्द्र पुत्र भोरया मीना	महस्या	8	5	
147.	खुक्खर पुत्र हजारी मीना	,,	8	5	
148.	मुरली पुत्र श्योनारायण मीना	,,	8	5	
149.	छोटू पुत्र रामरतन मीना	,,	8	8	
150.	वत्तीलाल पुत्र रामफूल मीना	,,	10	5	
151.	हरी पूत्र पितराम मीना	,,	13	4	
152.	रामप्रसाद पुत्र रामसहाय मीना	,,	13	3	
153.	पितराम पुत्र किशननाल मीना	,,	13	4	
154.	जमनालाल पूत्र पितराम मीना	,,	13	4	
155.	गोपाल पुत्र मूल्या मीना	,,	23	5	
156.	हरी पुत्र रामदेव मीना	,,	13	5	
157.	अमरसिंह पुत्र शिवराम मीना	,,	1309	5	
158.	रामसिंह पुत्र रामधन मीना	,,	2	5	
159.	गंगासहाय पुत्र गोकल मीना	,,	2	5	
160.	जग्गू पुत्र राफूल मीना	,,	2	5	
161.	सुखाराम पुत्र खिलाडो मीना	,,	2	4	
162.	कलवा पुत्र रामहेत जोगी	,,	11	3	
163.	जोधा पुत्र श्रीफल जोगी	,,	11	3	
164.	मेघराम पुत्र किशन जोगी	,,	11	3	
165.	फूसी पुत्र मूल्या मीना	,,	11	3	
166.	रमेशचन्द्र पुत्र घीस्या जोगी	,,	11	3	
167.	गजराज पुत्र बीरबल जोगी	,,	11	3	
168.	कल्याण पुत्र बीरबल जोगी	,,	11	3	
169.	सुबदी पुत्र रामहेत जोगी	,,	11	3	
170.	जिन्सी पुत्र घीस्या जोगी	,,	11	3	
171.	मलरा पुत्र भोरया जोगी	,,	11	3	
172.	शिवजी पुत्र गंगाधर जोगी	,,	11	3	
173.	मीठया पुत्र नानगा जोगी	,,	11	3	
174.	हीरा पुत्र नानगा जोगी	,,	11	3	
175.	कालु पुत्र नानगा जोगी	,,	11	3	
176.	कमल पुत्र बदरी जोगी	,,	11	3	
177.	रामकरण पुत्र सरवण जोगी	,,	11	3	
178.	हरिया पुत्र मूला योगी	,,	11	3	
179.	देवीलाल पुत्र वंशीलाल कन्डेरा	,,	23	5	
180.	मंगल पुत्र देवीलाल कन्डेरा	,,	23	5	

1	2	3	4	5
181.	कन्हैया/देवीलाल कन्डेरा	नि. महस्वा	23	5
182.	रामविलास/झूरया नाई	,,	1307	5
183.	रामचरण/मुआलाल नाई	,,	1307	5
184.	रमेशचन्द्र/भौंरीलाल नाई	,,	1307	5
185.	रमेश/प्रभू माली	,,	12	6
186.	हरीमोहन/प्रभु माली	,,	12	6
187.	पतोली/किशन कहार	,,	8	5
188.	रामसहाय/नारायण नाई	,,	2	5
189.	कल्याण/जगन खवास	,,	2	5
190.	लक्ष्मीनारायण/भौरया लखेरा	,,	2	5
191.	मुन्सीराम/सुम्रा कहार	,,	8	5
192.	बाबू/सुआलाल कहार	,,	8	5
193.	रमेशचन्द्र/चिम्मनलाल महाजन	,,	17	5
194.	किशोरीलाल/जगनलाल महाजन	,,	17	5
195.	मुरारीलाल/कल्याणप्रसाद महाजन	,,	17	5
196.	शिम्भू/रामजीलाल महाजन	,,	17	5
197.	ओमप्रकाश/रामसहाय महाजन	,,	20	4 बी.18बी.
198.	रामसहाय/जौहरीलाल महाजन	,,	1307	5
199.	शम्भूदयाल/बाबूलाल महाजन	,,	1307	5
200.	विशम्बर/धन्या जोगी	,,	1309	4
201.	शिवचरण/रामधन जोगी	,,	1309	4
202.	हरिया/रामदेव जोगी	,,	1309	4
203.	ब्रजमोहन/हुडमल ब्राह्मण	,,	23	5
204.	राधेश्याम/रामेश्वर ब्रा.	,,	23	5
205.	गोपालचन्द्र/किशनलाल ब्रा.	,,	4	5
206.	सलीम/भिक्की फकीर	,,	2	5
207.	मोला/भिक्की फकीर	,,	2	5
208.	रामजीलाल/जगनलाल वैश्य	,,	2	5
209.	कांजीमल/सुआलाल अग्रवाल	,,	20	4
210.	सीताबाई बेवा सेडाराम अग्रवाल	,,	17	5
211.	रामजीलाल/मांग्या माली	,,	2	5

1	2	3	4	5
212.	मुन्नालाल/जगननाथ	नि. महस्वा	1309	4
213.	नवल/रेवड्या जोगी	,,	1309	4
214.	मदन/रामदेव जोगी	,,	1309	4
215.	रेवड्या/भवेनाथ जोगी	,,	1309	4
216.	दौजी/रामदेव जोगी	,,	1309	4
217.	रामदयाल/रामदेव जोगी	,,	1309	4
218.	गिर्राज/रेवड्या जोगी	,,	1309	4
219.	रामस्वरूप/मिश्रीलाल जोगी	,,	4	5बी.10बी.
220.	प्रहलाद/शिवलाल ब्रा.	,,	8	5
221.	हरीप्रसाद/देवीलाल नाई	,,	23	5
222.	शम्भूदयाल/भौरीलाल	,,	23	5
223.	नवलकिशोर/रामप्रसाद	,,	8	5
224.	छींगा/मूला कहार	,,	23	5
225.	कलावती बेवा/रामस्वरूप महाजन	,,	17	4बी.11बी.
226.	रामप्रसाद/मिश्रीलाल जोशी	,,	1309	4
227.	रघुनाथ/गिरधारी जोगी	,,	1309	4बी.3बी
228.	गिर्राज/सेडया माली	,,	2	5
229.	बाबूलाल/हरीराम कोली	,,	16	3
230.	किरोड़ी/भौरया जोगी	,,	23	3
231.	परमा/धन्या जोगी	,,	23	3
232.	गेंदा/घीस्या जोगी	,,	23	3
233.	कालू/सम्पत जोगी	,,	23	3
234.	भोंदू/मूल्या जोगी	,,	23	3
235.	छुट्टन/भोंदूराम जोगी	,,	23	3
236.	सुक्की/जोहरीनाथ	,,	23	3
237.	भौरया/सित्या जोगी	,,	23	3
238.	प्रहलाद/हजारी मीना	,,	13	10
239.	जनकराज/प्रभू मीना	,,	13	2
240.	भूरसिंह/मूल्या मीना	,,	13	3
241.	अमरसिंह/शिवराम मीना	,,	13	5
242.	रामनिवास/मिश्रया मीना	,,	13	2

सूची भूमि आवंटन सीलिंग के कब्जा प्राप्त भूमि व उनवानों केस सरकार बनाम सोहनसिंह रामपुत हज्जाम खेड़ी (नवीन एक्ट के तहत) आवंटन दिनांक 8.2.83) तहसील सवाई माधोपुर

क्रमांक	नाम आवंटी	ग्राम	ख. नं.	रकबा
1.	रामकरण पुत्र जिन्सी मीना	हज्जामखेड़ी	19, 20 1-11 2-2	8 बी. 9 बिस्वा
2.	रामकल्याण पुत्र श्रीनारायण मीना		25/4-16 25/1-10 26/3- 27/-10	5 बी.
3.	मण्डूलाल पुत्र भौंरीलाल मीना		25/1-11 19-/1-2 20/-16 वि	3 बी. 10 बिस्वा
4.	बंशी पुत्र हीरा गुर्जर		19/1-0 20/-15 वि	6 बी.
5.	कल्याण पुत्र अमरा गुर्जर		19/12 बि. 20/2 बी. 6 वि. 25/11 वि. 26/15 वि.	4 बी. 4 बिस्वा
6.	हीरा पुत्र माधो गुर्जर		25/1 बी. 10 26/2 बी.	3 बी. 10 बि.
7.	कन्हैया पुत्र श्रातीराम गुर्जर		19/13 वि. 20/2 बी. 11 वि. 25/2 बि. 26/2 बि.	5 बी. 6 वि.

1	2	3	4	5
8.	बजरंगलाल पुत्र फून्दीलाल जैन	हज्जामखेड़ी	19/10 वि. 4 बी. 20/3 बी. 10 वि.	
9.	रतनलाल पुत्र बजरंगलाल मीना		25/10 बी. 4 बी. 6 वि. 26/3 बी. 10 वि.	7 बी. 16 वि.
10.	हरिराम पुत्र लोहड्या मीना		20/1 बी. 26/2 बी. 3 वि. 25/1 बी. 3 वि. 4 बी 6 वि.	
11.	प्रहलाद पुत्र लोहड्या मीना		19/3 बी. 10 वि. 25/11 वि. 4 बी. 6 वि.	
12.	घनश्याम पुत्र रामफूल मीना		25 4 बी.	
13.	रामसहाय पुत्र हजारी मीना		25/4 बी. 25/1 बी. 1 वि. 5 बी. 1 वि.	
14.	हनुमान पुत्र रामकुंवार मीना		25/1 बी. 10 वि. 4 बी. 26/2 बी. 10 वि.	
15.	गंगाविशन पुत्र गंगाधर मीना		25/2 बी. 26/2 बी. 11 वि. 3 बी. 11 वि.	
16.	रामगोपाल पुत्र सुरज्या मीना		19/1 बी. 5 वि. 20/3 बी. 15 वि. 5 बी.	
17.	कैलाश पुत्र रामनारायण मीना		20/1 बी. 10 वि. 1 बी. 10 वि.	
18.	सोदास पुत्र श्योराम मीना		26	3 बी.
19.	श्योजीराम पुत्र लद्दू मीना		26	2 बी.
20.	रामहेत पुत्र काला मीना		25	7 बी.
21.	रामसिंह पुत्र चिरंजीलाल मीना		20	3 बी.

1	2	3	4	5
22.	हनुमान पुत्र बदरी मीना	हज्जामखेडी	25	3 बी.
23.	गोविन्दा पुत्र पांचू गुर्जर		27	5 बी.
24.	श्यामलाल पुत्र जगन्नाथ मीना		20	3 बी.
25.	प्रभुलाल पुत्र गोविन्द गुर्जर		27/2 बी. 27/4 बी.	5 बी.
26.	नं. 71109131 सिपाही जयराम पुत्र लक्ष्मीनारायण मीना गोठड़ा		27/7 बी. 19/3 बी.	10 वि.
27.	नं. 248725 श्री मेघराज पुत्र कृष्णगोपाल शर्मा सवाई माधोपुर		19	10 बी.
28.	नं. 13674008 श्री कानजी पुत्र रामनिवास मीना मैनपुरा		27	9 बी.
29.	मु. कमला पत्नी रामलक्ष्मण सैनिक निवासी हिन्दवाड़		26	7 बी.
30.	घनश्याम पुत्र मांगीलाल बैरवा		27	5 बी.
31.	जगतप्रकाश पुत्र कल्याण बक्स		27	5 बी.
32.	सीताराम पुत्र कल्याण बैरवा		27	5 बी.
33.	रामरूप पुत्र बदरी मीना		19	3 बी.
34.	श्यापुल पुत्र गोपी मीना		25/1 बी. 10 वि. 19/1 बी. 20/2 बी. 10 वि.	5 बी.

सूची सीलिंग से कब्जा प्राप्त भूमि उनवानी केस सरकार बनाम मोजीराम मीना भेराखेड़ा तह. स. माधोपुर (नवीन एक्ट) आवंटन दिनांक 9-1-84.

क्रमांक	नाम आवंटी	ग्राम	ख. नं.	रकबा
1.	हंसराज पुत्र लखपत मीना	भेसखेड़ा	136, 139	7-12
2.	रामविलास पुत्र गोपाल मीना	,,	143	8-9
3.	भजन पुत्र उकार मीना	,,	143	5
4.	रमेश पुत्र रामविलास मीना	,,	145, 174	8-2
5.	जन्सी पुत्र गोपाल मीना	,,	158, 165	8-18
6.	कन्हैया पुत्र उकार मीना	,,	360	2-3
7.	श्रीनारायण पुत्र विद्या मीना	,,	360	2
8.	भोरया पुत्र बिरदया मीना	,,	393	2
9.	हीरालाल पुत्र कालू मीना	,,	393, 269	2-19
	योग			47-3 बीघा

सीलिंग से कब्जा प्राप्त भूमि सरकार बनाम हनुमान मीना मुई तहसील स. माधोपुर (नवीन एक्ट) आवंटन दिनांक 5-9-83

क्रमांक	नाम आवंटी	ग्राम	ख. नं.	रकबा
1.	भागचन्द पुत्र रामनारायण ब्राह्मण	मुई	710	1-5
2.	जयनारायण पुत्र प्रियाचन्द मीना	मुई	249	13-13
		योग		14-18 (बिस्वा)

सीलिंग से कब्जा प्राप्त भूमि आवंटन सरकार बनाम प्रतापसिंह राजपूत मित्रपुरा, तहसील बोंली (पुराने एक्ट) में दिनांक 22-12-83

क्रमांक	नाम आवंटी मय ग्राम	ख. नं.	रकबा
1.	नाथू पुत्र गेंदा बैरवा नि. बालपराना	246	4-9
2.	हजारी पुत्र रामचन्द्र मीना सोयला चक धाकड	16	4
3.	रामपाल पुत्र पून्या बैरवा बासपरसा	246	2
4.	मोहरू पुत्र हट्या बैरवा बासपरसा	246	4-9
5.	धोबा पुत्र कालू बैरवा बासपरसा	246	2
6.	गोरधन पुत्र मोहन बैरवा बासपरसा	246	4-9
7.	प्रभूलाल पुत्र नारायण बैरवा बासपरसा	3, 246	4-9
8.	मंगला पुत्र सुखदेवा बैरवा चकधाकड़	13, 16	4-10
9.	मजीद पुत्र भूरेखां मुसलमान मित्रपुरा	16	4-4
10.	कन्हैया पुत्र छीता मीना	16,16	4-15
		योग	39-5 बिस्वा

सीलिंग से कब्जा प्राप्त भूमि सरकार बनाम सांवलसिंह राजपूत हिन्दपुरा
तहसील बोंली दिनांक 4-8-82 तथा 27-11-82

क्रमांक	नाम आवंटी	ग्राम	ख. नं.	रकबा बी.	रकबा बिस्वा
1.	मोतीलाल पुत्र गोपीलाल सुनार	हिंदपुरा	702	4	12
2.	केसरलाल पुत्र मूरालाल खटीक	टिबाड़ी	747	6	13
3.	हरजी, कैलाश पुत्र भोरया मीना रामलाल पुत्र गिरंज मीना	हिंदुपुरा	916/7 बी. 11 बिस्वा 917/2 बी. 2 बिस्वा	9	13
4.	हरजी पुत्र मालचन्द बैरवा	,,	995	2	11
5.	लडूलाल पुत्र मोरपाल बैरवा	,,	995	2	12
6.	बाबूलाल पुत्र मोहनलाल बैरवा	,,	748/6	1	12
7.	गिर्राज पुत्र भोरया मीना	,,	997	1	17
8.	बाबू पुत्र बुद्धा बैरवा	,,	850	1	17
9.	बुद्धा पुत्र हटीला बैरवा	,,	850	1	17
10.	बुदया पुत्र लालू गुर्जर	,,	748/4 बी.	—	17
11.	जगदीश प्रहलाद पुत्र भैरू अहीर	,,	345	4	17
		योग :		38	18

सरकार बनाम अब्दुल कादीर मुसलमान मलारना डूंगर पुराने एक्ट
आवंटन दिनांक 22-12-83

1.	मोहन लाल पुत्र कल्याण गुर्जर मलारना डूंगर	मलारना डूंगर	2654	5	11

सीलिंग नियम के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई भूमि के आवंटियों की सूची
उपखण्ड करौली (तहसील करौली)

		रकबा	आवंटन का दिनांक
1.	गढ़मडोरा लोहेरीराम पुत्र बद्रीलाल महाजन	8 बीघा	27-7-84
2.	गोपाल पुत्र कल्याण	8 बीघा	27-7-84

सूची आवंटी ग्राम महुस्वा तहसील टोडाभीम जिन्हें सीलिंग से अधिग्रहण भूमि का आवंटन किया गया

क्रमांक	नाम आवंटी		खसरा नं.	बीघा-बिस्वा
1	2		3	4
1.	मनोहरी पुत्र नारायण मीना नि. महुस्वा		2	3-7
2.	सुमन पुत्र बृजलाल मीना नि. महुस्वा		1309	5
3.	बद्री पुत्र सुवा मीना नि. महुस्वा		1307	3-10
4.	रामस्वरूप पुत्र कोरपाल मीना	नि. महुस्वा	1309	2
5.	मुन्सी पुत्र रामस्वरूप मीना	,,	1309	2-17
6.	रामकिशोर पुत्र मिश्रया मीना	,,	1309	4
7.	रामकिशन पुत्र रामदेव मीना	,,	1309	3
8.	नथवा पुत्र रामदेव मीना	,,	1309	4
9.	प्रेमराज पुत्र शिवराज मीना	,,	1309	4
10.	शिवलाल पुत्र मिश्रा मीना	,,	1309	5
11.	श्री फूल पुत्र नथुवा मीना	,,	1309	3
12.	श्रीराम पुत्र मीश्रया मीना	,,	13:9	4
13.	सुखराम पुत्र लोहारिया मीना	,,	6	2-9
14.	शिवराज पुत्र रामस्वरूप मीना	,,	1309	4
15.	मिश्रीलाल पुत्र जानलाल मीना	,,	8	3
16.	श्रीलाल पुत्र जानलाल मीना	,,	8	3
17.	रामजीलाल पुत्र जान मीना	,,	8	2
18.	गिरराज पुत्र धर्मपाल मीना	,,	17	5
19.	श्रीमन पुत्र हरफूल मीना	,,	13	3
20.	कंचन पुत्र हरफूल मीना	,,	13	3
21.	ठण्डी पुत्र गुजलाल मीना	,,	2	3
22.	धर्मसिंह पुत्र सीना मीना	,,	1307	2-5
23.	रामचरण पुत्र रामसहाय मीना	,,	130	3
24.	हरी पुत्र लोहारिया मीना	,,	1309	2
25.	रामजीलाल पुत्र मांग्या मीना	,,	1309	2
26.	किशोरी पुत्र पांच्या मीना	,,	1309	5
27.	हरी पुत्र रामजीलाल मीना	,,	1309	4

1	2		3	4
28.	किशन पुत्र रामजीलाल मीना	नि. महुस्वा	1309	4
29.	गिरराज पुत्र रामजीलाल मीना	,,	15	5
30.	समयलाल पुत्र गिर्राज मीना	,,	17	12
31.	हंसराम पुत्र नत्थू मीना	,,	16	4
32.	गोस्या पुत्र देवपाल मीना	,,	1307	5
33.	रघुनाथ पुत्र नत्थू मीना	,,	17	3
34.	सिहूराजा पुत्र रघुनाथ मीना	,,	16	3
35.	रामकिशन पुत्र जलसिंह मीना	,,	13	3
36.	लोहूरया पुत्र भोरया मीना	,,	8	3
37.	मियाराम पुत्र भोरया मीना	,,	8	4
38.	रामकिशन पुत्र किरोडी मीना	,,	21	5
39.	रामहरि पुत्र अनन्तराम मीना	,,	16	5
40.	धम्मन पुत्र भोरया मीना	,,	8	3
41.	श्रीकिशन पुत्र कजोड़िया मीना	,,	1307	4
42.	सिरमोहर पुत्र बृजलाल मीना	,,	16	4
43.	भगतराम पुत्र रामसहाय मीना	,,	16	5
44.	किरोडी पुत्र रामसहाय मीना	,,	16	5
45.	जगमोहन पुत्र हरिकिशन मीना	,,	12	5
46.	रामधन पुत्र मोहनलाल मीना	,,	13	5
47.	रमोल पुत्र भोरया मीना	,,	1307	10
48.	गोलीराम पुत्र चोथीलाल मीना	,,	12	1
49.	बिशन्या पुत्र जस्सा मीना	,,	1309	4
50.	रामसिंह पुत्र रंगलाल मीना	,,	16	5
51.	गुलाब पुत्र गोकल मीना	,,	2	5
52.	रमली पुत्र सुखा मीना	,,	6	5
53.	मुण्डया पुत्र जस्सा मीना	,,	15	4
54.	श्रीफल पुत्र कजोडिया मीना	,,	1307	5
55.	कलवा पुत्र रमली मीना	,,	6	3
56.	रामहन्स पुत्र बृजलाल मीना	,,	1307	5
57.	हरिराम पुत्र सावलिया मीना	,,	15	5
58.	हरफूल पुत्र निचे मीना	,,	10	4
59.	अमरपाल पुत्र सावलिया मीना	,,	15	5

1	2		3	4
60.	गुडिया पुत्र लल्लू मीना	नि. महुस्वा	12	10
61.	बृजलाल पुत्र कवरपाल मीना	,,	6	5
62.	मोहन पुत्र श्रीलाल मीना	,,	4	7-10
63.	मेघाराम पुत्र श्रीलाल मीना	,,	12	10
64.	राधेश्याम पुत्र किशनलाल मीना	,,	12	6
65.	गिरराज पुत्र किशनलाल मीना	,,	12	6
66.	हरसहाय पुत्र जुथा मीना	,,	1309	5
67.	रामस्वरूप पुत्र भोरया मीना	,,	1307	4
68.	गंगासहाय पुत्र रतनलाल मीना	,,	12	4
69.	खिलाड़ी पुत्र लटूर मीना	,,	12	6
70.	करोड़ी पुत्र लटूर मीना	,,	12	6
71.	छंगा पुत्र सेजू मीना	,,	12	3
72.	सुन्दर पुत्र शिवनारायण मीना	,,	12	2
73.	रामकिशन पुत्र मोतीराम मीना	,,	12	5
74.	रामसहाय पुत्र रामफूल मीना	,,	6 12	2-9 10
75.	सरवणलाल पुत्र हरकिशन मीना	,,	12	7
76.	गंगासहाय पुत्र उदल मीना	,,	12	5
77.	रघुवर पुत्र मांग्या मीना	,,	14	5
78.	रामजीलाल पुत्र मांग्या मीना	,,	14	5
79.	श्रीफल पुत्र श्योपाल मीना	,,	14	10
80.	रामचरण पुत्र किशोरी मीना	,,	14	5
81.	बत्तू पुत्र जुथ्या	,,	14	4
82.	भोरया पुत्र कानिया मीना	,,	14	10
83.	चौथीलाल पुत्र रामनारायण मीना	,,	14	10
84.	रतीराम पुत्र रामपाल मीना	,,	14	10
85.	जगदीश पुत्र चौथमल ब्रा.	,,	8	5
86.	रामक्या पुत्र जौहरी मीना	,,	14	5

1	2		3	4
87.	श्रीकिशन पुत्र कंचन जोगी	नि. महस्वा	16	5
88.	कैला पुत्र छाजू जोगी	,,	18	5
89.	किरोड़ी पुत्र किशनलाल मीना	,,	8	5
90.	सलू पुत्र आलम तेली	,,	17	5
91.	अलीबक्स पुत्र सोन्या तेली	,,	16	5
92.	हुसैनी पुत्र सोन्या तेली	,,	17	5
93.	वतू पुत्र गैंदा तेली	,,	17	5
94.	फकिरिया पुत्र गैंदा तेली	,,	17	5
95.	चिरन्जी पुत्र आलमखा तेली	,,	17	5
96.	सूकिया पुत्र आलम तेली	,,	16	5
97.	मिठ्या पुत्र शिवलाल जोगी	,,	8	5
98.	रामनिवास पुत्र हीरा जोगी	,,	8	5
99.	रामकिशन पुत्र श्रीलाल जोगी	,,	17	5
100.	बाबूलाल पुत्र शिवलाल जोगी	,,	19	5
101.	शिवलाल पुत्र कंचन जोगी	,,	0	5
102.	हीरालाल पुत्र घसीटा खटीक	,,	18	5
103.	बद्री पुत्र भैरु खटीक	,,	18	7
104.	गुलाली पुत्र गनेश खटीक	,,	14	5
105.	माग्या पुत्र लाल खटीक	,,	18	8
106.	हरी पुत्र जनसी बागरिया	,,	18	8
107.	जनसी पुत्र देवपाल बागरिया	,,	18	8
108.	काहू पुत्र जनसी बागरिया	,,	18	8
109.	गिर्राज पुत्र लालू कोली	,,	18	8
110.	रमसी पुत्र बसन्ता चमार	,,	18	8
111.	लल्लू पुत्र सुक्का कोली	,,	18	8
112.	उकारया पुत्र किशन कोली	,,	21/2	8
113.	रामप्रसाद पुत्र दीपराम कोली	,,	17	5
114.	उंदा पुत्र विशन्या कोली	,,	21/2	8

1	2		3	4
115.	मूल्या पुत्र ग्यारसा चमार	नि. महस्वा	21/2	5
116.	हजारी पुत्र गुलाली खटीक	,,	21/2	5
117.	प्रहलाद पुत्र गिर्राज खटीक	,,	21/2	8
118.	गिर्राज प्रसाद पुत्र किशनलाल खटीक	,,	21/2	5
119.	रामखिलाड़ी पुत्र किशनलाल खटीक	,,	21/2	5
120.	बिशन्या पुत्र नहंग्या कोली	,,	21/2	8
121.	रामस्वरूप पुत्र दीपा कोली	,,	21/2	8
122.	बद्री पुत्र बसन्ता चमार	,,	21/2	7
123.	बिशम्भर पुत्र धन्या जोगी	,,	16	5

सूची आवंटियान जिन्हें अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। आवंटन अवधि
दिनांक 1-1-81 से अगस्त 1984 तक

क्रमांक	नाम ग्राम	नाम आवंटी	ख. नं.	रकबा
1	2	3	4	5
1.	महुस्वा	गुलाब/गोकुल मीना महुस्वा	2	5
2.	,,	रामसहाय/नारायण नाई	2	5
3.	,,	रामस्वरूप/मिश्रीलाल जोशी	4	5-10
4.	,,	लोहड्या/भोरया मीना	8	3
5.	,,	सियाराम/भोरया मीना	8	5
6.	,,	गंगासहाय/मांग्या मीना	8	5
7.	,,	रामचरण/रेवड्या मीना	8	5
8.	,,	शिवलाल/भजन मीना	8	5
9.	,,	कमल/रामधन मीना	8	5
10.	,,	बत्तीलाल/गोपी मीना	8	5
11.	,,	मुरली/श्योनारायण मीना	8	5
12.	,,	छोटू/नत्था मीना	10	5
13.	,,	राजपाल/भोंदू मीना	10	5
14.	,,	श्रीफूल/नत्था मीना	10	5
15.	,,	सुखीराम/गंगाबिशन मीना	10	3
16.	,,	हरसहाय/श्रीफूल मीना	10	5
17.	,,	बत्तीलाल/रामफूल मीना	10	5
18.	,,	गोली/चोथी मीना महुस्वा	12	1
19.	,,	घूड्या/लल्लू मीना	12	10
20.	,,	श्रवणलाल/हरकिशन मीना	12	7
21.	,,	रमेश/प्रभू माली	12	6
22.	,,	नथोली/बत्तू मीना	13	5
23.	,,	लक्ष्मीनारायण/झूत्या मीना	13	5
24.	,,	रामकिशोर/फैली मीना	13	5
25.	,,	बत्तू/झूत्या मीना	14	4
26.	,,	भोरया/काना मीना	14	10

1	2	3	4	5
27.	महस्वा	रामचरण/रामसहाय मीना	14	5
28.	,,	नारायण/रामहेत मीना	14	5
29.	,,	रामप्रसाद/सुखराम मीना	14	5
30.	,,	सुगनी पुत्र काना मीना	14	5
31.	,,	मूल्या/जस्या मीना	15	4
32.	,,	रामसिंह/रंगलाल मीना	16	5
33.	,,	भरोसी/हटीला कोली	16	5
34.	,,	हरी/वस्ती महतर	16	5
35.	,,	रामचरण/गोकल मेहतर	16	7
36.	,,	/गेंदया तेली	17	5
37.	,,	मुरारी/कल्याण महाजन	17	5
38.	,,	मांग्या/लाल खटीक	18	8
39.	,,	लल्लू/सुका कोली	18	8
40.	,,	बाबूलाल/मिश्रा महतर	19	10
41.	,,	ओमप्रकाश/रामसहाय महाजन	20	4-18
42.	,,	बिशन्या/नंन्या कोली	21/2	8
43.	,,	रामसहाय/जोहरी महाजन	1307	5
44.	,,	शम्भूदयाल/बाबूलाल महाजन	1307	5
45.	,,	बिशन्या/जस्सा मीना	1309/1	4
46.	,,	हरसहाय/झूत्या मीना	1309/1	5
47.	,,	सुवा/जगन्नाथ जागा	1309/1	4
48.	,,	रामप्रसाद/मिश्रीलाल जोशी	1309/1	4
49.	कमालपुरा	तान्या/रामहेत चमार महस्वा	2003/4	5 राजस्व म.
50.	,,	गोकल/मोहरी बैरवा	2003/1	5 से स्थगन आदेश
51.	,,	पोख/मूल्या चमार	2003/2	5 होने से

सूची आवंटन ग्राम कमालपुरा जो सीलिंग से अधिग्रहण की गई———
दिनांक 14-1-81

क्रमांक	नाम व पता आवंटी		खसरा नं.	रकबा
1	2		3	4
1.	तान्या/रामहेत चमार	कमालपुरा	2003/4	5
2.	गोपाल/जोहरी बैरवा	,,	2003/1	5
3.	पुरु/मूल्या चमार	,,	2003/2	5
4.	नारायण/गंगाविशन चमार	,,	2003/3	5
5.	मुंशी/चौथी मीना	,,	1994/4	5
6.	मूलचन्द/सुगन मीना	,,	1988/5	5
7.	पतास्या/किशोरी मीना	,,	2003/5	5
8.	रामजीलाल/शिवलाल मीना	,,	1994/1	5
9.	रामनारायण/सोना मीना	,,	1994/2	5
10.	रमजू मथुरा/काना मीना	,,	1994/3	5
11.	मूला/सुखचन्द मीना	,,	1988/2	5
12.	रघु/फूल्या मीना	,,	1988/3	[illegible]
13.	चिरंजी/सुखचन्द मीना	,,	1988/4	5
14.	नारायण/जोहरीलाल स्वर्णकार	,,	2010/1	5
15.	रामस्वरूप/मुरली मीना	,,	2010/2	5
16.	रामस्वरूप/भोरया मीना	,,	2010/3	5
17.	रामकिशन/चन्दर मीना	,,	1994/5	5
18.	जयनारायण/श्रीनारायण/ घम्मन मीना	,,	1994/6	5
19.	हीरालाल सांवू/काना मीना	,,	19[illegible]4, 1936	7–10
20.	लिखी/सोपी मीना	,,	1938	6–2
21.	रामस्वरूप/कजोड्या मीना	,,	2012/1	5
22.	धुन्धी/श्योजी मीना	,,	1986, 1987	4–16
23.	रामप्यारी पत्नी धन्नो मीना	,,	1980	5–4
24.	श्योदान/देवचन्द मीना	,,	1977, 1978 1979	3–17

1	2		3	4
25.	गंगासहाय/रामजीलाल मीना	कमालपुरा	2002	3-3
26.	शंकर/देवचन्द मीना	,,	1992, 1993	5-1
27.	भरोसी/रामधन मीना	,,	2011	3-13
28.	मोतीलाल/लक्ष्मण मीना	,,	1995/1	3-18
29.	किशोरी/श्योचन्द मीना	,,	1981	3-1
30.	सांवल, जगमोहन/रामफूल मीना	,,	1994/7	5
31.	रामजीलाल/गोरधन मीना	,,	1976/1	5
32.	हरी/गोरधन मीना	,,	1976/2	5
33.	कंचन/सोपी मीना	,,	1989	2-12
34.	श्रीमती कौशल्या पत्नी हरसाय मीना		1976/3	5
45.	हरसहाय/श्रवण मीना	कमारपुरा	2003/6	5
36.	कंचन/भटकोल्या चमार	,,	2003/7	5
37.	श्रीमती गुली पत्नी चेतराम बैरवा	,,	2003/8	5
38.	पांच्या/रामहेत बैरवा	,,	2003/9	5
39.	प्रहलाद/काडया चमार	,,	2003/12	1-15
40.	लोहड्या/रामधन चमार	,,	2003/10	5
41.	छोटया/मंगल भंगी	,,	2003/11	5
42.	धांधू/रामा चमार	,,	1990,1991	3-10
43.	भारोसी/सम्पत चमार	,,	1984,1985	2-12
44.	शिब्बू/सुखचन्द जोगी	,,	1955	4-19
45.	हरिकिशन/झूत्याराम गूजर	,,	2001/1	5
46.	रामजीलाल/भूत्या गूजर	,,	2001/2	5
47.	नूरा/भोरया मुसलमान	,,	2001/3	5
48.	प्रहलाद/मोरीलाल लखेरा	,,	2006	2
49.	नत्थीलाल/भोरया नाई	,,	1983	4-12
50.	रामस्वरूप/बद्री संजोगी	,,	1974	5
51.	मोहनलाल/लखनलाल ब्राह्मण	,,	1973	2-11
52.	रघुवीर/रामसिंह राजपूत	,,	2010	2-5
53.	रामप्रसाद/दूलाचन्द गुजर	,,	1975	5

1	2		3	4
54.	हरीप्रसाद/जवालाराम महाजन	कमालपुरा	2004	4-8
55.	केदार/कजोड़या संजोगी	,,	1975	4-1
56.	रामसिंह/भोरया मीना	,,	1973/1	5
57.	ख्याली/भोरया मीना		2009/1	2-10
58.	सत्य/कजोड़िया मीना	,,	2009/1	2-10
59.	राधेश्याम/रघुनाथ मीना	,,	2005/1	5
60.	रामकिशोर/रामजीलाल मीना	,,	2009/2	2-10
61.	प्रभूदयाल/भोरया मीना		2004/2	3
62.	बल्लू/भोला मीना	,,	2009/2	2-10
63.	हजारी/नारायण मीना		2004/2	3
64.	गिरधारी/हरि मीना	,,	2010	5
65.	जलधारी/फूल्या मीना	,,	1994	4-1
66.	रामप्रसाद/जयदेव मीना	कमालपुरा	1982	2-6
67.	प्रेहलाद/चिरंजी नाई	,,	1996	1-4
68.	लिखमी चन्द/स्योपाल मीना	,,	2011	3 बी.
69.	किरोडी/लालजी मीना	,,	1982	1-5
70.	राजु/देवपाल मीना	,,	2011	3
71.	धम्मन/मिश्रया मीना	,,	2012	1-13
72.	श्री/रामधन मीना	,,	2011/2	5
73.	श्रीया/वोदिया मीना	,,	2004	3
74.	जयनारायण/लक्ष्मण मीना	,,	2011	3
75.	रामस्वरूप/छीतर मीना	,,	2011	3
76.	रामचरण/मूलचन्द मीना	,,	2004	4
77.	प्रताप/श्रीया मीना		2011	2-10
78.	रामकेश/लक्ष्मी चन्द्र मीना		2004	4
79.	मखोहरी/भोर्या मीना	,,	2011	3
80.	रामलाल/मिश्रया मीना	,,	2004	2
81.	काना/चन्द्र मीना	,,	2011	5-10
82.	रामेश्वर/जोहरी सुनार	,,	1956	4-5
83.	प्रभु/महोरया मीना	,,	2007/2 व 2008	1-1
84.	अर्जुन/गंगाबिशन मीना	,,	1988	5
85.	राधेश्याम/रामकुमार गुर्जर	,,	2012/5	5

1	2		3	4
86.	रेवड़/गाम्या गुर्जर	कमालपुरा	2002/4	5
87.	नाहरसिंह/गवरी गुर्जर	,,	2012/3	5
88.	धम्मन/रामकुमार गुर्जर	,,	2012/2	5
89.	रामदयाल/नारायणलाल अग्रवाल	,,	2004	1–15
90.	बुधराम/ओंकार मीना	,,	1999	1–10
91.	रामसिंह/ओंकारया	,,	2010	1–1
92.	धम्मन/सुगन मीना	,,	2010	1
93.	श्यामलाल/मिश्रीलाल कारीगर	,,	2011	1
94.	बाबूलाल/हजारीलाल ब्रा.	,,	2011	0–18
95.	प्रहलाद/चिरंजीलाल नाई	,,	2011	1
96.	भोदू/कश्जी चमार	,,	1623	[illegible]–6
97.	भोती/बुद्धि हरिजन	,,	2001	2–9
98.	रामदयाल/रामफूल मीना	,,	951/1	0–3
99.	रामदयाल/जयलाल सुनार	,,	2012	1
100.	राजाराम/मोहरसिंह गुर्जर	,,	1986, 1988	0–17
101.	काडूराम/रामफूल मीना	,,	1988	1
102.	हजारी/मोरया मीना	,,	2004	1–1
103.	महावीर/मिच्छु मीना	,,	1973	0–13
104.	हरेती/लालचन्द मीना	,,	2004	1–1
105.	मनोहरी/रघुनाथ मीना	,,	2003	3
106	लल्लू/मंगल हरिजन	,,	2003	1–11
107.	अमरसिंह/उमराव मीना	,,	1973	0–9
108.	रामकिशन/किशोरी मीना	,,	2003	1–10
109.	श्यामलाल/सुखलाल मीना	,,	2003	1–10
110.	रामस्वरूप/नारायण मीना	,,	2003	1–10
111.	गंगाराम/बसन्ता मीना	,,	2003	1–10
112.	मोती/लक्ष्मण मीना	,,	1178/2	0–14
113.	धीस्या/चुन्नीलाल कोली	,,	966	2–2
			1203	3–6
			1209	1–7
114.	बाबूलाल/किशोरी जाटव	वदलेटा बुजुर्ग	612/105/1	2
115.	बदरी/गंगाधर कण्डेरा	,,	618 व 105/1	2

1	2		3	4
116.	केदार/रामसहाय	बदलेटा बुजर्ग	618 व 105/1	2
117.	गिरधारी/कल्ला चमार	,,	618 व 105/1	2
118.	अली/कुन्दन मुसलमान	,,	618 व 105/1	1-12
119.	अमरुद्दीन/गेंदा मुसलमान	,,	618 व 105/1	2
120.	बसन्ता/पन्ना चमार	,,	618 व 105/1	2
121.	धर्मो/रामसहाय जोगी	,,	618 व 105/1	2
122.	पान्चया/कजोड़ चमार	,,	618 व 105/1	3
123.	गुलवती/लालचन्द चमार	,,	618 व 105/1	3
124.	बाबूलाल/लोहड़िया हरिजन	,,	291/1	3-5
125.	गोपाल/हरेती चमार	,,	293/2/1	3-2
126.	गुजरमल/कन्हैया मीणा	,,	575/3/1	3-7
127.	छोटू/माधोसिह राजपूत	,,	575/3/1	1
128.	रामसिह/माधोसिह राजपूत	,,	575/3/1	1
129.	कमल/मांगीलाल कोली	,,	618/105	3
130.	रामजीलाल/सुगननाथ	,,	575/3/1	2
131.	जगन/कमोत चमार	,,	57 /3	2-10
132.	निजामुद्दीन/कालेखां मुसलमान	,,	618/105/1	2

1984–85 की वार्षिक योजना

28. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (ग्रामेग) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सन् 1984–85 की वार्षिक योजना का कितना आकार योजना आयोग द्वारा स्वीकार किया गया ?

(2) राज्य सरकार की ओर से इस योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और यह राशि किस-किस रूप में समायोजित की जायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने 430 करोड़ रुपये की 1984-85 की योजना का प्रावधान किया है। जिसकी स्वीकृति हेतु योजना आयोग से विचार विमर्श चल रहा है।

(2) राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजना 1984-85, 430 करोड़ रुपये की अनुमोदित की गई है। मुख्य क्षेत्रवार, शीर्षवार समायोजन का विवरण निम्न प्रकार है :

1. कृषि एवं संबद्ध कार्यक्रम	7712.88
2. सहकारिता	600.00
3. सिंचाई एवं विद्युत	20608.00
4. उद्योग एवं खनन	1875.00
5. यातायात एवं परिवहन	2065.00
6. सामाजिक सेवाएं	9884.21
7. आर्थिक सेवाएं	53.91
8. सामान्य सेवाएं	201.00
योग	43000.00

कृषि उपज मण्डी बयाना के सचिव के विरुद्ध शिकायतें

29. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश, भरतपुर ने अपने पत्र क्रमांक 315–17, दिनांक 14 अगस्त, 1984 द्वारा बयाना कृषि उपज मंडी के सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं की ओर कृषि उत्पादन सचिव का ध्यान आकर्षित किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया जिलाधीश द्वारा प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) सचिव को पुनः उसी मंडी समिति में क्यों लगाया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

मामला विचाराधीन है।

(2) जिलाधीश का पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही स्थानान्तरण आदेश जारी किये जा चुके थे।

तहसील बसवा (जयपुर) में रेहड़्या बांध का निर्माण

31. **श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील बसवा, जिला जयपुर के अन्तर्गत रेहड़्या बांध का निर्माण कब प्रारम्भ

(श्री नाथूसिंह)

हुआ था ? क्या इस समय निर्माण कार्य जारी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इस संबंध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) तहसील बसवा में स्थित रेडिया बांध का कार्य वर्ष 1976-77 में प्रारम्भ हुआ। कार्य के दौरान तकनीकी कारणों से डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ा। ठेकेदार ने अधिक भुगतान के दावे पेश किये तथा काम बन्द कर दिया। इस कार्य की संशोधित अनुमानित लागत भी 60.67 लाख रु. से 112.05 लाख रु. हो गई है। संशोधित तखमीने की स्वीकृति विचाराधीन है।

(2) संशोधित तखमीने की स्वीकृति के पश्चात् इस कार्य का निर्माण कराया जा सकेगा।

तहसील राजसमन्द के ग्राम जामन में कृषि भूमि का आवंटन

32. श्री नानालाल (राजसमंद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की राजसमन्द तहसील के गांव जामन टुकड़ा में दिनांक 30 जनवरी, 1983 को कृषि भूमि का आवंटन किया गया ? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी भूमि का आवंटन किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त आवंटन के खिलाफ कई लोगों से शिकायतें प्राप्त हुई तथा उसकी जांच हेतु माननीय मन्त्री द्वारा आदेश दिये गये ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त आवंटन में काफी अनियमिततायें हुई हैं ? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) उपरोक्त आवंटनकर्ताओं के पिता या उनके पास पूर्व में कितनी-कितनी भूमि थी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

दिनांक 30-1-83 को ग्राम पंचायत मुख्यालय बामन टुकड़ा पर हुये भूमि आवंटन की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम आवंटी मय वल्दियत	आवंटित रकबा बीघा-बिस्वा	आवंटी के नाम पर दर्ज भूमि बीघा-बिस्वा	पूर्व में आवंटी के पिता के नाम पर दर्ज भूमि बीघा-बिस्वा	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	बामनटुकड़ा	श्री केशु पुत्र गिरधारी तेली	4—10	11—00	—	—
2.	,,	श्री शंकरलाल पिता तुलसीराम ब्राह्मण	8—00	—	9–11	में से 1/6 हिस्सा आवंटी का है।
3.	,,	श्री फतहलाल पिता कजोड़ जी ब्राह्मण	6—00	1—2½	30–11	में से 1/4 हिस्सा आवंटी का है।
4.	,,	श्रीमती रामी बाई पिता कजोड़ जी ब्राह्मण	10—00	—	30–11	में से 1/4 हिस्सा आवंटी का है।
5.	,,	श्री हरिशंकर पिता कजोड़ जी ब्राह्मण	7—00	1—2½	30–11	में से 1/4 हिस्सा आवंटी का है।
6.	,,	श्री भवानीशंकर पिता मगनलाल ब्राह्मण	7—00	—	16–14	में से 1/6 हिस्सा आवंटी का है।
7.	,,	श्री उदयसिंह पिता भूरसिंह जी राजपूत	6—10	3—19	—	
8.	,,	श्री वेणीराम पिता तुलसीराम तेली	9—00	—	3–17	में से 1/4 हिस्सा आवंटी का है।
9.	,,	श्री लछमण पिता मोडूजी ब्राह्मण	7—00	—	19–16	में से 1/5 हिस्सा आवंटी का है।
10.	,,	श्री लेहरूलाल पिता धूलीराम ब्राह्मण	3—10	9—2½	—	
11.	,,	श्री रामलाल पिता उदा बलाई	8—00	2—18	—	
12.	,,	श्री वेणा पिता भूरा जी बलाई	3—00	8—05	—	

1	2	3	4	5	6	7
13.	बामनटुकड़ा	श्री हरिसिंह पिता भूरसिंह राजपूत	7—00	3—19	—	
14.	,,	श्री मोहनसिंह पिता भूरसिंह जी राजपूत	7—00	3—17	—	
15.	,,	श्री शंभूलाल पिता रामजीलाल ब्राह्मण	4—17	—	27–10 में से 1/9 हिस्सा आवंटी का है।	
16.	,,	श्री मोती पिता तुलसीराम ब्राह्मण	5—00	—	2–12 में से 1/6 हिस्सा आवंटी का है।	
17.	,,	श्री गोपीलाल पिता चतुरभुज जी सुथार	4—00	2—06	—	
18.	,,	श्री उदयलाल पिता लच्छीराम ब्राह्मण	9—00	4—10	1–16	
19.	,,	श्री जगदीश पिता लच्छीराम ब्राह्मण	6—00	2—14	—	
20.	,,	श्री ऊंकारलाल पिता दौलतराम ब्राह्मण	5—11	—	—	
21.	,,	श्री मोती पिता भूरा बलाई	4—05	—	—	
22.	मियारी	श्री पेमा पिता हमेरा भील	3—04	—	—	
23.	दौलतपुरा	श्री पन्नालाल पिता किसना जी सुथार	7—00	—	5–05 में से 1/4 हिस्सा आवंटी का है।	
24.	,,	श्री रामलाल पिता भूरा जी सुथार	4—10	—	16–08 में से 1/2 हिस्सा आवंटी का है।	
25.	,,	श्री सुहपुरी पिता चैनपुरी जी गुसाई	6—00	4—09	—	
26.	दौलतपुरा	श्री सेमा पिता मोती भील	10—00	3—17	—	
27.	करेड़ा	श्री रामा पिता रूपा बलाई नि. करेड़ा	4—15	1—12	—	
28.	,,	श्री वरदा पिता पा बलाई	4—10	1—12	—	

1	2	3	4	5	6	7
29.	करेडा	श्री नानालाल पिता मोतीलाल महाजन करेडा	2—00	29—14	....	छोटी पट्टी
30.	„	श्रीमती दोली बेवा राजू भील नि. आरवाड़ा	1—06	2—17	—	
31.	आरवाडा	श्री हीरालाल पिता उदा नि. कुमावत	3—13	0—15	6-14	
32.	„	श्री भैरूलाल पिता किसना कुमावत	3—13	3—12	—	
33.	„	श्री केसु पिता खुमाण भील	6—07	1—05	—	
34.	डाबला	श्री मोडा पिता किशना जी बलाई डाबला	4—10	11—08	—	
35.	„	श्री शंभू पिता किसना बलाई	1—00	11—08	—	
				11—08	....	छोटी पट्टी

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 847 दिनांक 22-9-83 ओर से—अतिरिक्त जिलाधीश, राजसमंद, प्रेषिति-जिलाधीश (सतर्कता) उदयपुर।

विषय :—"प्रशासन गांवों की ओर" अभियान के दौरान हुई अनियमितता के संबंध में।

प्रसंग :—आपका पत्र क्रमांक सतर्कता/2/338/89 दिनांक 12-8-83/17-8-83

महोदय,

प्रासंगिक पत्र के साथ श्री नानालाल, सदस्य, राजस्थान विधान सभा के पत्र के साथ भेजे गये शिकायत पत्रों की जांच की गई तो स्थिति निम्नानुसार पाई गई :—

ग्रामवासियान बामन टुकड़ा द्वारा दिनांक 31-1-83 को उनके गांव में किए गए भूमि आवंटन की शिकायत की जांच के सम्बन्ध में दिनांक 8-9-83 को ग्राम बामन टुकड़ा पर जांच की गई तो शिकायतकर्ता श्री बालकिशन दवे ने अपने बयान में बताया कि उसने प्रशासन गांवों की ओर अभियान के दौरान उनके गांव में किए गए आवंटनों की शिकायत गलत फहमी के कारण करदी थी। आवंटन नियमानुसार ही किए गए थे। श्री बालकिशन का बयान संलग्न है। दिनांक 8-9-83 को ही मैंने अन्य उपस्थित ग्रामवासियों से पूछताछ की तो सब लोगों ने बताया कि उनको आवंटन बाबत कोई शिकायत नहीं है। बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार किया जाकर उपस्थित ग्रामवासियों के हस्ताक्षर करवाए गए मूल कार्यवाही विवरण संलग्न है।

दिनांक 30-1-83 को किए गए आवंटन का रिकार्ड देखा गया तो प्रकट हुआ कि बामन टुकड़ा में आवंटन के लिए 42 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से 35 व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई थी। इनमें से 7 अनुसूचित जाति के 4 अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। 7 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र निरस्त किए गए। इनमें से दो अनुसूचित जाति के सदस्यों के प्रार्थना पत्र तथा एक अनुसूचित जन जाति के सदस्यों का है।

अतः जांच प्रतिवेदन आपके कार्यालय से प्राप्त पत्रों के साथ प्रेषित है।
संलग्न : उपरोक्तानुसार

ह/-
अतिरिक्त जिलाधीश
राजसमंद

कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर के अधीन पुलियाओं का निर्माण

33. श्री महेन्द्र सिंह (संगरिया)-क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर द्वारा चक चार वयू की तीन पुलियों के निर्माण के लिए टेण्डर निकाले गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इन तीन पुलियों का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर द्वारा बहुत पहले ही करवाया गया था ? यदि पहले से ही पुलिया निर्मित थी तो दुबारा टेण्डर निकलवाने की क्या आवश्यकता थी ?

(3) यदि पहले से ही पुलिया निर्मित थी और वहीं पर दुबारा पुलिया निर्मित की गई है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

इन पुलियों के निर्माण वास्ते कोई टेण्डर नहीं निकाले गये थे।

(3) पुलियाओं का दुबारा निर्माण नहीं किया जाकर आवश्यक मरम्मत का कार्य कराया गया है। अतः किसी भी अधिकारी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पंचायत समिति, इटावा के ग्रामों का विद्युतीकरण

34. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)-क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, इटावा की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब स्वीकृत हुई तथा उक्त योजना के अनुसार सम्पूर्ण पंचायत समिति के गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूरा कर दिया जाना चाहिए था ?

(2) अब तक उक्त पंचायत समिति के कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा कितने का बाकी है जिसे कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

(3) इस कार्य में शिथिलता के लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति इटावा की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना माह अक्टूबर, 1979 में स्वीकृति करवाई गई थी। योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का है। जिसके दौरान 137 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है। इनके अतिरिक्त 79 नोन-पोटेंशियल ग्राम भी योजना में सम्मिलित हैं।

(2) पंचायत समिति इटावा के 64 ग्रामों का विद्युतीकरण माह मार्च, 1984 तक किया जा चुका है तथा स्वीकृति योजना के अन्तर्गत 87 पोटेंशियल तथा 75 नोन-पोटेंशियल ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है। वर्ष 1984-85 के कार्यक्रम में पंचायत समिति इटावा के 9 ग्राम विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित हैं। शेष 78 पोटेंशियल ग्रामों

(ऊर्जा मंत्री)

का विद्युतीकरण अगले वर्षों में वित्तीय साधनों एवं विद्युत की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। 75 नोन-पोटेंशियल ग्रामों का विद्युतीकरण ग्रामों को विद्युत की मांग होने पर निकट के विद्युत पोटेंशियल ग्रामों में लाइन बिछाकर विद्युतीकृत कर दिया जायेगा। अतः पंचायत समिति इटावा के सम्पूर्ण ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

(3) वार्षिक योजना मद में विभिन्न कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। अतः कार्य में शिथिलता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

× × × ×

परिशिष्ट-8

(तारांकित प्रश्न संख्या 4 की अधिसूचना)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GR IV) DEPARTMENT

No. F 6 (75) Rev/Gr. IV/84 Jaipur, dated 5th Sept., 1984

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 260 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956), the State Government hereby directs that the duties imposed and the powers conferred on the Revenue Appellate Authority mentioned in column No. 1 under the said Act shall also be performed and exercised by the following officers mentioned in column No. 2 during such period when the Revenue Appellate Authority of the original jurisdiction mentioned in column No. 1 proceeds on leave or is permanently transferred.

Col. No. 1	Col. No. 2
Rovenuc Appellate Authority	**Local Officers**
1. Udaipur	Settlement Officer, Udaipur.
2. Jaipur	Addl. Settlement Commissioner, Jaipur.
3. Alwar	Settlement Officer, Alwar.
4. Bharatpur	Settlement Officer, Bharatpur.
5. Jodhpur	Settlement Officer, Jodhpur.
6. Bikaner	Addl. Colonization Commissioner, Bikaner.
7 Kota	Addl. Area Development Commissioner, C. A. D., Kota.
8. Ajmer	Settlement Officer, Ajmer.

By Order of the Governor,
Sd-
Deputy Secretary to Government.

Copy forwarded to the following for information and necessary action—

1. P. S. to Chief Minister/Revenue Minister. 2. P. S. to Chief Secretary/Revenue Scretary. 3. Registrar Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer with 10 spare copies. 4. All Collectors. 5. Accountant General, Raj Jaipur. 6. Settlement Commissioner, Jaipur. 7. Colonisation Comissioner, Biakner 8. Secretary, R. L. A., with 7 spare copies. 9. Director, H. C. M. State Institute of Public Adm. Jaipur. 10. Director, Public Relations Jaipur 11. Superintendent, Goverment Central Press, Jaipur for publication of the Notification in the Rajasthan Gazette Extra-Ordinary under intimation to this deptt. 12. All Purpose Revenue Training School, Tonk. 13. RAVIRA, Board of Revenue, Ajmer 14. Law (Codification) Deptt. with 7 Spare copies. 15. All Revenue Appellate Authorities, Raj. 16. Revenue (Gr. 2, 3, 4, 5) Deptt. 17. Vidhi Rachana Sanghathan, Law Deptt. with a spare copy for Hindi translation. Guard File.

Sd/-

Dy. Secretary to Govt.

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का जांच प्रतिवेदन)

Thorwali Mine

In Thorwali Mines we are working in four diffeient veins. This mine is worked by open cast mining. We have gone upto a depth of 13·5 M by open cast working. Four different inclines have been put at different places, incline No. 1 has gone upto 40 M. The material generally coming out from these inclines is of low grade. Only in pockets high giade material is available. This mine will improve and in my opinion we can get high grade material from this mine. We have not worked systematically in this mine and if proper machineri s and proper planning is done in this mine then we can achieve good results from this mine.

As per our records of this mine in the year 1980-81 we have produced 45·775 M.T. of 70-75% high grade at an OMS of 8·14 Kg. In 1981-82 the high grade production was 71·20 M T. of 70-75% grade at an OMS of 10·93 and in 1982-83 109·14 M T. of 70-75% grade at an OMS of 18·68 Kg. Where as upto December 83 it has produced 19·80 M T. 70-75% grade at an OMS of 15·39 Kg. Since the mine is going deeper its OMS comes down and it is expected that this mine has potential for further development. We do not have any geological data for this particular mine with us. Thorwali mine has got only 150 man power it has one compressor and one air hoist and rest of work is done manually.

At present we are running four faces in this mine. Out of these four faces we are running three underground and one opencast face. The total strength of the mine is 150. If we have to run these mines on commercial basis then we have to reduce the strength as per the requirement given for each face.

By going through the geologist report it is advisable that this mine does not have good quality of material and so it should be stopped.

Bhanwaria ka Naka Mine.

At Bhanwaria ka naka mine total six bore holes were drilled and estimated 2571 M.T. reserves of 80-85% CaF_2 grade fluorspar mineral. According to bore hole data the first level was developed at 71 MRL and it was expected that strike length will be about 80 Mts. but after going to 35 M. along the strike, the vein has disappeared. The condition of strata is very bad and we have sunk a shaft from surface upto 67·5 MRL towards North at a distance of 10 M. again sunk a winze upto a depth of 15 M. from 1st level. The results are quite encouraging but the mineralisation of fluorspar is erratic due to the presence of pyrite and quarts. Unfortunately this mine can only be worked for 8 months in a calendar year i.e. from November to June. During rainy season it always gets filled up with water. The workers during this season have to be engaged some where else. This mine has got 71 manpower and its statistics given in the table is not true representative because the production of Bhagat hill has also included in the production of this mine.

In 1980-81 its production was 18 3 M T. of 80-85% and 27·26 M.T. 70-75% at an OMS of 3·11 kg in 198 -82. Production of 90-95% was 63.92 M.T. 80-8 % 43·73 M T. at an OMS of 8·26 Kg. In 1982-83 3·100 M.T. 90-95% at an OMS 15·30 Kg. and 1983-1984 upto December, 83 the high grade is nil and has not been worked due to water logging.

This mine can work only for six months and its geological report does dot give us encouragement, so this mine should be stopped.

Bhagat Mines

There are four hills under this mine i. e. Mata, Rehatwali, Ramore and Bhagat. This is one of the oldest mine in our Project. We are still working in this mine. The Mata was worked previously by open cast method but the results were not encouraging and only low grade material is available so working of this hill was stopped.

Bhagat Hill

We are still working in this hill with the help of Bhanwaria ka Naka mine workers. We are unable to produce high grade from this

hill in last two years Only in patches, we get some times good material. In Bhagat mines our main workings are in Rohatwali and Ramore hills. More than 6 M. depth was worked out by open cast mining from shaft No. 1 to shaft No. 3 in Rehatwali hill Three shafts were sunk in this hill and shaft No. 1 and shaft No. 2 connected at R. L. 90 1st level. The results were not very encouraging and we are still working this mine (hill). Whatever material procuced from this mine is not even giving us 50 60% grade even though we have booked the material in 50-60% grade even though we have booked the material in 50-60% but it is not confirmed by chemical analysis.

Ramore Hill

We have only produced low grade material from this hill and we have put two shafts and also development work has been done in shafts No. 1 but the results are of low grade. So this lower grade material we can get from surface mining itself. We have put one electric hoist in this hill, it does not serve any purpose since high grade material is not available in this hill. This hill will only serve the purpose for giving the low grade material for beneficiation plant only.

Now we go to the statistics of this mine in 1980-81. It has produced 19·73 M.T. of 80-85% grade, 8·93 M.T. of 70-75% at an OMS of 18·27 Kg. whereas in 1981-82 it has prbduced 15·41 of 80-85% at an OMS of 19·58 Kg. In 1982-83 it has produced 0.770 of 80-85% at an OMS of 26·19 Kg. whereas upto December 83 it has produced a nil of high grade and at an OMS of 20·51 Kg. From these statistics, we came to the conclusion that higher grade material is not available in these hills and OMS slightly increased only due to the more products of lower grade. As of the present trend upto December, 83 the OMS of these mine is 20·51 Kg. and the workers strength in this mine is 146. The value of 20·51 Kg. comes to Rs. 16/- approximately and we have to pay Rs. 15/- as an average per man. Whereas in this mine we have got two electric hoists, one D. G Set, two Electric pumps, one compressor etc. So we have to incur heavy expenditure on these machineries. At the same time wheatever material produced from this mine is not easily saleable in the markets, we have got stock of low grade material very high at this mine. So in my opinion, these mines should be worked only for mill grade material, if at all it has to be worked, otherwise it should completely be stopped.

Navagoen Mines

'B' Block—In this drilled bore hole No. NBH-1 the average grade is 10% CaF_2 and the strike of the ore body is 70 Mts. average width of vein is 1.12 M. depth upto 45 M. These data available to us from the MEC report.

After working this area for last so many years we have extracted good quality of material which was outcroping and these outcrops has been worked out and there is no chance of doing more open cast working. It was mentioned in the bore hole that strike length of 70 M. is available at 45 M. depth but after going 30 M. down it was only strike at depth of 45 M. beyond it the mineralisation of vein is very poor and it was not economically viable to work it. So the working has to be stopped at this point. Whatever development was done during this period the stcpping is also completed of this zone of these is no chance of doing any further development of this particular zone (B-block).

'A' Block- As per MEC bore hole No. NBH 2 the average grade of vein is 17.35% CaF_2 and strike length 60 M. depth of bore hole 30 M. average width is 0.78 M. These bore hole data available to us we have done the openc.st mining upto 5 M. depth When we have gone further deep by underground mining the results are not very much encouraging, and getting the fluorspar 30-40% and 50-60% grade. We are still working in this zone (A block) but the results are not encouraging. NBH-5 is also lying this area.

Southern Part of 'A' Block

In this area two holes are drilled by MEC Nos. NBH-3 and NBH-4. In NBH-3 the average grade 22.68% CaF_2 depth is 27 M. true width of ore body is 0.20 M. strike length is 20 M. Since the mineralisation is at depth of 23 to 24 M. depth and strike length is very small, so it was felt that the working of this is not economical keeping this consideration, no wcik was done and also not advisable to take up any work. In NBH-3 the average grade 9.16% CaF_2, depth is 23.5 M. & true width is 1.15 M. In this area we have worked in open cast upte 6 M. and the results were not very much enccuraging. Also

the average grade in this bore hole is very less during the underground mining for a low grade is not justified.

We have tried to locate further rich ore body and our Corporation took keen interest in locating veins in further depth land the bore hole No. NBH-4, NBH-7, NBH-8 NBH-9 were drilled by DMG and found their data that there is no mineralisation of fluorspar in depth.

From the records the Navagoen mine has produced high grade material in 1980-81. 7 Mt and overall OMS 3.88 kg. whereas in 1981-81, the high grade 83.5 M.T. 80-85 and 56.25 M T. 70-75% and average OMS 14.18 Kg. and in 1982-83 high grade 85.6 M.T. of 80-85% and 73.15 M.T. 70-75% and at an overall OMS 19.61 Kgs. were produced. These OMS of 81-82 and 82-83 was good due to stopping of the B' block and that zone has almost completely exhausted. This is quite evident from the production data upto December, 83 that we were able to produce only 4.2 M T. of 80-85% grade and the OMS is only 8 Kg. and this OMS is only due to the low grade production.

We have got 163 man power at Navagoan mines and also installed the maximum mine machineries i. e. one electric hoist, diesel generator set, air hoist, two electric pumps, one compressor etc. and with this machineries and manpower, we are only producing 8 Kg. of low grade material per man. The cost of this material is Rs. 6.28 whereas we have to pay to an average of Rs. 15/- whereas our minimum wages are Rs. 9/-.

Under these circumstances if we have to run the mine we can never come out from heavy losses. So in my opinion a clear decision has to be taken whether this mine is to-be run at a loss or closed down.

Samota Fluorspar Deposit

In this area we are running two mines i. e Bhagat and Thorwali mines and it covers five main fluorspar bearing hills i. e. Ramore hill, Raba Wali Hill, Mata Hill, Bhagat Hill and Thorwali Hill. In this the Ramore, Rawat Wali Mata and Bhagat hills covered under Bhagat mines and lying within a vicinity of 3-4 Sq. Km. area near our office

whereas the Thorwali hill, covered under Thorwali mines, and lying about 4 Km. away from Hanumatiya.

Geology & Mineralisation

The Samota area is occupied mainly by the Granite gneisses of B. G. L. age the granite gneisses are traversed by pegmatite, amphibalites, quartz and fluorspar veins The granite gneisses are also showing porphyrsoblastic nature due to the presence of Feldspar porphyroblasts within a biotite quartz feldspar matrix quite often the rock displays typical augon structures also. The rock is poorly foliated and the foliation direction is variable in the area. The foliation plane is striking N80—70 W-S80—70 E. with steep southerly dips. Although poorly foliated the rock has two prominent sets of joints one normal to foliation direction and other oblique to it. Both are steeply dipping and as the foliation direction changes from N 70 W to NE, the trends of joints also very accordingly. The most interesting and important rocks of the Banded Gneissic complecx of this deposit are the mylonites which were formed by crushing of granite gneisses along the shear zone by intense cataclasis. The Samota shear zones are trending N80 W-S80 E whereas the Thorwali trending N20W-S20 E, these are the shear zones which extend for over 100 Mts. in length. Besides these several minor shear zones are also present throughout the area. The charcteristic feature of these shear zones is that they do not form a single continuous shear zone in the area. They are widely separated small lines and steeply dipping shear zones.

The mylonites and ultra mylonites along these shear zones resamble chart in hand speciman. The rock is hard, compact greyish, or greenish in colour. Mylonites have sharp junction on both the hanging as well as foot wall sides Owing to their greater resistance to weathering, they form low lying hills in an otherwise flatish topography of granite gneisses. These mylonites are the host rocks for fluorspar mineralisation in this area.

The mineralisation occurs essentially within the silicified mylonites consisting, the hills of Ramore in east, Bhagat in West and Mata Hill in between them and to the south of Remare Hill, the Rahat Wali hillock.

Ramore Hill

It is occupied by pegmatites, pegmatite mylonites at its cast and ultra-mylonites in centre and to its west. The cataclastic rocks shows high degree of silicification while the wall rock of porphyróblastic gneisses are highly weathered owing to kaolinization fluorspar is solely purple coloured at the eastern and white at the western se it is dominated by purple colour with subordinate green colour. Associated minerals are quartz and calcite. Footwall of porphyroblastic gneisses has crustified green fluorite-purple fluorite-quartz veins along the joints.

Reserves

The Department of Mines & Geology, Govt. of Rajasthan has carried out the detail exploration work and drilled 12 bore holes in the year 1964 or so. As per the available data, the ore reserves are estimated on the following data—

1. Strilling length — 345 Mts.
2. Average depth — 40·5 Mts.
3. Average width — 36·63 Mts.

These data are collected from the available geological plans and section. As per the above fact we may calculate the reserves as follows.

345 × 36. 63 × 40. 5 × 2.5 — 12, 79, 531.69 M.T.

Whereas 2.5 is taken the specific gravity. The average grade is also estimated as per the available drilling and analysis data is 6.34% CaF_2.

In this way the total reserves were the 12,69,500 M. T. with an average grade of 6.34% CaF_2.

Exploitation

We have exploited the deposit by open cast as well as underground working we have extracted near about 10,000,00 M. T. fluorspar ore from this hill. These extracted reserves are of high grade, because of

the fact that the fluorspar mineralisation is generally present upto 10 Mts. depth of high grade than that of below 10 Mts depth.

The remaining 12.7 lakhs tonnes reserves of fluorspar ore which may be of below 6.34% CaF_2 The average grade of the above reserves is very much low/which may be uneconomic for further mining because good quality material has already been extracted by selective mining. For even mill grade mining we have to go for selective mining.

Mata Hill

This hill is constituted of highly siliceous mylonites looking exactly like chart in hand speciman. Fluorite is predominently green coloured with white, purpole coloured. Calcite is very rich at western and of the hill. Galena and sphalorite spicks present in association of quartz and fluorite. In the Northern and Southern sides of hill, mineralisation occurs with in decomposed porphyroblastic gneisses along joints or weak zones/plans.

Reserves.

As per the exploration work carr ied out Deptt. of Mines and Geology Govt. of Rajasthan and available data the reserves are estimated as follows alongwith grade—

1. Strike length	—	300 Mts.
2. Average width	—	15.9 Mts.
3. Average depth	—	48 Mts.

These above data traced from old geological maps and sections and sp. gr. taken 2.5.

The reserves—$300 \times 15.9 \times 48 \times 2.5 = 5,72,400$ MT

The Average grade—5.39% CaF_2

Out of which we have extracted near about 62000 MT by selective mining and the remaining reserves will be 5.10 lakhs with an average grade of 5.39% CaF_2 and even low because of the fact that high grade material has already been extracted by selective open cast workings keeping in view of above fact, it is not viable to mine out

such a low grade reserves and we have already stopped the mining work. In this hill at present no working is going on.

Bhagat Hill—

This hill is the western most continuation of Mata Hill shear where both green and purple fluorite occurs on Southern side of hill, the mineralisation of fluorspar present within the decomposed porphyroblastic gneisses. At one place the fluorite occurs with pegmatite. The mineralisation is more concentrated along fissues and breccia zones in ths mylonites.

Reserves

The Deptt. of Mines & Geology, Govt. of Rajasthan had done the prospecting and exploration work in the year 1964 or so on the basis of available data the reserves calculated. There are two fluorspar bearing shear zones present in this hill. That is why, we have considered two ore bodies. Reserves estimated as under—

Reserves = Strike length × Av. width × Av. Depth × Sp. Gravity

I Ore body—225 × 12 × 33 × 2.5 = 2,22,750 MT

II Ore body - 165 × 4.2 × 33 2.5 = 57,172.50 MT

In this way the reserves may be tabulated as such—

Name of Ore Body	Reserves	Av. Grade
Main Ore Body	2,22,750 MT	9.86% CaF_2
Second Ore Body	57,172 MT	4.60% CaF_2
Total	2,79,922 MT	8.79% CaF_2

From this hill, we have exploited the 1,10,272 MT fluorspar ore by selective open cast upto a depth of 13 mts. In this way the high grade fluorspar has already extracted and remaining reserves may be of low grade which will be uneconomic for further mining.

Rahat Wali Hill—

This hill is lying Southern side of Ramore hill and occupies by mylonites and granite gneiss. The cataclastic rocks shows high degree

of silicification while the wall rock of porphyroblastic gneisses are highly weathered owing to Kaclinization. The fluorspar is green and purple coloured, well crystalline and associated with quartz, calcite, galena and sphalerite etc.

Reserves

The exploration carried out by the Deptt. of Mines & Geology, Govt. of Rajasthan oe the basis of available geological data the reserves are calculated the total reserves was 24000 MT of 20% CaF_2.

But we have extracted the fluorspar of high grade from this hill by selective open cast as well as underground workings and near about 18000 MT. of Fluorspar are has already depleted from the total reserves. The remaining reserves of below 20% CaF_2 grade are 6000 = 00 MT only.

These reserves may be exploited only by selective underground operation In this way over all the area is containing the low grade reserves of fluorspar mineral i. e. below 10% CaF2 which requires seleective underground mining for exploiting these low grade reserves which may be uneconomic for doing so.

Navagaon Mines

Navagon fluorspar deposit is lying at 2 km. from Punali village which in turn is on Dungarpur-Aspur road at a distance of 22 kms. from Dungarpur.

Geology and Mineralisation

The area is occupied by the porphyritic granite gneiss of pre-aravallies and intruded by pegmatic and quartz veins. The porphyrite granite gneiss composed of quartz feldspar and biotite along other mafic minerals. It shows the gneissose structure and porphyroblastic texture. The pegmatite composed of fildspar and quartz with mica. Quartz veins are intruded along the shear plane of granite gneiss and also showing later at shearing and along which the fluorspar mineralisation has taken place. The mineralisation appears to be controlled by the shear zones which are almost parallel to the foliation planes of granite gneiss. It is of Hydrothermal epigenetic type mineralisation. The

fluorspar bearing quartz veins are striking N5oW-S 5° E and dipping 40° due west. The thickness quartz fluorspar veins are from stringes to thin vein i. e. few c to a 1·5 mt. The fluorspar is fine grained white purple coloured, intermingled with quartz and not easily distinguished from quartz occurred in patches. The veins are showing pinching and swelling hature along the strike as well as depth also. With the exploration carried out in 1980-81 and 1981-82 by RSMDC Ltd. at Navagaon area revealed that the presence of flourite has not been found below 30 mts. verticle depth from the surface. The width of the quartz veins has reduced to 1 cm. to 10 cm. with 1 to 2% CaF_2 which is uneconomical to mine further in depth.

Reserves estimation

MEC has done the exploratory work in the year 1973-74 and estimated the reserves as such—

Reserves in tonnes and grade in CAF %

Category	5% cuttoff 1 mt. width Reserve	grade	5% cutoff with less then 1 m. width reserves	grade.	Total Res.	Gr.
Probable	2450	19·51	1450	19·24	3900	19·41
Possible	13250	17·98	3175	18·63	16425	18·10
Gross reserves	15700	18·22	4625	18·82	20325	18·03

The exoloration of deposit has indicated the gross reserves of 20·3 thousand tonnes of fluorspar with 18·35% CaF_2 at 5% cut off, of which 15·7 thousand tonnes with 18·22% CaF_2 have been calculated for the zones having width 1 m. and above. It has revealed that the fluorite mineralisation is unconsistant and has restricted strike length and small tickness. The bore hole data has also shown that either the thickness or the grade of mineralisation zones gets reduced at depth.

In the year 1981-82 RSMDC Ltd. had undertaken the exoloration by drilling, and drilled 4 bore holes with a total 243 3·5 mts. to encounter the fluorite veins at depth of 40-45 mts., as per the above drilling results, no fluorspar veins encountered but presence of quartz veins is indicated upto 40-45 mts. depth which indicates that the veins are rich in fluorspar on top horizon turned to quartz only i. e. no fluorspar mineralisation in depth. Hence with this drilling results it is suggested that the deepening of the present inclines may not be continued further in depth. Therefore it is further suggested that, the various small stops may be developed on upper horizons for extraction of 50-60 and 70-75% grade fluorspar. And concluded that there is no further addition to the ore reserves which previously estimated by M. E. C. because by above drilling no economic zone of mineralisation encountered. In short the reserves of 20,300 tonnes of fluorspar are with an average grade of 11·95% CaF_2 at 5% cut off calculated MEC remain unchanged and hence no addition in the reserves is further possible (Note—The detail/report has already submitted by our Manager (P&C) Planning and Development Division, on August 1982).

Depletion of Reserves

In B Block

45 × 30 × 1 × 2·5	3375 = 00 M. T.
10 × 10 × 1 × 2·5	250 = 00

We have already finished the B block by stopping and extracted the high grade material the developed stopes.

In A Block

70 × 15 × 1 × 2·5 = 2625 MT reserves extracted from A block by open cast mining etc.

In other areas

70 × 15 × 1 × 2·5 = 1750 MT reserves also extracted from other southern areas of A block by open cast mining.

In this way, total extracted reserves are

3625 + 2625 + 2625 = 8875·00

Remaining balance reserves which have to be extracted from the deposit—

Total Reserves—	Depleted reserves =	Balance Rs.
20,325·00	8,875·00	11,450·00 MT

The 11,450 MT balance reserves are of .8·3% CaF_2 but as per present practice of mining it is found that mineralisation of fluorspar is not continued along the strike also because it is replaced by quartz only at places as seen the B-Block southern drive where no fluorspar present, only the quartz remains that is why we have stopped the further driving in south as well as north side. In this way, the mineralisation is so erratic and in remaining A block and southern block. The mineralisation is so poor to run it in further depth because good quality material has already extracted by open cast workings.

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 7 की सूची

सूची–क

सूची आवंटन दिनांक 12-1-83, ग्राम पंचायत कालाखो, तहसील दौसा

क्रमांक	नाम आवंटी मय पिता व ग्राम	नाम ग्राम	ख. नं.	क्षेत्रफल बीघा बिस्वा	वि.वि.
1.	रामधन पुत्र नाथू लुहार, कालाखो	कालाखो	226	4.00	
2.	तोफली पुत्री गोपाल मीणा, रूडमल का बास	,,	299	3.00	
3.	रतीराम पुत्र भारया मीना, कालाखो	,,	287	2.10	
4.	नन्दराम पुत्र मूलचन्द मीना ,,	,,	274	2.00	
5.	नाथ्या पुत्र सांवता मीना ,,	,,	287	2.10	
6.	जयनारायण पुत्र कन्हैयालाल मीना, कालाखो	,,	868	5.00	
7.	छीतर पुत्र रामसहाय बगरिया ,,	,,	868	4.00	
8.	गोपी पुत्र चन्द्रया मीना ,,	,,	868	7.00	
9.	मंगला पुत्र हरबक्ष राणा ,,	,,	868	6.00	
10.	गंगाकिशन पुत्र श्रवण बागरा, रूडमल का बास	,,	868	4.00	
11.	प्रभात्या पुत्र रामकंवार मीना कालाखो	,,	868	4.00	
12.	शम्भू पुत्र मूल्गा मीना ,,	,,	868	4.00	
13.	श्रीया पुत्र पून्या मीना ,,	,,	868	7.00	
14.	बीरबल पुत्र श्रवण बागरिया, रूडमल का बास	,,	868	4.00	
15.	श्रीया पुत्र कल्याण मीना कालाखो	,,	868	2.10	
16.	गोपीराम पुत्र कल्याण मीना ,,	,,	868	2.10	
17.	मूलचन्द पुत्र कालू मीना ,,	,,	868	2.00	
18.	हर्षनारायण पुत्र सीताराम ब्राह्मण, दौसा	,,	868	4.00	
19.	मंगलचन्द पुत्र रामसहाय खारवाल, कालाखो	,,	877	3.15	
20.	हरि पुत्र जौहरीलाल खारवाल ,,	,,	877	3.15	
21.	कजोड्या पुत्र महादेवा ,,	,,	877	3.15	
22.	प्रसादी पुत्र गोरधन ,,	,,	877	3.15	
23.	लल्लूसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत, दौसा	,,	877	4.00	
24.	पुष्पा देवी पत्नी नन्दसिंह राजपूत ,,	,,	877	5.00	
			योग :	95.00	

248

सूची—"ख"

क्रम संख्या 1	नाम प्रार्थी मय निवास 2	कारण खारिज करने 3
1.	कोरीलाल पुत्र धन्नालाल, कालाखो	भूमिहीन नहीं होने से खारिज किया गया।
2.	अर्जुन पुत्र किलाण मीना, कालाखो	उपरोक्त
3.	खिलाड़ी पुत्र रामसहाय मीना, कालाखो	,,
4.	कंचन पुत्र बसन्ता मीना	समिति की पूर्ण सहमति पर खारिज किया गया।

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 की तालिका

तहसीलवार खडीन एवं उनकी लागत निम्नानुसार है—

जिला एवं तहसील नाम	खडीन कार्यों की संख्या			लागत रुपये		
	योजना मद	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	अकाल राहत	योजना मद	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	अकाल राहत
बाड़मेर 1. पचपदरा	1	—	31	41182.66	—	1678700.86
2. शिव	17	—	21	816534.27	—	1124272.20
3. सिवाना	—	—	15	—	—	931576.78
4. बाड़मेर	1	2	9	24031.94	38093.61	65507.25
5. श्रीगुडा-मालानी	—	—	10	—	—	523272.11
	19	2	86	881748.87	38093.61	4912869.20

			रा.ग्रा.यो.				रा.ग्रा.यो.
जैसलमेर 1. जैसलमेर	19	6	—	2	761648.10	18018.20	0.485
2. पोकरण	9	1	—	—	511467.44	909.00	—
	28	7	—	2	1273115.54	18927.20	0.485

हस्ताक्षर
उप निदेशक कृषि (भू-संरक्षण)
डीपीएपी 4, जोधपुर।

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 10 की प्रति

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-7) विभाग

क्रमांक 1 (1) गृह-7/82 दिनांक 1.10.82

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम 1939 (1939 का केन्द्रीय अधिनियम-4) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त उप-धारा के खण्ड (क) से (घ) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4(ग) दिनांक 18.2.82 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1(1) गृह 7/82, दिनांक 18 2.82 को, अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 3(ख) दिनांक 7.8.82 में पूर्व प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या प1(1)गृह-7/82 दिनांक 7.8.82 के अनुसरण में किये गये आक्षेपों या सुझावों पर उक्त उप धारा के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित विचार करने के पश्चात् राज्य परिवहन प्राधिकरण को एतद्द्वारा यथा अपेक्षित विचार करने के पश्चात् राज्य परिवहन प्राधिकरण को एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थात—

निर्देश

अतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण मंजिली गाड़ियों के यात्री भाड़े की संरचना का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है।

अतः अब राज्य सरकार निर्देश देती है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण अनन्यतः नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर चलाई जा रही मंजिली गाड़ियों से भिन्न मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध में नीचे उल्लिखित यात्री भाड़े नियत करेगा—

1. "क" वर्ग के मार्ग के लिये—

(क) सामान्य सेवा	9.97 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(ख) एक्सप्रेस मेल सेवा	10.92 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(ग) सेमी डीलक्स सेवा	13.37 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(घ) डीलक्स सेवा	15.42 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री

2. "ख" वर्ग के मार्ग के लिए 10.10 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री

3. "ग" वर्ग के मार्ग के लिए 12.42 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री

स्पष्टीकरण संख्या 1—

ये दरें इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम होंगी कि डीलक्स या सेमी डीलक्स गाड़ियों के वयस्क यात्रियों से 5 कि.मी. की दूरी तक प्रभार्य न्यूनतम यात्री भाड़ा 82 पैसे होगा और बालक यात्रियों के मामले में 40 पैसे होगा।

स्पष्टीकरण संख्या 2—

"एक्सप्रेस/मेल सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या यथा स्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञात ठहरने के स्थान के सिवाय कम से कम 40 कि.मी. तक चल चुकने के पूर्व किसी भी स्थान पर नहीं ठहरती। एक्सप्रेस बसों में गद्दीदार सीटें लगी होंगी।

स्पष्टीकरण संख्या 3—

(क) "सेमी डीलक्स सेवा" से कोई ऐसी "एक्सप्रेस सेवा" अभिप्रेत है जिसमें—

(1) मुख्य स्तम्भ केन्द्र 736.6 कि.मी. से अधिक हो।

(2) सीट फ्रेम विश्रामक किस्म के उच्च पृष्ठ वाले हों किन्तु सिर विश्रामक की व्यवस्था नहीं हो। सीट फ्रेम की ऊँचाई सीट ग्रेब रेल सहित 1940 मि. मि. हो।

(3) पृष्ठांकन पृष्ट सीट की दूरी 762.0 मि.मी. हो।

(4) विकसित किस्म का रबर फोम पृष्ठ विश्रामक के लिए काम में लिया गया हो, और

(5) सीट विस्तारक प्रति यात्री 406.4 मि.मी. × 406.4 मि.मी. हो।

(ख) 'डीलक्स सेवा' से कोई ऐसी 'एक्सप्रेस सेवा' अभिप्रेत है जिसमें—

(1) मुख्य स्तम्भ केन्द्र 1435.10 कि.मी. से कम नहीं हो

(2) सीटें या तो नियत, पीछे की ओर झुकावदार हो या समायोजन किस्म की,

(3) पृष्ठांकन पृष्ठ सीट दूरी 914.4 मि.मी. हो

(4) 8 पंखे, 5 ट्यूब लाइटें और न्यूनतम 2 एयर वेन्टीलेटर लगे हों,

(5) सीट फ्रेम की ऊँचाई 1040 मि.मी. हो,

(6) बाडी सर्वतः अवरोधित (इन्सुलेटेड) हो, और

(7) सीट विस्तार प्रति यात्री 456 मि.मी. × 456 मि.मी. हो

स्पष्टीकरण संख्या 4—

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का यात्री भाड़ा 5 कि.मी. के प्रक्रमों (मंजिलों) में संगणित किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए 0.5 कि.मी. से अधिक और 5 कि.मी. तक की दूरी को एक प्रक्रम (मंजिल) गिना जायेगा और 0.5 कि.मी. तक की दूरी को छोड़ दिया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह.
(ए.के. गुप्ता)
उप शासन सचिव।

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची

प्रश्न के भाग 1 व 2 के उत्तर की सूची

क्र. सं.	वर्ष	ग्राम का नाम जहां ओवर हैड टैंक बनाया गया	तहसील	ओवर हैड टैंक की लागत
1	2	3	4	5
1.	82—83	खिवाड़ा	पाली	1,13,600
2.	82—83	पावा	पाली	1,45,000
3.	82—83	धामली	रायपुर	1,50,000
4.	82—83	कुड़की	जैतारण	1,87,000
5.	82—83	देवरिया	जैतारण	1,67,000
6.	82—83	सांडिया	सोजत	1,55,000
7.	82—83	निम्बाज	जैतारण	1,23,000
8.	82—83	पांचेटिया	खारची	63,000
9.	83—84	आसरलाई	जैतारण	1,39,000
10.	83—84	मारवाड़-जंक्शन	खारची	97,000

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 27 का जांच प्रतिवेदन

Public Health Engineering Department, Central Laboratory,
Gandhi Nagar (Near Reserve Bank Quarters) Rajasthan,
Jaipur 302015

Report of the Chemical Examination of Water

No. Lab/Tech. (187) 1984-1985/72 Dated 15.4.84

To

The Executive Engineer
P. H. E. D.
Distt. Divn. Tonk.
Reference 1878 dated 12.4.84
Date of Collection 12.4.84
Date of Receipt 13.4.84
Date of Complete Examination 18.4.84

District Tonk.

Sample No.	Name of well	Name of village	Chloride (Cl)	Fluoride (f)	T. D. S.	Nitrates No 3
1	2	3	4	5	6	7
2420	Bhagchand well	Chanani	116	0·5	1016	125
2421	Hand Pump Opp Society shop	Chanani	5210	Tr.	18942	3000
2422	Hand Pump Near Sukhdev Jat House	Brijlaipura	684	3·5	3788	275
2423	Hand Pump Opp. Mulchand Sen House	Sajiya	1816	0.7	8779	1500
2424	Hand Pump Ram Niwas Jat House	Nainwa	794	0·7	4158	900

Sd/—
Superintending Chemist
Rajasthan, Jaipur

255

Form No. 3

Public Health Engineering Department, Central Laboratory

Gandhi Nagar (Near Reserve Bank Quarters) Rajasthan
Jaipur-302015

Report of the Chemical Examination of Water

No. Lab/Tech (187) 1984-85/1179 Dated 18.9.84

To

The Junior Engineer,
P. H. E. D. Niwai (Tonk).

Reference : Your letter No. 353 dated 5/9/1984

Date of Collection 4/9/1984

Date of Receipt 6/9/1984

Date of Complete Examination 12/9/1984

District Tonk

Sample No.	Name of Well	Name of Village	Chloride (Cl)	Fluoride (F)	T. D. S.	Nitrates (NO_3)
1	2	3	4	5	6	7
4730	HP Ram Kumar Loda ka Samne wala	Bichpuri	36	1·0	554	15
4731	Tejaji ka Chabutia ka bass	do	16	0·5	462	Tr.
4732	Mahadev ji wala kua	do	20	0·2	462	Tr.
4733	Public Well	Nagar Isar	116	5·0	1?86	30
4734	Shala ka samne wala H. P.	Mahapura Turkia	256	0·5	1063	12
4735	Bairwa Dhani H. P.	Suratrampura	216	6·0	1617	28
4736	Talabwala kua	Chananai	36	0·2	647	1

1	2	3	4	5	6	7
4737	Chamaran ka kua	Chanani	32	0·2	739	1
4738	Mandi wala kua	do	84	0·2	739	4
4739	Mandi wala kua	Bherupura	244	4·0	1709	100
4740	Panchet wala kua	do	56	8·0	832	10
4741	Bairwa Dhani (Panghat Badka kua	do Jhopari	100	0·5	1016	155
4742	Panchat kua	Naripura	116	10·0	1432	5
4743	Well near School	Laxmipura	2648	0·5	7854	620
4744	Bahar wala kund	Jhilaga	104	0·5	832	3
4745	Jagdish Meena's kua	Jhapariwal	96	0·5	693	13

Sd/—
Superintending Chemist
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का विवरण

बाम्बे सैल्स कारपोरेशन से वित्त वर्ष, 81–82 में क्रय की गई वस्तुओं का विवरण

क्र. सं.	दिनांक	वस्तु का नाम	तादाद	दर	रकम	प्रक्रिया
1	2	3	4	5	6	7
1.	24.4.81	रायल फॉम गद्दे	60	711.17	42,669.93	मैन्युफैक्चर्स की तुलनात्मक
	24.4.81	रायल फॉम तकिये	60	92.64	5,558.98	दरें
2.	22.4.81	ऊनी कालीन मय लगाई	289·60 व.मी.	291.70	84,475.63	खुली निविदायें
3.	25.4.81	पर्दे	27	102.19	2,759.00	सिंगल कोटेशन
4.	28.3.81	कोयर डोर मैट्स	4	68·34	273.37	,, ,,
5.	1.5.81	ऊनी कालीन मय लगाई	558.97 व.मी.	297.16	1,66,102.28	खुली निविदाएं
6.	22.5.81 23.5.81	रायल फाम गद्दे	40	711.16	28,446.40	मैन्युफैक्चर्स की तुलनात्मक दरें
7.	15.6.81	ऊनी कालीन मय लगाई	69.80 व. मी.	298·30	20,821.34	खुली निविदाएं
8.	15.6.81	ऊनी कालीन मय लगाई	185.76 व. मी.	295·91	54,969.00	खुली निविदायें

1	2	3	4	5	6	7
9.	15.6.81	ऊनी कालीन मय लगाई	335.60 व. मी.	296.90	99,440.14	खुली निविदायें
10.	14.8.81	ऊनी कालीन मय लगाई	434.28 व. मी.	266.72	1,15,832.71	„ „
11.	4.8.81	त्रिपाल	1		1,353.24	सिंगल कोटेशन
12.	18.8.81	ऊनी कालीन मय लगाई	204.00 व. मी.	293.71	59,923.60	खुली निविदाए
13.	12.10.81	ऊनी कालीन मय लगाई	60 व. मी.	206.97	12,417.90	„ „
	„	मशीन निर्मित	243.60 व. मी.	303.43	73,916.57	„ „
14.	24.9.81	बाथ मैट्स	40	52.40	2,112.00	समिति द्वारा सिंगल कोटेशन
	„	जेक्वार्ड विरलास	7	864.00	6,048.00	„ „
		टेपेस्ट्री कपड़ा	34.75 मीटर	54.90	1,907.77	„ „
15.	16.9.81	हैण्डलूम एवं पावरलूम पर्दे	1,113·25	65·90	73,363.70	खुली निविदाए पूर्व निर्धारित दरों पर
	„	सिंफान लिए वैलवेट कपड़ा	190·90 मीटर			
16.	31.7.81	कार नं. 7565 की सजावट हेतु सामान		95·00	18,135.50	सिंगल कोटेशन
	„	आर. एस. बी. 185			2,921.97	„ „
	„	आर. एस. बी. 4887			234.63	„ „
17.	23.11.81	आर. आर. बी. 6314			897.75	„ „

1	2	3	4	5	6	7
18.	23.10.81	कालीन लगाने का खर्चा मय अतिरिक्त सामान			359.44	सिंगल कोटेशन
					15,949.70	खुली निविदा,
19.	23.11.81	अण्डाकार कालीन	20	583.20	11,664.00	सीमित निविदा
20.	23.11.81	ऊनी कालीन मय लगाई व अतिरिक्त सामान			10,893.25	खुली निविदा
21.	25.12.81	मशीन निर्मित ऊनी कालीन	2.79 व. मी.	4718.71	13,165.21	" "
22.	4.12.81	कालीन लगाई व अतिरिक्त सामान	329.60 व. मी.	33.97	11,194.94	" "
23.	4.12.81		438 व. मी.	25.02	10,957.32	" "
24.	23.11.81	ऊनी कालीन लगाई एवं अतिरिक्त सामान	1297 व. मी.	7.43	8,398.08	" "
25.	23.11.81	टेलीफोन मैट एवं पर्दों के लिए			1,227.90	समिति द्वारा सिंगल कोटे.
		मैट	12 नं.	100.34	1,204.08	" "
26.	28.12.81	पर्दों के लिए कपड़ा एवं सिलाई	14 मीटर	65.90	7,512.60	" "
27.	8.3.82	अण्डाकार कालीन	45 नं.	540.6% टैक्स	26,244.00	सीमित निविदाए
28.	15.12.81	मशीन निर्मित कालीन	24 व. मी.	301.23	7,229.48	खुली निविदा
29.	15.2.81	प्लास्टिक सीट सफेद	1048 व. मी.	2.38	2,490.05	सिंगल कोटेशन

1	2	3	4	5	6	7
30.	9.4.82	कालीन लगाई एवं अतिरिक्त सामान	300 वर्ग मी.	28.24	8,470.80	सीमित निविदाएं
31.	18.1.82	कार. नं. आर. आर. बी. 6314 सजावट हेतु			55.00	
32.	,,	ऊनी कालीन	8.56 व. मी.	206.97	1771.63	सिंगल कोटेशन
	,,	बाथ मैट	4 नं.	52.80	211.20	
	,,	पर्दों की नेट	2 मीटर	20.90	41.80	
33.	15.2.82	अण्डाकार कालीन	8 मीटर	583.20	4665.60	सीमित निविदाएं
34.	,,	डोरमेट	1	172.80	172.80	
	,,	दरी	1	630.00	630.00	सिंगल कोटेशन
	,,	पर्दों का कपड़ा	25 नं.	60.90	1522.50	
	,,	पर्दों की सिलाई	10 नं.	20.20	200.00	
	,,	टेबिल कवर	12 नं.		480.00	
35.	16.11.81	ऊनी कालीन	41.70 व. मी.	203.94	8504.19	खुली निविदाएं
36.	,,	,,	310.67 व. मी.	206.97	64301.30	खुली निविदाएं
37.	22.1.81	,,	94.47 व. मी.	206.98	19553.00	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
38.	22.1.81	ऊनी कालीन मगाई मय सामान	—	—	6778.00	
39.	25.2.81	ऊनी कालीन	188.80 व. मी.	291.42	55019.48	
40.	,,	,,	22.48 व. मी.	288.39	6483.09	
41.	6.3.81	,,	52.73 व. मी.	293.43	15472.62	
42.	24.3.81	,,	183.52 व. मी.	288.36	52920.03	
43.	31.7.81	,,	13.16 व. मी.	299.19	3937.19	
44.	11.9.81	,	179.37 व. मी.	293.09	52571.23	
45.	21.9.81		418.70 व. मी.	289.02	121840.06	
			वर्ष 1981-82 योग		14,28,871.95	

बोम्बे सेल्स कॉरपोरेशन से वर्ष 1982–83 में खरीदे गये माल का विवरण

दिनांक	वस्तु का नाम	तादाद	दर प्रति	कुल रकम	प्रक्रिया
1	2	3	4	5	6
4.5.82	ऊनी कालीन मय लगाई	3 .9.25 वर्ग मीटर	299.78	92708.36	खुली निविदा द्वारा
5.5.82	पुन: लगाई लागत	62.51 वर्ग मीटर	34.80	2175.31	सीमित निविदा
24.4.82	बनियान फोम	16.5 वर्ग मीटर	55.00	907.50	सिंगल निविदा
3.9.82	रोयल फोम गद्दे	40 नग	721.16	28846.42	मैन्युफेक्चर कोटेशन पर
,,	रोयल फोम तकिये	67 नग	92.64	6206.96	,,
,,	कोयर फोम मेट्स	32 नग	176.85	5649.75	सिंगल निविदा
22.9.82	रोयल फोम गद्दे	8 नग	92.64	741.12	मैन्युफेक्चर कोटेशन
3.9.82	बाघ मेट्स	10 नग	52.80	528.00	सिंगल निविदा
8.7.82	फोम कुशन मय कवर	1 नग	42.90	42.90	सिंगल निविदा
26.11.82	रोयल फोम गद्दे	60 नग	766.47	45988.14	मैन्युफेक्चर की तुलनात्मक दर
,,	रोयल फोम तकिये	120 नग	127.09	15251.28	,,
6.10.82	ऊनी कालीन मय लगाई	60 वर्ग मीटर	298.53	17911.74	खुली नीलामी
22.9.82	जूट मेटिंग	54.90 वर्ग मीटर	58.10	3189.91	सिंगल कोटेशन

1	2	3	4	5	6
3.9.82	लोहे का पायदान	16 नग	10.6.63	1706.00	सिंगल कोटेशन
16.11.82	कुशन	2 नग	50.77	101.53	,,
26.11.82	रोयल फोम तकिये	80 नग	127.09	10167.52	मेन्यूफेक्चर की तुलनात्मक दर
12.1.83	रोयल फोम गद्दे	40 नग	766.47	30658.76	,, ,,
1.3.83	रोयल फोम तकिये	60 नग	127.09	7625.64	,, ,,
7.3.83	रोयल फोम गद्दे 8 मोटे	6 नग	3260.14	19560.82	,, ,,
19.8.82	पायदान	42 नग	51.17	2149.14	सिंगल कोटेशन
17.2.83	रोयल फोम गद्दे	20 नग	766.47	15329.38	मेन्यूफेक्चर की तुलनात्मक दर
5.6.82	टेपेस्ट्री मेटिंग	22 वर्ग फुट	12.96	285.12	सिंगल कोटेशन
3.9.82	तकिया कवर	2 नग	19.44	38.88	,,
14.9.82	ऊनी फेल्ट	3.50 वर्ग किग्रा.	140.40	491.40	,,
17.2.83	रोयल फोम तकिये	20 नग	127.09	2541.88	मेन्यूफेक्चर की तुलनात्मक दर

वर्ष 82-83 का योग :
3,10,803.46

बोम्बे सेल्स कॉरपोरेशन से वित्त वर्ष 1983–84 में खरीदे गये माल का विवरण

दिनांक	वस्तु का नाम	तादाद	दर प्रति	कुल रकम	प्रक्रिया
—	पर्दे टेपेस्ट्री कॉटन पर्दे हैन्डलूम	12 नग	190.45	2285.50	सिंगल कोटेशन
—	पर्दे हैण्डलूम टेपेस्ट्री	12 नग	200.70	2408.40	सिंगल कोटेशन
			वर्ष 83–84 का योग	4693.90	

बोम्बे सेल्स कॉरपोरेशन से वित्त वर्ष 1984–85 (सितम्बर तक) में की गई खरीद का विवरण

दिनांक	वस्तु का नाम	तादाद	दर प्रति	कुल रकम	प्रक्रिया
16.4.84	पर्दे टेपेस्ट्री	43 नग	125.25	5395.83	सिंगल कोटेशन
20.6.84	तिरपाल जे. के. टावरसं बैण्ड व साइज 30 × 20	1 नग	3207.60	3207.60	मैन्युफ़ेक्चर की तुलनात्मक दर
27.6.84	,, ,,	1 नग	3207.60	3207.60	,, ,,
30.6.84	,, ,,	1 नग	3207.60	3207.60	,, ,,
29.8.84	लोहे का फुट मैट 3 × 1½	3 नग	97.20	291.60	सिंगल कोटेशन
29.8.84	लोहे का फुट मैट 2½ × 1½	4 नग	81.00	324.00	सिंगल कोटेशन
	तिरपाल जे. के. टावर ब्रांड 1200				
	30 × 18	2 नग	2499.12	4998.24	मैन्युफ़ेक्चर की तुलनात्मक दर
	27 × 18	4 नग	2580.66	10322.64	,, ,,
	24 × 15	2 नग	1612.91	3225.81	,, ,,

वर्ष 1984-85 का योग 341[illegible]0.92

वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक का कुल योग : 17,78,540,23